I AM MUFTI & I AM NOT A TERRORIST
अक्षरधाम केसमें नीचली कोर्टो की जानिब से फांसी की सज़ा
सुप्रिम कोर्ट से बाइज़्ज
दर्दनाक सच्ची दास्तान
11 साल
सलाखों के पीछे

© जुम्ला हुकूक महफूज़ है

किताब का नाम : **११ साल सलाखों के पीछे** (हीन्दी रस्मुलखत)

बकलम : **(मुफ्ती) अब्दुल कय्युम अहमदहुसैन**

तादादे ईशाअत : **३००० (पहेला एडीशन)**

किमत : **०००००**

प्रिन्टींग : ----

नाशिर : **जमीअते उलमा अहमदआबाद**

जमीअते उलमा महाराष्ट्र

(मौलाना अरशद मदनी साहब दा.ब.)

किताब मिलने का पता

फहरिस्ते मज़ा

नं	मज़मून	पेज नं
	मकसदे किताब	V
–	तअस्सुरात (हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब)	VIII
–	तअस्सुरात (मोहतरम जनाब मुस्तकीम अहसन आज़मी साहब)	XII
–	तअस्सुरात (मोहतरम जनाब गुल्ज़ार आज़मी साहब)	XIV
१	मेरा अपहरम	1
२	मनघडत और झूटी स्टोरी	7
३	नाकाबिले बरदाश्त ज़ुल्मो तशद्दुद का आगाज़	13
४	क्राईम ब्रान्च का खाना	37
५	गैरकानुनी हिरासत और हेबीयस कोर्पस	39
६	बाकाईदा रीमान्ड की शुरुआत	40
७	कश्मीर का सफर	43
८	मेरा एन्काउन्टर	56
९	गुनाह कैसे कबुल हो ?	63
१०	नार्को एनालिसीस टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट ओर ब्रेईन मेपींग	65
११	हम्ले की कहानी सींघल की ज़बानी	68
१२	मेरे खिलाफ ईल्ज़ामात, गवाह व सुबूत और उन पर सुप्रिम कोर्ट का तबसेरह	77
१३	दो ऊर्दू चिठ्ठीयां	94
१४	दहशतगर्दी, इस्लाम और मीडीया का रोल	109
१५	जेल क्या है ?	114
१६	जेल की तारीक दुन्या में....	118
१७	हाई सिक्युरीटी	119
१८	जेल के शबो रोज़ व इस्तिहालात	120
१९	जेल के मुख्तलिफ शोअबे व हुनर	126
२०	जेल का खाना	130
२१	वकील मुलाकात	131

फहरिस्ते मज़ा

नं.	मज़मून	पेज नं.
२२	मुलाकात और् खत व किताबत (आबे हयात)	133
२३	इन्सपेक्शन राउन्ड	138
२४	मेरे कैदी साथी	140
२५	जेल में रमज़ानुल मुबारक की आमदे बाबरकत	141
२६	कैदीयों को खाना खिलाना	142
२७	फक्कुल आनी (कैदीयों को छुडाओ)	144
२८	जेल में ईदैन	148
२९	हिफ्ज़े कुरआने पाक की दौलत	150
३०.	ईन्फिरादी व ईज्तिमाई आमाल व दुआएं.	152
३१.	खुसूसी पोटा कोर्ट का जजमेन्टॉ	154
३२	दस खोली	159
३३	बडा चक्कर मुन्तकिली	160
३४	हिन्दु कैदीयों का सुलूक	161
३५	सुप्रिन्टेन्डेन्ट व जेल स्टाफ	162
३६	पुलीस स्टेशन और हमारी पुलीस	166
३७	मेरे वालिद व दीगर मुताल्लिकीन की गमनाक वफात	170
३८	गुजरात हाईकोर्ट का जजमेन्ट	176
३९	सुप्रिम कोर्ट ओफ इन्डिया, जमीअत उलमाए हिन्द और जमीअत उलमाए महाराष्ट्र का किरदार	177
४०	मेरे काबिल वकील	181
४१	मेरे हमदर्द व मोहसिनीन	184
४२	रब्बे लतीफ पर तवक्कुल	188
४३	लोगों की दुआएं व मुबश्शरात	190
४४	सुप्रिम कोर्ट का ईन्साफ व इन्सानियत से भरपुर तारीखी फैंसला	194
४५	बेशर्मी की इन्तिहा	201
४६	घर पापसी	210

باسمہٖ تعالیٰ

मकसदे किताब

الحمد للّٰه رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوٰة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلىٰ أله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد

१६ मई २०१४ जुम्अह का दिन न सिर्फ मेरे और आम मुसलमानों के लिये वल्कि ईन्सानिय्यत का दम भरनेवाले हर ईन्साफ पसन्द शख्स के लीये खुशी का दिन था। जिस दिन हमारे मुल्क की सुप्रिम कोर्ट ने अक्षरधाम हम्ले के केस में मुझे और तमाम मुल्ज़िमीन को बाईज़्ज़त बरी कर दीया.

सुप्रिम कोर्ट के ईस काबिले फख्र जजमेन्ट में जहां अदालते उज़्मा की सच्चाई, ईमानदारी, हुकूके ईन्सानी की पासदारी और कानून की बालादस्ती नज़र आती है, वहीं हुकूमत, ताकत और वरदी का नाजाईज़ ईस्तेमाल करनेवाले ईन्साननुमा भेडीयों की भी निशानदही होती है।

सन २००२ में गोधरा ट्रेन का हादसा और उस के बाद हुवे मुस्लिम कुश फ़सादात में गुजरात के मुसलमान को दोगुना मार झेलनी पडी थी. एक जानिब मुसलमानों का कत्ले आम किया गया, मिल्कतें तबाह की गई ओर उसे उजाड दिया गया और दुसरी जानिब उसे ही मुल्ज़िम ठेहरा कर और गलत मुकद्दमात में फंसा कर बरस हा बरस तक उसे जेल की गुमनाम अंधेरीयों में डाल दिया गया। इस दुसरे जुल्म में अहमदआबाद क्राईम ब्रान्च ने भरपुर रोल अदा किया। सन २००२ से २००४ तक वणझारा एन्ड कंपनी के शबाब का दौर था। जुल्म की खुली आज़ादी थी। जिसे चाहा मुकद्दमात में फंसा दिया। जिसे चाहा नकली एन्काउन्टर में मार दिया। अगर किसी पर रहम किया तो फिरौती लेकर उसे गवाह बना दिया। खासकर मज़लूमों ओर मुतअस्सिरों के हक में आवाज़ उठानेवाले और उजडे हुवों को आबाद करनेवाले और रिहाफे आम और खिदमाती काम करनेवाले क्राईमब्रान्च के जुल्म का

शिकार और हदफ बने।

अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार बसानेवालों में था उजाडनेवालों में नहीं। सन १९९७ में फरागत के बाद से मुख्तलिफ इन्सानी और कुदरती औफात मसलन सन २००० में कंडला में पानी का सैलाब, सन २००१ में भूज ज़लज़ला और सन २००२ में गोधरा फ़सादात के मौके पर हस्बे तौफिक बारी तआला बाझआबादकारी और खिदमाती काम में हिस्सा लिया।

पस इसी जुर्म की पादाश में १७ अगस्त, २००३ को झूट और मकर व फ़रेब से क्राईम ब्रान्च ने मेरा अपहरण (इग्वा) कर लिया। उस के बाद जुल्म व तशद्दुद और हेवानियत की एक लंबी दास्तान है जो मैंने यहां बयान की है।

ये सिर्फ मेरी रुदाद व कारगुज़ारी नहीं बल्कि गलत मुकद्मात में फंसे सलाखों के पीछे सड़ रहे हर मज़लूम व बेबस ईन्सान की दास्तान है।

रिहाई के बाद कई लोगों ने मुझे अपनी कारगुज़ारी लिखने के लीया कहा था। जिस पर मैंने वाअदा किया था, आज वाअदा पूरा कर रहा हुं और कारगुज़ारी आप के हाथों में है।

ये कोई किताब या तस्नीफ़ नहीं, बल्कि दिल के अेहसासात है, यही वजह है के ईस रुदाद में आप को पसीह अल्फाज़, तरकीबे जुम्ला और कलाम का हुस्न नज़र आएगा। हां! आपको इसके एक एक हर्फ में सच्चाई और वफ़ा नज़र आएगी। क्युंके ईस की रोशनाई में खूने जिगगर औऱ आंसुओं की मिलावट है। ईसी लीये मैंने उस को बिल्कुल आम फ़हम अल्फ़ाज़ में ज़बानी कारगुज़ारी के तर्ज़ पर लिखा है। ताके ज़ियादह से ज़ियादह लोग इस के फाईदे हासिल कर सके।

मेरा मकसद अपनी मज़लूमियत बयान कर के लोगों की हमदर्दीयां हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों को जुल्म से बचाना है। अगर अस किताब के बाद एक भी ईन्सान कानून के बेजा ईस्तेमाल और पुलीस के मज़ालिम से बच गया तो में ईसे अपनी कामयाबी और ईन्दल्लाह किताब की मकबूलियत समझूंगा।

आखिर में ईस किताब के शाएअ करने में जितने भी लोगों ने तआवुन किया उन तमाम महसिनीन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हुं, अल्लाह तआला तमाम को खूब खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाएं। इस किताब को मुल्क व मिल्लत के लीये खैर का ज़रीया बनाए और हर शर व फितन से महफूज़ फरमाएं, और हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं। अल्लाह तआरा मेरी ईस कोशिश को कबूल फ़रमाकर ज़खीरए आखिरत बनाएं। आमीन

कंपोजींग में जल्दबाज़ी में यकीनन गलतीयां रह जाने के ईम्कानात है। अगर कोई गलती नज़र आए तो ज़रुर मुत्तलेअ फरमाएं। इन्शाअल्लाह इस्लाह कर ली जाएगी।

अब्दुल कय्युम मनसुरी

१४, जमादिल आखिर १४३६

मुताबिक ४ अप्रैल २०१५

باسمہٖ تعالیٰ

तअस्सुरात

अज़ : जानशीने शैखुल ईस्लाम (रह.) मोहसिने मुल्लत

हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दा.ब.

(सदर जमीअते उलमाए हिंद)

मुल्क की आज़ादी के बाद से ही मुसल्मान अपने मुल्क में फिर्का परस्त ताकतों की तरफ से बराबर मुश्किलात का शिकार रहा है । हिन्दु मुस्लिम फ़सादात ने बिलखुसूस इक्तिसादी और तअलीमी एअतेबार से मुसलमान की कमर तोड डाली. जमीअते उलमाए हिन्द हर दौर में ताबमकदुर कोशिश करती रही लेकिन फ़सादात को रोकने में हमेंशा नाकाम ही रही । ऐसा लगता था के हर हूकूमत में बैठे फिर्का परस्त पोलिसी बनाकर मुसलमानों को तरक्की की दोड में शिर्कत से दूर रखना चाहते हैं । किसी जमहूरी मुल्क में ये कैसी अजीब बात है कि हज़ार हा हज़ार फ़सादात में मुसलमानों की शहादत और बरबादी पर ७० साल में काफी कातिल कत्ल की सज़ा का मुस्तहिक न करार दिया जा सका। जिसका मतलब ईस के सिवा क्या लिया जा सकता है के किसी भी कातिल को सज़ा न दे कर मुसलमानों की बरबादी और कत्ल व गारतगिरी के इस भयानक सिलसिले को बंद न करना अरबाबे इक्तिदार की पोलीसी रही है। फिर्का परस्त ज़ेहनियत ये नहीं चाहती के मुसल्मान चेन व सुकून के साथ रेह कर मुल्क के दूसरे तब्कों की तरह मुख्तलिफ मैदानों में तरक्की कर सके। आज़ादी के बाद कमोबेश पचास साल तक मुस्लिम कौम इसी तरह के हालात से दो-चार होती रही है। यहां तक के मुल्क में ईलेक्ट्रीक मीडीया का दौर आ गया और कोई भी रुनुमा होनेवाला वाकेआ पुरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुन्या में एक ही वक्त देखा जाने गला, ऐसे वक्त में गुजरात का बदबख्ताना फ़साद हुवा जो हमेंशा के लीये हिन्दुस्तान के माथे पर कलंक का टीका साबित हुवा। मुस्लिम दुश्मनी और ईन्सानीयत सोज़ व

बरबरियत का कोई पहलू ऐसा नहीं था जिस को अमन शांति के पैकर महात्मा गांधी के गुजरात में मुस्लिम अकलिय्यत के खिलाफ फिर्का परस्तोंने इक्तिदार के नशे में सरे आम अन्जाम न दिया हो. और् उस वक्त पूरी दुनिया ने इन फ़सादात को इलेक्ट्रोनिक मीडीय के ज़रीये देखा। यहां से फिर्का परस्त जेहनियत ने अपने प्रोग्राम को बदला और मुस्लिम दुश्मन के लीये एक नये प्रोग्राम को जनम दिया जो मेरे खयाल में मुस्लिम कुश फ़सादात से कम नहीं। बल्कि ज़ियादा भयानक और दिल को देहलाने वाला है। और वोह दहशतगर्दी और मुल्कत दुश्मनी के ईल्ज़ाम में किसी भी उभरते हुवे आलिमे नि या तअलीम याफ्ता ऐसे जवान को जो दस बीस अफराद की तरक्की और तअलीम का वसीला बन सकता है, पकड पर जेल में बंद कर देनै है। जहां से गिलो खलासी और बाहर आने के रास्ते अगर मस्दूद नहीं तो दुश्वारतर ज़रुर हो जाएं। इस तरह के वाकिआत में दो चार नहीं बल्कि सेंकडो जवान हिन्दुस्तान में गिरफ्तार किये गए और ख्वाह-म-ख्वाह इल्ज़ाम लगा कर जेलोमं में डाल दिये गये।

जमीअते उलमाए हिन्द बराबर अरबाबे इक्तिदार के रुबरु फर्ज़ी तौर पर सिर्फ मुसलमानों को देश मुखालिफ़ और मुल्क का गद्दार बताने की साज़िश पर अेजतजाज़ करती रही। लेकिन खातरख्वाह कोइ नतीजा निकल न सका। इस सिलसिले में सब से ज़ियादा बदतरीन किरदार क्रोंग्रेस के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल का रहा है। उन के दौरे इक्तिदार में मुसलमान को कौमी सतह पर मुल्क दुश्मन साबित करने में कोई कमी नहीं छोडी गई, जहां भी मुल्क में बोंब ब्लास्ट का कोई वाकेआ रुनुमा होता था फौरन ही मुसलमानों के सर थोंप दिया जाता था, और पकड धकड सरे आर आम शुरु हो जाती थी। हम जमीअते उलमाए हिन्द के प्लेटफोर्म से ये कहा करथे थे के बोंब मारनेवाले और बनानेवाले अरबाबे इक्तिदार की चादर में छुपे हुए हैं। मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती थी क्युं के ये सब एक पोलीसी के तहत हो रहा था।

मैंने २९ सितम्बर २००८ में सोनीया गांधी जी को एक खत लिखा था जिस में मैंने कहा था के मुल्क की आज़ादी के बाद ही से मुसलमान पुरे मुल्क में फ़सादात की मार झेल रहे है, लेकिन कोंग्रेस के मौजूदह होम मिनिस्टर के दौरे इक्तिदार में पूरे मुल्क

में मुसलमानो को कौमी एअतेबार से मुल्क दुश्मन साबित कर डालने की नई तहरीक पर काम हो रहा है जो इन्तिहाई तशवीशनाक है। उन का मेरे पास जवाब भी आया के कोंग्रेस पार्टी कौमी एअतेबार से किसी को देहशतगर्दी का मुल्ज़िम नहीं गरदान्ती। लेकिन हालात में कोई तगय्युर नहीं हुवा, यहां तक के आजहानी हेमंत करकरे ने तफतीश की और वही साबिद हुवा जो हम केहते थे। लेफ्टेनन्ट कर्नल पुरोहित और उन के जैसे दूसरे मुल्क की फिर्का परस्त पार्टीयों के कारिंदे पकडे गये और हकीकत से पर्दा उठा। लेकिन जो मज़लूम मुस्लिम जवान जेलों मों जा टूके थे वो बेयार व मदगार जेलों में आज तक बंद है। ऐसे ही बेकसूर और ज़ुल्म व तशद्दुद की जिन्दगी से लातअल्लुक लोगों में मुफ्ति अब्दुल कय्युम साहब, जनाब आदमभाई सुलेमानभाई अजमेरी, मुहम्मद सलीम हनीफ़ शेख, मौलाना अब्दुल्लाह मिया यासीनमियां कादरी, चांदखान है जिन्को अहमदआबाद गुजरात में अक्षरधाम मंदिर में हुवे केस में पुलीस ने अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लीये गिरफ्तार कर लिया। ये लोग कमो बेश ५ साल से ११ साल तक जेल में बंद रहे और तरह तरह के ज़ुल्म व तशद्दुद का निशाना बनते रहे। गुजरात हाईकोर्ट ने मुल्ज़िमान अल्ताफहुसैन अकबरहुसैन मलेक को पांचसाल कैदे बा मशक्कत और जुर्माना, मौलाना अब्दुल्लाह मियां यासीनमियां कादरी को दस साल कैदे बामशक्कत और जुर्माना, मुहम्मद सलीम मुहम्मद हनीफ शेख को तहताय कैदे बामशक्कत और जुर्माना, दिगर तीन अफराद जनाब आदमभाई सुलेमानभाई अजमेरी, मुफ्ती अब्दुल कय्युम, चांदखान को फांसी और जुर्माना की सज़ा सुनाई। नीचली कोर्ट और गुजरात की हाईकोर्ट ने उन को बेकसूस और वाकेये से लातआल्लुक हेने के बावजूद फांसी की सज़ा सुनाई थी।

जमीअते उलमाए हिन्द जो मुस्लिम तन्ज़िमो में सब से कदीम तन्ज़ीम है और अकाबिर (रह.) की बेश कीमत कुर्बानीयों की वजह से बेमिसाल कीमती तारीख रखती है। आगे बढी और ये फैसला लिया के हमें इन मज़लूमों की कानीनी चारहजोई में खुदा की ज़ात पर भरोसा कर के पूरे मुल्क में आगे बढना चाहीये और इस में शक नहीं के जमीअते उलमा महाराष्ट्र ने इस सिलसिले में जो किरदार अदा किया और

अदा कर रही है वोह अपनी मिसाल आप है। उस ने नीचली उस ने नीचली कोर्ट और हाईकोर्ट के खिलाफ़ फ़ैसलों के बावजूद सुप्रिम कोर्ट में अल्लाह के भरोसे ईन बेकसूरों का केस लडा और तीन साल की मुसलसल जद्दो जहद के बाद अलहम्दुलिल्लाह इन लोगों को बाईज्जत बरी कराने में कामियाब हो गई। अब ज़ुल्म व जियादती की पूरी कहानी सुबूत व ह़काइक के साथ आप के हाथ में है। आप इसे पढिये और हिन्दुस्तान की फिर्का परस्त पार्टीयों और हर सतह पर बैठे हुवे उन के ज़ुल्मो सितम और काले करतूतों को मज़लूमों की ज़बानी सुनीये। इस के साथ सुप्रिम कोर्ट के फाज़िल जजों ने हकाइक तक पहोंचने में जो अअला किरदार अदा किया है उस को भी देखीये और दाद दीजिये।

चुंके हम ये जानते हैं के जमीअते उलमाए हिन्द की ये सारी जद्दो जहद मस्अला का सहीह हल नहीं है। इसलिये हमने गौर व खौज़ के बाद येतय किया है के मज़लूमों पर ज़ुल्म व सितम करने में शुरुआत से आखिर तक जिन अफ़सरान और अहलकारों ने हिस्सा लिया है और इन लोगों की ज़िन्दगी को बरबाद करने में कोई कमी नहीं छोडी है उन के खिलाफ़ भी सुप्रिम कोर्ट जाएं। ताके झुटे तौर पर गलत कहानी बना कर जवानों की ज़िन्दगी बरबाद करनेवालों को सबक मिले और आईन्दा के लिये रास्ता बंद हो। चुनान्चे हमने तैयारी के बाद दरखास्त को सुप्रिम कोर्टमें पेश किया। सुप्रिम कोर्ट ने हमारे हक को तस्लीम करते हुवे मश्वरा दिया के हाईकोर्ट होते हुवे हमारे पास आना चाहिये। लेकिन हमारे वकीलोंने अर्ज़ किया के हमें वहां कोई उम्मीद नहीं है। इसलिये हमारी दरखास्त को कबूल कर लिया जाए। अलहम्दुलिल्लाह इन हज़रात की दरखास्त सुप्रिम कोर्ट में पेश कर दी गई। हम खुद्दामे जमीअते उलमाए हिन्द इस करवाई को अपनी मगफिरत का ज़रीअह समझते हैं और आप हज़रात से कामीयाबी की दुआ की दरखास्त करते हैं। फकत वस्सलाम

(मौलाना) अरशद मदनी

باسمہٖ تعالیٰ

तअस्सुरात

हज़रत मौलाना मुस्तकीम अहसन आज़मी साहब दा.ब.

(सदर जमीअते उलमा महाराष्ट्र)

गुजरात के जनाब 'मुफ्ती अब्दुल कय्युम साहब' और उन के साथीयों को ११ साल की ज़ालिमाना कैद व बंद के बाद मुल्क की सब से बडी अदालत (सुप्रिम कोर्ट) ने बाइज्जत बरी किया, और इश केस में सुप्रिम कोर्टने जो तारीखी फैसला दिया है और मुल्क की इन्तिज़ामिया पर पकड की है उस के मुकम्मल मतन का ऊर्दू तरजमा जमीअते उलमा महाराष्ट्र शाएअ (प्रसिध्ध) कर चुकी है।

ज़ेरे नज़र किताब में 'मुफ्ति अभ्दुल कय्युम साहब' ने अपनी दास्ताने असीरी मुरत्तब करके जेल की सलाखों के पीछे कीये जानेवाले वहशियाना मज़ालिम, खुदसाख्ता कबुलातनामे और पुलीस महकमा की बरबरीय्यत को बे नकाब किया है।

वाकेआ ये है के आज की मुतमद्दन केहलाई जानेवाली दुनीया में मुल्जिमीन के साथ जिस तरह का ज़ालिमाना रवैया इख्तियार किया जाता है इस को पढ कर हर इन्साफ पसन्द शख्स का कलेजा छलनी होगा। इस दास्ताने असीरी का ये पेहलू बजा ताबनाक है के सख्त सब्र आज़मा मरहले से गुज़रने के बावजूद मुसन्निफ ने इस्लामी उसूल व तअलीमात को हाथ से जाने नहीं दिया। उन की ये दास्तान उस्वए युसुफी का मुरक्कअ है और अस्हाबे कहफ़ के नौजवानों की याद ताज़ा कर देती है जिन पर मसाइब के पहाड तोडे गए। मगर उन के ईमना व यकीन में ज़र्रा बराबर लगजिश नहीं आई। बल्कि इन हालात ने उन की ईमानी कैफियत को मज़ीद दो बाला कर दिया।

अलगर्ज़ 'मुफ्ति अब्दुल कय्युम' साहब की रुदाद न किसी सियासी कैदी की आपबीती है और न किसी मुजरिम की दास्तान, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा के ये किताब मौजूदह दोर के हज़रत बिलाल (रदि.) व सुहैब (रदी.) और

अम्मार (रदी.) व यासिर (रदी.) की दास्तान है जिस को पढ कर हरारते ईमान में इज़ाफा होता है।

इस किताब की एक अहम खूबी ये है के तअस्सुब और तंग नज़री के जज़बात से बिल्कुल पाक है। मुसन्निफ ने अगर मुल्क की इन्तिज़ामिया में बैठे काले भेडियों को बे नकाब किया है तो वहीं मुल्क के इन्साफ पसन्द गैरमुस्लिम वकीलों और जज साहिबान को खराजे तहसिन भी पेश किया है।

जमीअते उलमा महाराष्ट्र और मुसन्निफ के अज़ीज़ व आकारिब ने इस तवील मुद्दत में जो उन की कानूनी और अख्लाकी मदद की है उसका भी तज़किरह है। खुदा करे के इस किताब के ज़रीये इन्तिज़ामिया की कुरसीयों पर बिराजमान ज़ालिमों को अपने हुदूद व इख्तियारात को बरतने का सलीका आ जाए।

और हम को यकीन है कि जिस तब्का की 'मुफ्ति अब्दुल कय्युम साहब' ने निशानदही कीै अगर उस की इस्लाह़ कर दी जाए तो मुल्क को रुस्वाई से बचाया जा सकता है और इस किताब का असल पैगाम है

(मौलाना) मुस्तकीम अह़न आज़मी

باسمہٖ تعالیٰ

तअस्सुरात

मोहतरम जनाब गुलज़ार अहमद आज़मी साहब दा.ब.(सेक्रेटरी
कानूनी इम्दाद कमीटी, जमीअते उलमा महाराष्ट्र)

जनाब मुफ्ती अब्दुल कय्युम ने अपनी दास्ताने अशीरी का एक मसोदा रवाना करते हुवे अपने तअस्सुरात पेश करने का हुक्म दिया है, अपनी कमज़ोर बीनाई की वजह से अहकर अख्बारात व दीगर रिसाले जात दूसरों से पढवा कर सुनता हुं। मगर इस मसोदा का मैंने खुद मुताअला किया और तकरीबन १८ घन्टे में पुरी किताब पढ ली। खुदा गवाह है के वक्ते मुतालआ मेरी आंखे कई बार अश्कबार हो गई।

मौसूफ ने अपने दिली जज़बात और कैफियात को जिस बेहतरीन अन्दाज़ में सफहा किरतास पर लिखा है उस पर मैं यकीन के साथ कैह सकता हुं के इस किताब का हर कारी अपने जज़बात पर काबू न करते हुए अपनी आंखो को नम कर लेगा।

मुसन्निफ ने इस किताब में कइ मुबश्शरात का ज़िक्र भी किया है । इनही मुबश्सरात की रोशनी में यकीने कामिल है के सरपा गुनहगार नाचीज़ गुलज़ार इन की दुआओं के तुफ़ैल नजात का मुस्तहिक होगा।

आखिर में मेरी दुआ है के अल्लाह तआला इस किताब को कबूलियते आम बख्शे और मुफ्ती साहब की तहरीर की रोशनी में बे गुनाह कैतीयों की दामे, दरमे, कदमे और सखने तआवुन पर कमरबस्ता हो जाए।

गुलज़ार अहमद आज़मी

blank page

باسمہٖ تعالیٰ

मेरा अपहरण

वोह ता. १७-०८-२००३ की सुब्ह थी। मैं डाभेल मेरे उस्ताज़ हज़रत अकदस मौलाना मुफ़्ती अह़मद सा. खानपुरी (अदामल्लाहु ज़िल्लहू अलयना) व हज़रत मौहतमीम(प्रिन्सीपल) सा. मौ.अहमद बुज़ुर्ग सा. और दीगर कुछ असातिज़ह व तलबा से मुलाकात के बाद कफलेता पहोंचा। वहां ईंग्लेन्ड से एक साहब इलाज मुआलजा के आधुनिक साज-सामान(मशीनरी) लाए थे, और ज़रुरतमंद, काबिले एतेमात होस्पिटलों को हदीया कर रहे थे। चुनान्चे मेरे हमदर्स साथी मोल्वी मुहम्मद वैद सिमलकी जो खुद भी एक होस्पिटल चला रहे थे। मुझे उन से मुलाकात के लीये कफलेता ले गए थे। वहां उन साहब से बात हो रही थी और वौह ५० लाख रु. से ज़ियादाह कीमत के आधुनिक(लेटेस्ट) मशीन हदीये में देने के लीये तैयार थे। और इस मुनासबत पर प्रोग्राम रखने की बात चल रही थी के तकरीबन १०:०० बजे मेरे मोबाईल फोन पर एक कोल आयी जिस का नंबर देखकर मैं बेचेन हो गया। क्युं के जिस जनाब का ये नम्बर था वोह जनाब पिछले एक हफ्ते से मेरे पीछे लगे हुवे थे और मेरे हर आधे घन्टे की रिपोर्ट सींघल को दे रहे थे। जिसका खुद उन्होंने इकरार किया था। बहरहाल जनाब के इस इकरार व अेहसान के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आसार नजर आ रहे थे के किसी भी वक्त मुझे भी क्राईम ब्रान्च का बुलावा आ सकता है। क्युंके मुझसे पहले कई आम और खास लोगों को क्राईम ब्रान्च में बुलाया गया था, धमकाया गया था, मारा पीटा गया था, केसोमें डाया गया था। हत्ता के हज़रतुल उस्ताज़ हज़रत मुफ्ती अहमद सा. खानपुरी (दा.ब.), हज़रत मौलाना अहमद सा. मज़ाहिरी पटनी (दा.ब.), हज़रत मुफ्ती याह्या सा., हज़रत मुफ्ती रिज़वान सा. और मर्हूम हज़रत मुफ्ती इम्तियाझ सा. भी इस मकरुहतरीन

मरहले (पडाव) से गुज़र चुके थे, लिहाज़ा मुझे भी खतरा बल्कि इन्तिज़ार था के मुझे कब बुलाया जाता है?

आखिरकार वोह घडी आ पहोंची और ता. १७-८-२००३ इतवार के रोज़ सुबह १० बजे उन साहब का फोन आया और सलाम बाद ये बातचीत हुई ....

जनाब : भाई तु कहां है?

अ.कय्युम : क्या काम है?

जनाब : सींघल साहब बुला रहे हैं।

अ.कय्युम : (मुझसे पहले कई लोगों को रास्ते से क्राईम ब्रान्च ने इग्वा कर लिया था, मेरे साथ मेरा बेटा मुआविय(पांचसाल), मौ. युसुफ मनसुरी, इबन्नाभाई मालपुवेवाले और यासीनभाई ड्राईवर थे। मैं नहीं चाहता था के मेरी वजह से इन लोगों को भी परेशानी हौ। और फिर मेरे बच्चे की मौजुदगीमें मुझे गिरफ्तार किया जाता और मुझ पर जुल्म और अत्याचार किया जाता तो उस की मानसिकता पर जो प्रभाव होता उस्का मुझे अंदाज़ा था। इस लिये मैंने झुठ कहा के) मैं पालनपुर हुं।

जनाब : तु कब आएगा?

अ.कय्युम : मैं शाम तक आजाउंगा।

साहब : पालनपुर तो सिर्फ दो तीन घंटे का रास्ता है, तुझे इतनी देर क्युं होगी?

उनका जांच और खोज का उत्साह और बढ जाए और मुझे कम से कम ४-६ घंटे सुकून रहे इस आशय से मैंने अपना मोबाईल फोन बन्द कर दिया। और वहां से तुरन्त फिरसे डाभेल आया और अपने बुजुर्गों से ये बात बताई और दुआकी अर्जी की। खानेकी दावत हजरत मौलाना मुहम्मद सिमलकी के घर थी लेकिन इस टेन्शन भरी खबर से न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे सफर के साथीयों का खाना भी बेस्वाद हो गया।

हाँ, मेरा बच्चा मुआवियह जो मामले की सख्ती और गंभीरता से अपररिचीत था, उसने बड़े मझे से खाना खाया।

खाने से मुक्त होने पर वापसी का सफ़र शुरुअ हुवा। मैं अपने फिक्रो में डूबा हुवा था। गाडी अपनी रफ्तार तय कर रही थी, और गाडी की रफतार से तेज़ खयालों और विचारों की रफ्तार थी जो मेरे दिलो दिमाग से गुज़र रहे थ। अब क्या होगा ? मुझे क्युं बुलाया गया है ? मेरे साथ कैसा सुलुक होगा ? मुझे वहां जाना चाहीये या नहीं ? अगर मेरे साथ कुछ हुवा तो मेरे घरवालोंका क्या होगा ? होस्पिटल का क्या होगा ? और पता नहीं बेशुमार खयाल और विचार बडी सुरअतसे गुज़रते रहे।

पुरा सफ़र मैंने और मेरे साथीयोने बोझल दिल और मानसिक परेशानी और इज़्तिराब में गुज़ारा, जब के मेरा बेटा मुआवियह दुनिया व माफीहा से बेखबर अपनी मासुम और भोली हरकतों और शरारतों से मेरी दिलजोई की कोशिश करता रहा। लेकिन उस की ये मासुम हरकतें कभी मेरे लीये दिल का सुकुन और लज्ज़त और फ़रहत की वजह हुवा करती थी अब मेरे दिलका बोझ बढा रही थी।

शाम को तकरीबन ५:३० बजे शहर अहमदआबाद में दाखिल होकर सारंगपुर रंगभवन के पास मैंने अपना मोबाइल चालु किया, सारंगपुर फोन चालु करते ही उन साहब का फोन आ गया के भाई तु कहां पहोंचा है ? (शायद ये सुब्ह से फोन पर लगे हुवे होंगे, अब काम्याब हुवे।)

मैंने कहा बस अहमदआबाद पहोंच रहा हुं। केहने लगे तु लोखंडवाला होस्पिटल आ जा, तुझे लेने के लिये आये हैं और तेरा इन्तिज़ार कर रहे हैं। मैं मगरिब की नमाज़ से कुछ पहले लोखंडवाला होस्पिटल पहोंचा तो वहां वोह जनाब और एक साहब मौजुद थे। उन्होंने कहा के वोह लोग (क्राईमब्रान्च वाले) आ गए हैं और् वोह कहते हैं कि यहां मुनासिब नहीं है। आप हाजीसखी की मस्जिद पहोंच जाओ। वहीं से ले जाएंगे। में हाजीसखी की मस्जिद पहोंचा और मेरे सफर के साथी मौ.युसुफ सा. को मेरा मोबाईल, स्कूटर की चाबी और कुछ दुसरी चीज़ें सौंप दी। मेरे बेटे मुआवियह के सर पर हाथ फेरा। उस वक्त मेरे दिल पर क्या कैफियत थी उसका

अंदाज़ा शायद आप लोग नहीं लगा सकते। मेरे मस्जिद पहोंचते ही क्राईमब्रान्च के तीन चार अफ़राद P.S.I. जनाब मलेक सा. के नेतृत्व में मस्जिद में तशरीफ ले आए जो सारे मुसल्मान थे !!!!

उन्होंने आकर मुझसे हाथ मीलाए। P.S.I. मलेक साहब मुझे अच्छी तरह जानते थे। फिर भी सरसरी तौर पर पूछा आप ही मुफ्ती अब्दुल कय्युम हो ? मैंने उन से पुछा मुझे क्युं बुलाया गया है ? उन्होंने कहा के मुझे पता नहीं, हालां कि मौ.अब्दुल्लाह को भी आज ही सुब्ह की नमाज़ के वक्त P.I. ए.ए. चौहाण सा. पकड लाए हैं। इस लिये आप तहकीक करना चाहो तो कर लो। और घर भी खबर दे दो ताकी घरवाले फिक्र न करे, ईन्शाअल्लाह तीन चार दिनों में हम आपको वापस छोड जाएंगे। मैंने मौ.युसुफ़ सा. और इबन्नाभाई से कहा के मेरे घरवालों को और साथीयों को ये खबर देदो। शायद उसी वक्त उन लोगोंने मेरे घर और मेरे साथीयों को ये खबर दे दी। चुनान्चे मेरे कुछ हमदर्द साथी मस्जिद ही में आए और उन्होंने सलाह दि के आप हरगिज़ मत जाओ। हम क्राईमब्रांच वालो को टाल देंगे, मैंने कहा के मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे ज़रुर जाना चाहिये, दुबारा मलेक साहब को पूछने पर उन्होंने कहा : आप जो रीलीफ केम्प चला रहे थे, शायद उसके हिसाब किताब के सिलसिले में बुलाया गया हो।

मुझे याद आया के मेरे सफर की तहकीकात करनेवाले जनाब भी तकरीबन २० दिन क्राईम ब्रान्च के मेहमान रेह चुके थे। चुनान्चे एक साथी के ज़रीये उन्हे बुलाया। वोह मस्जिद में आने से कतरा रहे थे। मस्जिद के पिछले दरवाज़े पास माढ के मोहल्ले में आए और एक साथी के ज़रीये मुझे ये कहला भेजा के 'बिन्दास्त, बेखौफ होकर जा, तेरी तो वणझारा भी तारीफ करता है के अ.कय्युम अच्छा आदमी है, होस्पिटल और दुसरे राहत के कामोंमें लगा हुवा है '

मगरिब का वक्त हो रहा था, क्राईमब्रान्च वालो ने कहा के आप मगरिब की नमाज़ अदा कर लो हम मगरिब बाद चलेंगे। मगरिब की नमाज़ खौफ़ और खयाल

के नज़र हो गई। नमाज़ के बाद थोडी सी दुआ की और मैं क्राईम ब्रान्च के अफसरों के साथ चल दीया।

उस वक्त मेरा घर हाजीसखी की मस्जिद से लग कर ही था। पुलीसवालों के साथ निकलते हुवे मैंने मस्जिद के सहन से अपने घरवालों को हाथों से अलविदा का इशारह किया, मुझे कहां पता था के घरवालों से ये जुदाई सिर्फ दो-चार दिन की नहीं बल्के ११ सालों की है!

बहरहाल मक्र व फ़रेब से मेरा अपहरण कर के क्राईम ब्रान्च के एक कोन्सटेबल ने मुझे अपनी बाइक पर सवार कर लिया।

में हसरत भरी निगाहों से अपनी प्यारे मस्जिद और मोहल्ले को देख रहा था और लोगों की शकलें अपनी आंखोमें बसा रहा था। दरीयापुर चारवाट से गुज़रते हुवे खलीलभाई चायवाले की किटली पर मैंने अपने पिताजी (अब स्वर्गीय) को चाय पीते हुवे देखा और सिर्फ हाथों से इशारह किया। मुझे कहां इल्म था के मैं अब अपने पिताजी की संगत कभी नहीं पा सकुंगा!

इबन्नाभाई और मौल्वी युसुफ क्राईमब्रान्च की औफीस तक मेरे पीछे पीछे आए और बडी हसरत और लाचारी से मुझे अलविदा केहकर वापस हुवे।

इशा से पहले गायकवाड की हवेली क्राईमब्रान्च पहोंचकर जनाब P.S.I. मलेक साहब मुझे एक खस्ता हाल इमारत की दुसरी मन्ज़िल पर ले गये। वहां एक बडे होल जैसा कमरा था। जहां मैंने मौल्वी अब्दुस्समद हैदराबादी और दुसरे कुछ मज़लुमों को आंखो पर पट्टी और हाथो में हथकडी लगी हालत में लाचार और मजबुर देखा। मौल्वी अ.समद मेरे महबुब तरीन मादरे ईल्मी जामिआ डाभेल से फारिग थे इसलीये अच्छी तरह जानता था। दुसरे लोगों में से बहोदसे लोगों को बाद में पोटाके दुसरे मुकद्मो में डालकर जेल भेज दिया गया और वहां पहेचान हुई थी। एक घड़ी तो में इन मज्लूमों को देखकर अपनी फिक्र भुल गया लेकिन में खुद मजबुर था। मुझे वहां एक ओफिसर पी.आई मावाणी की ओफीस में ले जा कर बिठा दिया।

और P.S.I. मलेक और महबुब मलेक ने मुझे सोने और नमाज़ के लीये एक चादर दी और खाना लाकर दिया। और मलेक साहब ने अपना हाथरुमाल निकालकर मेरी आंखो पर बांध दिया और मुझे दीवार की तरफ मुंह करा के उल्टा बिठा दिया। ईशा की नमाज़ बडी दीलचस्पी और ध्यान के साथ पढी और खाना बडी बेरगबती से खाया। आंखो पर पट्टी बंधी हालत में जबान पर जो विर्दो अज़्कार आ रहे थे पढ रहा था। और दिल ही दिल में अल्लाह से खैरो आफियत की दुआ कर रहा था।

दिल में बेचेनी और परेशानी थी। खयाल और विचार पीछा नहीं छोड रहे थे। रात लगभग १ बजे के करीब जनाब मलेक सा. आए और चुंके मेरी आंखो पर पट्टी बंधी हुई थी, मुझे हाथ पकड कर सीडी उतारकर नीचे लाये, सीडी उतरते ही बाए हाथ पर A.S.P. जी.एल.सींघल (गीरीशकुमार लक्ष्मणभाई सींघल) की ओफीस में ले गये और मेरी आंखो से पट्टी हटा दी. वहां टेबल के पीछे सींघल साहब बेठे हुए थे, उन्होंने मलेक साहब और दुसरों को ओफीस से बहार निकाल दिया और फिर कछ देर तक मुझे घुरते रहे, (बादमें तजरबा हुवा के ये उनकी ईनवेस्टीगेशन का एक तरीका था) बस वोह मुझे घुरते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उनकी आंखोमें आंखे जमाए रखी (क्युंके वहांकी मेहमान नवाज़ी से इस्तिफातह कीये हुवे एक साहबने मुझे बताया था के सींघल सा. आपको घुरने लगे तो आप आंखे मत चुराना वरना ये समझा जाएगा के आप मुजरीम है ।) कुछ देर आंख मीचोली का ये सिलसिला चलता रहा, आंखो को तकलीफ देने के बाद उन्होंने अपनी ज़बान को तकलीफ दी और मुझे पुछा :

सींघल : तुझे यहां क्युं लाए हैं?

अ.कय्युम : साहब, मुझे पता नहीं है।

सींघल : सोचकर बता, कुछ तो होगा जिस की वजह तुझे यहां लाया गया है।

(चुंके आज सुब्ह ही मौ.अब्दुल्लाह सा. को भी यहां लाया गया था और तकरीबन १५-२० रोज़ से अ.रहमान पानारा भी उनकी हिरासत में थे इसलीये मैंने

सोचा के शायद बवाहिर होल रीलीफ केम्प के हिसाब किताब के सिलसिले में बुलाया गया हौ) मैं ने जवाब दिया

अ.कय्युम : केम्प के हिसाब किताब के लीये बुलाया गया है।

सींघल : और सोचकर बता तुने क्या कीया है ?

अ.कय्युम : साहब मैंने कुछ नहीं किया।

सींघल : (कुछ देर घुरने के बाद) हैदराबाद से कौन आया था ?

(मैंने चुंके उपर मौल्वी अ.समद को देख लिया था और उनका अहमदआबाद आना जाना था, मैं ये समझा के उन्हीं के बारे में सवाल पुछा जा रहा है, चुनान्चे मैंने कहा)

अ.कय्युम : मौल्वी अ.समद आये थे।

सींघल : और कौन आया था ?

अ.कय्युम : हैदराबाद के बहोत से छात्र डाभेल पढते थे, वोह आते जाते है।

इसपर उन्होंने सवालात का रुख बदल दिया और पुछा :

सींघल : लियाकत से क्या बात हुई थी ?

यहां भी मुझे गलतफहमी हुई और ये समझा के लियाकत चुनावाला जिससे मेरी बेतकल्लुफी थी और में अकसर उससे हंशी मज़ाक करता था, रातमें २-३ बजे भी उसे फोन करके परेशान करता था। लिहाज़ा में ये समझा के कोई ऐसा ही शरारत भरा फोन टेप कर लिया गया हो। चुनांचे ये सवाल सुनकर मेर होंटो पर मुस्कुराहट आ गई।

नाकाबिले बरदाश्ते ज़ुल्मो तशद्दुद का आगाज़

मेरी मुस्कुराहट पर सींघल सा. भडक उठे और मुझे गंदी गालीयां दी और उठकर मुझे डंडे से पीटना शुरु कर दिया. कुछ डंडे मारने के बाद कहा, 'जा कल तुझे पता चल जाएगा के तुझे हम यहां क्युं लाये हैं।'

और इस तरह एक नाकाबिले बयान, नकाबिले यकीन, बेईन्तिहा ज़ुल्मो सितम और वहशीयत और दरींदगी से भरपुर गमनाक दास्तान की शुरुआत हुई।

मुझे आंखो पट्टी बांधकर दोबारह उपर मावाणी की ओफीस में भेज दीया गया।

उस रात देर से फिर जनाब मलेक और पी.आई ए.ए.चौहाण (अशरफ चौहाण) तशरीफ लाए। जनाब अशरफ चौहाण सा. मुसलमान थे. लेकिन उनके कारनामे यहुदी को भी शरमा देने के लीये काफी थे। इन्होंने कहा तुझे और (मुफ्ती) सुफियान को देश विद्रोही काम नहीं करने चाहीये। मैंने कहा साहब मैंने कोई गलत काम नही कीया है। उस के बाद मलेक सा. ने कानाफुस वाले अन्दाज़ में कहा आप को शायद किसी बडे केस की ईनवेस्टीगेशन में लाया गया है। आप हिम्मत से काम लेना। हम बडे साहब से आपकी हिमायत की कोशिश करेंगे। ये बात चल रही थी के अचानक पी.एस.आई मावाणी आ गया। और उसने मलेक सा. को डांटा के इसे क्या सीखा रहे हो ? वोह दोनों लोग चले गए। क्राईमब्रान्च की ये पेहली रात बडी अंधेरी और खोफ़नाक मालूम हो रही थी। अंधेरी रात, छोटी सी ओफीस और आंखो पर पट्टी तीन अंधेरीयों (ज़ुलुमातुम बअज़ुआ फव्क बअज़) की तस्वीर पेश कर रही थी। गहरी रात की खामोशी मेरे खौफ और बेचैनी को बढा रही थी, अल्लाह, अल्लाह करते उस लंबी रात की सुब्ह हुई। सुब्ह खामोश और सुकून वाली लग रही थी। लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले की थी। दोपहर तकरीबन १२-१ बजे के करीब फिर मुझे लेनेके लीये एक कोन्सेटेबल आ गया के वणझारा सा. बुला रहे हैं।

गिरफ्तारी से पहले जनाब वाला का नाम और काम सुन रखा था। रुबरु दीदार ता. १८-८-२००३ सोमवार के दीन दोपहर को नसीब हुवा। सींघल की ओफीस के सामने वणझारा की ओफीस थी। ओफीस में ले जाकर मेरी आंखो से पट्टी हटाई गई तो वहां काउन्टर टेबल के पीछे लाल दाढीवाले चश्मा लगाए हुवे वणझारा साहब बैठे हुए थे। और उन के दाएं बाएं कुरसीयों पर कुछ अफसर बैठे थे।

जिन में सिंघल सा. से पीछली रात पहेचान हो चुकी थी। दूसरे साहब पी.आई. वी.डी. वनार, पी.आई. आर.आइ पटेल वगैरह थे, जिनसे बाद में पहेचान हुई।

मुझे ले जाकर ज़मीन पर उन्के जूतों के पास बिठा दिया गया। और बात की लगाम वणजारा ने अपने हाथ ली और फिर रातवाला सवाल दोहराया के ''हैदराबादसे कौन आया था '' मैंने जवाब दिया : ''मौ.अ.समद आए थे।'' वणझारा ने कहा के डंडा पार्टी को बुलाओ। डंडा पार्टी ये दरींदो और जानवरों की ५-६ लोगों से बनी हुई एक जमाअत थी जो भूके भेडियों की तरह मज़लूम व बेबस लोगों पर टुट पडती थी, और जब तक वोह लोग खुद मारते हुवे थक न जाते मारपीट और जुल्मो सितम का सिलसिला जारी रहता था। या फिर मार खानेवाला मर जाए या बेहोश हो जाए तो होश आने तक ये सिलसिला रुक जाता और इतनी देर में मारनेवाले भी ताज़ह दम हो जाते थे।

चुनांचे 'डंडा पार्टी' आ गइ जिन के भयानक चेहरेही मुझे डराने के लीये काफी थे। उन्होंने आ कर मेरे हाथों में बेडीयां डाल दी, एक मोटे ताज़े भैंसे जैसे जालिमने मुझे कमर से दबोच लिया, एक ने मेरे दोनं पैर पकड लीये। दो शख्सो ने बावजूद ये के मेरे हाथोंमें बेडीयांथी मेरे दोनों हाथ कंधो से पकड लीये। और मुझे उलटा खडा कर दिया गया। और वी.डी. वनार ने मेरे पीछे की तरफ बेहद दरींदगी और बडे ही जोश और खरोश से डंडे बरसाने शुरुअ कीये, अल्हम्दुलिल्लाह हर डंडे की मार पर में **"अल्लाहु अकबर"** की आवाज़ लगा रहा था। जब में अल्लाहु अकबर केहता तो वणझारा साहब बडी ही गंदी गालीयां बक बक कर केहते के **''तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा साथ छोडकर हमारे पास आ गया है, देख आज हमारे पास हुकुमत है, पावर है, सबकुछ है, तुम्हारे पास क्या है ? अगर अल्लाह तेरे साथ है तो बिस्मिल्लाह पढ कर तेरे हाथों की हथकडी तोड दे और रिहा होकर दिखला दे।''** इस तरह मेरे ईमान पर हम्ला कर के वोह मेरी बेबसी और मेरी कमज़ोरी का मज़ाक उडाता था। अल्लाह, जन्नत और हुर(जन्नत की परी) वगैरह अल्फ़ाज़ को लेकर बडी ही घटीया अवर्णनीय टीप्पणी कर के अपनी दिलकी दुष्टता

और गंदगी का सुबुत देता रहता। (अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह हर हाल में मेरे साथ था, उस ने कैद को भी मेरे लेये खैर का ज़रीआ बना दिया। और जब योग्य समझा तब बाईज़्ज़त रिहाई करवा दी। वणझारा साब ने अपने खत (लेटरबोंब) में अपने जिस खुदा का ज़िक्र किया है, अगर वोह उन के साथ होता तो उन्हें जेल जाने की नौबत ही न आती)

वी.डी.वनार (वखतसींह देवीसींह वनार) की पहचान अगर मैं इन शब्दों में करुं के जुल्म और वनार सिक्के की दो बाजु थे तो बेजा नहीं होगा। मैंने अपनी जिन्दगी में इससे बडा ज़ालिम शख्स नहीं देखा। इस के कट्टरता और इस्लाम दुश्मनी का इस बात से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है के रीमान्ड के दौरान ये जानवर की तरह मुझ पर टूट पडता, मुझे लहू लुहान और बेहोश कर देता। फिर भी उसके इस्लाम दुश्मन भावना की संतुष्टी नहीं होती थी तो ये इस्लाम और मुसलमानो को लेकर अवर्णनीय बहुत ही गंदी टीका करता और मुझे अकसर केहता था के हमारी पुलिस, हुकूमत और कोर्टें बेवकूफ हैं के तुम पर केस बना कर फुजूल खर्ची करती है। तुम्हें तो गोली मार देनी चाहीये।

मेरी जेल कस्टडी के बाद एक तय की हुई साज़िश के तहत इसे दरियापुर पुलिस स्टेशन का इन्चार्ज बना कर भेजा गया था। यहां इसने कौमी एकता, इजतिमाई निकाह, मुशाएरह वगैरह प्रोगाम कर के अपने आप को सेक्युलर बताने की बहोत कोशिश की। (बिल्ली १०० चुहे खा कर हज को चली) उस ने अपने कुछ एजन्टो के ज़रीए से ये बात फैलाने की कोशीश की के अब्दुल कय्युम और मोल्वी अब्दुल्लाह सचमुच गुनेहगार है। और अक्षरधाम मामले में शामिल हैं। इन लोगों ने २०० करोड रुपीये लेकर अक्षरधाम मंदिर पर हम्ला करवाया था। काश के ये शैतानी कारींदे ये खबरें फैलाने से पेहले मेरी मां की बेबसी और गुर्बत को देख लेते। खैर पता नहीं कितने डंडे बरसाए। आखिर वनार थक गया और उसकी सांस फुलने लगी तो वोह रुक गया। तब वणझारा ने अपने मुद्दे और मकसद पर आते हुवे सीधा सवाल किया के : ''बता अक्षरधाम मंदिर पर हम्ला किसने करवाया था ? '' उस वक्त मेरे

पैरो तले से ज़मीन सरक गई और कलेजा मुंह को आ गया, ज़बान कांटे की तरह खुश्क हो गई और मुझे मामले की गंभीरता का अेहसास हुवा के मुझे किस भयानक जुर्म में फंसाने की साजिश हो रही है।

मैंने पुरी ताकत से चिल्ला कर कहा ''खुदा की कसम, मैं बिलकुल बेकसूर हुं और मैं इस मुआमले में कुछ नहीं जानता'' वणझारा ने फिर वनार से कहा ''मारो ईसे'' इस ज़ालिम ने फिर मेरे पीछे बहुत ही ज़नून से डंडे बरसाने शुरुअ कीये। यहां तक के मेरे कपडे खुन से भीग गये तो कहा गया..हाथो पर मारो, फिर मेरी हथेलीयों पर इतने डंडे बरसाए गये के हथेलीयों का रंग बदल गया और दोनों हथेलीयां हरी हो गई। ज़ालिम वणझारा की नज़र मेरे पैरों पर पडी तो केहने लगा : ''मोटा ताज़ा है, भैंस जैसे पैर है, इस के पैरों पर डंडे बरसाओ'', ज़ालिमोंने मुझे गिरा दिया और वोह तगडा और मकरुह व भयानक चेहरेवाला शख्स मुझे उलटा लिटा कर मेरी पीठ पर बैठ गया, बाकी दो लोग मेरे पैरों पर तल्वों पर डंडे बरसाने शुरुअ कीये। बस ये ज़ालिम डंडे बसाता रहा, थक जाता तो कुछ दैर रुक जाता और् उसके रुकने पर वणझारा गाली दे कर केहता और मारो क्युं रुक गये ? वोह केहता थक गया हुं, थोडा आराम कर लुं।

फिर वोह मारना शुरुअ करता, पैरों से हट कर फिर पीछे मारना शुरुअ करता, मुझे मालुम नहीं कितने घंटो ये सिलसिला चला और मुझे कितने डंडे मारे गये, मेरे अंदाज़ से कम से कम १५०/२०० डंडे ज़रुर मारे थे। आखिरकार मैं बेहोश हो गया और मेरे मुंह से ''अल्लाहु अकबर'' और चिल्लाने की बजाए जब कराहने और सीसकने की आवाज़े निकलने लगी तो ये सिलसिला रुक गया। मुझे होशमें लानेके लीये मेरे मुंह पर पानी छीडका गया और अलग अलग तरकीबें की गई। जब में कुछ होशमें आया तो मैंने पानी मांगा। मुझे पानी और कोफी पीलाई गई।

पैरो के तल्वों में बेशुमार डंडे मारे जानेकी वजह से मेरे तल्वे भी बिल्कुल हरे हो गये और हाथों और पैरो में सुजन आना शुरुअ हो गई। चलना तो दर किनार मैं अपने पैरो पर खडा भी नहीं रह सकता था। लेकिन अफसोस के वणझारा को ज़रा भी

सब्र नहीं था। जैसे ही मैं बातचीत और मारपीट के काबिल हो गया। मुझे पकड कर उठाया गया और अबकी बार वणझाराने ये कहा के अक्षरधाम मंदिर पर हम्ला करने के लीये तुने हैदराबाद से किसको बुलाया था ? अबके सवाल का मन्शा ये था के मैं तो अक्षरधाम मंदिर हम्ले का अपराधी हुं, ये बात तो तय है, अब मुझे हम्ला करने और साजिस में शामील दूसरे लोगों के नाम बताने थे, मैंने कहा साहब मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे पुछा गया ए..... भाई को जानता है ? मैंने कहा नहीं जानता, वणझारा ने कहा जाओ A.... भाई को लेकर आओ। ईसी तरह A.... भाई को भी आंखो पर पट्टी बंधी हालतमें ओफीसमें लेकर आए और इसी पट्टी बंधी हालतमें मुझसे कहा गया के तु इसे जानता है। मैंने कहा..नहीं जानता। तो कहा गया ये तुझे जानता है। उसके बाद मेरी आंखो पर पेहले पट्टी बांध दी गई और उसके बाद शायद ए....की आंखो से पट्टी हटाई होगी, चुनान्चे उनसे पुछा गया के : ''तु इसे जानता है ?'' उन्होंने कहा जी हां, ये मुफ्ती अ.कय्युम है, अब मेरी आंखोसे भी पट्टी हटाई गई और कहा : देक ये तुझे अच्छी तरह जानता है, तु इसे क्युं नहीं जानता ? A.... से कहा गया तु इसे बता तु इसे कैसे जानता है ? उन्होंने बताना शुरु किया : ''ये मुफ्ती अब्दुल कय्युम सा. जो वबाहीर होल में रीलीफ केम्प चलाते हैं। इन के साथ अ.रहमान पानारा और खालिद शेख भी है, ये लोग केम्प इन्चार्ज हैं, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही घीनौनी और घटीया कहानी बयान करना शुरु की।''

कारेईने किराम ! मैं यहां एक वजाहत कर देना ज़रुरी समझता हुं के उपरकी लाईनो में जनाब A.... भाई की तरफ से जो बातें बयान हुई और नीचे लाईनों में उन के हवाले से जो स्टेरी बयान की है उस में वोह बिलकुल बेकसूर हैं। क्युं के वो बेचारे मुझ से भी पेहले तारीख ०८-०८-२००३ से क्राईम ब्रान्च की हिरासत में थे। मैं समझ सकता था जैसा जुल्म मुझ पर किया गया है वैसा ही जुल्म उन पर बल्कि हो सकता है मुझसे जियादह जुल्म किया गया हो। चुनान्चे जेल कस्टडी के बाद मालुम हो गया के वोह भी मज़लुम और बेबस थे और असहनीय ज़हनी और शारीरीक तकलीफे दे कर उन्हें क्राईम ब्रान्च की तैयार की हुई एक स्टोरी पढने और कबुल

करने के लीये मजबुर किया गया था। इस में वोह ज़रा भी कुसूरवार नहीं। और सीर्फ A.... भाई ही नहीं बल्के हम तमाम को एक दूसरे के खिलाफ बोलने पर खूब मजबूर किया गया था। और इसी तरह आपस मे विभाजन और चर्चा के बाद नीचे लीखी झूटी कहानी तैयार की गई थी। इस लिये न सिर्फ हमारे मुकद्दमे के साथी बल्कि गवाह हज़रात को भी जब तक वोह क्राईम ब्रान्च में थे मैं कसूरवार नहीं समझता। जैसा के P.W.51 (अ.रहमानभाई पानारा) ने अव्वल क्राईमब्रान्च के खौफ से झुटी कहानी दोहराई। लेकिन उलट तपास में उसने पोटा कोर्ट के सामने क्राईमब्रान्च के झूट को बेनकाब कर दिया और उन्की गवाही भी हमारी रिहाई में मददगार साबित हुई (अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए)

हां, क्राईमब्रान्च से नजात पाने के एक ज़माने के बाद कोर्ट में आ कर भी क्राईमब्रान्च की मनघढत कहानी दोहराने वाले झूटे गवाह ज़रुर गुनेहगार है। उन्हें हरगिज़ मुआफ नहीं किया जा सकता।

मनघडत और झूटी कहानी

बहरहाल उन्होंने ये स्टोरी बयान करना शुरु की :

''मैं A.... भाई S..... भाई हुं, अ.रहमान पानारा, मुनाफ रेडियेटर और नासिर डोमन मेरे दोस्त हैं, मैं अ.रहमना पानारा वगैरह को बवाहिर होल पर मिलने के लीये जाया करता था। वहां मुफ्ती साहब से मुलाकात होती थी। मेरा भाई अ.रशीद और कालुपुर के सलीमभाई और अहमदआबाद व गुजरात के दीगर बहोत से मुसलमान सऊदी, रियाधमें नोकरी करते हैं, अ.रशीद वगैरह से हमने गुजरात दंगो की कार्रवाई, बवाहीर होल और दुसरे केम्पों में लुटे-पीटें, बेबस और मजबुर मुसल्मानों की दुर्दशा और तकलीफों की बात कही थी और हमने मुसल्मानों के कत्लेआम और माली नुकसान का बदला लेने के लिये मेरे भाई और सलीमभाई वगैरा से मदद की मांग की थी और उन्हें कहा था के मुकामी ज़िम्मेदार से भी मश्वरा और मदद की अपील करो, फिर मैं अब्दुर्रहमान, मुनाफ़, नासिर डोमन हम सारे ही

मुफ्ती अब्दुल कय्युम और मौ.अब्दुल्लाह से सलाह लेने के लीये बहाविर होल पहोंचे थे। और इन हज़रात ने सिर्फ सही सलाह दी बल्कि हमारी होंसले बुलंद कीये और कहा बिल्कुल आगे बढो जहां मदद की ज़रुरत हो हमें बात करना। '' बस इतना सुनना था के मौ.अब्दुल्लाह साहब को बुला लिया गया। और इन लोगों की हाज़रीमें मुझे फिर बेहद दरिंदगी से पीटना शुरुअ किया। मेरी पीटाई देख कर ये दोनो लोग भी कांप रहे थे और मौ.अब्दुल्लाह सा. दबे दबे शब्दों में मेरी सिफारिश कर रहे थे।

मैं मार खाते हुवे ज़मीन पर गिर कर नीम बेहोश हो गया तब तक मुझे मारते रहे। अब बारी आदमभाई की थी। मैं अपनी नीम बेहोशी की हालतमें उस बेचारे की दर्दनाक चीख-पुकार और दिल को छु जानेवाली, पथ्थर को रुला देनेवाली आहें और सिस्कीयां सुन रहा था। लेकिन अफसोस मैं लाचार था।

मैं चुंके अपने पैरो से चल भी नहीं सकता था। ईसलीये कुछलोग मुझे उठाकर क्राईमब्रान्च में दाखिल होते ही बाएं हाथ पर स्थित P.I. आर.आई पटेल (रमेशभाई इश्वरभाई पटेल) की ओफीस में डाल गएं।

मुझे १:०० से २:०० बजे के दरम्यान ले गये थे। वापस लाए तो उस वक्त रात के लगभग मगरिब या ईशा का वक्त था। और पता नहीं मेरे बाद उन दोनों लोगों पर क्या गुज़री और कब तक उन्हें सताया गया।

तारीख १८-८-२००३ पीर का दिन मेरी ज़िन्दगी का वोह आजमाईश भरा दिन था, जिस दिन मुझे अवर्णनीय और बेहद मारा गया और दो दो मरतबा बेहोश कर दीया गया और ये बात खुल कर मेरे सामने आ गई के अक्षरधाम मंदिर पर हम्ले के केसमें मुझे फंसाने की साजिश हो चुही है।

रातमें मुझे खाना दीया गया।

मेरे हाथ पैर सुजकर और जियादह मोटे और गेंद की तरह गोल हो रहे थे और ऐसे हाथों से कीस तरह खाना खा सकता था। मैं अपने हाथ पैर पर निगाह डालता रो रहा था। दर्द के मारे सिस्कीयां और आहें भर रहा था।

इसी हाल में खुनआलुद कपडों के साथ इशा की नमाज़ बैठकर अदा की।

आंखो से आंसुओं का सैलाब जारी था। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते हकीमाना से नज़दीकी और याद और दिल की जो कैफीयत और इमान का जो मझा था । वल्लाह उस की बात ही कुछ और थी । उस वक्त सहाबीए रसूल (सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम)हज़रत खब्बाब बिन अरत (रदी.) की वोह बात समझमें आइ के ''मुझे जिस वक्त बरहना (नंगी) पीठ मक्का की पथरीली ज़मीन पर घसीटा जाता और धुपमें लेटाया जाता और कोडे बरसाये जाते, मेरे सीने पर वज़नदार पथ्थर रखे जाते और मेरी पीठ और जिस्म को लोहे की गरम सलाखों से दागा जाता था, खुदा की कसम ! उस वक्त मेरे दिलकी जो कैफीयत और ईमान की जो लज्जत थी, आज वुस्अत और सहूलत के दिनों में वोह कैफियत और ईमान का वोह मज़ा नहीं रहा ''

अगली रात की तरह ये रात भी खौफ -परेशानी और फिक्रो बेचैनी में गुज़री, क्राईम ब्रान्च के इन बहादुर और काबिल ओफिसर का ये मामुल था के ये हज़रात देर रात ३-४ बजे तक ज़ुल्मो सितम की मेहफिलें सजाते, कभी सींघल की ओफीस से किसी मुसीबतज़दह की दिल को छु जानेवाली चीखे बुलंद होती, कभी वणझारा की ओफीस से ज़मीन-आस्मान को रुला देनेवाली आहें सुनाई देती । तो कभी वनार और आर.आई.पटेल की ओफीस से मज़लूम और बेबस ईन्सान की रोने कर रहम की भीख और दुहाई सुनाई देती। लेकिन इन आहों ओर सिस्कीयों पर खून पी जानेवाले जानवरों की चींघाड और वहशीयों के कहकहे हावी हो जाते।

रात भर जुल्मो सितम का बाज़ार गरम रहता। रात में तकरीबन ३-४ बजे ये लोग देश की सेवा कर के थक के अपने घरोंको जाते और सुब्ह ११:०० बजे वापस आ जाते। बस ये रात ३-४ बजे से सुब्ह ११:०० बजे तक का वकफा कुछ पुर-सुकून होता था। सुब्ह ११ बजे ओफीसरों का प्रवेश शुरुअ होता और हमारे लीये एक नया दिन नई मुसीबतों के साथ शुरुअ होता।

चुनान्चे तारीख १९-०८-२००३ मंगल की दोपहर फिर तकरीबन १ बजे के करीब वणझारा की ओफीस का बेल बजा। वहां हर ओफीसरकी अपनी अपनी

पसंद की अलग अलग डोर बेल थी । यहां दो डोर बेल काबिले ज़िक्र है (१) वणझारा की औफीस की डोरबेल डींगडोंग वाली थी (२) और सींघल की ओफीस में चीडीया की मुसलसल चीनचीनाहट वाली बेल थी। मज़लुमों को अलग अलग मातहती ओफिसर पी.आई, पीएसआई वगैरह की निगरानी में रखा जाता था, मुझे तारीख १७-०८-२००३ की पहेली रात मावाणी की ओफीसमें, उसके बाद कुछ रोज़ पी.आई. आर.आई.पटेल की ओफीस में और फिर २५-३० रोज़ वी.डी.वनार की ओफीस में पी.एस.आइ भरत पटेल की निगरानी में रखा गया था। पुरे चालीस दीन मेरी आंखो पर पट्टी ओर दोनों हाथों में बेडिया लगाई गई थी । यहां तक के रातको सोने के वक्त भी एक हाथ और एक पैर में बेडी लगा कर टेबल या किसी भी जाली के साथ बेडी का दुसरा लोक कर दीया जाता था। इन हालात में सुकुन से नींद कैसे आ सकती थी ? हाँ नमाज़, खाना और इस्तिन्जा के लीये एक हाथ ज़रुर खोला जाता था

मुझे सब से जियादह तकलीफ और दर्द इस्तिन्जा के वक्त होता था। खून और पीप की वजह से इजार पीछे सुरीन से इस कदर सख्ती से चिपक जाती थी के उसे ताकत लगाकर खींचना पडता था। बडी मुश्किल से इजार जब चमडी से अलग होती थी तो खून और पीप फिर बेहना शुरु हो जाता था। और इसी हालत में इस्तिन्जा करना पडता था।

वणझारा की डींगगोंग और सींघल की चीनचीनाहट तकरीबन पुरे क्राईम ब्रान्च में सुनाई देती थी। होता ये था के दोपहर में तकरीबन १२:०० से १:०० बजे बाद इन डोरबेलों की आवाज़ शुरुअ हो जाती थी । जैसे ही डोरबेल बजती हमारे दीलों की धडकने बजना शुरुअ हो जाती थी। छोटे से पींजरे में कैद पंछी आज़ादी के लीये जैसे इधर उधर टकराता हो, वैसी ही हालत मेरे दिल की होती थी। अैसा मालुम होता दिल इधर से उधर पस्लीयों से टकरा रहा है । डोरबेल बजने के बाद जैसे कमज़ोर बिल्ली खुंखार कुत्ता देख कर आंखे चुरा लेती और मुंह छुपा लेती है। और ये समझती है के शायद कुत्ता उसे न देख सके। हमारा भी यही हाल होता था. बेल की

आवाज़ सुनते ही आंखे जुका लेते। बिलकुल दीवार से मुह लगा लेते और ज़बान पर कुरआन और ज़िक्रो अवराद शुरु हो जाते। और खतरे के अेहसास पर बिल्ली की तरह कान खडे हो जाते थे। और फिर कदमों की आहट और आवाज़ जैसे करीब होती धडकने तेज़ होने लगती और कदमों की आहट मेरे पास आकर रुक जाती और मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा जाता के वणझारा सा. / सींघल सा. बुला रहे हैं। ये सुनते ही कलेजा उछलकर मुंह को आ जाता। आंखो में अंधेरी छा जाती और कदम बोझल हो जाते थे। और अगर कदमों की आहट किसी और जानिब बढती और कुछ देर तक कोई बुलावा न आता तो हम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। और जिस बेचारे को बुलाया गया हो उस के हक्क में दुआ करते और उसकी मज़लुमीय्यत पर आंसु बहा लेते थे।

चुनांचे तारीख १९-०८-२००३ मंगल को दोपहर फिर वणझारा की ओफीस का बेल बजा और मुझे बुलाया गया। इस बार जब ओफीस में ले जाकर मेरी आंखो से पट्टी खोली गई तो वहां A....भाई के अलावह मौल्वी अब्दुल्लाह, अ.रहमान पानारा, मुनाफ रेडीयेटर, नासिर डोमन, मेहबुह ईलाही टेईलर वहैरह हज़रात वहां हाज़ीर थे। ये हज़रात मेरे मोहल्ले ही के थे। मौ.अब्दुल्लाह सा. हाजीसखी की मस्जिद के इमाम थे। अ.रहमान पानारा माढ के मोहल्लेमें रेहते हैं जो मेरे अच्छे दोस्त हैं। बाकी हज़रात से भी मैं वाकिफ़ था।

बाद में मालुम हुवा था के मेरी तरह इन लोगों को भी कई कई रोज़ पेहले से लाकर बिठा दिया गया था। और मीठाई के हीस्से किये जा रहे हो इस तरह हर एक को कुछ ना कुछ रोल दे कर एक निहायत ही झुठी और बे सरो पा कहानी तैयार की गई थी और ''कज़ा अलल गाइब'' (किसी की गैर मोजुदगी में उस के मुताल्लिक कोई फैसला करना) के तौर पर मेरे ज़िम्मे भी कुछ रोल बल्के शायद सब से बडा रोल था।

उस मनघडत कहानी का अगला हिस्सा (पहेला एपीसोड) आगे बयान हो चुका के आदमभाई ओर दुसरे लोग मुझसे और मौ.अब्दुल्लाह सा. से सलाह लेने के लीये आए थे और हमने बहुतही कीमती सलाह दे कर इन लोगों का मार्गदर्शन कीया

था और मदद की ओफर की थी, अब कहानी कुछ इस तरह आगे बढी, मुझे पुछा गया, : अक्षरधाम मंदिर पर हम्ला करने हैदराबाद से तुने किन लोगों को बुलाया था? मैंने कहा मुझे पता नहीं, बस फिर वोह शारीरिक और मानसीक अत्याचार का सिलसिला शुरु हो गया, जब असहनीय जुल्म से तंग आ कर हथीयार डाल दीये और कह दीया के ठीक है साहब, आप जो कहे मैं मानने के लीये तैयार हुं, अब मारपीट बंद हो गई और आपस के सलाह सुचन से काम तय हो इस तरह हमें आपसमें एक दुसरों का रोल तय करने के लीये बातचीत का मौका दीया गया।

रीमान्ड के शुरुके दिनों में न सिर्फ अपना किरदार तय करने के लिये बातचीत का मौका दिया गया बल्कि अलग अलग केसो में से पसंदगी का हक भी दिया गया था। चुनान्चे हमारे एक साथी सलीमभाई को अक्षरधाम, गोधराकांड और हरेन पंड्या केस में से एक केस पसंद करने के लीये कहा गया था। मुझे भी एक मरतबा सींघल साहबने गोल गेंद जैसी चीज़ बताकर कहा के ये 'चरस' है। तुझे चरस के केस में फिट कर दुं?

रीमान्ड के दौरान मुझे करंट भी बहोत दीये गये। मेरे हाथों की तमाम उंगलीयों में क्लीप लगा कर उस के साथ एक छोटे से इलेक्ट्रीक मशीन के वायर लगाए जाते और फिर उस में एक हेन्डल था वोह घुमाया जाता था, जिस से मेरे पुरे जिस्म में करंट और बीजली की लहर दौड जाती थी, यहां तक के कभी कभी बेज़बोल के दंडे जैसा एक ईलेक्ट्रीक दंडा था वोह मेरे जिस्म के विभीन्न हिस्सों पर लगाया जाता और उससे मुझे करंट लगता था। कभी कभी उंगलीयों में नाखुन के नीचे टांकणीयां चुंभो दी जाती थी, रीमान्ड का एक तरीका ये था के मुल्जिम को अंग्रजी का उल्टा T (यानी दोनो पैर फैलाकर)'' ⊥'' बनाया जाता था।

जुल्मो तशद्दुद के शर्मनान तरीके

(१) जुल्म और टोर्चर का एक बहुत ही बहीमाना तरीका ये था के मुल्जिम की ईज़ार की आस्तीने (पांईचे) नीचे से बांध दी जातीं और उपर से ईजार में चुहे छोड

दीये जाते थे।

(२) रीमान्ड और जुल्म का एक शर्मनाक तरीका ये था के मुल्जिम को नंगा कर के उसकी शर्मगाह में जबरन मोटा डंडा दाखिल किया जाता था और पिचकारी के ज़रीये अंदर पेट्रोल डाला जाता था। उस वक्त के दर्द व तकलीफ को मुब्तला बिही ही जान सकता है।

(३) एक और वेहशीयाना तरीका ये था के पेशाब के सुराख में बिजली का तार लगा कर करंट दीया जाता था।

(४) औरतों की ईज्जत और पवित्रता से अनजान इन हवसखोरों के जुल्म का एक तरीका ये था के मुल्जिम के सामना उन की मां, बहेन, बीवी, बच्ची के साथ बहुतही घटीया और गंदी बात की जाती थी। उस की आंखो के सामने उन आदरणीय औरतों के साथ बलात्कार की धमकी दी जाती थी। यहां तक के कुछ केसो में सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सचमुच ये शर्मनाक हरकत कर के मुल्जिम को गुनाह के इकरार पर मजबूर किया गया।

मुझे भी शर्मगाह पर करंट दीये जाने और माँ, बहन और बीवी के तअल्लुक से यही धमकीयां दी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उपर बताई हुई जिल्लत से हिफाज़त फरमाई। काश ! के इन औरतों के तअल्लुक से कोई बात ज़बान से निकालने से पेहले वणझारा अपनी मां, बहन, बेटी को मद्दे नज़र रखता।

वणझारा के मुकाबले में सींघल में ज़रुर कुछ इन्सानीय्यत और शराफत मौजूद थी। उस ने मारझुड और गाली गलोच भी बहोत कम की। कभी कभी नर्मी से भी पेश आता, लेकिन शायद ये बी उन ओफिसरों का एक तरीका था के एक मारे दूसरा सहलाए। तारीख २८-०८-२००३ जुम्अह के दिन जिस दिन अक्षरधाम केस में हमारी गिरफतारी का एलान हुवा था। रात में मुझे सींघल ने बुलाया और कहा : देख, हमने तुझे अक्षरधाम केस में गिरफतार किया है और कल कोर्ट में तुझे हाजी़र करेंगे, वहां हमारे खिलाफ कोई शिकायत मत करना। मैंने रोते हुवे कहा के साहब

आपने मुझे इतने बडे केसमें फंसा दिया ? मेरी हालत देख कर शायद उस के दिल पर असर हो रहा था। केहने लगा : मैं मजबूर था, मुझ पर 'उपर' से दबाव था। लेकिन तु फिक्र मत कर। मैं तेरे घर की ज़रुरीयात का खयाल रखुंगा। मैंने कहा उस की ज़रुरत नहीं, अल्हमदुलिल्लाह मेरे दोस्त अच्छे हैं वोह खयाल रखेंगे। मुझे सिर्फ एक फोन कर लेने दो, तो कहा किस को सलमान को फोन करना है ?

आप अंदाज़ा लगा सकते हैं के गलत बकवास केस के बावजुद भी मेरा पुरा बायोडेटा, मेरे दोस्त, मेरी मजालिस, मेरे सफर और दुसरी तमाम मालूमात इन लोगों ने हमारे ही कुछ भाईयों की मदद से जमा कर रखी थी. यही नहीं इन के पास मेरे जुम्आ के बयानो की केसेटें भी थी। चुनान्चे रीमान्ड के दौरान जब मैं आहिस्ता से जवाब देता तो कहा जाता : बुलंद आवाज़ से बात कर, मैं केहता सर, मेरी आवाज़ नीची है तो कहा जाता : हमें मालूम है तेरी आवाज़ कैसी है, फिर मुझे कहा जाता के तेरे जुम्अह के बयानात की केसेटें हमारे पास है, तु उन्दलुस (स्पेन) के मुसल्मानों की बरबादी की कहानी बहुत सुनाता है।

उन दिनो में I.B. से भी दो ओफीसर (एक मोटे, ताज़े, गोरे तकरीबन ५० से ६० के करीब उमर थी और दूसरे पतले, दुबले सांवले ४५ से ५० की उमर होगी) आते थे, दो तीन रोज़ तक मुझे दो-दो, तीन-तीन घंटे लेकर बैठे और कहते ''कुछ बता दे यार'', मैं क्राईम ब्रान्च की यहीं घीसीपीटी स्टोरी शुरु करता तो कहते बकवास बंधकर यार, ये सब झुठ है, ये सब छोड, कोई और काम की सही बात बता, लेकिन मेरे पास तो वही स्टोरी के अलावह और क्या हो सकता था, वोह भी मायूस हो कर चले गये थे।

शुरुआत में एक बार रात में एक छोटे कद सांवले रंगवाले सफारी पहने हुवे साहब वणझारा की ओफीस में तशरीफ फरमा थे, मुझे उन के सामने पेश कीया गया, वोह साहब वणझारा की कुरसी पर बैठे थे और वणझारा और दुसरे ओफिसर उनके सामने दायें बायें अदब से बैठे थे, उन्होंने पेहले मुझे पहचान ने के लीये कहा देखो, ''मैं मुसल्मान नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब भी खाना खाता हुं तो बिस्मिल्लाह और

खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढता हुं, मेरी बीवी मुझसे झगडा भी करती है के क्या आप मुसल्मान हो गये हो ? या अगले जन्म में मुसल्मान थे ?'' मैं केहता मैं ये सब नहीं जानता लेकिन इतना ज़रुर जानता हुं के ये खाना जो हम खाते हैं अल्लाह तआला देते है। मुझे उन की बातों से गलत फेहमी हुई के शायद कोई इन्साफ पसन्द और इन्सानिय्यत नवाज़ ओफीसर है, इसलीये मैंने हिम्मत कर के कहा के साहब मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हुं, उन्हों ने कहा ठीक है, फिर वणझारा के अलावह तमाम ओफिसर को ओफीस से बाहर निकाल दिया, मैंने कहा वणझारा साहब को भी निकाल दो। उन्होंने तअज्जुब से कहा : वणझारा को भी निकाल दुं ? मैंने कहा जी हां, उन्होंने वणझारा से कहा जाईए साहब आप भी जाइए। उस वक्त वणझारा की शकल देखने लायक थी, अब हम सिर्फ दो थे, उहोंने कहा कहीये क्या केहना चाहते हैं ? मैंने कहा साहब मैं बिलकुल बेकसुर हुं, मुझे गलत फंसाया जा रहा है, आप मेरी मदद कीजीय और इस केस की जांच C.B.I. को दे दीजीये। इतना सुनना था के वोह साहब भडक उठे और कहा ''मुल्लाजी आपने मुझे पहचानने में गलती की है, मैं किसी और एजन्सी का नहीं बल्कि इन्हीं पुलीस का आदमी हुं, अब मैं आप से कोई बात करना नहीं चाहता'' और सचमुच उस रात के बाद कभी उन साहब का दीदार नसीब नहीं हुवा। लेकिन दूसरे रोज़ मेरी शामत आ गई। दोपहर में मुझे बुलाया गया, उस वक्त वणझारा साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर था, मुझे देखते ही ''नालायक मुझे मेरी ओफीस से भगाता है, केहकर गालीयों की बोछार शुरु कर दी, और वनार को मुझ पर मुसल्लत कर दिया, उसने हैवानीयत व दरींदगी का वोह नंगा नाच पेश किया जिस को बयान करने के लीये मेरे पास अल्फाज़ नहीं है।''

बहरहाल आदमभाई, अ.रहमान, मुनाफ़ और नासिर के हिस्से में ये रोल आया के इन हज़रातने मीटींगे की, सऊदी फोन कर के वहां से (२५ लाख रु।) की मदद मांगी और उन्होंने २५ लाख की बजाए विविध चरण में किश्तों पर सिर्फ ६६,०००/- हज़ार रुपीये भेजे, उन में से २०,०००/- इलाही दरज़ी को लौटा दीये, और सिर्फ ४६,०००/- ही से काम चल गया. (वाह ! वाह !) और फिर आदमभाई

को चुंके सउदी से हुक्म दीया गया था के आप हैदराबाद पहोंचो वहां अबु तल्हा और अय्युब से आपकी मुलाकात होगी और वोह आपको आगे का प्लान बताएंगे। आदमभाई हमसे मशवरह करके हैदराबाद गए और वहां अय्युब और अबू तल्हा से मुलाकात हुई।

कारीईने किराम !

अबू तल्हा कौन है ? यहां अबु तल्हा की थोडी सी पहचान हो जाए तो बेजा नहीं होगा।

स्कोटलेन्ड यार्ड पुलीस से जियादह काबिल, होशीयार, बहादुर और बहुत ही आधुनिक टैकनोलोजी से सज्ज हमारे इन बहादुर ओफीसरों ने पोटा के तकरीबन तमाम ही मुकद्मात में अबु तल्हा नाम के शख्स को सबसे बडा शाज़िशी करार दिया है, चुनान्चे अक्षरधाम हम्ला, हरेन पंड्या, टीफीन बोम्ब, जयदीप पटेल फायरींग केस, गणेश खुंटे एन्काउन्टर केस और सीरीयल ब्लास्ट साजिश केस और दुसरे कई केसों में इसे वोन्टेड मुल्ज़िम बताया है, जब के खुद यहां के सेशन कोर्टने ब्लास्ट की साज़िश के एक मुकद्मे के फैसले में ये तहकीक लिखी है के अबु तल्हा एक काल्पनिक (फर्जी) शख्स है।

आप ही सोची के बताए हुए तमाम केसो में जिस शख्स को क्राईम ब्रान्चने सबसे बडा साज़िशी करार दीया है और उस के कंधो पर इतने बडे मुकद्मों की इमारत बनाई थी जब ये बुन्याद (फाउन्डेशन) ही नहीं रही तो इमारत कैसे बाकी रह सकती है ? मगर अफ़सोस के दुसरे मुकद्मों में नीचली कोर्टों ने इतने अहम मुद्दे को गैरज़रुरी समझा, और इस अबु तल्हा नामी शख्स के वुजुद की तहकीक ही नहीं की ?

बहरहाल इश अय्युब और अबु तल्हा ने आदमभाई को ये कहा के हम आदमी और हथियार भेजेंगे, आप अपने मकामी उलमासे मिलकर उन के लीये रेहने और खाने का इन्तिज़ाम, और टार्गेट के इन्तिखाब (पसंदगी) में उनकी मदद करना। और फोन से हमारे साथ संपर्क रखना। आदमभाई अपने साथ अपने एक दोस्त

अ.वाहिद को लेकर गये थे ताके बादमें वोह उन के खिलाफ़ क्राईम ब्रान्च और कोर्ट में गवाही दे सके और एक बेहतरीन स्टोरी बनाने में मुईन व मददगार हो ! वहां से वापसी पर आदमभाईने हमको सारी कारगुज़ारी सुनाई और अ.रहमान को आनेवाले मेहमानके लीये किराये के मकान और लाईट, पंखा, पानी, बिस्तर वगैरह का इन्तिज़ाम करने के लीये कहा, और अ.रहमान ने लियाकतभाई से मकान और सोहराब से लाईट, पंखे वगैरह का इन्तिज़ाम किया। मनसूबे के तहत आदमभाई के हुक्म पर नासिर डोमन ने मोबाईल फोन तकसीम कीये। अ.रहमान और महमुदभाई को एक एक फोन दीया ताके वोह अबुतल्हा और अय्युब के फोन रीसीव कर के उनहें इत्तिलाअ दें। और माशाअल्लाह कुरबान जाईए क्राईम ब्रान्च की इस स्टोरी पर के दो मरतबा वोह लोग हथीयारों से लैस हो कर हम्ले के लीये आए। लेकिन अ.रहमान व महमुद के फोन बंद थे इस लीये पहली बार वोह नारोल और दुसरी बार खेडा, बारेजडी से वापस हुए।

अब ये तो वोह काबिल ओफीसर ही बता सकते हैं के हम्लावर हैदराबाद से नारोल और बारेजडी से कैसे वाकिफ थे ? और वहां तक कैसे पहोंचे ? क्या कोइ स्पेश्यल ट्रेन थी जिसे नारोल का रुट दीया गया था ? या ये के बाय रोड आए थे और रास्ते में कहीं भी कोई तलाशी नही हुई ? और I.B. और पुलीस को इसकी कोइ इत्तिलाअ नहीं हुई ? जब के दुसरे कई केसों में ये हुवा के 'आतंकवादी' बाय रोड बम्बई से निकले और I.B. ने इनपुट (खुफीया इत्तिलाअ) जारी कीये ओर फिर नारोल तक उन्हें बहुत ही अदब और एहतेराम से आने दीया गया और फिर हमारे यही बहादुर अफसरान (वणझारा एन्ड कंपनी) नारोल पहोंचे और नाकाबंदी की, आतंकवादीयों के पास A.K.47 और ग्रेनेड थे और हमारे बहादुरों के पास रिवोल्वरें थी !! मुठभेड हुई और गोलीयों का तबादला हुवा और कुछ ही देर में हमारे बहादुरों ने आतंकीयों को ढेर कर दीया (इस मज़मुन पर ज़ियादह कलाम नहीं करता वरना मेरा असल मज़मुन तवील होता चला जाएगा)

बहरवाल दो बार फोन बंद होने की वजह से हैदराबाद से आनेवाले मेहमान

वापस हुवे, जिस की बिना पर आदमभाई ने अ.रहमान और महमुदभाई से फोन वापस ले लीये और उन्हें मकान वगैरह इन्तिज़ाम के लीये कुछ रमक दी थी तो वोह वापस मांगी। जिस को लेकर उन के आपसमें थोडी नाराज़गी भी थी। उस के बावजुद आदमभाईने तीसरी बार फिर उन्हें इत्तिलाअ दी के हैदराबाद से जो मेहमान आनेवाले थे वोह आ चुके हैं और मैं उन्हें रेलवे स्टेशन लेने के लीये जा रहा हुं, और इन्शाअल्लाह बहोद जल्द आप एख बहोत बडी खुशखबरी सुनेंगे (यहासे अ.रहमानभाई का रोल खत्म हो गया) ये भी क्राईम ब्रान्च के वोह काबिल ओफिसर या उन के एक काबिल वकील जो उस वक्त बी बराबर क्राईम ब्रान्च में आते थे और ओफिसरों की रहनुमाई और स्टोरी बनाने में मदद करते थे वोह वकील सा. बता सकते हैं के एक ऐसा आदमी जिसे हमने साजिश से निकाल दीया है औऱ जिससे आदमभाई और मेरी भी नाराज़गी और दुश्मनी है (जैसा के अब्दुर्रहमानके बयान में है के दुधके पावडर की तकसीम और केम्प में इज्तिमाई निकाह के मौके पर जहेज़ के मामले में उनकी मुझसे भी नाराज़गी थी) हम उसे इतना बडा राज़ कैसे बता सकते हैं ? हां बच्चों में ऐसा ज़रुर होता है के खेलकुदमें जब झगडा होता है तो बतौरे फख्र राज़दाराना अंदाज़ में अपना प्लान ज़ाहिर कर देते हैं। आगे आदमभाई का रोल ये है के उन्होंने फिदाईन को रेलवे स्टेशन से लाकर अपने भाई के घर दुधेश्वर में ठहराया। वोह तीन मेहमान जिन के नाम अय्युब (डोक्टर नं.१) मुरतज़ा (डोक्टर नं.२) और अशरफ (डोक्टर नं.३) थे। रात भर दुधेश्वर रहेते, दिनमें बवाहिर होल चारवाट मेरे पास रेहते थे। आदमभाई ने उन्हें रीक्षामें अहमदआबाद शहर के विविध मंदिर और भीडभाडवाली जगाएं दिखाई। लेकिन फिदाईन ने तमाम जगाओं को रीजेकट (नामंज़ूर) कर दीया। फिर आदमभाई उन्हें गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर ले गेए जिसे उन्होंने पसंद कर लीया और हम्ले के एक रोज़ पेहले पीर के रोज़ फ़िदाईन तन्हा फिर अक्षरधाम मंदिर गये और इन हज़रात ने मंदिरमें जाकर पुरा पुरा मुआयना कीया और मुनासिब जगहों पर लोकेशन ज़हन में बिठा लीया। **(हालांके पीर (सोमवार) के दिन अक्षरधाम मंदिर की छुट्टी होती है !)**

हमें जब कस्टडी हो गई और हाई सिक्युरीटी में भेज दीया गया वहां कुछ और कैदी भी थे जिन पर ये इल्ज़ाम था के उन हज़रात ने गुजरात के उस वक्त के सी.एम और कुछ नेताओं को मारने की साजिश की थी और समीरखान (जिसे बादमें एन्काउन्टरमें मार दीया गया था) पाकिस्तान से इन्डीया आया और बज़रीये ट्रेन सुरत पहोंचा और वहां एक गेस्ट हाउस में ठेहरा था और क्राईम ब्रान्च के ईन्ही बाहोश अफसरान ने साजिश बेनकाब की और समीरखान और दुसरे कुछ लोगों को गिरफतार कर लीया। बाद में कोर्टमें ये बात सामने आई के ट्रेन सुरत पहोंचने की जो तारीख बताई थी वोह तारीख ही गलत थी। उस तारीख को तो ट्रेन सुरत से रवाना होती है, न के सुरत आती है !!!

हमारे इस मुकद्दमे में हम्ले के बाद दुसरे रोज़ तारीख २५-०९-२००२ को मौकाए वारदात की वीडीयोग्राफी और फोटोग्राफी की थी, लेकीन खयानत देखीये के इतनी अहम चीज़ों को कोर्टेमें पेश नहीं कीया, जब हमारे वकीलने कानुनी एतेबार से उनका मुतालबा किया तो सिर्फ एक C.D. कोर्टमें पेश की गई जिस पर हादसे से तकरीबन चार पांच महीने पहले शायद अप्रैल २००२ की तारीक लीखी हुई थी, **लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतीयां तो होती रहती हैं, इस लीये उन की जनिब तवज्जोह नहीं दी गई थी !**

बहरहाल आदमभाईने मेरे और मौ.अब्दुल्लाह के हुक्म पर उनको रेकी करवाई और हमले के दिन ज़ोहर की नमाज़ से पेहले मेरे पास छोड गएं।

अब यहां मेरा और मौ.अब्दुल्लाह सा. का रोल साथ साथ चलता है के हमने आदमभाई वगैरह को उपयोगा सलाह दी थी। मदद का यकीन दिलाया था। अब फीदाईन के आ जाने के बाद उन्हें वबाहिर होल में ठेहराया और मस्जिद में गुस्ल के लीये भेजा। चारवाट का ये पुर रोनक भीडभाड वाला ईलाका जहां रात ३ बजे भी दिन जैसा मन्ज़र होता है इस पुरे मोहल्ले और मस्जिद में किसीने भी उन्हें नहीं देखा ! ये लोग गुस्ल करने के बाद ओफीस में तशरीफ लाए।

ज्यादा दिलचस्प बात ये है के पेहले तो मुझे ओफिसरो ने ये कहा के तुने उन

की शहादत और जनाज़े की नमाज़ पढाई। तो मैंने अपने भोलपन में उन्हें मस्अला बताया के साहब ये तो हयात है और शहादत और जनाज़े की नमाज़ तो मरने के बाद होती है। तो केहने लगे फिर तुही किसी और नमाज़ का नाम बता दे। मैंने कहा साहब इसे तो नफल नमाज़ केह सकते हैं। फिर आपसी मश्वरे से तय हुवा के मैंने उन की काम्याबी और मारे जाने की सुरतमें हुसूले जन्नत के मकसद से दो रकअत नफल नमाज़ पढाई (जिस ओफीस में हम पांच हज़रात ने वुज़ु कर के बा-जमाअत नमाज़ अदा की वोह ओफीस 8 X12 फीट ी है। और उस वक्त वहां फर्नीचर और दुसरा सामान भी पडा हुवा था । इतनी तंग जगामें ये सब कुछ कैसे हो गया ये भी ईनवेस्टीगेशन करनेवाले जाने)

बचपन में स्कुल के ज़माने में एक कहानी पढी थी. 'अंधेरी नगरी और गंडु राजा, टके सेर भाजी और टके ख्वाजा ' एक बस्ती जहां खाने पीने की चीज़ों की कीमत में कोई फर्क नहीं होता था वहीं शरीफ और शरीर में भी कोई फर्क नहीं किया जाता था। अगर जुर्म हुवा तो मुजरिमन न पकडे जाने की सुरत में जो हाथ लगा और जिसकी गरदन बेहतरीन, मोटी-ताज़ीफंदे के लाइक हो उसे ही सुली पर लक्टका दीया जाता था। क्राईम ब्रान्च की इस अंधेरी नगरी में भी यही हुवा। मेरी मोटी ताज़ी गरदन उन्हें खुब पसंद आई इस लीये सारे केस का बोझ मेरी गरदन पर ही डाल दीया । और अब इस मनघडत और इधर उधर से मुंह मारी हुई नाकिस कहानी में कुछ कडीयां बाकी रहती थीं उसे हल कने के लीये हमें और खास कर मुझे खुब मजबुर किया गया। पेहले दो तीन रोज़ तो रोज़ाना एक नई स्टोरी थोडी जम रही थी, लेकिन उस में भी कहानी के तसलसुल के लीये कुछ कडीयां खुट रही थी, मसलन ये के (१) फीदाईन के नाम और पते क्या थे? (२) फीदाईन के पास जो दो उर्दु खत बरामद हुवे थे वोह किसने लीखे थे ? (३) हथीयार कहांसे आए और कौन लाया ? (४) साजिश और सलाह देने में कौन शामिल थे ? ये सारे सवालों के जवाब मुझे देने थे और सारी ज़िम्मेदारी मुझे अपनी गरदन पर लेनी थी, चुंके मेरी गरदन ईस ''लाईक'' थी ! चुनान्चे अब जब के बेशुमार रीटेक और कमी बेशी के बाद इतनी स्टोरी तैयार

हो गई तो अब मुझे ये कहा के अब तु याद कर के बता के उन दोनों फिदाईन के असल नाम क्या थे ? मेरे मना करने पर फिर डंडे बरसाए और मुझे असल नाम बनाने पर मजबूर किया गया। मैंने मार से बचने के लीये ज़हन पर ज़ोर दीया और ११ महीने पेहले हादसे के वक्त के अख्बारात को ज़हन में दोबारह खोलने लगा और उस वक्त अखबार में फिदाईन के जो नाम आए थे वोह नाम याद करने लगा और एक नाम मेरे ज़हनमें आ गया और मैंने कहा..एक का नाम हाफिज़ यासिर था। वणझारा कुछ कागज़ात लेकर बेठा था। उस में शायद कुच लिखा हुवा था, उस में देखकर उस ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब दुसरे का नाम बता। पेहला नाम बताकर मैंने जो अपनी कामिल बेवकूफी का नमुना पेश किया था अब मैं दुसरा मेडल लेना नहीं चाहता था। इस लीये मैने बगैर सोचे कहा दुसरे का नाम मो.फारुक था। वणझारा ने उसकी भी कबुल कर लीया।

ये मस्अला हल हो गया तो अब ये बात आई के फिदाईन के पास से जो उर्दु चिठ्ठीयां बरामद हुवी थी वोह तुने लिखी थी। उसमें क्या लिखा था ? मैंने बहोत मार खाई लेकिन इन्कार करता रहा। लेकिन जब जुल्म असहनिय हो गया तो तब मेरे सामने दो ही रास्ते थे...मौत या कबुलात। मैं क्या करता ? आखिर मैंने कबुल कर लीया के हाँ, चिठ्ठीयां मैंने लीखी थी। मारपीट के साथ सींघल और आर.आई पटेल बेहला फुसला भी रहे थे के ठीक है, चिठ्ठीयां तुने नहीं लिखी. लेकिन तू हमें ईस की कोपी कर दे। अब मेरे इकरार और वणझारा के हुक्म पर वनार ने दो चिठ्ठीयां निकाल कर मुझे दी और कहा तु हमें इस की नकल कर दे। हम तुझे नहीं मारेंगे। मैंने मार से बचने के लीये कबुल कर लीया। चुनांचे मुझ पर आर.आई पटेल मुसल्लत कर दीया। उस ने ओफीस में ले जाकर मुझे एक टेबल कुरसी दे दी और तीन चार रातें, दो-दो, तीन तीन बजे तक मुझ से चिठ्ठीयों की नकल करवाता रहा। मुझे मजबुर किया गया था के जितनी लाईन उन झेरोक्ष (फोटोकोपी) और मेरे हाथ की चिठ्ठीयों में ज़रा भी फर्क न होना चाहीये।

वोह हज़रात सुब्ह में किसी उर्दु जाननेवाले से यकीनन चेक करवाते थे।

क्युंके दुसरी रात आर.आई. पटेल आता और मेरी गलतीयां बताता और नुकते और हरकात (ज़बर, ज़ेर, पेश) में भी फर्क न रह जाए उस की कोशिश करता। कुछ कागज़ात फाड देता फिर नये लिखवाता, मेरे अंदाज़ से ४० से ५० मरतबा मुझ से लिखवाया गया।

मुख्तसरन ये के मैंने उनके लीये दुआ की और मेरे हुक्म पर मौ.अब्दुल्लाह सा. ने उन दोनों को उर्दु चीट्ठीयां दी। और उन्हें रवाना करने के लीये बलुचावाड तक टेक्सीमें बिठाने के लीये गये। और आदमभाई उन के तीसरे साथी अय्युब को लेकर अपनी रीक्षामें अक्षरधाम पहोंचे और फिर जब फायरींग और धमाकों की आवाज़ शुरुअ हो गई तो आदमभाई और अय्युबभाई वापस बवाहिर होल आए और मुझे और मौ. अब्दुल्लाह सा.को ये खबर दी, फिर हमने अय्युब को बरोडा भेज दीया के वहां से हैदराबाद के लीये कोई ट्रेन मिल जाएगी। और उस के बाद हम लोकोंने एहतीयातन इसका चर्चा और आपसी मुलाकातें बंध या कम कर दी।

क्राईम ब्रान्च की इस स्टोरीमें अभी भी एक बात रह जाती थी के हथीयार कहांसे आए और कौन लाया और अक्षरधाम मंदिर तक कैसे लेकर गये ?

इस सिलसिलेमें भी मुझ पर बेइन्तिहा टोर्चर हुवा के हथीयार तुने ही मंगवाए थे, कहां से आए और कौन लाया ये बता दे, हथीयार मामले में जब मुझसे सवाल हुवा तो अव्वल मैंने हमारे मोहल्ले के एक शहीद का नाम लीया के फुलां लाया था। तो मुझे कहा के वोह म्तो मर चुका है, दुसरा नाम बता। मैने दूसरे एकभाई का नाम लिया वोह भी फसादात में शहीद हो चुके थे। तो कहा गया वोह भी मर चुका है। किसी और का नाम बता। मुझे चुंके अब शहीदों के नाम याद नहीं आ रहे थे इस लिये मैंने हमारे मोहल्ले के एक वोन्टेड साहब का नाम लिया। अब वनार ने सब्र का दामन छोड दीया और मुझे बेहद गंदी गालीयां दे कर कहा बदमाश मरे हुवे और वोन्टेडों के नाम लेता है, हम उन से कहां पुछने जाएंगे ? और फिर निहायत ही बेदर्दी से पीटना शुरुअ कर दीया। मैं चुंके जिस्मानी और ज़हनी अज़ीय्यतों से तंग आ चुका था। इस लिये मैंने कहा हथीयार बाडमेर से आए थे, पूछा कौन लाया था ? मैंने कहा मैं और

मेरे साथी लेने के लीये गये थे। मुझे कहा गया : नहीं, ये स्टोरी नहीं जमती, क्युंके हथीयार बाडमैर कैसे पहोंचे ? किसने पहोंचाए ? बहोत सवालात पैदा हो रहे थे। फिर मुझे शहर के एक मशहूर ताजिर का नाम लेक पूछा गया के क्या तू ईसे जानता है ? मैंने कहा : जी हां, पुछा.. कैसे जानता है ? मैंने कहा 'गुजरात सार्वजनिक रीलीफ कमिटी' चलाते हैं उस निस्बत से जानता हुं। तो कहा गया तुझे पता है उसका फ्रुटका बडा कारोबार है और कश्मीर से उस की ट्रक आती है। इस कहानी में भी वोह लोग तअबज़ुब और् गैरयकीनी का शिकार थे। लिहाज़ा ये कहानी भी केन्सल की गई। और ईस तरह अल्लाह तआलाने उन की हिफ़ाज़त फरमाई।

बहरहाल हथीयार कहां से आए ? कौन लाया ? तय नहीं हो पा रहा था, और नहीं ये तय हो पा रहा था के कहां पेक कीये गये ? और कैसे अक्षरधाम तक ले कर गये ? शुरुअ में ये बात आई थी के बवाहीर होल की औफीस में एक बिस्तर में पेक कर के अक्षरधाम तक ले गये थे, लेकिन हथीयार कैसे आए और कौन लाया यही तय नहीं हो रहा था, पेकींग का मरहला तो बाद में आता है। इस लीये तीन चार रोज़ की मेहनत के बाद जिस में क्राईम ब्रान्च के बहोत कागज़ात भी ज़ाएअ हुवे। आखिर ये तय हुवा के हथीयार फिदाईन खुद अपने साथ अपने तरीके से लाये थे। उस सिलसिलेमें हमें इल्म नहीं।

मैं समझता था के क्राईम ब्रान्च का काम पुरा हो चुका है, स्टोरी बन चुकी है, इसलीये अब हमें हफ्ते भर से हो रही सख्त मारपीट और ज़ुल्म से छुटकारा मिल जाएगी, लेकिन बहोत जल्द मेरी खुशफहमी दुर हो गई और मेरे लीये एक इन्तिहाई सब्रआज़मा और मुश्किलतरीन नई आज़माईश शुरुअ हुई। आज जब उन दिनों को याद करता हुं तो रोंगटे खडे हो जाते हैं और एक भयानक ख्वाब मालुम होता है। अल्लाह तआला किसी भी शख्स पर ऐसे हालात न लाए (आमीन)।

मुझे ये कहा गया के तुने इतना बडा काम कर दीया। ये बगैर मशवरे के तो हरगीज़ नहीं हो सकता। तुने अपने बुज़र्गों से सलाह ली थी। मैं ने कहा मैं ने किसी से सलाह नहीं ली थी। तो कहा गया : (मुफ्ती) सुफीयान चोकलेट खाने से पहेले भी

हज़रत से सलाह लेते है के ये जाईज़ है या नहीं ? और तुने ईतना बडा काम बगैर सलाह के कर दीया ये नामुम्किन है। फिर कहा हम तुजे बताते हैं तुने कितने हज़रात से मश्वरा कीया था। और फिर वणझारा ने तीन बहोत ही काबिले एहतेराम बुज़ुर्गों के नाम लीये और कहा के तुने डाभेल वाले बडे हज़रत से (हज़रतुल उस्ताज़) मुफ्ती अहमद सा. खानपुरी (दा.ब.) से मश्वरा कीया था, और अहमदआबाद मरकज़ के (मर्हुम) हज़रतमौलाना अ.गनी सा. (रह.) से मश्वरा किया था. और मेरे इन्कार पर मुझे इन्तिहाई बेदर्दीसे मारा गया और अल्लाह तआला ने ये खैर का मामला फरमाया के मैं बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश हो गा तो मुझे उठाकर कुछ लोग वनार की ओफीस में छोड गये। उस रात मैंने खुब रो-रो कर अल्लाह से दुआ की के "या अल्लाह, मेरी ज़ात तक तो ठीक था, लेकिन अब तो बात तेरे वलीयों तक पहोंच रही है, या अल्लाह ! तु ही हिफाज़त फरमा। या अल्लाह ! मेरी ज़बान से तेरे किसी भी बंदे का नाम न निकलने पाए और या अल्लाह ! इस मुकद्दमा को मुझ ही पर रोक दे और ये ज़ालिम मेरे बाद किसी को भी इस मुकद्दमा में न डाल सके ऐसे अस्बाब पैदा फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ की कबूलिय्यत ही थी के मेरे बाद किसी को भी नहीं डाला गया। मजीद पटेल और कारी शौकतुल्लाह घोरी जिन्हें बाद में इस केस में डाला गया था उन्हें मुझसे पेहले ही इस केस में वोन्टेड ज़ाहिर कर दिया गया था।"

और एक दुआ मैं ने उस वक्त भी की थी और बाद में जेल में भी करता रहता था के या अल्लाह मेरे मोहसीनो हमदर्दों के मुकद्दर में अगर आपने कोई मुसीबतों आज़माईश लिख भी दी है तो वोह सारी मुसीबतें, आज़माईशें मुझ पर डाल देना, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ मत देना। यहां मुझे हज़रत खुबैब बिन अदी (रदी.) और हज़रत ज़ैद बिन दसिनह (रदी.) का वोह सबग आमोज़ वाकेआ याद आता है के जब सुली (फांसी) पर पढाने से कब्ल मक्कावालों ने पुछा के अब जब के तुम्हें फांसी दी रही है क्या तुम ये चाहते हो के तुम्हारी जगह हज़रत मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्लललल्लाहो अलयहे व सल्लम) को फांसी दी जाए और

तुम्हें छोड दीया जाए ? हालां के सहाबा जानते थे के हज़रत नबीए करीम (सल्लललल्लाहो अलयहे व सल्लम) को फांसी दी जाए ये नामुम्कीन था और आज़माईश के लीये ये सवाल था फिर भी कुरबान जाईए अकीदते हाबा पर के उन्होंने जवाब दिया ''खुदा की कसम, हमारे प्यारे नबी (सल्लललल्लाहो अलयहे व सल्लम) को अपने घर पर पैरों में एक कांटा चुभ जाए हमें तो ये भी गवारा नहीं।'' अल्हम्दुलिल्लाह हम ईन अज़ीम सहाबा के नाम लेवा है।

अल्लाह से दुआ की लेकिन दिलसे बोझ हल्का नहीं हो रहा ता, कल क्या होगा ? अगर खुदा-न-ख्वास्ता मैंने नाम ले लीये तो मेरी तो दुन्या और आखिरत दोनों बरबाद हो जाएंगे। विविध विचार और ख्यल मेरे ज़हन से गुज़र रहे थे। एक खयाल ये आया के में इन हज़रात का नाम लुं उसकी बजाए मर जाना बहेतर है। और मैंने खुदकुशी के इम्कानात व अस्बाब पर गौर करना शुरुअ किया। मैं बैतुल खला में गया और छत और खिडकी की बुलंदी का जाईज़ लेने लगा। ऊंचाई की कमी की वजह से मुझे वोह जगह नामुनासिब मालूम हुई। एक और तरीका मेरे ज़हन में आया, मैं ने सींघल साहब को अपने दर्द की शिकायत की थी। मेरी हालत देख कर उन्हे शायद थोडा रहम आ गया था। इस लीये उन्होंने मेरे मरहम पट्टी करवा दी थी और हाई पावर की दवाएं मंगवा दी थीं। उस वक्त मेरे ज़हन में ये बात घर कर गई के वोह सारी गोलीयां खा कर खुदकुशी कर लुं। मैंने अपनी जेब से टेब्लेट का पत्ता निकाला और कुछ देर तअबज़ुब की हालतमें उसे देखता रहा, लेकिन फिर एक बात ज़हन में आई के अगर इतनी टेब्लेट खाने के बाद भी बच गया तो मज़ीद ज़िल्लत व रुस्वाई होगी। और मेरे दर्द और मेरी तकलीफों से नावाकिफ लोग ज़िंददगीभार मुझे लाअन ताअन करेंगे के मुफ्ती हो कर खुदकुशी की कोशिश की। (जब के मर जाने की सुरतमें तो मैं उन के लाअन ताअन सुननेके लीये मौजूद ही न होता) बिल आखिर अल्लाह के फ़ज़ल से ये इहादह मौकुफ किया।

रात भर अल्लाह से दुआमें और इस फिक्र में गुज़ार दी के कल क्या होगा ? लेकिन जितना जयादह डर और फिक्र थी अल्लाह तआलाने इतनी आसानी फरमा

दी। चुनान्चे दूसरे रोज़ दोपहर में मुझे फिस बुलाकर ये सवाल दोहराया गया के तुने हज़रत से मश्वरा किया था ? मैंने कहा नहीं किया था। वणझारा ने कहा हज़रत जब लाल मस्जिद तशरीफ लाते उस वक्त तु उन से मशवरा करता था। मैंने कहा साहब मैं हज़रत से मुलाकात के लीये कभी भी लाल मस्जिद नहीं गया। पुछा गया क्युं नहीं जाता था ? मैं ने कहा मैं बहोत सुस्त और गाफिल आदमी हुं , ईस लीये वहां नहीं जाता था। पुछा हज़रत सुफियान के पास जाते थे, तेरे यहां क्युं नहीं आते थे ? मैंने कहा सुफियान नेक और खानकाही मिजाज़ का आदमी है और मैं शरारती हुं इस लीये मेरे यहां नहीं आते थे। मेरे इन जवाबाद पर वणझारा ने सींघल को ईशारह कर के पुछा ''क्या ये सहीह केह रहा है ?'' और सींघलने ईशारे ही ईशारे में उस बात की तस्दीक की। फिर मुझ से मुछा... ठीक है, मरकज़वालों से हज़ मौ.अ.गनी सा. (रह.) और हज़.मौ.सअद.सा. (दा.ब.) से तो मशवरा किया होगा ? फिर मैंने वही जवाब दीया के साहब देहली मरकज़ तो बहोत दुर की बात है मैं कभी अहमदआबाद मरकज़ पर भी नहीं जाता था। सींघलने मेरे इस जवाब की इशारे में तस्दीक की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह अल्लाह तआलाने मेरी जान छुडाई और हमारे बुज़ुर्गों की हिफ़ाज़त फरमाई।

उस वक्त हमारे इन अकाबिर के अलावह भी दीगर मुअज्जज उलमा और आम लोगों को गलत केसों में फंसाने की कोशीश की गई थी। चुनान्चे मुझे बाद में मालुम हुवा था के हज़. अकदस मौलाना गुलाम मुहम्मद वस्तानवी सा. (दा.ब.) हज़. मौलाना इस्माईल सा. गोधरावाले (दा.ब.) हज़. मौलाना कासिम भागलीया गोधरा, और अज़ीजम मर्हुम मुफ्ति इम्तियाज़ साहब को भी गोधराकांड, हवाला और अक्षरधाम जैसे संगीन मुकद्दमात में फंसाने की साज़िश थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ने हिफ़ाज़त फरमाई।

فاللّٰهُ خير حافظًا وهو ارحم الراحمين.

बहरहाल मारपीट, वकील की मदद, आपसी मशवरा और जबरी इजतिहाद के बाद ये स्टोरी तैयार होगई, अब मारपीट का सिलसिला बिल्कुल खतम

हो गया था। अब तकरीबन दिन भर वनार की ओफीस में मुझे बिठाया जाता और वौह कागज़ात तैयार करता रहता और बीच बीच में मुझे सिर्फ मेरा नाम, उमर, पता और फेमीली बेकग्राउन्ड के मुताअल्लिक कुछ सवालात पूछता जैसे की...

नाम	:	(मुफ्ती) अब्दुल कय्युम अहमद हुसैन मनसुरी
उमर	:	३२ साल (उस वक्त)
एड्रेस	:	माढ का मोहल्ला, मस्जिद बिल्डींग, चारवाट, दरीयापुर, अहमदआबाद (उस वक्त)
तालीम	:	गुजराती ७ पास, दीनी तालीम : मौलवी, मुफ्ती (बाद में जेल में हिफ्ज़)
कहां तालीम ली	:	जामिआ डाभेल (फ़रागत व इफ्ता १९९७-९८)
इमामत व मद्रसा	:	हाजीसखी की मस्जिद, चारवाट, दरीयापुर, अहमदआबाद
तन्खाह	:	३०००/- रु.
कितनी ज़बना जानते हो	:	गुजराती, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंगेज़ी (इस पर हाईकोर्ट मेरी फांसी की सज़ा की तस्दीक करते हुवे मुझे बार बार लर्नेड लीखकर पता नहीं मेरी तारीफ कर रही थी या मुझे ताअना दे रही थी!)
मां	:	आबिदा अहमद हुसैन
बाप	:	अहमद हुसैन इस्माईल मनसुरी
बाप का कारोबार	:	वायरमेन
आमदनी (आवक)	:	नहीं मालूम
भाई	:	नहीं
बहन	:	तीन बहेनं शादी शुदह...(उन के और शोहर व बच्चो के नाम)

किस मस्लक से ताल्लुक रखतो हो?

सुन्नी, देवबंदी, या अहले हदीस? : सुन्नी, देवबंदी, तब्लीगी

(तब्लीगी और देवबंदी केहने पर गाली दी जाती थी और आतंकवाद का ताअना दीया जाता था)

बस ये फेमीली बेकग्राउन्ड तक तो सहीह था। बाकी बयान की गई सारी स्टोरी जुठ और बकवास थी।

एक हफ्ता से जियादह हो चुका था इस दौरान मेरे घरवालों को १०-१५ मिनट के लीये मुझसे मिलने की दो तीन बार ईजाज़त दी गई, लेकिन उस वक्त भी तीन तीन चार घंटे मेरे घरवालों को क्राईम ब्रान्च के बाहर बिठाया जाता और उन्हें भी खुब डराया जाता ''ज़लील व रुस्वा किया जाता और धमकी दी जाती थी'' के हमारी मरज़ी के खिलाफ़ कोई बात मत करना और यहां की बात किसी को मत बताना वरना तुम्हारे लडके / भाई / शोहर को मार देंगे। मुझे केमेरे की स्क्रीन पर घरवालों को बताकर उनका तआरुफ पुछा जाता और फिर कहा जाता के खैर खबर के अलावह कोई भी बात हरगीज़ मत करना वरना तेरे घरवालों को भी केसमें डाल देंगे, तेरा एन्काउन्टर कर देंगे, तेरे बाप को मार देंगे वगैरह धमकीयां दी जाती थी। घरवालों को बुलाने से पहले कपडे और जिस्म समेट कर कुरसी पर इस तरह बिठा दिया जाता के मेरे ज़खमों और खुन आलुद कपडों पर घरवालों की निगाह न पड सके, फिर मेरे और घरवालों के बीच सामने कुरसी लगाकर वनार, आर.आई पटेल या कोई और ओफीसर बैठता, ताकि उन की कोई बात लीक न हो जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है ऐसी सुरते हाल में भी एक रोज़ मेरी बीवी ने सरगोशीवाले अंदाज़में मुझे कहा के हलीमाखाला (मौ.अहमदकी वालिदह ...अल्लाह तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ..आमीन) ने कहा है के दस्तखत मत करना, वनार सुन गया और मेरी बीवी को डांटने लगा के क्या सीखाती है? अब अगर कुछ सिखाया तो आईन्दा मुलाकात नहीं दुंगा।

इसी तरह की एक मुलाकात मुझे ता. २४-८-२००३ को रात १०/११ बजे

दी गई, मुलाकात से पेहले मुझे कहा गया के आईंदा कल तेरे यहां कालुपुर दरीयापुर में बंद का एलान है और मस्तुरात रेली (महीला रेली) निकालने वाली है। हम अभी तेरे बाप को बुलाते हैं। तु उन्हें समझा देना के वोह बंद और रेली में हिस्सा न लें और दुसरों को भी मना करें, और बंद और रेली केन्सल करने की कोशिश करें। वरना हम तुझे और तेरे घरवालों को मार देंगे और अगर मुसलमानों ने ज़राभी हरकत की तो फायरींग कर के २५-५० मुसलमानो को गीरा देंगे।

उधर मेरे वालिद को मेरी हाज़री और गेरहाज़री में भी इसी तरह की धमकीयां दी गई। वनार और सींघल की हाज़री में मैंने मजबुरन मेरे वालिद से कहा के आप लोग कल बंद और रेलीमें हिस्सा मत लेना। मेरे वालिदने भी मुझे उस वक्त तसल्ली दे दी। बाद में पता चलाके मेरे अलावह भी दीगर तमाम मज़लूमीन के घरवालों को ये ताकीद की गई थी।

लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे रोज़ तारीख २५-०८-२००३ को बंद का एलान सफल भी रहा। और हमारे मोहल्ले की लेडी कोर्पोरेटर मोहतरमा नाज़नीनबानुं बास्तावाला की नेतृत्व में रेली भी निकली। रेलीमें शिर्कत करनेवाली उन तमाम बहनों को अल्लाह तआला खुब खुब जज़ाए खैर अता फरमाए, इस रेली का विस्तृत वर्णन बचाव पक्ष के गवाह के बयान में करुंगा (ई.अ.)

फिलहाल इस रेली का फौरी फायदा ये हुवा के क्राईम ब्रान्च ने अपनी बिखरी हुई जांचको समेटना शुरु कर दीया। मारपीट और बदसुलुकी बिलकुल बंद हो गई। और बहोत जल्द ता. २९-०८-२००३ जुम्आ के दिन दोपहर को २:०० बजे मेरे वालिद को बुलाया और उन्हें ये इत्तिला दी के आपके लडके को अक्षरधाम मंदिर पर हम्ले के केसमें गिरफ्तार किया जाता है और आईन्दा कल सुब्ह ११ बजे उसे गांधीनगर कोर्टमें रीमान्ड के लीये पेश कीया जाएगा। ये खबर मेरे वालीद पर बीजली बन कर गिरी और वोह फुट फुट कर रोने लगे, उन्हें देखकर में भी रो रहा था। लेकिन वहां किसीने रहम की उम्मीद रखना शैतान से सजदे की उम्मीद रखना था। कुछ कागज़ात पर उन के और मेरे दस्तखत लीये। बादमें मालुम हुवा के वोह एरेस्ट

मेमो (गिरफ्तारी की इत्तिलाअ) था। दोपहर में ३:०० बजे के करीब दुन्या भर का मीडीया जमा कीया गया और उन्हें हमारी गिरफ्तारी और क्राईम ब्रान्च की हैरत अंगेज़ काम्याबी की खबर दी गई और ये कहा गया के जो केस ग्यारह महीने से A.T.S. वाले हल नहीं कर सके थे, वणझारा और सींघल की अगवाई में क्राईम ब्रान्च ने सिर्फ एक ही दिनमें हल कर लिया और एक ही वक्त में एक ही जगा तमाम पांचो मुल्जिमीन को गिरफतार कर लीया (क्राइम ब्रान्च का ये (झुठा) दावा था के ता. २८-०८-२००३ को जांच A.T.S. से लेकर क्राईम ब्रान्च को दी गई और जांच मिलते ही वणझारा सा. को एक खुफीया इत्तिला मिली और वणझाराने सींघल को ये इत्तिला दी और उसी रोज़ अश्फाक भावनगरी का बयान लीया गया और उसमें आदम, सलीम और अल्ताफ़ का नाम आया। मेरा और मौल्वी अब्दुल्लाह का कहां नाम आया ईसका कोई ज़िक्र नहीं। शायद मेरी और मौल्वी अब्दुल्लाह की शराफत (?) थी के हम भी गीरफ्तार होने के लीये उन के साथ थे।

अल्लाहु अकबर! इतना वाहीयात जुठ? जब कि हकीकत ये है के ईस केस के मुल्जिमीन A-1 अल्ताफ हुसैन अकबरहुसैन मलेक को तारीख ०६-०८-२००३, A-2 आदम सुलेमान अजमेरी को तारीख ०९-०८-२००३. A-3 सलीम हनीफ़ शेख को तारीख ०१-०८-२००३, ए-४ अब्दुलकय्युम अहमद हुसैन को तारीख १७-०८-२००३ बरोज़ इतवार रात ८ बजे और A-4 मौ.अब्दुल्लाह सा. को तारीख १७-०८-२००३ इतवार के दिन फज़र की नमाज़ के वक्त क्राईम ब्रान्चवाले उठाकर ले गये थे।

क्राईम ब्रान्च का खाना

क्राईमब्रान्च की ओफीस के मेईन गेट के बिल्कुल सामने हरीश नाम के एक मद्रासी की खाने की लारी और चाय की किटली थी। वहां से सुब्ह चाय और पार्ले बिस्कीट का एक पेकेट और दोपहर और शाम कबी दाल, कभी सब्ज़ी और दो-तीन रोटी और चावल दीये जाते। खाने में कोई लज्जत नहीं होती थी, और अगर लज्जत होती तब भी हमारे लीये उन हालात में मुर्ग मुसल्लम और दुन्याभर की नेअमतें भी बेलज्जत ही थी।

हो सकता है के इस हकीकत को मद्दे नज़र रखते हुवे ही वोह हज़रात ऐसा बेलज्जत खाना देते हों! हां, ता. २९-०८-२००३ को जिस रोज़ पेहली मरतबा कोर्ट में पेश किया जाना था, सुब्ह में भोजन प्रबंधक P.I.अग्रवात सुब्ह सुब्ह तशरीफ लाए और कहा था के आज आपको कोर्टमें पेश किया जाना है। इस लीये आपको खाना जल्दी देंगे, और पुरी शाक खिलाएंगे, में दिल ही दिल में खुश हुवा के चलो कुछ तो परिवर्तन होगा। लेकिन आप यकीन जानीये जब वोह पुरी शाक आया तो पुरी निहायत ही सख्त लेकिन किसी तरह खाने के काबिल थी लेकिन सब्ज़ी जब प्लेट में निकाली तो बहुत ही आश्चर्य हुवा

कुरआने पाक में है مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

एक जगह इरशाद फरमाया

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ.
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا.

अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ये कुदरते कामिला है के दो समंदर आपसमें मिलते हैं नदीयों का पानी समंदर में गीरता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो समंदरो और नदीयों के पानी के बीच एक लतीफ व बारीक हिजाब व आड खडी कर दी है। हमारी आंखे उसे महसूस नहीं कर सकती, ये पानी आपस में मिल जाने के बाद भी रंग, बु, मज़ा (टेस्ट) में अलग अलग ही रहते हैं

बस यही बात उस खाने में नज़र आई। आलु और शायद बंदगोबी की सब्ज़ी थी हमारी तबीयतों का खयाल रखते हुवे लंबा पानी था। उस में आलु और बंदगोबी प्लेटके बिलकुल बीच में रह गये। पानी एक तरफ बह रहा था। हल्दी एक तरफ बह रही थी, पता नहीं इन चीज़ों के दरम्यान कौन सी आड थी जिस ने इन सारी चीज़ों को अलग अलग कर रखा था। उन साहब की ये खुदादाद सलाहिय्यत और नई ईजाद यकीनन तारीफ के काबिल थी।

इस के अलावाह गायकवाड हवेली के बाहर अंडे की आईटमों की एक लारी खडी रहती थी। वहां की अंडा खीचडी मशहुर थी, वहां से चालीस रोज़ में शायद एक या दो बार अंडा खीचडी खिलाई गई थी।

मेरे उस्ताज़े मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद सा. खानपुरी (दा.ब.) की ज़बाने मुबारक से एक मरतबा एक बहोत ही प्यारी बात सुनी थी हज़रत ने फरमाया था के 'मैं घरमें खाना खाता हुं उस पर भी दावत की दुवा اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ. पढ लेता हुं, चाहे हम पैसे कमा कर देते हैं, लेकिन अहलीया और घरवालों की बडी महनत व मशक्कत के बाद हमें लज़ीज़ खाना खाने मिलता है। ये उनका अहसान है' अल्हम्दुलिल्लाह मैं ने न सिर्फ घरके खाने पर बल्कि क्राईमब्रान्च और जेल के खाने पर भी दावत की दुआ पढी है।

खिलानेवाले चाहे क्राईमब्रान्च ही सहीह और कितना ही बदमज़ह खाना क्युं न हो। ये उन का या हुकुमत का एहसान था के उन्होंने खाना दिया।

तालिबे इल्मी के ज़माने में मद्रसे के खाने की बहोत ही नाकदरी की थी जामिआ डाभेल में। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्ह में चाय रोटी, दोपहर में दाल चावल, कढी खीचडी, सब्ज़ी खीचडी, कभी कभी बीरयानी और शाम में हफ्तेमें तकरीबन पांच रोज़ गोश्त मयस्सर होता था। बारहा दावतें होती थी, लेकिन उस वक्त मस्ती व शरारत सुज़ती थी और मज़ाकमें केहता था के मदरसे का खाना मब्नी बर लहम (منبی بر لحم) । (एहले इल्म समझ जाएंगे) आसान अल्फाज़ में युं

समझ लीजीए के आम तौर पर गोश्त ही होता था, लेकिन उस वक्त नाकदरी होती थी। लेकिन क्राईम ब्रान्च और जेल का खाना खाने के बाद आयते करीमा لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد. का मफ़हुम समझमें आ गया।

गैर कानुनी हिरासत और Habeas Corpus

किसी भी शख्स को पुलीस कोर्ट की इजाज़त के बगैर एक मिनट के लीये भी गैरकानुनी तौर पर हिरासत में नहीं ले सकती। हां, शक शुब्हेकी बुन्याद पर पुछताछ के लीये ज़रुर बुला सकती है। लेकिन पुछताछ के बाद फौरन छोड देना होगा। अलबत्ता अगर किसी शख्स को किसी गुनाह में बाकायदा गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी के लीये कोर्ट की परमीशन की ज़रुरत नहीं, लेकिन उस सुरतमें भी २४ धंटे के अंदर उसे मुताल्लिका कोर्टमें पेश करना ज़रुरी है। अगर पुलीस किसी को गैरकानुनी तौर पर उठा ले गई तो उस के खिलाफ हाईकोर्ट में एक अरजी की जा सकती है। जिसे हेबीयस कोर्पस कहा जाता है।

हाईकोर्ट में की जानेवाली इस अरज़ी में उम्मीद और खौफ़ दोनों के इम्कान होते हैं। हाईकोर्ट की तहकीक व ईन्कवायरी पर ये उम्मीद होती है के पुलीस उस शख्स को फौरन रिहा कर देगी। लेकिन साथ ये डर भी होता है के पुलीस उस शख्स को केस में डालकर कानुनी तौर पर गिरफतारी का एलान कर देगी।

यही वजह है के इतने इतने रोज़ गैरकानुनी तौर पर रखे जाने के बावजुद मेरे घरवालोने रिहाई की उम्मीद और केसमें डाल दीये जाने के डर से ये अरज़ी नहीं की। क्युं के मुझसे पेहले बापुनगरके एक साहब **'अत्हर परवेज़'** के लीये और भी कुछ लोगों के लीये ये अरज़ी की गई थी। जिस के नतीजे में क्राईम ब्रान्च ने उन तमाम हज़रात को हरेन पंड्या और पोटा के दुसरे केसों में फंसा दीया था। अलबत्ता एक दो खुसनसीब भी हुवे के जिन्हें हैबीयस कोर्पस करने पर फौरन रिहा कर दीया गया।

किसी शख्स पर चाहे जितना ही बडा ईल्ज़ाम हो, अगर उसकी गेरकानुनी

हिरासत साबित हो जाए तो वोह सारे इल्ज़ामात बेबुन्याद साबित हो सकते हैं। चुनान्चे हमारे केस में गैरकानुनी हिरासत के गवाह भी थे, लेकिन स्पे. पोटा कोर्ट और गुजरात हाईकोर्टने उन गवाहों को कोई अेहमिय्यत नहीं दी। जब के सुप्रिम कोर्ट ने अलहम्दुलिल्लाह उन गवाहों को माना और केस को गलत साबित करने में येभी एक अहम मुद्दा रहा।

बहरहाल स्टोरी के मुताबिक तारीख २८-०८-२००३ को केस की जांच क्राईमब्रान्च को दी गई, २८ की शाम में अश्फाक का बयान लिया और् २९ को हम तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे रोज तारीख ३०-०८-२००३ शनीचर को सुब्ह १० बजे हमें गांधीनगर के लीये लेकर रवाना हुवे, मेरी गिरफ्तारी की खबर सुन कर मेरे रीश्तेदारों और दोस्तों पर मुसीबत का पहाड तुट पडा जिसे बयान कर ने की गुंजाइश नहीं।

बाकाईदा रीमान्ड की शुरुआत

मामुली हादसों पर अवाम को मरउब व खौफज़दह करने के लीये ५-६ गाडीयां लेकर नीकलना ईन अफसरों का महबुबतरीन मश्गला था। आज तो उन्होंने बडा शेर मार लिया था। लिहाज़ा आज तो रोब झाडने और देहशत फैलाने का ईन को पुरा हक्क था। १०-१२ गाडीयों का काफला क्राइमब्रान्च से रवाना हुवा। हमारे चेहरों पर नकाब डाल दीये थे। गांधीनगर कोर्ट पहोंचे। वहां हज़ारो लोग जमा थे। बेशुमार मीडीयावाले भी थे। उस पुर-खतर और दहशतनाक माहोल में भी अलहम्दुलिल्लाह कुछ डाढी टोपीवाले बाशरअ मुसलमान बारीक बुरखे से नज़र आ रहे थे। जो कोई और नहीं बल्कि भाई सलमान (मुमताज़ मसालेवाले), मेरे वालिद, मौ.अब्दुल्लाह के भाई व दीगर कुछ हज़रात थे। इन हज़रात को देखकर मुझे डर लगा था के खुदा-न-ख्वास्ता कहीं मुश्तईल हुजूम ईन हज़रात पर हम्ला न कर दें। लेकिन अलहम्दुलिल्दल्लाह, अल्लाह तआलाने उन हज़रात की और हमारी हिफ़ाज़त फरमाई। **मेजीस्ट्रेट श्री. एस.एस.ओझा साहब की कोर्ट में** पेश किया

गया। हमारीन जानीब से घरवालों और दोस्तोने एडवोकेट जनाब शौकत शेख को नामज़द किया था। कोटमें पेश करने के बाद हमारे चेहरों से नकाब और हाथों से हथकडीयां खोल दी गई। पुरी कोर्ट क्राईम ब्रांच के ओफिसर और दुसरे पुलीस से खीचो खीच भरी हुवी थी। क्राईम ब्रान्च की जानिब से सरकारी वकील ने १५ रोज़ का रीमान्ड तलब किया और उसके लीये वही बकवास स्टोरी शुरुअ कि जिस पर ओझा साहब ने कहा के वोह सब रेहने दो, (मेजीस्ट्रेट का रवैया ऐसा था गोया वोह इस जुठ से वाकिफ थे लेकिन मजबुर थे) आप क्युं और कितना रीमान्ड चाहते हैं वोह बताओ। खैर जुठे दलाईल और बेहुदा ज़रुरीयात बयान कर के १५ दिन के रीमान्ड ले लीये गये। औझा साहबने हमारे वकील से कहा के आप अपने असीलों से पुछो तो सहीह के उन्हें पुलीस के खिलाफ कोई शिकायत है ? अव्वल तो हमें क्राईम ब्रान्च ही से डरा धमका कर लाया गया था के अगर हमारे खिलाफ़ एक लफ़्ज भी कहा तो तेरा एन्काउन्टर कर देंगे और तेरे घरवालों को केसमें डाल देंगे। यही नहीं उस रोज़ कोर्ट में सींघल ने हमारे वकील को भी धमकी दी थी। हम कैसे हिंम्मत कर सकते थे ? और फिर रीमान्ड के दौरान कोर्ट की हर पेशी पर ये फोर्मालीटी होती, जज साहेबान पुछते के कोई तकलीफ या शिकायत तो नहीं ? और चुंके हमें ईस सिलसिलेमें पेहले ही धमकियां देकर खौफज़दा कर दीया गया होता था जिस की वजह से हम केह देते के कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अफसोस उस वक्त अगर किसी ईन्साफ पसंदने हमारी ज़बान की बजाए हमारी आंखो से छलकता हुवा खौफ़ देखा होता तो सब कुछ समझमें आ जाता। या फिर वोह जानकर भी अन्जान बन रहे थे।

बहरहाल अब ता. ३०-८-२००३ से बाकायदा रीमान्ड शुरु हुवे, क्राईमब्रान्च को जो कुछ करना था वोह तो ये लोग गैर कानुनी हिरासत ही में कर चुके थे, अब तो सिर्फ दो तीन बातें रह गई थी। बाकी तो बस फोर्मालीटी की जा रही थी।

बा कायदा रिमान्डमें एक काम ये किया गया के जो जुठी स्टोरी इन हज़रात ने हमसे तैयार करवाई थी वोह पुरी स्टोरी मुझे केमेरा के सामने बोलने के लीये मजबूर किया। आप हज़रात हालात की संगीनी का अंन्दाज़ा लगा सकते हैं कि मुझ

पर क्या गुज़र रही होगी, अब मुझे भी थोडा सा एहसास था के अगर मैंने केमेरे के सामने बोल दिया तो मेरी खैर नहीं। लिहाज़ा सख्त मारपीट और मौत की धमकी के बावजूद मैंने ये किया के मैं थोडा बोलता फिर चालु केमेरे में वनार से ईशारा कर के पुछता के साहब सहीह बोल रहा हुं ? वनार गाली बोलकर केमेरा बंद कर देता। फिर मुझे कुछ देर अच्छी तरह याद कर लेने के लीये केहता (मुझे याद करने के लीये लिखे हुवे कागज़ात दे दीये थे) मैं याद करने का ढोंग करता, वोह पूछता अब तैयार है ? मैं कहता जी हां, थोडा बोल कर चालु केमेरे में कभी ईशारे से कभी ज़बाने से वनार को पुछता, साहब इस के बाद अब क्या कहुं ? बारबार में ये हरकत करता रहा और बारबार वोह मुझे मां और बहन के नामसे इन्तिहाई गलीज़ और गंदी गालीयां दे कर केमेरा बंद चालु करता रहा। इन लोगों को शायद ये डर था के F.S.L. में केसेट की पोल पकडी जाएगी। इसीलीये उन्होंने इस विडीयोग्राफीको कोर्टमें बतौरे सुबुत पेश नहीं किया और अल्लाह तआलाने इस तरह इस मामले में हिफ़ाज़त फरमाई।

नामदार सुप्रिम कोर्ट की **सत्यन दुबे** केसमें गाईडलाईन है के रीमान्ड के दौरान मुल्जिम को ४८ घन्टे में कम से कम एक बार सरकारी होस्पिटल में ले जा कर उस का मेडीकल चेकअप किया जाए। अगर मुल्जिम बीमार है या कोई तकलीफ है तो उस का इलाज कीया जाए और उसकी ट्रीटमेन्ट के तमाम कागज़ात रीमान्ड देनेवाली कोर्ट और ट्रायल कोर्टमें पेश कीये जाए।

चुनान्चे रीमान्ड के दौरान ये एक काम बडे एहतेमाम के साथ किया जाता था। अव्वल तो मुझे डराया जाता के हम तुझे डोक्टर के पास ले जा रहे है। वहां एक लफ्ज़ भी मत बोलना, डोक्टर पुछे तो केह देना के मुझे कोई तकलीफ नहीं। अगर कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं। हम बादमें प्राइवेट डोक्टर से तेरा ईलाज करवा देंगे। इसी तरह की धमकियां दूसरों को बी दी जाती थी।

चुनान्चे देर रात १०-११ बजे चार पांच गाडीयों पर मुश्तमिल ये काफला वी.एस. होस्पिटल पहोंचता, हमारी आंखो पर बारीक नकाब होता, वहां पहोंचकर पब्लीकमें देहशत फैलाने के बाद ये हज़रात डोक्टर के सामने हमे पेश करते। डोक्टर

भी फोर्मालीटी पुरी करके केस पेपर में NIL (कुछ भी नहीं) लिख देतें। अगर कोई डोक्टर मेरी नब्ज पकडता या कुछ पुछता भी तो क्राईमवाले फौरन केह देते के 'डोक्टर साहब ! अक्षरधाम मंदिर पर हम्ला करनेवाले आतंकवादी है ' उस वक्त डोक्टर का बस नहीं चलता था के हमें वहीं मार दें।

हां, मुझे अच्छी तरह याद है, एक रात एक इन्सानीय्यत पसंद, 'सर फिरे' डोक्टर की बारी थी और क्राईम ब्रान्चवाले बेचारे गलती से उस के पास चले गये, उसने सबको चेक करना और पुछना शुरु किया के कोई तकलीफ तो नहीं ? क्राईम ब्रान्च के पी.एस.आई त्रीवेदी और कुछ दीगर अफसरान कुद पडे और कहा साहब ये तो अक्षरधाम हम्ले के आतंकवादी है और हम क्राईमब्रान्च के ओफीसर हैं। डोक्टर साहबने बडी हिम्मत के साथ बेबाकाना अंदाज़में कहा के **'ये लोग कोई भी हो पेहले ईन्सान है, मैं इन्सानिय्यत के नाते इन का इलाज ज़रुर करुंगा, आप क्राईम ब्रान्च के हो या और कोई, मुझे कोई फर्क नहीं पडता ।'** उन्होंने हम तमाम को जांचा, हम में से एक मुल्ज़िम चांदखान ने तो हिम्मत कर के मारपीट की बात भी बताई और डोक्टर ने वोह सारी बाते लिख ली, जिस के नतीजेमें उसने वकील की शिकायत पर उसे दौराने रीमान्ड सीवील होस्पीटल भेजा गया, लेकिन अफसोस सीवील के डोक्टर को मारपीट के निशानात 'नज़र नहीं आए '!!! और क्राईम ब्रान्च के केहने के मुताबिक उन्होंने भी रीपोर्ट में NIL लिख दिया।

कश्मीर का सफ़र

ता. ०५-०८-२००३ जुम्आ के रोज़ मामुल के खिलाफ़ जनाब आर.आई.पटेल सुब्ह सवेरे तशरीफ ले आए और मुझे गुस्ल कर के अच्छे कपडे पहनने के लीये कहा (मेरे सारे खुन आलुद कपडे आर.आई.पटेल ने अपने पास जमा ले लीये थे। ताके इन कपडों से उन की शरारत (पोल) खुल न जाए। और उस की बजाए दूसरे कपडे मंगवा दिये थे) मेरी ही तरह मौ.अब्दुल्लाह सा. और आदमभाई को भी तैयार किया गया था। रोज़ाना १ बजे आनेवाले वणझारा सा. भी जल्दी तशरीफ ले आए थे। और फिर उन के नेतृत्व में डी.जी.वणझारा (डाह्याजी गोबरजी वणझारा) P.I.

आर.आई.पटेल (रमेश इश्वरभाई पटेल), P.I. ए. ए. चौहाण (अशरफ चौहाण) P.S.I. सी.जे गोस्वामी (चेतनभाई) P.S.I. डी. एस वाघेला और मुल्जिमीन में से अब्दुलकय्यूम अहमद हुसैन, मौ.अब्दुल्लाह सा. और आदमभाई से बना हुआ ये काफला रवाना हुवा। क्राईमब्रान्च से एरपोर्ट पहोंचने तक हमें पता नहीं था के कहां जा रहे हैं ? एरपोर्ट पर हमें टीकीटें दिखाई गई। अहमदआबाद टु श्रीनगर वाया दिल्ही ११,०००/- रु. की रीटर्न टीकीट थी। अभी ईमीग्रेशन और फ्लाईट टेकओफ को देर थी। वक्त की कदर करते हुवे आर.आई पटेल ने हमारी ज़हनसाज़ी शुरु की। वहां श्रीनगरमें चांदखान नाम का एक आदमी है। उसे पहेचान लेना है और वहां भी हमारी यही स्टोरी बयान करनी है , वरना हम तुम्हें मार देंगे और रीपोर्ट भर देंगे के दहशतगर्दों के साथ मुठभेड में मारे गये। वैसे तो पिछले दो तीन रोज़ से गुलशेर, चांदखान वगैरह का नाम लेकर मुझे पुछा जाता के ईसे जानते है ? उन की तसवीर भी दिखाई जाती और कहा जाता के इस का नाम चांदखान है। हम तुझे एक जगह ले जाएंगे। वहां तु उसे पहचान लेना, हम तुझे छोड देंगे, और अगर तुने नहीं पहेचाना और हमारी स्टोरी में ज़रासी भी गडबड की तो तुझे मार देंगे। आज जब एरपोर्ट पर ये बात दोहराई गई उस वक्त थोडी थोडी लाईट हुई के हमें इस केस के अस्फलुस्सालफिलीन में धकेलने की घटीया कोशीश हो रही है और इस लीये पिछले दो दीनों से कुछ नर्म रवैया अपनाया गया था। गोया 'बकरे को चारा खिलाया जा रहा था। ' एरपोर्ट पर जनाब वणझारा साहब मेरे करीब बैठ कर बडी मोहब्बत से बातें करने लगे और खास दोस्त की तरह बहुत ही मोहब्बत से मेरे गलेमें हाथ डाल दीया। में झिजक और डर से सुकड गया। जिस पर वणझारा सा. रहम दिल हो गये और कहा क्या करेगा ? मुझे मरवा देगा क्या ? हाथ कंधे पर रेहने दे और दोस्तों की तरह मुझसे घुल-मिल कर बातें कर और खबरदार वहां किसी से भी ये मत ज़ाहिर करना के हम क्राईमब्रान्च के ओफीसर है। सबको यही ज़ाहिर करना के हम तमाम दोस्त हैं और कश्मीर घूमने फिरने के लीये आए हैं। आदमभाई और मौ.अब्दुल्लाह सा. को भी ईस की ताकीद की गई थी।

मोदी और रथयात्रा के नाम से निहत्तो, कमज़ोरो और औरतों को नकली एन्काउन्टर में मार देनेवाले और आतंकवाद के नाम से नकली कहानयीं बयान कर के बडे बडे नाम और मेडल हासिल करनेवालों की बहादुरी का ये हाल था !

इमीग्रेशन के बाद हम प्लेन में जाकर बैठे। ऐसा मालुम होता था के इश केस और हमारे तुफैल कुछ ओफीसरों को पेहली ही बार प्लेन में बेठने का मौका मीला था। उन की खुशी और हमारा गम देखने के काबिल था। बेचारों को बेल्ट बांधते भी नहीं आता था, खाना, पानी और चोकलेट्स के लीये भी मुझे केहते। मैं सीट के उपर दिया हुवा बटन दबाता तो एर होस्टेस या स्टुअर्ट (खादिम लडका) खिदमत में हाज़िर हो जाते और मैं ही जैसे इस काफले का अमीर हुं वैसै और्डर देता के फुलां साहब को पानी दो, फुलां को चोकलेट दो, और ये लोग मारे हैरत के मेरा मुंह तकते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह हज और उमरह की बरकत से में पहले भी प्लेन में सफर कर चुका था। डोमेस्टीक एरलाईन्स का भी तजरबा यहां काम आ रहा था। जो इन लोगों के लीये आश्चर्य की बात थी।

दिल्ही से फ्लाइट चेन्ज की और वाया जम्मु दोपहर तकरीबन १२:०० - १:०० बजे श्रीनगर एरपोर्ट पर पहोंचे। एरपोर्ट पर कश्मीर पुलीस के कुछ ओफिसर और गार्डस् लेने के लीये पहोंच गये थे। उन की तहवील में अेरपोर्ट से बाहर निकले। एरपोर्ट के बाहर गार्डन में जुम्मा की नमाज़ हो रही थी। कई रोज़ के बाद बाजमाअत नमाज़ का मन्ज़र देख कर अल्हम्दुलिल्लाह दिल को बहोत सुकून मिला। हमें ये हज़रात S.O.G. केम्प, शेरगढी, श्रीनगर ले गए। एरपोर्ट से यहां तक कदम कदम पर चेकपोस्ट और बेशुमार C.R.P.F, B.S.F., आरज़ी मोर्चा संभाले हुवे थे। एक फोजी छावनी ही की शक्ल की ये जम्मु कश्मीर पुलीस के खुसुसी दस्ते (सेप्श्यल ओपरेशन ग्रुप) की बडी इमारत थी वहां ले जा कर हमें लोकअप में डाल दिया गया। वहां लोकअप तो क्राइम ब्रान्च की लोकअप से भी बदतर थी। लाईट, पंखा, बयतुलखला व दीगर ज़रुरीयात का कोईन इन्तिज़ाम नहीं था। इस्तिन्जा के लीये एक डब्बा दे दिया गया और कहा गया के छोटी पेशाब, बडी पेशाब (दो नंबर) सब इसी

डब्बे में करना। रोशनी की ज़रुरत पर एक माचीस दे दी गई। और औढने बिछाने के लीयए एक एक कंबल दे दिया गया। अभी जियादह देर नहीं गुज़री थी के फिर P.I. आर.आई पटेल तशरीफ ले आए। और कहा की तुम को जो तस्वीर दिखाई थी उसका नाम चांदखान है। उसे पहेचान लेना। यहां की पुलीस और आर्मी के इरादे खतरनाक है। लेकिन हम तुम्हें बचा लेंगे। कुछ देर बाद हमें बुलाया गया। लोकअप से D.G.श्री के.राजेन्द्र साहब की ओफीस मुश्किल से १५-२० कदम दूर थी। लेकिन इतना फासला भी आर.आई पटेल ने गनीमत जाना और कश्मीर पुलीस समझ न सके उस मकसद से गुजराती में कहा 'बाजी साचवी लेजो, आपणी ज स्टोरी कहेजो अमे तमने बचावी लईशुं !!!'

वोह एक कुशादह ओफीस थी। बडे काउन्टर टेबल के पीछे रीवोल्वींग चेर पर श्री के.राजेन्द्र सा.(D.G. जम्मु - कश्मीर) तशरीफ फरमा थे। उन के बाजु में ए.सी.बी. संदीप वज़ीर (S.O.G.) A.C.P. डो.अ.हसीब (S.O.G.) और दुसरे ओफिसर बैठे हुए थे। दरवाजे से लगकर दीवार के पास लगी हुई कुरसियों पर हमें बिठाया गया। के.राजेन्द्र साहब ने पुछा के आप लोगोंने अक्षरधाम मंदिर पर हम्ला करवाया था ? हमने डरते हुवे हां कहा। उन्होंने बहुत ही बारीक सवालात पुछने शुरुअ कीये। साथ ही उन्होंने बहोत सी तसवीरें निकाली और फिदाईन की तस्वीर पहेचान कर अलग करने के लीये कहा। अब ये ईतनी बारीक और अहम बात थी जिस की जानिब क्राईम ब्रान्च ने तवज्जोह ही नहीं दी थी। हमें उन की तसवीरें नहीं दिखाई गई थी। अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है ये बात भुला दी गई थी। वरना शायद मौत के खौफ से हम वोह तसवीरें भी पहेचान लेते। मैं इसे क्राईम ब्रान्च की भुल नहीं बल्के खयानत कहुंगा। क्युं के शायद वोह इस केस को ईमानदारी से हल करना नहीं चाहते थे। इस लीये उन्होंने केस में यही नहीं, बल्की और भी बडी बडी गलतीयां (जान बुझ कर) की थी। कुछ गलतीयां आगे बयान हो चुकी है। कुछ गलतीयों का वर्णन अलग अलग मौकों पर आता रहेगा। तसवीरें देखकर हमने फिदाईन को पहेचान ने से ईन्कार कर दिया। उस के बाद उन्होंने चांदखान को बुलाया। मैंने और

दुसरे साथीयों ने हिम्मत कर के उसे भी पहेचानने से ईन्कार कर दिया।

यहां एक बात की वज़ाहत कर दुं के मैं मौल्वी अब्दुल्लाह सा. के अलावह इस केस के दूसरे भी साथी को नहीं जानता था। हां जेलमें जाने के बाद केस की वजह से तआरुफ हुवा। लेकिन ताल्लुक नहीं था, और चांदखान कौन है? कहां का रहनेवाला है? क्या करता है? मुझे न पहले इल्म था न अभी है, न कभी मैंने जानने की कोशीश की।

अब कश्मीर पुलीस ने निहायत ही बारीक सवालात पुछने शुरु किये। जैसे की यह के उन्होंने कैसे कपडे पहेने थे? चप्पल पहनी थी या जुते पहेने थे? अगर जुते थे तो कैसे और किस कंपनी के थे? उर्दु ज़बान में बात करते थे तो लेहजा कैसा था? क्युं के हर इलाके का लेहजा अलग होता है। उन की लंबाई, उंचाई, चहरे की रंगत वगैरह के बारे में सवाल कीये जिन्हें सुन कर क्राईमवालों के चेहरों पर हवाईयां उडने लगी, ज़ाहिर है उन्होंने इन तमाम बातों को (खयानतन) गैरज़रुरी समझा था। जियादहतर सवालात मुझ से ही से कीये गये थे, और मैं उन के जवाब नहीं दे पाया था। अब की बार A.C.P. डॉ.अ.हसीब साहब ने मुझे बुलाकर अपने सामने इस तरह खडा कर दिया के वणझारा और् गुजरात पुलीस मेरा चेहरा नहीं देख सकते थे। उनकी निगाहे मेरी पीठ देख सकती थी।

उस के बाद A.C.P. डॉ.अ.हसीब ने मुझसे पुछा मुफ्ती हो, क्या फतवे देते हो? मैं ने कहा निकाह, तलाक, मिरास, और् दीन का जो भी मस्अला पुछा जाए बताता हुं। केहने लगे जिहाद का फतवा भी देते हो? मैंने कहा : नहीं, कहा जुठ बोलते हो? मैंने अपने सीने के करीब हाथ ले जाकर अंगुठे से पीछे बैठे हुवे वणझारा सा. वगैरह की मौजुदगी का ईशारह किया। मैं ये बताना चाह रहा था के ईन लोगों की हाज़री में मैं सच बात नही बता सकुंगा, अ.हसीब सा. और कश्मीर पुलीस के दीगर अफसरान मेरा ईशारा समझ गए। और उस वक्त तो उन्होंनें मुझे डांट डपट की के ''तुम्हें शरम नहीं आता?''मुफ्ती होकर मंदिर पर हम्ला करवाते हों, बेकसुरों की जान लेते हो? वगैरह

लेकिन चुंके कश्मीर पुलीस को सच्चाई का शायद पहले ही से ज्ञान था, इस

मुलाकात से क्राईमब्रान्च और उनकी जुठी कहानी पर उन का शक शुबा और बढ गया, और उन्होंने दुसरे रोज़ ये अेहतेमाम किया के काश्मीर डी.जी.के अलावह I.B. और R.A.W. (रीचर्स एन्ड एनालिसीस विंग), ईन्डियन आर्मी व दुसरी एजन्सीयों के बडे बडे ओफिसरों को भी बुला लिया गया (क्राईम ब्रान्च ही के एक P.S.I. साहब ने मुझे बाद में ये बात बताई थी और गुजराती अख्बार फुलछाब ने भी ये सारी बातें अख्बारात में लिखी थी)

D.G. के राजेन्द्र साहब ने मुझे अपने सामने बुलाया और कहा ''मुल्ला जी अब सच बता दो क्या बात है?'' मुझे हालात ने खौफज़दा कर दिया था इस लीये मैंने कहा साहब आप गुजरात पुलीस को मत बताना वरना वोह मुझे मार देंगे। के.राजेन्द्र सा. ने मुझे तसल्ली दी और इत्मिनान दिलाया के आप बेखौफ़ हो कर सच बताओ तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। उन की ईन्सानीय्यत व हमदर्दी देखकर मैं ज़ारो कतार रोने लगा। उन्होंने पानी और चाय नाश्ता मंगवाया, इफ्ताका होने के बाद उन्होंने कहा अब बताओ, क्या बात है? मैंने कहा साहब मैं बिल्कुल बे कसुर हुं, तो केहने लगे ये तो हम भी जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं के आप बेकसुर हैं, आप सिर्फ ये बता दो के आप ही को इस केस में क्युं डाला गया

दो सवाल

अकसर मुझे दो सवाल पुछे गये थे...(१) आप ही को केस में क्युं डाला गया? शहरमें और भी मुफ्ती और आलीम थे, आप ही को क्युं चुना गया? (२) आप जब बे कसुर थे तो आपने कबुल क्युं किया? और कबुलातनामे (कन्फेशनल स्टेटमेन्ट) पर दस्तखत क्युं किये? मैं समझता हुं आप हज़रात के ज़हनो में भी ये सवालात खटकते होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से मैंने अपना नाकिस फहम के मुताबिक उन के सवाल के जवाब दिये जिन्हें यहां जिक्र कर रहा हुं और उम्मीद करता हुं के आप के ज़हनो में उठनेवाले सवाल और इश्कलात भी दुर हो जाएंगे।

चुनांचे के.राजेन्द्र सा. के पुछने पर के इस केस में आप ही को क्युं डाला

गया ? मैंने चंद जवाबाद दीये जो ये है ....

(१) क्राईमब्रान्च वाले इस केसमें किसी ऐसे शख्स को डालना चाहते थे जो रीलीफ केम्प और दुसरे रिफाही कामों में जुडा हुवा हो, ताके रिफाही कामों और केम्पों पर लगी उनकी नज़रो को सुकुन पहोंचे, और आईन्दा कोई भी शख्स उजडे हुवों को बसाने और बाज़ आबादकारी का काम न कर सके। और मद्रसों और मरकज़ व दुसरे रिफाही कामों को मुल्क व बैरुने मुल्क से मिलने वाले चंदे पर पाबंदी लगाई जा सके। इसलीये उन की स्टोरी का मदार रीलीफ़ केम्प की केसेटें थी, और ज़ाहिर है रीलीफ केम्प से मैं ही जुडा हुवा था।

(२) क्राईमब्रान्च वाले किसी ऐसे मुफ्ती को तलाश कर रहे थे जो एक्टिव हो, और उसकी छाप (इम्प्रेशन) ऐसी हो के उसे केसमें डालने की सुरत में लोग आसानी से यकीन करलें के हां ये ज़रुर शामील हो सकता है।

उस वक्त शहरे में दो मुफ्ती 'बदनाम (?) ' थे, एक मुफ्ति सुफियान सा. जो इन के हाथों से निकल चुके थे, दूसरा मैं था। मैं इन्हें इस केस के लीये हर तरह से योग्य लगा इसलीये मुझे केस में डाल दिया। अगर मुफ्ती सुफियान इन के हाथ लगते तो शायद ये वबाल उन के सर होता।

(३) अल्हम्दुलिल्लाह फरागत (१९९७-१९९८) के बाद से अल्लाह रब्बुल इज्जत बराबर मुल्क व मिल्लत की खिदमत का काम लेते रहे, खास कर सन २००० में कंडला, नवलखी में सैलाब, २००१ में कच्छ, भुज व दुसरे जगाहों पर आए हुवे तबाह कर देने वाले भुकंप में अल्हम्दुलिल्लाह बिला तफरीके मज़हब (मज़हब के भेदभाव बीना) मुतास्सिरीन (असरग्रस्त) की मैंने और मेरे साथीयों ने मदद की थी। २००२ के फसादात में ता. २८-०२-२००२ को सब से पहेला रिलीफ केम्प दरियापुर के मुसल्मानों ने मेरी निगरानी में बवाहीर होल पर काईम किया था। केम्प में पनाह लेनेवाले मज़लूम व बेबस लोगों का रेहना और खानापीना ओर दुसरी ज़रुरियात लोगों की मदद से पुरी होती थी, यही नहीं बल्कि केम्प से वापसी के मौके पर हर फेमिली को सिलाई मशीन और ज़रीयाए मआश के अवज़ार व आलात व ज़रुरियात की चीज़े भी तकसीम की गई थी। लोगों की ज़रुरत व हालात के पेश नज़र

एक ट्रस्ट 'ह्युमन वेल्फेर सोसायटी' के नाम से बनाया गया था। ट्रस्ट ही के नाम से पेहले एक एम्ब्युलन्स खरीदी गई थी और लोगों की ज़रुरत व शदीद तकाज़े के मद्दे नज़र रखते हुवे दरीयापुर लीमडी चोक मे स्थित 'लोखंडवाला होस्पिटल' अहमदआबाद म्यु.कोर्पोरेशन से किराए पर ले कर नई डेवलप की गई थी।

इन सारी बातों से आम लोग तो बेफिक्र और खुश थे। लेकिन यकीनन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उन के लीये शायद ये 'अना' और इगो का मस्अला था। चुनान्चे कुछ हासिदों ने बेनामी अरजी की थी के अक्षरधाम मंदिर पर हम्ला करने की साजिश में हमारे मोहल्ले के मुफ्ती और कुछ लोग शामिल हैं। इसी तरह की अरज़ी सन २००० में बकराईद में हुवे फ़सादात के मौके पर। और भी दो तीन मौकों पर की गई थी। और न सिर्फ मेरे खिलाफ बल्कि कुछ शरारत पसन्द व फित्नाखोर आदमी तो इस किस्म की अरज़ीयां करने में बडे माहिर होते हैं। और उनका मश्गला व धंधा ही यही होता है के हर कसो नाकस के खिलाफ़ जाईज़ - नाजाईज़ अरज़िया करते हैं।

इन सारी खिदमत को मुख्तसर बयान करके तीसरा जवाब ये दिया के साहब हो सकता है के मैं किसी के हसद या 'गंदी सियासत' का शिकार हुवा हुं।

(४) आखरी बात ये है ''तुम्हें ही क्युं फसाया गया ?'' ये सवाल तो हर शख्स के साथ लगा हुवा है। मेरे बजाए कोई और मुफ्ती होता या कोई और शख्स ही होता तब उस से भी ये सवाल होता के ''तुम्हें ही क्युं फंसाया गया ? '' दुन्या में कोई बे कसुर ऐसा नहीं के जिस पर ये सवाल न होता के दुन्या भरी पडी है। फिर तुम्हें ही क्युं फसाया गया ? और फिर सबसे अहम व ठोस बात ये है के ज़ालिम को ज़ुल्म करने के लीये वुजूहात की तलाश नहीं होती।

ऐसा मालुम हो रहा था जैसे उनको इन जवाबात से इत्मिनान हो रहा था, कहा ठीक है। अभी तो आप जाओ और क्राईम ब्रान्च के ओफीसर कहे वैसा करो। अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन वक्त आने पर हम आपकी ज़रुर मदद करेंगे।

दुसरा सवाल ये है के आप जब बेकसुर है तो कबुल क्युं कर लिया ? ये

सवाल भी मुझे कई लोगों ने पुछा

मोहतरम कारेईने किराम !

(१) अब तक के सफहात में आपने ज़ुल्मो तशद्दुद और जिस्मानी ज़हनी और रुहानी अज़िय्यतों का न थमनेवाला सैलाब देखा। वहशीय्यत और दरींदगी का वोह नंगा नाच देखा जो शायद बरबर, ज़ुलु और दुन्या की निहायत ही पस्मांदह व बद तहज़ीब कौमों में भी नहीं होगा, क्या इस ज़ुल्मों सीतम के सामने कोई भी ईन्सान स्थिर कदम रह सकता है ?

(२) कबुल न करने और कबुलातनामे पर दस्तखत न करने की सुरतमें मेरे घरवालों और मेरे दोस्तों को मार देने या केस में डाल देने की धमकीयां दी जाती, क्या कोई भी गैरतमंद आदमी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों पर इन ज़ुल्म का तसव्वुर कर सकता है ?

(३) ताकत और डंडे के ज़ोर पर किसी से भी कबुलातनामा ले लेना बहोत आसान है, एक ओफ़िसर ने एक मरतबा मुझे यही सवाल पुछा था । मैंने कहा ''साहब, आपको हुकुमत ने जो (जाईज़ / नाजाईज़) पावर दिया है आप मुझे दिला दो और दंडा मुझे दे दो आप कहेंगे उस आदमी से मैं कबुल करवा लुंगा ''

(४) मुझे कबुलातनामे के लीये एन्काउन्टर करने के लीये ले गये थे। जिसकी तफसीलात आईन्दा सफहों में आ रही है।

(५) इस से पेहले मुझे पुलीस स्टेशन के उसुलो आदाब का कोइ तजरबा नहीं था । जेल में मालुम हुवा के ऐसे लोग जिन्हें बारहा क्राईम ब्रान्च की महेमान नवाज़ी का शर्फ हासिल हुवा है, और जेल उन के लीये सराये की तरह है। उन का आना जाना लगा रहता है। ऐसे हज़रात भी पुलीस की मार के सामने आजिज़ हो जाते हैं और कबुलातनामां दे देते हैं, मेरी तो क्या हैसीयत थी ?

(६) यही नहीं, क्राईमब्रान्च के ज़ुल्म का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं के मैं तो कवानीन से नावाकिफ़ था, हमारे एक वकील जनाब मुश्ताक सैयद व दीगर वुकला को भी पोटा के एक केस में बुक किया गया। मुश्ताकभाई बडे ही काबिल वकील है। पोटा, कन्फ़ेशन के दिफाअ में काफी महारत हासिल है। सुप्रिम कोर्ट के

मुख्तलिफ जजमेन्ट और गाइडलाईन्स जज ईन से पुछा करते थे उन से भी कबुलातनामा ले लिया गया था (अगरचे C.J.M. (चीफ ज्ज्युडीशीयल मेजीस्ट्रेट) के पास उन्होंने उससे इनकार कर दिया था) जब एक वकील कन्फेशन के नुकशानात जातने हुवे कबुलातनामा देने के लीये मजबुर हो गया तो मैं कब तक उन के ज़ुल्मो को बरदाश्त कर सकता था ?

(७) क्राईमब्रान्च के ज़ुल्म के अलावह कुछ लोग मुझ पर ऐसे भी मुसल्लत किये गये थे जो मुझे अल्लाह रसूल का वास्ता दे कर कबुल कर लेने के लीये केहते और ज़हन साज़ी करते थे के अल्लाह के वास्ते आप कबुल कर लो ये उम्मत का मस्अला है !

उम्मीद करता हुं मेरे इन जवाबात से आप हज़रात के इश्कालात और ज़हन में उठने वाले सवालात का ज़रुर तस्फीया हो गया होगा (इ.अ.)

बहरहाल इधर कश्मीर पुलीस व दीगर अफसराने हमरा अलग से पुछताछ कर रही थी। उधर क्राईम ब्रान्च की हालत दीगर गुं हो रही थी। इस का अंदाज़ा इस तरह हुवा के जैसे ही हमें ओफीस से बाहर भेजा गया। बाहर ही आर.आई.पटेल व दीगर अफसरान खडे थे, उन के चेहरों से हवाईयां उड रही थी, और बारबार पुछ रहे छे ''हमारी स्टोरी ही बताई, सच तो नहीं केह दीया ?'' लेकिन शायद उन्हें एहसास हो चुका था के उन की पोल पकडी गई है, इसीलीये वणझारा, आर.आई.पटेल और ए.ए.चौहाण तो जम्मु कश्मीर पुलीस के हेडक्वार्टर चले गये। वहीं रुके और खाना खाया और वापस होते हुवे वणझारा ने कहा के ईन्हें लेकर किसी अच्छी होटल में चले जाओ और इन्हें कश्मीर दिखाओ। ये हुक्म हमारी हमदर्दी में नहीं था बल्कि उन का फायदा था। उन्हें डर था के अगर इन्हें कश्मीर पुलीस की कस्टडी में रखा गया तो शायद कश्मीर पुलीस इन से मज़ीद सच्चाई जानने की कोशीश करेगी और हो सकता है कोर्ट में १६९ का रीपोर्ट भर दें । इस लीये बाकी अफसरान P.S.I. डी. एस.वाघेला,P.S.I. सी.जे.गोस्वामी और पी.एस.आई. आई.के.चौहाण हमे ले कर लाल चोक स्थित एक मशहुर होटल ''**शालीमार**'' में ले गये। वहीं तीन रोज़ रुके।

कश्मीरी वाज़वान और दुसरे लज़ीज़ तरीन खाने खिलाते रहे। कुछ तो वणझारा का हुक्म और कुछ सच्चाई का इन्किशाफ के वहां जाकर मातहत ओफिसरों को भी पता चल गया था के ये बकवास केस हैं। और बेकसुरों को डाल दिया गया है। चुनान्चे इन मातहत ओफिसरों का सुलुक बडा ही हमदर्दीभरा व दोस्ताना था। इन लोगों के साथ कश्मीर के रुह परवर व हसीन नज़ारों को देखने का मौका मिला। कश्मीर पुलीस ने मक्बूल नाम के एक कोन्स्टेबल को बतौर रहबर साथ कर दिया था। वोह साहब हमें शालीमार गार्डन ले गए (जहां उस वक्त गालीबन किसी हिन्दी फिल्म की शूटींग चल रही थी। इस लीये अवाम के लीये बंद था) वहां से हमें मुगल गार्डन ले गये। हिन्दुस्तान के गार्डनों में इस का एक इम्तियाज़ी मकाम है, खुबसुरत फुल बोटे और् सलीके से तराशी हुई बेल व पौदे जाज़िबे नज़र है। वहीं से हमें ले कर चश्मे शाही पहोंचे, ये मुगल गार्डन ही में पहाडों के दामन में वाकेअ एक बहुत ही खुबसुरत जगह है। केहते हैं के मुगल बादशाह शाहजहां ने यहां आबशारा (ज़रना) देखा जो पहाडों से निकल कर यहां बेह रहा था। और उस का पानी निहायत ही साफ़ व शफ्फाफ था। उसे हकीमों ने उस के बहोत से फ़वाईत बतलाए। शाहजहां ने वहीं पर एक छोटी सी महलनुमा ईमारत काईम की। उस के बीच से ये ज़रना बेहता है और सामने की जानिब बेहतरीन नहर और उसके दोनों तरफ़ रास्ता और रोशनी का बेहतरीन नज़ारा आंखो को ठंडक और रुह को सुकून पहोंचाता है। केहते हैं के हमारे देश के सब से पेहले वज़ीरे आज़म पंडित जवाहरलाल नहेरुजी ने पुरी जिन्दगी इसी चश्मे का पानी पीया है। हम भी उसका पानी पी कर महज़ुज़ हुवे। वहां से हमें निशात गार्डन ले गए।

उस के बाद वहां की मशहुर जगा **''दाल लेक''** पहोंचे। चारों तरफ़ हरीयाली व पहाडों के दामन में बडी व अरीज़ समंदरनुमां ये लेक वादीए कश्मीर की खुबसुरती का बडा राज़ है। शायद इसी को देखकर केहनेवाले ने कहा होगा.....

अगर बहिश्त बर रुए ज़मी अश्त हमीं अस्त, हमीं अश्त, हमीं अस्त।

(अगर जन्नत इस रुए ज़मीन पर है तो यही है, यही है, यही है)

दाल लेक की अपनी खुबसुरती और फिर उस में चलनेवाली शीकारा कश्ती (हाउसबोट) और तैरता हुवा बाज़ार उस की खुबसुरती को चार चांद लगा देते हैं। हमें तो गोया कश्मीर घुमने और सयाहत ही के लीये ले गये थे, फिर शिकारा की सवारी से क्युं कर महरुम रहते, हमें भी शिकारा की सवारी कराई। शिकारा में दूर तक गये। सामने दूर हज़रत बाल की मशहुर दरगाह नज़र आ रही थी। वहां नाश्ता भी होता रहा और साथी ओफिसर खरीदी भी करते रहे। अब कश्मीर में जब के सच उजागर हो चुका था। गुजरात पुलीस और कश्मीर पुलीस के लीये हमारे ताल्लुक से शायद कोई काम बाकी नहीं था। गुजरात पुलीस घुमने फिरने और खरीदी करने में अपना वक्त गुज़ार रही थी। कश्मीर पुलीस को हत्तल इम्कान हमसे दुर रखने की कोशीस की जाती। फिर भी कभी मौका मिल जाता तो बेचारे कुछ कोन्स्टेबल मेरे पास तावीज़ लिखाने चले आते!

यहां एक बात की वज़ाहत करना ज़रुरी समझता हुं। पेहले ये के कश्मीर जा कर दुध और पानी अलग हो गये थे। क्राईम ब्रान्च का झुठ और इन की पोल पकडी गई थी। ये एक बेहतरीन मौका था के क्राईम बान्च अपनी गलती मानकर हमारे लीये कोर्ट में कलम १६९ का रीपोर्ट भर देती। कलम १६९ को मुख्तसरन युं समझ लीजीये के पुलीस अपनी गलती / गलत फहमी का एतेराफ़ करते हुवे कोर्ट में रीपोर्ट भरती है के हम एक जैसा नाम होने या हमशकल होने या एक ही बिरादरी, मोहल्ला होने की वजह से गलती से बेकसुर आदमी को पकड लाए हैं। हमारे पास इन के खिलाफ़ कोई सुबुत नहीं। लिहाज़ा इन्हें रिहा कर देना चाहीये। फिर कोर्ट अपनी तहकीक के बाद आम तौर पर उस शख्स को रिहा कर देती है।

लेकिन अफसोस के हमारे इन अफसराने को न सिर्फ मुसल्मानों पर ज़ुल्म करना बल्कि हुन्दुओ को धोका देकर मेडल हासिल करना था। इस लीये उन से ये उम्मीद रखना बेकार था। कलम १६९ का रिपोर्ट भरना तो दुर की बात रही, उन्हों ने अपनी पोल पकडी जाने के डर से दो अलग अलग कहानीयां बना ली और मेरा रोल और बढा दिया, बल्कि मुजे ही ''मेईन हीरो'' बना दीया।

बहरहाल वणझारा सा. एन्ड कंपनी ने हमें कश्मीर में खुब घुमाया और एन्जोय करवाया। हालां के ये घुमना फिरना यकीनन उन के लीये एन्जोय था। लेकिन मेरे लीये ये सफ़र अपनी तमाम खुबसुरतीयों और दिलफरेब मनाज़िर के बावजुद बे मज़ह था। क्युं के मुझे अंदाज़ा हो गया था के ये सिर्फ चार दिन की चांदनी है। ता. ०९-०९-२००३ मंगल के रोज़ हमारी कश्मीर से वापसी हुई । हमें P.S.I. सी.जे.गोस्वामी, P.S.I. आई के चौहाण और P.S.I. डी.एस. वाघेला के साथ रवाना किया गया। वणझारा सा. P.I.आर.आई.पटेल और पी.आई. ए ए.चौहाण सा. वहीं रुक गये। ये हज़रात चांदखान को लेने के रुक गये थे। श्री नगर एरपोर्ट पर हम इमीग्रेशन के लीये कतार में खडे थे वहां वहीं साउथ इन्डीयन ओफीसर नज़र आए जिन्हें मैं के.राजेन्द्र साहब की ओफीस में देख चुका था। उन्होंने मुझे इशारह कर के बुलाकर कहा : मुल्लाजी आप को थोडा सा सब्र करना पडेगा। हम वक्त आने पर आप की मदद करेंगे।

रात में ९:०० बजे के करीब अहमदआबाद एरपोर्ट पर उतरे।

ता. १३-०९-२००३ शनीचर को हमें स्पे.पोटा कोर्ट में पेश किया गया और पहेली बार पोटा जज मिस.सोनीया गोकाणी साहेबा का दीदार हुवा , और उन्होंने पांच रोज़ के रीमान्ड पर हमें फिर क्राईम ब्रान्च के हवाले कर दिया। हालां के उन्होंने रीमान्ड देने से पहेले फोर्मालिटी ज़रुर पुरी की थी के आप को कुछ केहना है ? लेकिन जैसाके मैं पेहले ही लिख चुका हुं ''हमें इतना डरा दिया गया था के हम कुछ भी न केह सके '' ? ता. १८-०९-२००३ जुमेरात को हमें फिर पोटा कोर्ट में पेश किया गया और जज सा. ने फिर ८ रोज़ के रीमान्ड पर भेज दिया। रीमान्ड के दौरान सिर्फ फोर्मालिटी होती रही, ताहम मैं अपनी पुरानी हालत न भुल जाउं इस लीये कबी कबार गाली गलोच और दो चार दंडो का मज़ा चखा दिया जाता था, जिस का शायद मैं आदी हो चुका था। ईस लीय ऐसी '**छोटी मोटी**' तकलीफ को खातिर में नहीं लाता था । लेकिन ता. १८-०९-२००३ जुमेरात की रात मेर लीये एक नाकाबिले यकीन मुसीबत का पैगाम लेकर आई . जिसके सामने अगली तमाम मुसीबते हेच मालूम होती थी।

मेरा एन्काउन्टर

१८ सप्टेम्बर २००३ जुमेरात की ठंडी रात थी । मैं वी.डी. वनार की ओफीस में इस हाल में सो रहा था के मेरे एक हाथ में हथ कडी लगाकर टेबल से लोक की हुई थी। मुश्किल से नींद आई थी के मेरी पीठ पर जुते पेहने हुवे किसी साहब ने लात मार कर उठाया। सामने जनाब सिंघल साहब खडे हुवे थे। और उन के कपडों से बेहतरीन किस्म के ''ऊद'' ईत्र की खुश्बु महक रही थी। सिंघल के पीछे एक और चेहरा नज़र आया वोह वी.डी.वनार थे। सिंघल के हुक्म से मेरे हाथ से हथकडी खोल दी गई। वी.डी. वनार ने मुझे साथ लिया और कहा चल साहब का हुक्म है, आज तेरा '**एन्काउन्टर**' करना है। मुझे कहा गया तु मरनेवालों की नमाज़ पढाता है, आज खुद अपनी नमाज़ पढ ले। मैंने कहा मुझे अभी नमाज़ नहीं पढनी। वनारने बे शुमार गालीयां दी। और मुझे धक्के दे कर एक टाटा सुमो में बिठा दिया। मेरे इर्द गिर्द दाहनी जानिब वी.डी.वनार और बांई जानिब आर.आई.पटेल बैठ गये । आगे ड्राईवर के पास जनाब पी.आइ. अशरफ चौहाण तशरीफ फरमा हुवे। पीछे एक कमान्डो और एक कोन्स्टेबल नदीम खान बैठ गये। क्राईम ब्रान्च से बाहर निकलते ही वनार ने निहायत ही गंदी गालीयों की बोछार शुरुअ कर दी और मेरे चेहरे से नकाब हटा कर कहा ले. उस के बाद मुझे फोन देकर कहा ले आखरी बार तेरे मां-बाप, बीवी बच्चों से बात कर ले। मेरे इन्कार पर मेरी दाढी और सर के बाल खींच कर मेरा सर सीट के साथ दे मारा। ज़ालिम अपनी मस्ती में मस्त और मेरे दिल की कैफियत से गाफिल था। खौफ व परेशानी से मेरा दिल धडक रहा था। लेकिन खयालों और विचारों के सायेमें वल्लाह दिल में कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम और सुकुन ज़रुर था।

गायकवाड की हवेली से बाहर निकल कर अमीरे काफला वनार ने कहा गाडी '**कोतरपुर**' ले लो। रात के तकरीबन २:०० बज रहे थे। अंधेरी रातमें सामने से गुज़रने वाली एक्का दुक्का गाडीयों की हेडलाईट की रोशनी मेरी आंखो का खौफ

और ज़ालिमों की आंखो से टपक रही दरींदगी को उजागर कर देती थी। रास्ते में एक दो जगह वनारने रीवोल्वर निकालकर उसे साफ किया । चेक किया और हवामें फायर करने की कोशीश की। लेकिन फायर नहीं हुवा। फ़ायर न होना भी शायद मेरी गलती थी । इस लीये मुझे गालीयां दी गई । आर.आई.पटेलने कहा दूसरे वाली रीवोल्वर चेक करो । वनारने कहा वोह सरकारी रीवोल्वर है । फिर कार्टीस का हिसाब देना होगा तो गरबड होगी (मालुम हुवा के ये एन्काउन्टर स्पेश्यालीस्ट हज़रात दो रीवोल्वर रखते थे। एक कानुनी (सरकारी) और दूसरी गैर कानुनी (गलत कामों में और निहत्तों पर अंधाधुध फायरींग में ये हज़रात शायद यही गैरकानुनी रीवोल्वर ही इस्तेमाल करते होंगे) एक दो जगह मीस फायर के बाद वनार ने पी.एस.आई आर.आई. पटेल से उनकी रीवोल्वर मांगी और गाडी इधर उधर दो तीन रास्तों पर ले जाने के बाद ड्राईवर से गाडी केनाल के पास लेने के लीये कहा। रास्ते में वनार नकली एन्काउन्टरों में अपन महारत और हुकुमत की जानिब से मेडल दिये जाने की दास्तान भी मुझ से सुनाता रहा। मुझे कहा देख मैंने अबतक पांच एन्काउन्टर कीये है। हमीद लाला को मैंने मारा है, राणीपवाले को मैंने यहां क्राईमब्रान्च की सीडी पर ही मारा है। और भी नाम गिनवाए और कहा इतने एन्काउन्टर के बाद भी हुकुमत और कोर्टने मेरा क्या बिगाड लिया ? (वनार के अल्फ़ाज़ थे ''क्या तोड लिया ?'') बल्कि मुझे बहादुरी का पुरस्कार और १५ हज़ार रु. इन्आम दिया गया। आज तेरा ये एन्काउन्टर छठ्ठा है। कल अख्बारात और मडीया में स्टोरी दे देंगे के केस की जांच के लीये ले गये थे और वहां से मौका देख कर भाग गया और कहींसे रीवोल्वर हाथ लग गई और हम पर फायर कीये और जवाबी फ़ायरींग में मारा गया।

अंधेरी रात में एक जगह गाडी रोकी गई । मेरे अंदाज़े से वोह एरपोर्ट के पीछे की कोई जगह थी। क्युंके वहां से एरपोर्ट की लाईट नज़र आ रही थी। रास्ते के दोनों तरफ़ नहर थी। गाडी नहर से लगकर दाहनी जानिब कच्चे रास्ते पर उतारी गई। लेकिन कुछ आगे जाते ही वहां बहोत से भेड बकरी और एक चरवाहा नज़र आया। जिन्हें देख कर वनारने गाडी वापस लेने के लीये कहा। फिर रास्ते की बाई जानिब

कच्चे रास्ते पर अंदर तक गाडी ले गये और एक बडी जगह गाडी रोक कर तमाम 'बहादुर' उतरे और मुझे भी दाढी खींचकर उतारा गया। गाडी से उतार कर वनार ने मुझे धक्का दिया और कहा चल भाग ! मैंने कहा मैं नहीं भागुंगा । केहने लगे नहीं भागेगा तो हम गोली मार देंगे। मैंने कहा मार दो। वनार ने रीवोल्वर निकाल ली और अपने साथीयों से थोडा दुर हट जाने के लीये कहा

रीवोल्वर का निशान मेरे सर पर लिया। मेरी ज़बान पर बेतरतीब कलिमात व दुआएं ज़ारी थी, दिल व दिमाग और ज़बान साथ छोड गये थे।

रात की अंधेरी फिज़ा में एक धमाका सुनाई दिया जिससे रात की खामोशी खलल अंदाज़ हो गई। और आग की एक लकीर सी मेरे सर के पास से गुज़र गई। मैं मब्हुत व हैरान जिन्दा खडा था, क्युं के गोली मेरे सर में नहीं लगी थी। बल्कि मेरे सर के पास से गुज़री थी। उस के बाद मुसल्सल मेरे सर के पास, मेरे दाहने, बायें और मेरे पैर के पास कुल पांच फ़ायर कीये। करीब के दरख्तों से परींदो का एक शोर व गुल उठा, क्युं के इस नामानुस आवाज़ ने थके हुवे इन बेज़ुबां परीन्दों को वक्त से पेहले उठा कर दिया था।

वनार ने अपने हाथों में रीवोल्वर घुमाते हुवे कहा अभी एक गोली बाकी है, जो तेरे लीये काफी है, अभी तक मी.ए.ए.चौहाण जो इन खुनी ड्रामे मे खामोश तमाशाई थे। अब उन की भी परदे पर एन्ट्री हुई। वोह बज़ाहिर मेरे हमदर्द बन कर सामने आए ओर कहा ...वनार सा. ईसे मत मारो, मैं बडे साहब से बात कर के इसे आखरी मौका देना चाहता हुं, फिर मुझ से मुखातब हुवे और कहा ''बडे साहब जो कुछ कहे अगर तु सब कबुलता हो तो मैं तेरी जान बचा सकता हुं। '' मैं ने कहा इतना बडा केस तो आपने मुझ पर डाल ही दिया है। अब क्या कबुलना बाकी है ? केहने लगे मैं उन को फोन लगाता हुं वोह जो कहे कबुल कर लेना और जहां कहे दस्तखत कर देनां। मैंने कहा ठीक है ए.ए.चौहाण ने अपने मोबाईळ से फोन लगाया और कुछ देर बात करते रहे और मेरी 'सिफारीश' (?) करते रहे के साहब उसे माफ कर दो। वोह सब कुछ कबुलने के लीये तैयार है। और फिर मुझे फोन दिया के ले साहब से

बात कर। सामने से सिंघल साहब की आवाज़ सुनाई दी। पुछा हम जो कुछ कहेंगे करने के लिये तैयार है ? मैं ने कहा जी हां। केहने लगे उर्दू चिठ्ठयां तुने लिखी थी। मैंने कहा ठीक है। फोन ए.ए.चौहाण को देने के लीये कहा और फिर कुछ उन के आपस में बात हुई, और फिर मुझे 'ज़िन्दा' ले कर क्राईम ब्रान्च वापस आए। उर्दू चिठ्ठीयां अगरचे मैं पेहले ही कबूल कर चुका था, लेकिन शायद ये हज़रात इस मामले में मज़ीद इत्मिनाम कर लेना चाहते थे। चुं के इकबालिया बयान के अलावह पुरे केस में सुबूत के तौर पर सिर्फ उर्दू चिठ्ठीयां ही थीं जन केज़रीये किसी को भी इस केस से जोडा जा सकता था। चुनांचे वापसी पर पी.आई. आर.आई. पटेल फिर कुछ कागज़ात ले कर आ गया और कहा के चिठ्ठीयां तुने लिखी थी। मैंने ईन्कार कर दिया जिस पर इन हज़रात का गैज़ व गज़ब सातवें आसमान पर पहुंच गया। वनार ने कहा इसे बरहना कर के छत पर उलटा लटका दो। सर्दी की रात के आखरी पहर में मेरे जिस्म से कपडे उतारे जाने लगे और एक मोटा रस्सा लाया गया। मेरा आधे से ज़ियादा जिस्म खोल दिया गया था। जिस से मुझे अंदाज़ा हो गया के ये हज़रात मुझे बिलकुल बरहना कर ने से भी नहीं शरमाएंगे। इस लीये मजबुरन मैंने फिर इकरार कर लिया। जिस पर मुझे छोड दिया गया। कुछ ही देर में फज़र का वक्त हो गया और इस भयानक रात की तारीकीयां छट गई।

बाद में पता चला था के एन्काउन्टर का ये ड्रामा सिर्फ मुझे खौफ व परेशानी में डालने और कबुलातनामा देने और उस पर दस्तखत करने के लीये किया गया था. यही वजह के ता. १८-०९-२००३ के बाद भी दो तीन रोज़ तक एन्काउन्टर का नाटक किया गया। चुनान्चे दूसरे रोज़ ता. १९-०९-२००३ जुम्आ की देर रातमें फिर मुझे बुलाया गया। क्राईम ब्रान्च में दाखिल होते ही बायें हाथ पर वनार और पी.आई. आर.आई पटेल की ओफीस के दरम्यान सामने एक झुला था। हमारे बहादुर ओफीसर रात दिन 'देश की सेवा' कर के थक जाते तो थोडी देर यहां बैठ कर आराम कर लिया करते थे। झुले पर इस वक्त दो तीन अफसरों के दरम्यान एक तावदार मुछोंवाले साहब तशरीफ फरमां थे। मुझे उन के सामने ले जाकर ज़मीन पर बिठा

दिया गया। मुछों वाले साहब ने पुछा मुझे जानता है ? मैंने कहा नहीं जानता। केहने लगे मुझे नहीं जानता ? मैं तरुण बारोट हुं, लतीफभाई को मैंने मारा था। देख सामने वोह अंधा और दाढी खडे हैं। उन्होंने मुझे तेरा एन्काउन्टर कर देने के लीये कहा है। (ये लोग गाईबाना अपने दो बडे अफसरों को अंधा और दाढी के अल्काब से पुकारते थे।) تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى बहरहाल उस ने भी एन्काउन्टर में अपनी महारत व खूबीयां गिनाई और कुछ देर डरा धमका कर मुझे वापस कर दिया।

रीमान्ड के आखरी दिनों में एक रोज़ जोईन्ट कमिश्नर जनाब के.आर.कौशीक के सामने पेश किया गया। ये कौशीक साहब भी कमाल की हस्ती है, उन के दौर में कीये गये सारे ही एन्काउन्टर में सबसे पेहले 'आतंकियों' की खुफीयां खबरें इन्हीं को मिलती थीं। यही शहर की नाकाबंदी और दुसरे सुरक्षातमक उपाय के हुक्म देते थे। लेकिन कमाल है सारे ही एन्काउन्टर के रोज़ ये साहब खुद छुट्टी पर होते थे! चुनांचे मुझे खामोशी से कुछ देर तक देखते रहे और फिर चले गये, गालिबन २२ सप्टेम्बर थी।

एक रात क्रह्वाईम ब्रान्च में सींघल की ओफीस ही में A.C.P. मी. संजयकुमार गढवी के सामने पेश किया गया। ये वही गढ़वी सा. है जिन्हों ने २००२ के फ़सादात में कालुपुर सौदागर की पोल के पास अंधाधुन फ़ायरींग कर के पांच छे मुसल्मानों को मार दिया था और तहेलका के स्टींग ओपरेशन में केमेरे के सामने अपने इस कारनामे पर बडा फख्र महसुस किया था। इन्होंने भी सिर्फ ये पुछा : चीठ्ठी आपने लिखी थी ? और मैंने मजबुरन हां में जवाब दिया।

ता. २४-०९-२००३ बुधके रोज़ दोपहर में तकरीबन ३-४ बजे जनाब वनार, आर.आई. पटेल और P.I. अग्रवात मुझे और आदमभाई को लेकर एक गाडीमें सवार हुवे, दूसरी गाडीमें जनाब सींघल सा. और कुछ गार्ड वगैरह थे। मुझे मंन्ज़िल व मकसद मालुम नहीं था। पुछने की जुरअत नहीं थी। गाडी में बैठते ही वनार ने ज़हन साज़ी शुरु की और कहा देखो आज तुम्हें एक बहोत बडे साहब के सामने पेश कर रहे हैं। वोह तुम्हें कुछ सवालात करेंगे तुम्हें अपनी स्टोरी पर काइम

रहना है। और फिर वोह जहां कहे वहां दस्तखत कर देना है। अगर तुमने हमारी मरज़ी के मुताबिक काम किया तो हम तुम पर रहम करेंगे वरना वहीं रास्ते में मार देंगे। इश तरह धमकी भी देते रहे और् लालच भी देते रहे।हमारा काफला पुरानी हाईकोर्ट पहोंचा। वहां वुकला की चहल पहल से अंदाज़ा हो गया के हमें किसी जज साहब के सामने पेश किया जाना है। वनार अग्रवात हमें ले कर गाडी में बैठे रहे। और हमारी ज़हन साज़ी करते रहे। सींघल सा. कहीं तशरीफ ले गये थे वोह आए और पेहले आदमभाई को लेकर गअे। कुच देर के बाद वोह वापस आए और मुझे लेकर गये, वोह सी.जे.एम (चीफ ज्युडीसीय मेजीस्ट्रेट) जनाब पाध्या साहब थे । उन्होंने अपनी कलम दी और मुझसे तकरीबन ९-१० पेज पर हाशीये में और तहरीर के आखिर में अलग अलग जगाओं पर दस्तखत करवाए। इस के अलावह को बात नहीं की। बल्के हद तो ये हुइ के इधर मौत के परवाने पर दस्तखत ली जा रही थी और उधर जनाब मी. पाध्या साहब, सींघल, वनार, आर.आई.पटेल वगैरह हज़रात बहुत ही खुशखुशाल हंस हंस कर बातें कर रहे थे। और चाय नाश्ते का मज़ा लेते हुवे इस अज़ीम काम्याबी का जश्न मना रहे थे।

रीमान्ड के आखरी दीन ता. २६-०९-२००३ जुम्मा के रोज़ दोपहर ३:०० बजे के करीब मुझे और आदमभाई को लेकर सिंघल सा. की मातहती में पांच-सात गाडीयों का बना हुआ काफ़ला रवाना हुवा। मामुल के मुताबिक पेहले ही धाक धमकी दे कर कोर्टमें खामोश रेहने के लीय केह दीया गया था।

मैं इस मौके पर आदमभाई की ज़रुरी तारीफ करुंगा। उन्होंने मौका देखकर मुजे कान में कहा मैं आज कोर्ट को सब कुछ बता दुंगा। मुझे चुंके बेइन्तिहा मारा पीटा गया था, और पिर कुछ पुरानी और कुछ नई धमकीयों का असर, घरवालों और् दोस्तों की फिक्र और फिर मुझे मालुम भी नहीं था के ये रीमान्ड का आखरी दिन है। इस के बाद दोबारह रीमान्ड पर नहीं भेजा जाएगा। चुंके हमसे पेहले एक केस 'टीफीन बोम्ब' में तो एक जज साहब ने ये शर्मनाक हरकत की थी के जब उन से ४ रोज़ का रीमान्ड तलब किया गया तो केहने लगे ४ रोज़ में क्या होगा ? ६-८ रोज़ ले

जाओ, और यही धमकी हमें भी दी गई थी के अगर कुछ भी कहा तो वापस यहीं हमारे पास आना है।

इन बातों के पेशे नज़र मैंने आदमभाई से कहा के खुदा के वास्ते कुछ मत बोलना, वरना तुम तो मरोगे मुझे भी मरवा दोंगे, खैर कुछ देर की फोर्मालीटी और खानापुरी के बाद सरसरी तौर पर सवाल कर के 'कोई तकलीफ, शिकायत तो नहीं ?' हमें साबरमती सेन्ट्रल जेल भेजने का ओर्डर कर दिया गया।

उस रोज़ कोर्ट रुम में और कोर्ट से बाहर मेरे और आदमभाई के काफ़ी रिश्तेदार और आम मुसलमान थे। वनार ने उस रोज़ पेहली बार इन्सानिय्यत दिखाई और हमें अपने घरवालों से मुख्तसर मुलाकात और बात-चीत की ईजाज़त दी, लेकिन साथ ही ये धमकी देना नहीं चुके के ''कोई भी हरकत मत करना, जेल में जाने के बाद भी हमारे खिलाफ़ एक लफ्ज़ ज़बान से मत निकालना वरना जेल से निकालकर लतीफ़भाई की तरह मार देंगे, आखिर जेल पुलीस भी हमारे ही लोग हैं।''

लोग निहायत ही गमगीन थे। रो रहे थे और मुझे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रहे ते। हमें पुलीस की बडी गाडीमें बिठा दिया गया। लोग अब भी क्राईमब्रान्च के डर से करीब आने से कतरा रहे थे और दूर ही दूर से हाथों से तसल्ली और दुआ के लीये ईशारह करते थे। ता हम कुछ हमदर्द ऐसे भी थे जिन्होंने गाडी के करीब आकर मुसाफहा किया और हिम्मत व होंसला बरकरार रखने के लीये कहा। उस वक्त भाई सलमान की आहो ज़ारी और गम का ये आलम था के वोह मारे गम मुझ से करीब होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और दूर एक स्कुटर पर बैठकर ज़ारो कतार रो रहे थे। उन की हालत देख कर क्राईम ब्रान्च के ओफीसर सी.जे.गोस्वामी, पी.एस.आई देसाई वगैरह के दिल भी पसीज गए और उन के चेहरे भी गमनाक हो गए। बडी मुश्किल से अपने जज़बात पर कन्ट्रोल करते हुवे इन साहबोंने पुछा ये भाई जो तड़प रहे हैं, कौन है ? मैंने कहा मेरा दोस्त है, लेकिन मेरे हकीकी भाई का दर्जा़ रखता है। उन्होंने कहा उसे करीब बुलाओ और समझाओ के सब्र करे। उन के

अल्फाज आज भी मुझे अच्छी तरह याद है के तुम्हें जेल कस्टडी हो गई। ये अच्छा है तुम्हें क्राईम ब्रान्च के ज़ुल्मों सितम से नजात मिल गई। अल्लाह तआला आईन्दा भी सब अच्छा कर देंगे। ईन्शा अल्लाह।

गुनाह कैसे कबुल हो ?

किसी भी शख्स की जानिब से गुनाह का इकरार उसके खिलाफ एख मज़बूत और मुअस्सिर सुबूत उसी वक्त बन सकता है जब के वोह गुनाह पर शर्मिंदगी के एहसास पर अपनी खुशी से दीया गया हो। जैसा के सुप्रिम कोर्टने भी हमारे इश केस के जजमेन्ट में लिखा है।

यही वजह है के इस्लाम ने मारपीट और रीमान्ड की बजाए अकीदए आखिरत और अल्लाह की ज़ात के इस्तिहज़ार का नज़रीया दुन्या को दिया के अगर इन्सान को ये यकीन हासिल हो जाए के मैं जो भी अच्चा-बुरा अमल करुंगा अल्लाह तआला मुझे देख रहा है। और मुझे सारे अअमाल का जवाब देना है। ये अकीदह उसे गुनाहों से रोक देगा। और अगर गुनाह हो भी गया तो आखिरत की पकड और जहन्नम के अज़ाब के मुकाबले वोह दुन्या की सज़ा व तकलीफ को तरजीह देगा। देखीये गामिदीयह सहाबीयह और हज़रत माईज़ अस्लमी(रदी.) को हद (सज़ा) से बचाने के लीये मौका दिया जा रहा है औऱ बार बार आकर वोह अपने गुनाह का इकरार और हद का इस्रार कर रहे है : طهرنی یا رسول اللہ या रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलयहे व सल्लम मुझे (सज़ा देकर) पाक कर दीजीए।

नबीए करीम (सल्लल्लाहु अलयहे व सल्लम) ये केहकर के शायद आपने सिर्फ छुआ हो, शायद आपने सिर्फ बोसा लिया हो। बारबार सज़ा से बचाने का मौका दे रहे हैं। लेकि उन के सामने अकीदए आखिरत और अल्लाह के सामने जवाब देना है इस लीये दुन्याकी ज़िन्दगी व इज्ज़त पर वोह सज़ा और आखिरत को तरजीह दे रहे हैं।

बेशक दुन्यवी निज़ाम चलाने के लीये पुलीस, इन्तिज़ामीया, कोर्ट कचेरी, कवानीन, सज़ाएं सब कुछ ज़रुरी है। लेकिन जब तक दिल में अपने मालिक अपने

रब का खौफ न हो, सिर्फ कवानीन और इन्तज़ामियह इन्सान को गुनाह से रोकने के लीये नाकाफी है।

मैंने बहोत से ऐसे रीढे गुनहगार देखे जिन के लीय पुलीस स्टेशन और जेल मेहमानखाना और सराय की हैसीयत रखता है। साल में पांछ छे मरतबा छूटते हैं, बाहर जा कर वही गुनाह करते है, फिर जेलमें आते हैं, कुछ रोज़ के बाद फिर छुट जाते हैं, फिर गुनाह जेल में आते हैं, यही पता नहीं चलता के उनका असली वतन जेल है या घर ?

बहरहाल रीमान्ड के आखरी दिनों एक रात वनार ने आ कर मुझे कहा के एक डोक्टर साहब आए हैं। वोह एक इन्जेक्शन देंके दो तेरी सारी तकलीफ व दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखना वोह जो कुछ भी सवाल पुछे तो तझे हमारी स्टोरी के मुताबिक ही जवाब देने हैं। बसूरते दीगर अगली सारी धमकीयां फिर दोहराई, उस के बाद मुझे आंखो पर पट्टी बांधकर क्राईम ब्रान्च में दाखिल होते दाहने हाथ की उपरी मन्ज़िल पर ले कर गये। वहां ले जा कर मुझे एक टेबल पर लिटा दिया गया और मेरे हाथ में शायद दो इन्जेक्शन दीये गये। जिस के असर से मुझ पर गुनूदगी (नींद) तारी होने लगी और मैं नीम बेहोशी व बेखुदी के आलम में चला गया। उस के बाद वनार, आर.आई.पटेल के अलावह एक तीसरी आवाज़ भी थी जो शायद डोक्टर थे। अव्वल उस नई आवाज़ ने मुझे अपना नाम पुछा, उस के बाद अक्षरधाम मंदीर पर हम्ले के ताल्लुक से मेरा रोल पुछा। मैंने उसे नीम बेहोशी की ही हालत में अव्वल क्राईम ब्रान्च की स्टोरी में से मेरा रोल सुनाया। (वोह लोग मुझे झंझोड-झंझोड कर सवाल पुछते। मैं बेखुदी के आलममें जवाब देता, फिर गोया कौमा में चला जाता) जिसे सुनकर डोक्टर और वनार ने पुछा ये सब सच है ? मैं ने कहा आप मारोगे तो नहीं ? केहने लगे नहीं मारुंगा। मैं ने कहा ये सब जुठ और बकवास है। मैं बेकसूर हुं। उस पर वनार ने निहायत ही गंदी गालीयां दे कर कहा अभी भी होश में है। ये केहकर सवालात पुछना बंद कर दिया। मैं बहोत ही कमज़ोर नींद का गलबा महेसुस कर रहा था। कुछ देर मुझे वहीं सुलाए रखने के बाद दो कोन्स्टेबर मुझे

पकड कर वनार की ओफीस में छोड गये। ये शायद मेरा नार्को टेस्ट था।

मुनासिब है यहां नार्को एनालिसीस और इस किस्म के दूसरे टेस्टों का मुख्तसर तआरुफ हो जाए।

नार्को एनलिसीस टेस्ट क्या है ?

ये नींद में लिया जानेवाला एक टेस्ट है, जिस में मर्द या औरत को एक खास मिकदार में इन्जेक्शन के ज़रीये सोडीयम पेन्टोथल या सोडीयम अमीटल दिया जाता है। इसी तरह स्कोपोलामाईन दवा भी इस्तेमाल की जाती है। शक की बुन्याद पर ये टेस्ट किया जाता है। लेकिन आम तौर पर इस टेस्ट से सच्चाई साबित नहीं की जा सकती। जब ये टेस्ट किया जाता है तो इन्सान नीम नींद (आधी नींद) और् गुनूदगी में रहता है और सवालात के सहीह जवाब देतै है। स्टेम्प कौभांड में मी.अ.करीम तेलगी पर भी ये टेस्ट किया गया था, ताके सियासतदानों और बडे नेताओं के नाम सामने लाए जा सके।

नार्को टेस्ट की कानूनी हैसियत

किसी भी शख्स को कोर्ट की इजाज़त या उस की मरज़ी के बगैर नार्को टेस्ट के लीये मजबूर नहीं किया जा सकता। और न ही ईससे हासिल हुई मालूमात कोर्ट में सुबूत की हैसियत से काबिले कबुल है। हां, सुबूत मुहय्या करने और उसे मद्दे नज़र रखते हुवे जांच आगे बढाने और कुनुनी कारवाही को सहीह दिशा ले जाने में ये ज़रुर मददगाह साबित होता है।

इस टेस्ट के ज़रीये आदमी अपनी भुली हुई याददाश्त या चीज़ों को भी दोबारह हासिल कर सकता है॥

लाई डिटेक्टर टेस्ट (झूट पकडने वाला टेस्ट)

लाई डिटेक्टर को पोलीग्राफ़ टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में इन्सान ४ से ६ सेन्सर जाचों से गुज़रता है। ये टेस्ट ई.सी.जी. की तरह के एक मशीन के ज़रीए

होता है। जो सेन्सर से निकलनेवाले विविध सिग्नलों को कागज़ पर ग्राफ़ की तरह रेकोर्ड करता है। इन्सान के सांस की मिकदार, दिल की धडकने, ब्लडप्रेशर, पसीना और कभी कभी ये पोलीग्राफ मशीन ईन्सान के हाथ पैर की हरकतों को भी रेकोर्ड करता है।

इस टेस्ट की शुरु में सवाल पुछनेवाला इस शख्स को तीन चार आम किस्म के सवालात पुछता है, उस के बाद मकसद के सवालात के साथ ये टेस्ट शुरु किया जाता है। सवालों के दौरान इन्सान की तमाम हरकतों के इशारे कागज़ पर ग्राफ़ की शक्ल में दर्ज हो जाते हैं। इस टेस्ट के दौरान और बाद में टेस्ट करनेवाला शख्स किसी भी सवाल पर उस शख्स में होनेवाले असामान्य और वर्णन योग्य बदलाव को देख सकता है। आम तौर पर दिल की धड़कनो का तेज़ हो जाना, खुन का दबाव बढ जाना, साधारण मात्रा से जियादा पसीना बेहना ये बदलाव के संकेत है।

इस फन में महारत रखनेवाला शख्स इस टेस्ट के ज़रीये से इन्सान के सच-जुठ को ज़रुर परख सकता है। दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, पसीना, हाथ पैर वगैरा की मुवमेन्ट का ग्राफ देखकर टेस्ट करनेवाला जो परिणाम निकालता है वोह तमाम इन्सानों में एक जैसे नहीं हो सकते। बल्कि विविध इन्सानों में विविध प्रतिक्रिया होती है। इस लीये ये टेस्ट भी अधुरा है और टेस्ट देनेवाला आदमी अपनी महारत और चालाकी से बेवकूफ़ भी बना सकता है। इस लीये इस टेस्ट की भी कोई कुनी हैसीयत नही है। हां, इस को मद्दे नज़र रखते हुवे जांच आगे वढाई जा सकती है, लेकिन इसे बतौरे सुबूत कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता।

ब्रेईन मेपींग यानी मगज़ (दिमाग) का नक्शा

ये एक नया और तरक्की याफ्ता सायन्सी फन है जिस में एहसास व महसुस करनेवाली दिमाग की रगों की तसवीरें लेकर मगज़ का एक नक्शा तैयार किया जाता है उस का बारीक अवलोकन किया जाता है। इन तसवीरों में से कुछ तसवीर Intra-Operative, Microscopic, Endoscopi और Multi-modality imaging,

Immunohistochemistry Molecular & Optogenetics, Stem cell और इन्सानी जिस्म के झर्रात और् इन्जीनीयरींग के ज़रीये मगज़ और रीढ़ की हड्डी की बनावट और इस के काम करने के तरीके पर गौर किया जाता है।

इश टेकनोलोजी से दिमाग के विविध हिस्सों में आने वाले विविध विचार और एहसास के अलग अलग नकशे तैयार किया जाते हैं।

इस मकसद(आशय) की प्राप्ति के लीये दिमाग की बनावट और काम करने का तरीके के बारे में functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), diffussion MRI (dMRI), Magnetoencephalography (MEG), Electroencephalography (EEG), Positron Emission Tomography (PTE) Near-infrared Spectroscopy (NIRS) और ईन्सानि सिहत व बीमारी, याद शक्ति, शीक्षा का तरीका, उमर और विविध लोगों पर विविध दवाओं के असर को मालूम करके मगज़ की इन रगों और ज़र्रात की तसवीरों से मीलकर एक नकशा तैयार होता है और उस के ज़रीए इन्सान के जौक, अज़ाइम वगैरह को मालूम करने की कोशिश की जाती है।

इ.सने १९८० में अकवामे मुत्तहिदा की मेडीकल सायन्स एकेडमी ने दिमाग और उसकी कुव्वते मुदरिका पर मुतालआ के लीये एक टीम बनाई थी।

ब्रेईन मेपींग की कानूनी हैसियत

५ मे २०१० को सुप्रिम कोर्ट ने अपने एक जजमेन्ट में नार्कोटेस्ट, लाई डीटेक्टर और ब्रेईन मेपींग को सरासर गैरकानुनी और बंधारण की कलम (आर्टीकल) २० (३) की खिलाफ़ वर्जी़ कहा है।

किसी भी शख्स को इन टेस्टों के लीये मजबूर नहीं किया जा सकता और इस की कानूनी कोई हैसियत नहीं है। अलबत्ता अगरकोई शख्स अपनी रज़ामंदी से ये टेस्ट करवाए तो उस की ईजाज़त है और कलम २७ के तहत इस को सुबूत की हैसियत से भी देखा जा सकता है।

आईये अक्षरधाम हम्ले की हकीकत खुद सींघल साहब की ज़बानी पढीये।

हम्ले की कहानी मी. सींघल की ज़बानी (F.I.R.)

मैं गीरीशकुमार लक्ष्मणभाई सींघल, उमर : ३७, रहाइश : गांधीनगर, कारोबार : नोकरी, बज़ात खुद हाज़िर हो कर मेरी फरीयाद व हकीकत बता रहा हुं के मैं इलाकाई पुलीस कमिश्नर गांधीनगर की हैसीयत से तारीख २४-११-२००१ से फर्ज़ अदा कर रहा हुं। नीज़ गांधीनगर शहर मेरा अमली मैदान है। और गांधीनगर में स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदीर मेरी तय की हुई हद में शामिल है।

मैं ता २४-०९-२००२ के रोज़ शाम तकरीबन १६:५० (०४:५०) को मेरी ओफीस में हाज़िर था, उस वक्त ये खबर मिली थी के अक्षरधाम मंदीर में दो अनजान लोग फायरींग कर रहे हैं, और कुछ लोगों के मारे जाने की खबर मिली थी। ये खबर मिलते ही मैं अपने साथ के पुलस ओफिसर के साथ फौरन अक्षरधाम के लीये रवाना हो गया था। और ये खबर दूसरे अफसरान को भी मिल चुकी थी, इसलीये वोह लोग भी अपने तौर पर अक्षरधाम पहोंचने के लीये रवाना हुवे थे। मैं शाम १७:०० (०५:००) बजे अक्षरधाम पहोंचा था। उस दौरान दुसरे ओफिसर जिस में गांधीनगर पुलीस सुप्रिन्टेन्डन्ट श्री आर.बी.ब्रह्मभट्ट, श्री जे.के.भट्ट (S.P. रेलवे) सेक्टर २१ के पुलीस इन्सपेक्टर श्री पी.आर.महेश, सेक्टर ७ के पुलीस इन्स. श्री डी.पी.चावडा और गांधीनगर पुलीस स्टेशन के दुसरे लोग भी आ गये थे। मैंने रवाना होत वक्त गांधीनगर सेक्टर २१ पुलीस स्टेशन, सेक्टर ७ पुलीस स्टेशन, L.C.B.(लोकल क्राईम ब्रान्च) के पो.इन्स श्री वी.आर.टोलीया, नीज़ हमारे इलाके के अडालज, पेथापुर, डभोला, कलोल और माणसा पुलीस स्टेशनों के अमला को भी अक्षरधाम पहोंचने के लीये कहा था, और वोह भी पहोंचना शुरु हुवे थे। मैं जब अक्षरधाम पहोंचा उस वक्त हमारे उच्च अधीकारी ने गांधीनगर रेन्ज के आई.जी.पी. श्री प्रमोदकुमार सा. पुलीस निगाने आअला (महा निदेशक) श्री चक्रवर्ती सा.,

एडीशनल D.G.P. (कानुन व निज़ाम, कायदा-व्यवस्था) श्री मणीराम सा., नीज़ I.G.P. श्री वी.वी. रबारी सा. वैगैरह मौजूद थे औरD.G.P साहब के हुकुम के मुताबिक S.R.P. कमान्डोज़ ओर A.T.S. के अधीकारी वगैरह को भी फौरी तौर पर अक्षरधाम पहोंचने की खबर दे दी गई थी. अक्षरधाम पहोंचते ही वहां के दाईमी कार्यकर्ता श्री निशीतभाई कनुभाई आचार्य और दुसरे भगतों ने मुलाकात करके बताया के अंदाज़न १६:३० (०४:३०) बजे के अरसे में अक्षरधाम के गेट नं.३ की तरफ से आतंकवादी जैसे लोग कूद कर अंदर घुसे थे और उन्होंने शुरुआत में बच्चो की गेम्स, राईड्स, टोराटोरा की जानिब से अंधाधुनी फायरींग और हेन्ड ग्रेनेड फेंकने शुरु कीये थे। इस तरह (फायरींग और धमाके) करते हुवे मंदीर के गेट नं.२ पर आए थे और वहां जो श्रद्धालु दर्शन के लीये आए थे उन पर फायरींग की थी, और बोंब फेंके थे, और मंदीर की असल इमारत की जानिब आगे बढ रहे थे जिस की वजह से मैंने यानी निशीतभाईने इन्टरकोम टेलीफोन से मंदीर के कार्यकर्ता को मंदीर के दरवाज़े अंदर से बंद कर देने के लीये केहने पर हमारे कार्यकर्ताओने दरवाज़े बंधकर दीये थे। जिस की वजह से ये लोग सच्चीदानंद नुमाईशी होल नं.१ की जानिब गए थे और वहां भी फायरींग करके दर्शनार्थी, भक्तो, औरतो, बच्चो वगैरह को ज़ख्मी किया था। और इस तरह लोगों में दहशत और खौफ़ व हरास का माहोल खडा हो गया था और भागाभाग शुरु हो गई थी, इस दरम्यान अभी ये दहशतगर्द सच्चीदानंद होल के पास में कहीं छुपे हुए है और अब तक ज़ख्मी और ह़लाक होनेवाले वैसे ही पडे हुवे हैं और अंदाज़न ३५ से ४० लोग असल मंदीर में और १५० जितने लोग मल्टीमीडीया होल में फंसे हुवे हैं।

इस तरह बयान की हकीकत जानने के बाद और इस दौरान C.I.P.E के D.I.G. और उपर बयान गीये गए सीनीयर अधीकारी, पुलीस फोर्स और S.R.P. कमान्डो वगैरह भी आ गये थे। नीज़ दहशतगर्द अब तक ईसी ईलाके में छुपे हुवे थे और फंसे हुवे दर्शनार्थी, भक्तो को इज़ारसानी या बान में रख कर नाजाईज़ मुतालबात के अंदेशे के पेशे नज़र D.G.P. साहब की हुक्म के मुताबिक पेहले इन फंसे हुवे

लोगों को हिफ़ाज़त से बाहर निकालने का लाएहाए अमल तय किया था और उस के मुताबिक फंसे हुवे लोगों को पुलीस की हिफ़ाज़त में सलामती से बाहर निकाला गया था और पुलीस फोर्स और अधीकारी और एस.आर.पी. जवान वगैरह के ज़रीये सबसे पहले मंदीर की इमारत को चारों तरफ़ से घेर लीया गया था और दहशतगर्द भाग न सके एसा इन्तिज़ाम किया गया था।

इस दौरान साथ ही साथ ज़ख्मीयों को और हलाक की लाशो को पुलीस के सहकार से एम्ब्युलन्स में होस्पिटल पहोंचाने का इन्तिज़ाम किया गया था। इस दौरान शाम को तकरीबन १९:०० (७:००) बजे बचाव कारवाई का पेहला तबका पुरा होने पर दहशतगर्दों की तलाश की गई थी और ये खबर मिली थी के ये दहशतगर्द हथीयारों से लैस सच्चीदानंद होल के करीब से गुज़र कर (परीक्रमा) के रास्ते में ब्रीज पर दो गुंबजो के बीच छुपे हुवे हैं। जिससे उन लोगों को शिकंजे में लेना ज़रुरी था। नीज़ ये लोग ज़मीन की सतह से १०-१२ फीट बुलंदी पर छुपे हुवे होने की वज़ह से उन्हें तलाश करने और जेर करने की सख्त ज़रुरत को लेकर I.G.P. श्री वी.वी. रबारी साहब ने अपनी रज़ामंदी से हम्ले की कियादत कबुल करते हुवे बज़ाते खुद और पुलीस सुप्रिन्टेन्डन्ट श्री.आर.बी.भट्ट साहब और उनके S.R.P. कमान्डोज़ के तकरीबन ४ जवान हथीयारों से लैस हो कर ये दस्ता (परीक्रमा) की राह पर हम्ले के लीये रवाना हुवा। ये अधीकारी और जवान परीक्रमा के रास्ते से गेट नं. २ करीब रास्ते के कनारे से उपर चढ कर ज़मीन से पेट घसीटते हुवे सच्चीदानंद होल के करीब परीक्रमा के रास्ते में वाकेअ दो छोटे गुंबजों से तकरीबन ४० से ५० फीट की दुरी पर पहोंचे थे के इन दहशतगर्दों में से एक ने अपनी ए.के.५६ ओटोमेटीक राइफल से इस 'हम्ला पार्टी' पर फायरींग शुरु की। जिस के जवाबमें इस 'हम्ला पार्टी' के अधीकरीओं ने भी जवाबी फायरींग की। उस वक्त दहशतगर्दोंने 'रेपीड फायरींग' से इन अधीकरी और जवानों पर अंदाज़न २५ जितनी गोलीयां चलाई थी और उस के बाद आड में छुप गए थे। एक दो मिनट बाद दो दहशतगर्दों ने दूर से अपनी ए.के.५६ रायफलों से दीवार की आड़ में रह कर इस हम्ला पार्टी पर

दोबारह ३० जितने फायर किये थे। जवाबन हम्ला पार्टी के अफ्सरान व जवानों ने भी सामे फ़ायरींग की थी जिस की वजह से दहशतगर्द फिरसे दिवार की आड ले कर छुप गए थे। और इस तरह पुलीस और दहशतगर्दों के दरम्यान क्रोस फायरींग हुई थी और दहशतगर्द मंदीर की ईमारत की छत और दीवारों के बीच छुप गए थे और मंदीर के शिमाल मगरिब (उत्तर-पश्चीम) कोने की तरफ पनाह ली थी और वकफे वकफे से पुलीस अमला पर फायरींग और् हेन्ड ग्रेनेट के हम्ले जारी रखे थे।

इस दौरान भाग न जाए इस आशय से मंदीर के गेट नं.२ से पश्चीम की जानिब इमारत के करीब की चार दीवारी (कंपाउन्ड वॉल) में जियादा लोगों को तैनात करने की ज़रुरत के पेशे नज़र लगभग रात के २१:०० (९:००) बजे के अरसे में गांधीनगर L.C.B पुलीस ईन्स. श्री वी.आर.टोलीया और S.R.P. के जवान मुहसरे के लीये बढे, जिन पर दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से हम्ला किया था। जिससे एस.आर.पी. जवान ज़ख्मी हुवे थे। जिस की वजह से उन की हिफ़ाज़त व बचाव के साथ मुहासरे की कारवाही जारी रखी गई थी। और ज़ख्मी होनेवाले पुलीस अमलदारों को इलाज के लीये गांधीनगर होस्पिटल भेज दिया गया था।

इस तरह पुलीस और दहशतगर्दों के दरम्यान मुठभेड जारी रही थी। ईसी अस्ना में तकरीबन २२:३० (१०:३०) बज एडीशनल D.G.P. श्री मणीराम सा., पुलीस सुप्रिन्टेन्डेन्ट श्री आर.बी. ब्रह्मभट्ट सा. अपने साथ पुलीस सब इन्स श्री डी.पी.चुडासमा और पुलीस अमला और S.R.P. के साथ मंदीर के गेट नं. २ से पश्चीमी तरफ की कंपाउन्ड वॉल के करीब मुहासरे की कार्यवाही के लीये जा रहे थे के मंदीर की इमारत में से दहशतगर्दों ने अंधाधुन फायरींग की, जिस से श्री ब्रह्मभट्ट सा.का हाथ फायरींग से ज़ख्मी हुवा था। इसी तरह उन के साथी दुसरे पुलीसवालों को और एक पुलीस सब इन्सपेक्टर को भी इजाएं हुई थी। जिस की बिना पर बचाव कारवाई करते हुवे ज़ख्मियों को होस्पिटल भेज दिया गया था। और जैसे जैसे मज़ीद पुलीस फोर्स हासिल होती रही वैसे वैसे मंदीर के अतराफ़ में मज़बुत मुहासरा किया गया।

इस तरह मज़कुरह कारवाही जारी थी उस दौरान उच्च अधीकारी की जानिब से देहली (दिल्ही) से नेशनल सिक्युरीटी गार्ड (N.S.G.) के ओफिसर और जवानों को अपने हथीयारों समेत प्लेन से गुजरात पुलीस की मदद के लीये बुलाया गया था, ईस लीये ये मुहासरा जारी रखा गया और दहशतगर्दों को पब्लीक एड्रेस सीस्टम (अवाम को मुखातब करने के आलात) से बार बार अपने आपको पुलीस के हवाले कर देने के लीये कहा गया। लेकिन उन्होंने पुलीस की दरखास्त पर कुछ ध्यान नहीं दीया था और मुसल्सल पुलीस पर हम्ले जारी रखे थे। उन्हें कहा गया था के अगर वोह अपने आपको पुलीस के हवाले कर देंगे तो पुलीस उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहोंचाए वगैर कानुनी कार्यवही करेगी। लेकिन उन्होंने पुलीस की अर्ज़ पर घ्यान दिए बगैर हम्ले जारी रखे।

ईस तरह गुजरात पुलीस ने व्युहरचना के तहत मुहासरह करते हुवे, वोह लोग भाग न जाए उस का खयाल रखते हुवे नेशनल सिक्युरीटी गार्ड का इन्तिज़ार करते हुवे बंदोबस्त जारी रखा था।

इस दरम्यान रात में २३:१५ (११:१५) बजे के अरसे में नेशनल सिक्युरीटी गार्ड के ब्रिगेडीयर श्री राजसीतापती सा. के नेतृत्व में कमान्डो की टीम आ पहोंची थी। जिस की बिना पर सीनीयर अधीकरी ने उस वक्त मंदीर के कार्यकरताओ और स्वामीश्रीओं की मदद से इन मंदीर की इमारत, प्लान और मंदीर के मोडल प्लान (तामीरी नकशा) को सामने रख कर इश इलाके की जुगराईयाई सूरते हाल का अन्दाज़ा पेश किया था और दिन दौरान बने हुवे हालात से उन्हें वाकिफ किया था।

इस तरह रात के ४:०० बज गए थे। और आज रोज़ तारीख २५-०९-२००२ को....बेज से इन कमान्डोज़ ने मकामी पुलीस को साथ रख कर दहशतगर्दों को ताबेअ करने की कारवाही शुरु की थी और एन.एस.जी. कमान्डोज़ को इस कामों में लगा दिया गया था। N.S.G. कमान्डोज़ ने भी दहशतगर्दों को अपने आपको हवाले कर देने की अर्ज़ की थी। लेकिन उन्होंने मानने से इन्कार कर दिया था और

N.S.G. कमान्डोज़ और पुलीस पर हम्ले जारी रखे थे। जिस के जवाब में N.S.G. कमान्डोज़ ने भी जवाबी फायरींग जारी रखी थी और इस तरह N.S.G. कमान्जोज़ और दहशतगर्दों के बीच आमने सामने फायरींग और हम्ले जारी रखे थे। ये कारवाही अव्वल सुब्ह तक जारी रही थी। और इस दौरान दहशतगर्दों ने मुसलसल हम्ले जारी रखे थे जिस के जवाब में एन.एस.जी. के जवानो ने भी पुलीस फायरींग जारी रखी थी और आखिरकार अन्दाजन सुब्ह '७:१५' बजे दिन की रोशनी होते ये दोनो दहशतगर्द पुलीस (N.S.G.) के साथ ही मुठभेड में मारे गए थे।

दहशतगर्दों के पास N.S.G. कमान्डो ने हथीयार, दारुगोला और दीगर चीजें यादी बनाकर पेश कीये जाने पर कब्जे की थी।

अब तक खबर के मुताबिक स्टेट कमान्डो फोर्स श्री अर्जुनसींह एस.गामेती, और S.R.P. ग्रुप नं ३ के श्री ए.एच. कुनडजाम और N.S.G> कमान्डो के मानसींह सुरेशकुमार की दहशतगर्दाना हम्लेमें मौत वाकेअ हुई थी और दुसरे २३ पुलीस ओफिसर व जवानो को दहशतगर्दों के फायरींग और ग्रेनेड हम्ले में सख्त ईज़ाए हुई थीं। इस के अलावा दहशतगर्दों के हम्ले में अब तक औरतों, मर्दों, और बच्चे कुल मीला कर २६ लोगों की मौतें हुई थी। जिन में मंदीर के महंत परमेश्वर स्वामीजी की भी मौत हुई थी और श्रद्धालु, भक्ततो, जिन में औरतों, मर्दों, बच्चों समेत कुल ५१ शहरीयों को इज़ाए हुई थी।

इस तरह इन दहशतगर्दोंने पहले से प्लानींग व तैयारी के साथ हम्ला कर के मज़कूरह हलाकतें और इज़ाएं की है।

इन दहशतगर्दों के साथ मुठभेड में जिन पुलीस जवानों और अफसरों ने फायरींग की थी उन की तफसीलात उन जवानों और अफसरों से मालुम की जा सकती है। इसी तरह N.S.G. कमान्डो के फायरींग और उनकी कारवाई की तफसीलात उन से मालुम की जा सकती है। पुलीस अफसरान के साथ जो जो जवान इस कारवाही में शामिल थे उन के नाम वोह अफसरान दे सकते हैं।

इस तरह इन दहशतगर्दों ने पहले से तयशुदह गुनाह की साज़िश रच कर अपने इरादे की तकमील के लीये जदीद हथीयारों और धमाकाखेज़ दारुगोला से मुसल्लेह होकर और गैरकानुनी तौर पर हथीयार व दारुगोले का कब्ज़ा करते हुए श्रद्धालुओ, भक्तों, अवाम, पुलीस जवान व अफसरान पर गोलीबार करके और धमाकाखेज़ माद्दा फेंक कर और उन को हलाक कर के, कत्ल, कल्त की कोशीश, सख्त इज़ाएं पहोंचा कर और मज़हबी ईबादतगाह को नुकसान पहोंचाकर, मज़हबी इबादतगाह में दाखिल होकर श्रद्धालुओ, भक्तों का कत्ल कर के और ज़ख्मी कर के उन के जज़बात को ठेस पहोंचाई, मज़हबी इबातदहाह में गैरकानुनी तौर पर दाखिल होकर और दहशतगर्दाना कारवाही कर के अवाम में देहशत फैलाकर गुनाह करने के सबब उन के खिलाफ इन्डीयन पीनल कोड कलम 120 B, 302, 307, 153 A, 451 आर्मस् एक्ट कलम 25(1) (A.A.) नीज़ एक्सप्लोज़ीव सबस्टेन्स एक्ट (धमाकाखेज़ माद्दा) की कलम 3, 7 नीज़ बी.पी. एक्ट की कलम 135(1) के मुताबिक गुनाह करने के सबब इस पुलीस फायरींग में मारे गए दो अन्जाने दहशतगर्दों और दौराने ईनवेस्टीगेशन इस साज़िश में शामिल जो भी नाम सामने आएं उन के खिलाफ मेरी फरीयाद है।

इतनी मेरी फरीयाद, हकीकत मेरे लिखाने के मुताबिक बराबर और सहीह है।

दस्तखत

(मी.) जी.एल.सींघल

SD. PO. G.N.R.

ये अक्षरधाम मंदिर पर हम्ले की मुख्तसर तफसीलात थी। इस केस का मज़ीद इजमाली खाका ये है:

- तारीख २४-०९२००२ बरोज़ मंगल हादसा हुवा। इस हम्ले में तीन पुलीस समेत ३३ अफरात हलाक और २३ पुलीस समेत ८६ अफराद ज़ख्मी हुवे।

- तारीख २४-०९-२००२ सुब्ह सवेरे देहशतगर्द मारे गये। तारीख २५ को N.S.G. कमान्डो ने ओपरेशन 'व्रज शक्ति' की काम्याबी बाद अक्षरधाम और मंदिर और इहाता गुजरात पुलीस के हवाले किया।
- तारीख २४-०९-२००२ को एफ.आई.आर. १.सी.आर. नंबर 314/2002 गांधीनगर सेक्टर २१ पुलीस स्टेशन में दर्ज की गई।
- तारीख २५-०९-२००२ रोज़ केस की जांच L.C.B. गांधीनगर के P.I. वी.आर.टोलीया को दी गई।
- तारीख ३-१०-२००२ को केस की जांच A.T.S. को सुपुर्द की गई.
- हादसे के तकरीबन ११ महीने बाद तारीख २८-०८-२००३ को क्राईम ब्रान्च के केहने के मुताबिक केस की जांच अहमदआबाद सीटी क्राईमब्रान्च को सुपुर्द कर दी गई। उसी रोज़ P.W.50 का बयान लिया गया औ मुझे और दुसरे चार लोगों को तारीख २९-०८-२००३ गिरफतार कर लिया गया। (हालांके हकीकत कुछ और है जो मैं आगे बयान कर चुका। संक्षिप्त मे ये के मुझे १७ ओगष्ट से और दूसरे लोंगो को मुझ से भी पहेले से गैरकानुनी तौर पर उठा लिया गया था। और निहायत ही बहीमाना व ज़ालिमाना तशद्दुद के बाद इस केस में फंसा दिया गया था और ज़ुल्म और धोके से कबुलातनामे ले लीये गये थे।)
- तारीख ३०-०८-२००३ को पोटा लगाई गई और् इस केस को पाटे केस नं. 16/03 के नाम से रजीस्टर्ड किया गया।
- तारीख २१-११-२००३ को हमारे खिलाफ़ पोटा के तहत केस चलाने गृह खाते की जानिब से मंज़ुरी दी गई (मंज़ुरी से पेहले ही हम पर पोटा लगा दी गई थी !!!)
- तारीख २५-११-२००३ को मेरे और दुसरे लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाईल की गई, जिस में ३७६ गवाह बताए गए थे।

- तारीख १७-०६-२००४ को चार्ज फ्रेम किया गया।
- दौराने सिमाअत तकरीबन १२६ गवाहों को जांचा गया और तारीख ०१-०७-२००६ को स्पे. पोटा कोर्ट ने जजमेन्ट दिया जिस में मुझे, आदम सुलेमान और चांदखान को फांसी, सलीम हनीफ को उमर कैद ता दमे हयात, मौल्वी अब्दुल्लाह को १० साल कैद और अल्ताफ़ मलेक को ५ साल की सज़ाए सुनाइ गई और जुर्माना आइद किया गया।
- इस जजमेन्ट के खिलाफ़ हाईकोर्ट में तारीख ३१-०७-२००६० को अपील की। और गुजरात सरकार कन्फर्मेशन के लीये गई। तारीख ०१-०६-१० को हाईकोर्ट ने अपना जजमेन्ट दिया और तमाम सज़ाओ को बरकरार रखा।
- तारीख ०६-०८-२०१० को सुप्रीम कोर्ट में हमारी जानिब से एस.एल.पी. फाईल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मज़ुर किया और फांसी पर स्टे दिया।
- तारीख २०-११-२०१३ से सुप्रिम कोर्ट में फ़ाईनल आर्ग्युमेन्ट शुरु हुवे और तारिख १५-०१-२०१४ को हमारे आर्ग्युमेन्ट मुकम्मल हो गए। उस के बाद तारीख ०१-०४-२०१४ से सरकारी वकील ने आर्ग्युमेन्ट शुरु कीये और १७-०४-२०१४ को सरकारी वकील के आर्ग्युमेन्ट भी पुरे हो गए।
- अलग अलग स्थित में केस की सिमाअत के बाद नामदार सुप्रीम कोर्ट ने तारीख १६-०५-२०१४ जुम्आ के रोज़ बेमिसाल इन्साफ़ करते हुवे अपना जजमेन्ट दिया और हम तमाम को बाईज्जत बरी कर दीया।

मेरे खिलाफ इल्ज़ामात, गवाह व सुबूत और उनपर सुप्रिम कोर्ट का तबसेरह

क्राईम ब्रान्च ने मेरे खिलाफ ये इल्ज़ामात आईद किये

- मैंने (और मौ.अब्दुल्लाह सा.ने) आदम अजमेरी व दुसरे हज़रात को इश काम में आगे बढने की सलाह दी औऱ मकामी मदद का यकीन दिलाया। औऱ आदमभाई ने मेरे हुक्म पर फिदाईन को अलग अलग जगाओं पर रेकी करवाई
- फिदाईन के पास से बरामद हुई दो उर्दू चिठ्ठीयां मैंने लीखी थी जीन में फसाद भडकाने औऱ फिरकावाराना मुनाफरत फैलानेवाली बातें लीखी थी
- मैंने उन फिदाइन को शहादत व काम्याबी की नमाज़ पढाइ

गवाह व सुबुत

★ P.W.88 के.सी. कपूर (प्रीन्सीपल होम सेक्रेटरी)	पोटाके तहत केस चलाने की ईजाज़त दी थी
★ मेरा कबुलातनामा	
★ P.W.78 A.C.P. संजय गढवी	बकौल क्राईम ब्रान्च इन्होंने मेरा कबुलातनामा दर्ज किया था.
★ P.W.99 सी.जे.एम. सुरेशकुमार पाध्या	बकौल क्राईम ब्रान्च इसने कबुलातनामे की पुष्टी की
★ दो उर्दू चिठ्ठीयां	
★ P.W.91 मेजर जयदीप लांबा	दो उर्दू चिठ्ठीयों की बरामदी के गवाह
★P.W.121 मलेक बापु	उर्दु चिठ्ठीयों का तरजमा किया था।

★ P.W.89 हेन्डराईटींग एक्सपर्ट जे.जे.पटेल	उर्दु चिठ्ठीयों में मेरे ही राईटींग होने का ओपीनयन दीया था।
★ P.W.51 अ.रहमान पानारा	बकौल क्राईम ब्रान्च हम्ले की साज़िश में शरीक गवाह
★ P.W.52 मुनाफ रेडीयर	बकौल क्राईम ब्रान्च हम्ले की साज़िश में शरीक गवाह

(१) आईये सब से पेहले पोटा के तहत केस चलाने की ईजाज़त देनेवाले गृहखाता, गृहमंत्री, मुख्य गृहसचीव इन तमाम के मुताल्लिक सुप्रिम कोर्ट का तबसेरा देखीये, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि....

''इस से ये बात साफ हो जाती है के इन लोगों ने पोटा के तहत केस चलाने की मंजूरी देने में अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया।''

(सुप्रिम कोर्ट जजमेन्ट, पेज नं. १०९, गुजराती तरजमा पेज नं. ६८)

(२) **आईये अब मेरा कबुलात नामा देखीये .....**

क्राईम ब्रान्च की स्टोरी के मुताबिक मुझे अपने इस जुर्म पर शर्मींदगी और नदामत का एहसास हुवा और मैंने तारीख २४-०९-२००३ को अपनी रज़ा और रगबत और खुशी और समझदारी से इस के नुकसानात से वाकिफ होते हुवे वगैर किसी धाक धमकी या लालच के ये कबुलातनामा दिया। क्राईम ब्रान्च के केहने के मुताबिक मैंने उन से कहा के मुझे ए.सी.पी. गढवी के पास ले चलो। मैं अपना जुर्म कबुल करना चाहता हुं, मेरे केहने पर वोह लोग मुझे ए.सी.पी. संजय गढवी सा. के पास ले गए!! और मैंने इस तरह का कबुलातनामा दिया।

मेरा नाम अब्दुल कय्युम उर्फ मुफ्ती साहब --- अहमदहुसैन मनसुरी, उमर:३२ साल, कारोबार : मदरसा में तालीम देता हुं। मकाम : माढ का मोहल्ला मस्जिद बिल्डींग, दरीयापुर, अहमदआबाद

रुबरु में पुछने पर लिखा रहाहुं के मैं उपर बताए पते पर मेरे खानदार के साथ

रहता हुं, और हाजीसखी की मस्जिद में इमामत और इस मस्जिद में चल रहे मदरसे 'मदरसा तरबीय्यतुल अत्फाल' में तालीम देता हुं । मैंने दुन्यवी तालीम सातवीं क्लास तक हासिल की है, इसी तरह डाभेल के मदरसा ''जामिअह इस्लामिय्यह तअलीमुद्दीन'' में मुफ्ती तक की तअलीम हासिल की है। मुझे गुजराती, हिंदी, उर्दू, अरबी ज़बान आती है, इसी तरह थोडा फारसी और इंग्लीश भी जानता हुं।

पीछली तारीख २७-२-२००२ के दीन गोधरा ट्रेन हादसा और उसके बाद गुजरात और खुसूसन शहर अहमदआबाद में हुवे कौमी फसाद के दरम्यान हम दरीयापुर चारवाट पर स्थित बवाहीर होल पर मुतअस्सीर मुसल्मानों के हालात और उन के आसपास में जान माल की हुई तबाही को सुन कर केम्प में (खिदमत के लीये) आने वाले ज़िम्मेदारों में भी गमो गुस्सा और इश्तिआल के जज़बात फैले हुवे थे।

दरम्यान अप्रैल २००२ के शुरु में एक दिन दोपहर के वक्त चारवाट अ.रज्ज़ाक के रोज़े के करीब रहनेवाला नासिरखान उर्फे डोमन छत्तेखान पठाण अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर मेरे पास आया था, उस वक्त बवाहीर होल के बाहर दरवाज़े से लग कर झनकार साउन्ड की दुकान में हमारी ओफीस थी, उस वक्त मेरे पास हाजीसखी की मस्जिद के इमाम मौ.अब्दुल्लाह सा. मौजूद थे । उस वक्त नासिर ने कहा था के ''ये आदमभाई शाहपुर से आए हैं और मेरे दोस्त है। '' इस का भाई सउदी अरब के रियाधमें रेहता है और अपने मुसलमान भाईयों के लीये कुछ बात करना चाहता है, इस तरह केह कर उसने आदम को तफसील से बात करने के लीये कहा । आदम ने कहा : ''सउदी में गुजरात और खास अहमदआबाद के मुसल्मानों का एक ग्रुप है, वोह लोग मेरे भाई अ.रशीद और दरीयापुर कंकोडी की पोल के बाशिन्दे सलीम शेख वगैरह की सदारत में वहां कुछ दहशतगर्द संगठन को चंदा जमा कर के देते हैं। जिस की बिना पर मौजूद हालात में यहीं के मुसल्मानों की बरबादी देखकर दहशतगर्द संगठन के ज़िम्मेदार बदला लेने के लीये यहां के हिन्दुओं की गीच आबादीवाली किसी जगा पर वडी कातिलाना वारदात के लीये तैयार हुवे हैं

वोह लोग ये कातिलाना वारदात (हत्याकांड) को अंजाम देनेवाले दहशतगर्दों (फिदाईन), हथीयार और चंदा भी देंगे।''

''हमें सिर्फ उनके कयाम व तआम (खाने और रहने)और महमान नवाज़ी की सहूलतें पुरी करनी है। इसी तरह कत्ले आम के लीये उनके साथ रह कर इलाकों का सर्वे करने के लीये उन्हें जगाएं बतला कर मदद करनी है।''

आदम की ये बात सुन कर मैंने उसे होल के अन्दर उपर पेहली मन्ज़ील पर रीलीफ केम्प की औफीस में जाकर और्गेनाईज़र अ.रहमान पानारा से मुलाकात के लीये कहा । वोह दोनों उस से मिले और कुछ देर के बाद नासिर डोमन, आदम अजमेरी, अ.रहमान पानारा और मुनाफ़ रेड़ीयेटर ये चारों हज़रात ये बाते लेकर मेरे पास आए थे । इस लीये मैंने अ.रहमान को मकान और दुसरी ज़रुरीयात का इन्तिज़ाम करने के लीये, इसी तरह आदम को आनेवाले महेमानों (दहशतगर्दों) को रिक्षामें साथ घुमा कर सर्वे में मदद करने के लीये कहा था। उस वक्त हत्याकांड को अन्जाम देने के लीये आनेवाले लोगों के लीये हमने 'महमान' का कोडवर्ड इस्तिमाल करना तय किया था।

उस के बाद दो तीन दिन में ही ओफीस में इस सिलसिले में हमारी मीटींग होती थी । (पेहले मीटींग के बाद) से मुनाफ रेडीयेटरने मीटींग में आना बंद कर दिया था। उस दौरान हमारा सउदी राब्ता जारी था। इस काम के लीये शुरुआत में आदम ने सउदीवालों को ये बात करने के लीये नासिर डोमन के घर् का फोन नं : २१६८४७८ और मोबाईळ नं. ९८९८१७२२४५ दिया था। उस के बाद बवाहिर होल पर गोटलावालों का नंबर २१७६७६८ दिया गया था । नीज़ बाद में अलग अलग स्थिति में अलग अलग नंबर दीये थे। चुनान्चे हमारी ओफीस में जून महीने में ह्युमन वेल्फेर सोसायटी के नाम से दो फोन लीये थे जिन के नंबर्स (१) २१६३०९७, (२) २१६३१०२ थे । ईसी तरह में उस वक्त अय्युब खान का मोबालि फोन (नं . ९८२५१५८७५१) इस्तिमाल करता था। ये सारे नंबर्स दीये थे। नीज़ यहां से सउदी

बात करने ले लीये सलीम के दो नंबर (१) 009661428531 (१२ आंक) (२) 0096614286985 और उस के बाजुमें लोन्ड्री वाले का P.P. फोन नं. 0096614243245 ईसी तरह अबु तल्हा का मोबाइल फोन नं 0096652745138 दिये थे जिन से कोन्टेक्ट जारी था (क्राईम ब्रान्च की अकलमंदी देखीये कहीं १२ और कहीं १३ आंकडे के फोन नंबर्स है)

इस दौरान आदमने बताया था के दहशतगर्द जिहादी संगठन का ज़िम्मेदार खालिद हिन्दुस्तान आया हुवा है। सउदी से उन्होंने उसे हैदराबाद जाकर मिलने की सलाह दी है। इस लीये आदम ने किसी को अपने साथ ले जाने की मांग का थी। उस वक्त हम राहत केम्प में मश्गूल होने की वजह से मैंने आदम को अपने किसी दोस्त को हैदराबाद ले जाने के लिये कहा। जिस पर आदम अपने पडोसी अ.वाहिद को लेकर हैदराबाद हो आया था। जाने से पहले सलीम के भाई इरफान के ज़रीये उस के खर्च के लीये ३०००/ मीले थे ऐसा आदम ने बताया था।

आदमने हैदराबाद से वापसी पर मुझे बताया के ''हैदराबाद में दहशतगर्द संगठन के जिम्मेदार खालिद के साथ उस की मीटींग हुई थी। उस वक्त खालिद ने ''अय्युबखान'' नामी एक शख्स से पेहचान कराई थी। आदम को हैदराबाद में भी ३०००/–रु खर्च के और ५००/–होटल के किराये के मिले थे ऐसा उसने बताया था।''

उसके बाद भी हमारी मीटींगे और रीयाध मकाम पर टेलीफन से कोनटेक्ट जारी रहा। उस दौरान एक महीने के बाद यानी मे–२००२ के आखरी हफ्ते में आदम को सलीम व रशीद की हिदायत के मुताबिक यहां की चंगेज़ पोल के बाशिन्दे ईलाही मास्टर की मारफत खर्च के १०,०००/– मौसुल हुवे जिस में से मकान वगैरह के इन्तिज़ाम के लीये अ.रहमान को ५,०००/ नासिर डोमन को दो सेकन्ड हेन्ड मोबाईल खरीदने के लीये मेरे सुजा़व के मुताबिक दिये थे। इन तमाम वक्त में मौ.अब्दुल्लाह मेरे साथ रेहते और हम दोनों आपस में मशवरा करते और फैंसले करते थे।

उस के बारह दिन के बाद यानी जून के दूसरे हफ्ते में आदम को सउदी से बज़रीयए हवाला ५०,०००/– मिलने की बात उसने बताई थी। जिन में २०,०००/– उनके ,सुजा़व के मुताबिक इलाही मास्टर को दीये थे। और् १५,०००/– महमानों के लीये मकान किराये पर रखने और दूसरे इन्तिज़ाम के लीये अ.रहमान को देने की बात आदम ने कही थी।

उस के बाद मैंने **<u>हैदराबाद से आनेवाले महेमानों</u>** के रुकने के लिये किराये के मकान का इन्तिज़ाम करने की दीये हुए सुजा़व के मुताबिक अ.रहमान ने अपने एक दोस्त लियाकत की द्वारा दानीलीमडा पुराने ढोरबाज़ार के करीब तैयार स्कीम के मकानों में से एक मकान किराये पर रख कर वहां गद्दे, बिस्तर, पानी भरने का नला और पंखों का इन्तिज़ाम कर रखा था ऐसा अ.रहमान ने बताया। उस अरसे में नासिर डोमन ने दो सेकन्ड हेन्ड मोबाईल इन्स्टुमेन्ट लेकर अ.रहमान को दिये थे और अ.रहमान को वोह फोन चालु रखने की हिदायत दी थी, चुंकी हैदराबाद से आनेवाले महेमानो को फोन नं. (१) ९८२५३४७९६३ जो अ.रहमान ने अपने पास रखा था और दूसरा अपने दोस्त महमूद वढवाणी को दिया था जिस का नंबर ९८२४३४७१५७ था। ये नंबर्स सउदीवालों की जानिब से उन्हें (महेमानों को) दीये ये थे इस लीये कभी भी कान्टेक्ट किया जा सकता था।

कुछ वजाह की बिना पर महेमान के ना आने पर अ.रहमान इस काम से अलग हो गया था, जिस की बिना पर हमने दूसरी जगा मकान का इन्तिज़ाम करने का तय किया था।

<u>इस दौरान अ.रहमान, नासिर डोमन और मुनाफ़ रेडियेटर के दिमाग से इस बात को निकाल देने और अब हम कुछ नहीं चाहते इस तरह का असर पैदा करने की गर्ज से हमने इन तीनों को बता दिया था के हैदराबाद से मेहमान नहीं आएंगे और अ.रहमान को मकान और दीगर इन्तिज़ामात वपास कर देने के लीये कहा था।</u>

इस तरह वक्त गुज़रता रहा और सन २००२ का सप्टेम्बर महीना आ गया।

वहां तक फोन के द्वारा हम तीनों का सउदी अरब अ.रशीद, सलीम और खालिद के साथ कोन्टेक्ट जारी रहा।

उस अरसे में सप्टेम्बर के पिछले १५ दिनों की शुरुआतमें सउदी से आदम को फोन पर खबर मिली थी के चार पांच दिनों में मेहमान आ जाएंगे। इस लीये मीटींग में तय कीये हुए दुसरे ज़रुरियात यानी खाने और रेहने वगैरह का इन्तिज़ाम करना तय हुवा था।

इस खबर के बाद मैंने आदम को अस के भाई हबीब का मकान खाली करने के लीये कहा था, जिस की वजह से आदम ने फसादात का बहाना बना कर अपने छोटेभाई को समझाकर ''दुधेश्वर रोड, रुस्तम मील के सामने लाभ शंकर की चाल'' के किनारे वाला उस का मकान खाली करवा लिया था, और उसे अपने घर शाहपुर सगरवाड ट्रान्सफर कर दिया था। और उससे भाई को महसुस न हो इस तरह बडी खुबी से उस की चाबीयां हासिल कर ली थी।

इस दरम्यान तय हुई प्लानींग के मुताबीक चार एक दिन के बाद एक दिन सुब्ह आदम उन तीनों लोगों को रेलवे स्टेशन से लेकर बवाहीर होल हमारी ओफीस पर आ गया था। उन तीनों के पास सामान में एक शुटकेस, एक एरबेग और एक बगल थेला था, आदम ने हमारी आपस में पहेचान कराई थी। अय्युब ने अपने आपको डोक्टर नं.१ और दुसरे दोनों को डोक्टर नं.२ और डोक्टरनं.३ के तौर पर पेहचानने का सुज़ाव दीया था।

उन के जिस्मानी खद्दो खाल को देखते हुवे डोक्टर नं.१ (अय्युब) उमर अंदाज़न ३० साल, उंचाई अंदाज़न ५'७' दरमीयानी कद, गोल मुंह, गंदूमी रंग, सर में भरचक काले कंघी कीये हुवे बाल। डॉक्टर नं.२ उमर अंदाज़न २५ साल, थोडा सा दुबला पतला लेकिन मज़बुत जिस्म का, उंचाई अंदाज़न ५'८', गंदुमी रंग, डोक्टर नं. ३ उमर अंदाज़न २५ साल, मोटा व मज़बूत जिस्मवाला, गंदूमी रंग, तीनो ने पेन्ट शर्ट पेहने थे और हिन्दी में बातचीत करते थे।

इन तीनों मेहमानों को चाय, पानी और नाहने धोने का इन्तिज़ाम करने के लीये मैंने मौ.अब्दुल्लाह से कहा था। इसी तरह उन्हें अहमदआबाद शहर के हिन्दु इलाकों का सर्वे करना था इस लीये आदम को रिक्षा का इन्तिज़ाम करने के लीये कहा था। देढ दो कलाक बाद आदम एक ओटो रीक्षा नं. जी.आर.डबल्यु-३६८१, लेकर आया था। उस वक्त तीनों मेहमान चाय, पानी नाश्ता और नाह धोकर फारिग हो गये थे।

उन्हें अहमदआबाद के विविध इलाकों का सर्वे करना था। इस लीये मेरी हुक्म के मुताबिक आदम ने उन्हें दो एक रोज़ में मणीनगर, कांकरीया, S.T. स्टेन्ड, लालदरवाज़ा, अपना बाज़ार, जिल्ला पंचायत, वाडीलाल होस्पीटल, आंबावाडी, सिवील होस्पिटल, पालडीमें विश्व हिन्दु परिषद की ओफीस, खानपुर में बी.जे.पी. की ओफीस, इसी तरह अलग अलग मंदिर जैसे के गीता मंदिर, सारंगपुर रणछोडराय का मंदिर, भद्रकाली मंदिर, कालुपुर स्वामीनारायण मंदिर, वासणा धरणीधरदेरासर, शाहीबाग अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर, देवजीपुरा महाकाली मंदिर वगैरह जगाएं दिखाई थीं।

उपर के निवेदन के मुताबिक मेहमानों ने अहमदआबाद में विविध जगह का सर्वे करने के बाद उन्हें गांधीनगर सचिवालय, विधानसभा गृह, सेक्टर २८ का बगीचा और अक्षरधाम दिखलाने के लीये मैंने आदम को कहा था, उस के मुताबिक दूसरे दिन उन जगाओं को देख आने के बाद अय्युब ने मुझे कहा था के आज इतवार का दिन होने की वजह से बागीचे और अक्षरधाम वाली जगा पर बहोत से लोग थे। जिस की वजह से उन्हें वारदात अंजाम देने के लीये अक्षरधामवाली जगह मुनासिब मालुम होती है। इसी लीये उन्होंने उसी जगह का दो कलाक बाद बारीकी से मुआयना करके सब बराबर देख लिया है।

उस के बाद गांधीनगर से बवाहीर होल आ कर अय्युब ने बताया था के कल हमारे दूसरे दो साथी सामान (हथीयार) लेकर आ जाएंगे और हम फिर साथीयों के साथ सर्वे कर लेंगे, कल आदम की ज़रुरत नहीं है। उस वक्त मैंने सामान (हथियार) लेकर आनेवाले लोगों के मुताल्लिक बहुत सवाल कीये थे लेकिन अय्युब ने कोई भी

बात नहीं बताई थी और् किसी तरह की कोई बात ज़ाहिर न हो जाए इसीलीये उन्होंने आदम को आने से मना किया था। ऐसा मुझे महसुस हुवा था। उस के बाद रात देर से आदम उन तीनों को सोने के लीये दुधेश्वर लाभ शंकर की चाल के किनारे अपने भाई के घर् ले गया था। इस तरह एक दो रातें मेहमानों ने वहां कयाम किया था और एक दो रातें हमारे यहां दरियापुर में ठहरे थे। उसके बाद यानी पीर के रोज़ रात में अय्युब तन्हा हमारी ओफीस पर आया था और उसने बताया था के सामान (हथीयार) लेकर आदमी आ चुके हैं। कल दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के वक्त वोह तीनो यहां दुआ के लीये आएंगे। उस वक्त मुझे और दोनों फिदाईन (डोक्टर नं.२ और डोक्टर नं.३) को अलग अलग तरीके से अक्षरधाम जाना है। इसलीये मुझे ले जाने के लीये दोपहर को ज़ोहर की नमाज़ के वक्त आदम को बुला लेना और ये 'कत्ले आम' मुसल्मानों पर हुवे हद से ज़ियादह जुल्म के इन्तिकाम के तौरा पर था। ऐसी दो चिठ्ठीयां उर्दू में लिख कर रखाना। और लिखनेवाले के तौर पर गुजरात का बदला लेनेवाली जमाअत यानी तहरीक किसास गुजरात का नाम लिखान, ऐसी बातें कर के अय्युब चला गया था, वोह कहां गया था ? मुझे मालुम नहीं।

उस रात देर से हमारी झनकार साउन्ड वाली ओफीस की शटर बंद कर के मैंने और मोल्वी अब्दुल्लाह ने एक दुसरे से सलाह सुचन करने के बाद मैंने हाथों से उर्दू ज़बान में दो चिठ्ठीयां लिखी थी। जिन में मैंने लिखा था के गुजरात में मुसल्मानों पर हुवा जुल्म बरदाश्त से बाहर था। जिससे मुसलमानों में बदला लेने का जज़्बा भडक उठने पर अब हिन्दुओं, पुलीस वगैरह का खुन बहेगा, अब शीवसेना, V.H.P. और मंदिर जलेंगे, उससे मुसल्मानों को सुकून पहोंचेगा और मुसलमानों को एलान किया था के वोह तमाम कंधे से कंधा मिला कर शहादतों का बदला लें, जीयो तो इज्ज़त से जीओ और मरो तो इज्ज़त से मरो। ये कत्ले आम का तोहफा मोदी और अड़वाणी के लीये है। इस तरह लिखकर लिखनेवाले के तौर गुजरात का बदला लेनेवाला संगढन यानी तहरीके किसास गुजरात वगैरह लिखा गया था। ये दोनों चिठ्ठयां और पेन दूसरे रोज़ फिदाईन को देने के लीये केह कर मैंने मौ.अब्दुल्लाह को सोंप दी थी।

उस के दूसरे रोज़ तारीख २४-०९-२००२ मंगल के दिन दोपहर में लगभग

१:०० बजे आदम रिक्षा नं. जी.आर.डब्लयु ३६८१ लेकर बवाहीर होल पर आ गया था और तीनों मेहमान भी आ गये थे, उस वक्त हाजीसखीकी मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो जाने पर मैं और् मौ.अब्दुल्लाह मस्जिदमें नमाज़ अदा करके ओफीस में आए थे। उस वक्त अय्युब ने दोनों फिदाईन के लीये उन के काम में काम्याबी, हिफ़ाज़त और जन्नत नशीनी की दुआ के लीये दो रकअत नफल अदा करने की बात कही थी, जिस पर उसी वक्त डोक्टर नं. २ (मुर्तुजा) और डोक्टर नं. ३ (अशरफ) को फौरन गुस्ल करने के लीये हाजी सखी की मस्जीद में भेजा था। वोह लोग गुस्ल कर के नये कपडे पहन कर ओफीस में आ गये थे। जिस पर वह तीनों महेमान मैं और मौ. अब्दुल्लाह ने ओफीस का शटर गिरा कर थोडा सा खुला रख कर बाहर आदम को खडा कर दिया ताकि कोई खलल न पहोंचाए और हम पांचो ने ओफीस में दो रकअत नफल नमाज़ अदा की। और डोक्टर नं. २ (मुर्तजा) और डोक्टरनं. ३ (अशरफ) की काम में काम्याबी, हिफाज़त और शहीद हो जाने की सुरत में जन्नत नशीनी की दुआ के लीये मैने दोनो फिदाईन को अपने सहीह नाम और ठिकाना बताने के लीये कहा। जिस पर डोक्टर नं. २ (मुर्तुज़ा) ने अपना सहीह नाम हाफिज़ यासिर, वतन लाहोर, पाकिस्तान। और डोक्टर नं. ३ (अशरफ) ने अपना सहीह नाम मुहम्मद फारुक, वतन रावलपींडी, पाकिस्तान होने की बात बताई। उन के लीये दुआ के लीये नमाज अदा करने के बाद हम पांचो ने आपसमें गले मीले थे। उस वक्त मौ.अब्दुल्लाह ने गुजश्ता रात मेरी लिखी हुई दोनों चिठ्ठयीं मेरी हुक्म के मुताबिक दोनों फिदाइन को एक एक दे दी थी और अगर चिठ्ठियां पकडी जाए तो फिदाईन ही ने लिखी है ये दीखाने के लीये कलम भी उन्हें दे दी थी।

उस के बाद शटर खोल कर अय्युब ने बताया था के उन के प्लान के मुताबिक उसे आदम के साथ रिक्षा में पेहले ही अक्षरधाम पहोंचना है और दोनो फिदाईन यहांसे अपने अपने तौर पर निकल कर रेलवे स्टेशन से किसी भी तरह अपने दूसरे साथीयों से सामान (हथीयार) हासिल कर के पहोंच जाएंगे। इस के मुताबिक आदम की रीक्षा G.R.W.- 3681 में बैठ कर अक्षरधाम जाने के लीये चारवाट तरफ रवाना

हुवा था । जब के दोनो फिदाईन को किराये की रीक्षा में बिठाने के लीये मौ.अब्दुल्लाह पोपटीयाबड तरफ रवाना हुवे थे. वोह दस मिनट में वापस आए थे और कहा था के किराये की रिक्षा में दोनों फिदाईन को रवाना कर दिया है।

उस के बाद मैं और मौ.अब्दुल्लाह खबर के इन्तिज़ार में थे, उस वक्त शाम में तकरबन ६-७ बजे आदम उस की ओटो रीक्षामें अय्युब को बिठा कर आ गया था, उस ने हमें बताया के वोह लोग अक्षरधाम पहोंच गये थे । उस की कुछ ही देर बाद शाम के तकरीबन ४-३० बजे दोनों फिदाईन कोट कुद कर हथीयारों साथ अक्षरधाम में दाखिल हो गे थे और उन्होंने अवाम पर बोंब फेंके थे और मशीन गन से फायरींग शुरु कर दी थी । जिससे वहां मौजूद लोगोंने बहोत ही जियादह गभराहट के मारे चिल्लाना शुरु किया था । अक्षरधाम में भयाक दहशत का माहौल हो गया था । लोग अपनी जान बचाकर भागते हुवे दरवाज़े से बाहर निकलने लगे । उन के साथ शामिल होकर हम भी बाहर निकल कर यहां आ गए । इस तरह की बातें करते हुवे हम चारों ने आपस में मुसाफहा कर के मुबारक बाद दी थी ।

उस वक्त अय्युब ने कहा था के अब मुझे फौरन अहमदआबाद छोडना होगा, उस का सामान चुंके पेक की हुई हालात में तैयार था । वोह फौरन आदम की रिक्षा में रखा गया और मैंने आदम से कहा के अय्युब को कालुपुर रेलवे स्टेशन छोड दो । जिस से आदम उसे रिक्षा में लेकर रवाना हुवा और तकरीबन एक घंटे के बाद वापसी पर आदम ने बताया के रिक्षा में अय्युब करीब के किसी बडे रेलवे स्टेशन के बारेमें पुछने पर मैंने उसे बरोडा बताया था । जिस पर अय्युब ने बरोडा जाने की बात केहते मैंने कालुपुर रेलवे स्टेशन से ९००/- किराये पर एम्बेसेडर टेक्षी में उसे बरोडा रवाना कर दिया है।

उस के बाद लोगों में हुई चर्चा, T.V. और अख्बारों में हमें ज्यादा तफसीलात मालूम हुई थी के 'अक्षरधाम मंदीर में दहशतगर्दों ने हम्ला करके ३० से ४० अफराद को हलाक कर दिया है ।' इस दौरान मुसल्लेह (हथीयारधारी) टीम के साथ मुठभेड़ में वोह दोनों दहशतगर्द भी मारे गए हैं और उन दोनों की जेब से एक किस्म की उर्दू

लीखावट वाली एक एक चीठ्ठी बरामद हुई है । उन चिठ्ठीयों और मारे गए दोनों दहेशतगर्दों की तस्वीरें बादमें हमने टी.वी. और अख्बारों में देखी थी और हम पहेचान गए थे के वोह दोनों चिठ्ठीयां वही है जो मैंने और मौ.अब्दुल्लाह ने एक दुसरे के सलाह सुचन से मेरे हाथों से लिखी थी । और मरनेवाले दोनों आतंकवादी डोक्टर नं. २ (मुर्तज़ा) हाफिज़ यासिर और डोक्टर नं. (अशरफ) मु. फारुक थे ।

उस के बाद उस हम्ले में हमारे मुलव्वस होने का किसीको शक न हो इस लीये मैंने और मौ. अब्दुल्लाह ने आदम को आईन्दा बवाहीर होल पर बार बार न आने और बारबार हमारी मुलाकात न लेने का हुक्म दीया था और हमनें भी खामोश हो गये थे ।

उस के बाद अय्युब कहां गया था ? और उस के साथी कौन थे ? और वोह कहां से आए थे ? उस की मुझे कोई जानकारी नहीं।

मज़ीद में ये बात बतला रहाहुं के इस से पेहले मुझे कोर्ट में पेश कीये जाने के वक्त कभी भी मेरे किसी भी रिश्तेदार, वकील या सलाहकार वगैरहने प्रत्यक्ष या परोक्ष लिखकर या ज़बानी केहकर मुझे कबुलातनामा देने से मना नहीं किया । इसी तरह मुझ से हुई गलतीयों का एहसास होने पर और उस पर पश्चाताप और शर्मिंदगी होने पर उपर बयान किया मेरा कबुलातनामा लिखाया है ।

ये मेरी लिखाया हुआ तमाम निवेदन बराबर और सहीह है

रुबरु
दस्तखत (नहीं पढी जा सकती)
(एस.के.गढवी)
नायब पुलीस कमिशनर
ज़ोन : ४, अहमदआबाद शहेर

मुल्जिमने आज तारीख २५-९-२००३ को शाम ५:०० बजे मेरी हाज़री में अपने उपर जीक्र कीये बयान में दस्तखद की है। मुल्जिम को उस का बयान पढकर सुनाया गया है और उसे उन्होंने कबुल करते हुवे अपने कबुलातनामे में दस्तखत किये हैं।

ता.: २५-०९-२००३

अहमदआबाद

दस्तखत (नहीं पढी जा सकती)
चीफ ज्युडीशीयल मेजीस्ट्रेट
अहमदआबाद (दीहाती)
पुरानी हाईकोर्ट, अहमदआबाद

ये है वोह कबुलातनामा जो क्राइम ब्रान्च की स्टोरी के मुताबिक मैंने अपने गुनाहों के पश्चाताप पर अपनी रज़ामंदी और खुशी से दिया था। हालां के हकीकते हाल कुछ और है जो आगे बयान की जा चुकी है। फिर भी अगर क्राईम ब्रान्च की स्टोरी सहीह मान ली जाए तब भी इस कबुलातनामे में बेशुमार खामीयां और गलतीयां हैं, जिस पर मेरे काबिले फख्र वकीलों ने और नामदार सुप्रिम कोर्ट के इन्साफ पसंद जज हज़रात ने खुब रोशनी डाली है। यहां मैं कुछ मोटी मोटी बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हुं।

★ क्राईम ब्रान्च ने फिदाईन के बारे में तीन नुक्तए नजर पेश किये, यहां लिखा है के फिदाईन हैदराबाद से आए थे, चांदखान के कबुलात नामे में लिखा है कश्मीर से आए थे और कहीं लिखा है पाकिस्तान से आए थे। कौन थे ? कहांसे आए थे ? उस में खुद क्राईम ब्रान्च किसी यकीनी बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके है। जिस पर सुप्रिम कोर्ट ने बडी वजाहत से तबसेरह किया है। सुप्रिम कोर्ट ने लिखा है..

''हम अपने आप को नीचली अदालतों की इन वुजूहात के साथ मुत्तफिक नहीं कर सकते। क्युं के मौजूदह केस में न सिर्फ ए.१ से ए.५ तक कोई भी ए.६ को नहीं जानता। बल्के ए.४, ए.२ और ए.६ ने भी अलग अलग कहानीयो की तरफ ईशारा कीया है जिन में हर एक में

विरोधाभास है। जो दर हकीकत फरीयाद पक्ष में नज़रीया के लीये मौत है। नीचली अदालतों ने मशीनी अन्दाज़ में अपने ज़हनों का इस्तेमाल कीये बगैर मुल्जिमीन की तरफ से उन्के काबिल वकीलों की इस दलील को रद कर दिया।''

(सुप्रिम कोर्ट जजमेन्ट, पेज नं. २६८, गुजराती अनुवाद (तरजमा) पेज नं. १९२)

★ आदमभाई ने मेरी हिदायत पर उन्हें गीतामंदिर, सारंगपुर रणछोडराय का मंदिर, शाहीबाग अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर, देवजीपुरा महाकाली मंदिर और दुसरे इतने मंदिर दिखाए केशायद क्राईम ब्रान्च के इन अफसरों ने भी उन मंदिरों के दर्शन नहीं कीये होंगे। क्या एक मुसल्मान होने की हैसियत से हमें इतने मंदिरों के नाम व पते मालूम होना मुम्किन है।

– गांधीनगर से वापसी पर अैयुब ने मुझे कहा के आज इतवार का रोज़ था इस लीये बागीचे में और अक्षरधाम में बहुत भीडभाड थी। आईन्दा कल आदम की जरुरत नहीं। और क्राईम ब्रान्च की स्टोरी के मुताबिक उन्होंने दुसरे रोज़ सोमवार को फिर अक्षरधाम का मुआयना कीया। बेचारे क्राईम ब्रान्च वालों ने कभी अक्षरधाम के दर्शन ही नहीं कीये होंगे इस लीये वहां के उसूलों आदाब और कवानीन (रुल्स रेग्युलेशन) से वाकिफ नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था के दूसरे रोज सोमवार था। और सोमवार के रोज़ अक्षरधाम में छुट्टी होती है।

कबुलातनामा दर्ज करनेवाले ए.सी.पी. जनाब संजय गढवी के बयान के मुताल्लिक सिर्फ एक बात लिख रहा हुं।

इनकी तअस्सुब परस्ती औ मुस्लिम दुश्मनी का इस बात से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है के इन्होंनें २००२ के फसादाद में अहमदआबाद के कालुपुर सोदागर की पोल के इलाके में अंधाधुन फायरींग कर के ५ ६ बेकसूर मुसल्मानों को हलाक कर दिया था। और तहलता स्टींग ओपरेशन में अपने इस कारनामें को बडे फख्र से बयान भी किया था।

★ C.J.M. सुरेशकुमार पाध्या के बायन में इस बात की वज़ाहत है के

★ आंक ५६९ के तहत A.C.P. सींघल सा.ने एक यादी C.J.M. को भेजीथी जिस में दूसरे पेरेग्राफ की चोथी लाईनमें 'बयान लीया जाना है' लिखा है। मालुम हुवा के गढवी के पास अबतक बयान नहीं लिया गया था और वाकिअतन सूरते हाल भी यही थी। इस गलती से ही सारी पोल खुल जाती है। क्युंके कानूनन कबुलातनामा तो गढवी के पास लिया जाना था सी.जे.एम के पास तो सिर्फ उसकी तस्दीक होनी थी।

★ सुप्रिम कोर्टने C.J.M. के किरदार परभी बडा बेहतरीन तबसेरा(टीका) कीया है

''C.J.M. के उपर जिक्र कीये गये बयान से ये कयास (तर्क) किया जा सकता है के उन्होंने आधे घंटे में मुल्जिमीन के बयानात दर्ज कर लीये, उन को पढकर सुनाभी दीया, और कीसी भी तरह के ज़ुल्म और सख्ती के बारे में पुछताछ भी कर ली। सब कुछ (सिर्फ) आधे घंन्टे में। ये बात बिल्कुल नाकाबिले यकीन है के १५ सफों से जियादह का कबुलातनामा उन्हें आधे घन्टे के अन्दर पढकर सुनाया जा सके। पी.डबल्यु ९९ का बयान ज़बानी और जरह में उन की जांच पर जो उपर बयान कीया गया है उससे ये साफ ज़ाहिर होता है के उन्होंने उन बुन्यादी मुतालबात के बारे में मालुमात ही हासिल नहीं की जिन से उनका वाकिफ होना ज़रुरी है (के मुल्जिमीन के खिलाफ ईमानदारी से जांच के यकीन के लीये) उस का पोटा की कलम ३२ (५) के तहत दीया हुवा बयान दर्ज कर ने के ताल्लुक से उसका अमल सीर्फ ये ज़ाहीर करता है के एक नाकारा और नाखुस ओफीसर सिर्फ एक रसमी कारवाई पुरी करनेमें अपने आप को शामिल कर रहा है।'' (सुप्रिम कोर्ट जजमेन्ट पेन नं. १४१, गुजराती तरजमा पेज नं. ९४)

कबुलातनामे दर्ज करने में और भी बेशुमार गलतीयां हैं, यहां उनका इहाता मुम्किन नहीं, ताहम इकबालिया बयान को बिलकुल सहीह मान लिया जाए तब भी हमने चुंके जेल कस्टडी के बाद उन कबुलातनामों से इन्कार व इन्हिराफ कर लीया

था। इस सूरत में कबुलातनामे की कोई कानूनी हैसीयत बाकी नहीं रह जाती। इस पर मैं यहां सुप्रिम कोर्ट ही का तबसेरा (टीप्पणी) नकल करता हुं ....

१२० फरीयाद पक्ष की स्टोरी हर मरहले उंधे मुह गिर रही है। बहुत ही अहम बात ये है के उपर बयान कीये गये जिन केसों पर एतेमाद किया गया है उन से तो ये पता चलता है के अगर मुल्जिम ने कबुलातनामे से इन्कार कर लीया हे तो उस के कबुलातनामे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक के दुसरे आज़ाद सुबूतों से उसकी ताईद(पुष्टी) न हो जाए (सुप्रिमकोर्ट जजमेन्ट नं. २४५, गुजराती तर्जमा पेज नं. १७७)

(३) P.W.51 ने पेहले क्राईम ब्रान्च के जुल्म और धमकीयों से डर कर अगरचे मेरे खिलाफबयान दीया। जो मेरे कबुलातनामे ही का एक हिस्सा था। लेकिन उलट तपास में उसने क्राईम ब्रान्च की सारी पोल खोल दी। उस की उलट तपास के कुछ ज़रुरी पेरेग्राफ ये है।

★ ये बात सहीह है के मेरे जवाब से ६० रोज पेहले से मुझे क्राइम ब्रान्च में ले गए थे। मुझे बहोत मारा पीटा गया था। जिस से मेरा अंगुठा भी टुट गया था।

★ मुझे कहा गया था के तेरे पुरे खानदान को उस मुकद्दमे में डाल देंगे

★ मैं आज भी कोर्ट में क्राईमब्रान्च से आ रहा हुं। मुझे आज सुब्ह ९:३० बजे बुलाया था। और कल शाम को ६:०० बजे भी बुलाया गया था। मैंने आगे बयान में जो लिखाया है के गोधराकांड के बाद मुफ्ती अब्दुल कय्युम और मौलवी अब्दुल्लाह मिले थे। ये मैंने क्राईम ब्रान्च के केहने पर लिखवाया है।

★ मुझे क्राईम ब्रान्च ने कहा था के मेहमान यानी दहशतगर्द ऐसा मुझे कोर्ट में बताना है।

★ ये बात सहीह है के मेजीस्ट्रेट साहब ने क्राईम ब्रान्च के बायन ही से १६४ के बयान की नकल की थी।

★ ये बात सहीह नहीं के मुझे मुल्ज़िमीन की जानिब से धमकी मिली थी। जिस की वजह से मैं इस तरह की गवाही दे रहा हुं।

★ ये बात सहीह नहीं है के गुजिश्ता मुद्दत पर मेरी गवाही के बाद मुझे धमकीयां

दी गई थीं।

इन सारी बातों के बावजुद नीचली कोर्टों न इस की गवाही को हमारे खिलाफ माना और कबुलातनामे की ताईद(पुष्टी) में इसे कबुल किया !!

पी.डबल्यु ५२ मुनाफ रेडीयेटर का मुकम्मल बयान हमारे खिलाफ है । लेकिन उस की उलट तपास के कुछ पेरेग्राफ ये है जो नीचे जिक्र कीये है।

- ★ आदमभाई ने मौल्वी अब्दुल्लाह के साथ आहिस्ता आहिस्ता बात की थी। उन्होंने क्या बात की मुजे मालूम नहीं।
- ★ अक्षरधाम का हादसा किस तारीख किस महीना और किस सन में हुवा मुझे याद नहीं।
- ★ उस के बाद मुझे कभी भी ये जर नहीं लगा था के मुझे इस केस में फसाया जाएगा। आगे गवाह ने बज़ाते खुद ये कहा के मैं इस के मुताल्लिक कुछ भी नहीं जानता फिर मुजे किस बात का डर ?
- ★ बयान के आखिर में मैं (अब्दुल कय्युम) ने इस झूटे गवाह को कुरआने पाक उठाकर कसम देने की दरख्वास की थी जिसे स्पे. पोटा कोर्ट ने नामंजूर कर दीया और उस के बयान को हमारे खिलाफ मान कर कबुलातनामे की ताईद(पुष्टी) में इस्तेमाल कीया। इस झुटे गवाह की पुरी गवाही को सहीह मान भी लीया जाए तब भी वोह कहां काबिले एतेमात है ? चुनान्चे इस पर सुप्रिम कोर्ट ने खूब तबसेरा किया है

P.W.51 की तारीफ से उलट तपास के दौरान जो बयान दीया गया है और इस अदालत ने जो कानूनी उसूल बनाए हैं वोह दोनों हमें इस फैसले की रहनुमाई कर रहे हैं के तपास एजन्सी ने इन मुल्जिमीन के बयानात की मदद से मुल्जिमीन के खिलाफ गलत केस बनाने और उन्हें फंसा देने की पुरीपुरी सीरीयस कोशिश की थी । क्युं के वोह लोग हादसे के तकरीबन एक साल बाद भी इस केस को हल नहीं कर सके थे (सुप्रिम कोर्ट

जजमेन्ट, पेज नं. १८८, गुजराती जजमेन्ट पेज नं. १३३)

(४) अब आईये दो उर्दु चीठ्ठीयां देखीये जिन का आप को शिद्दत से इन्तिज़ार होगा.....

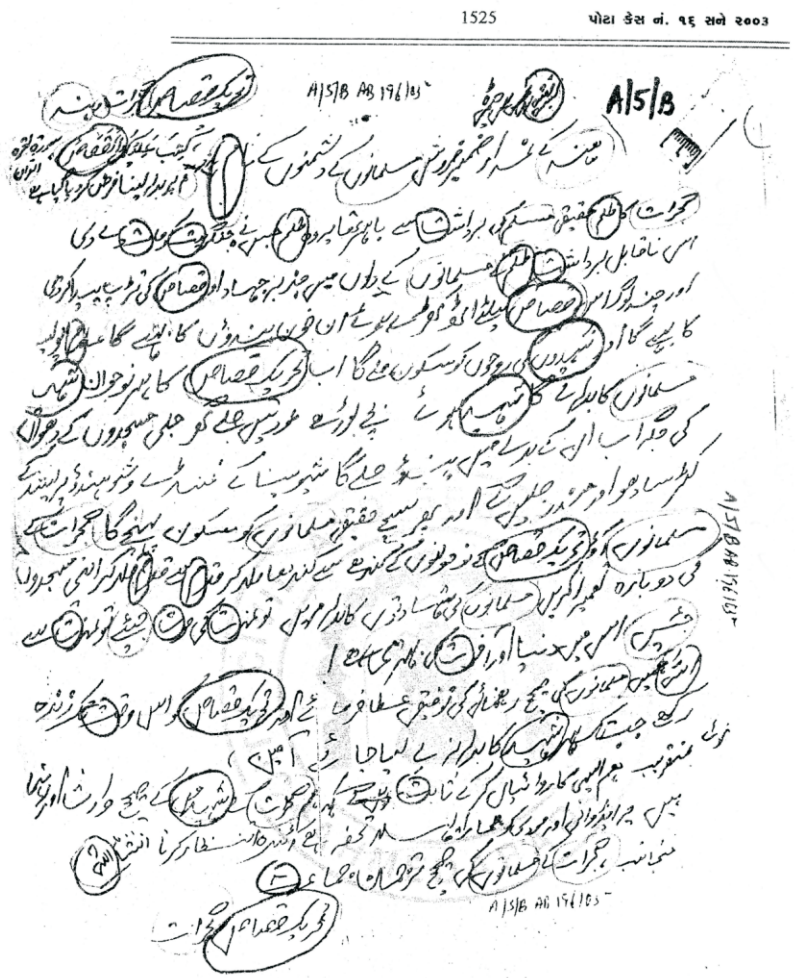

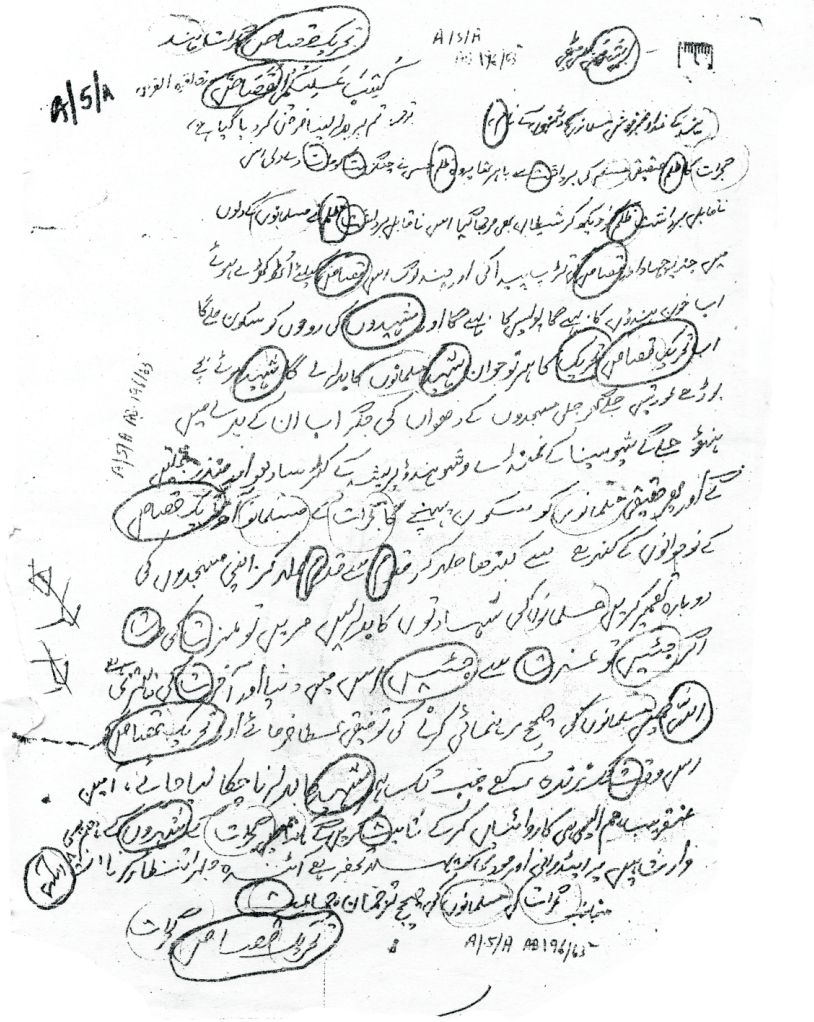

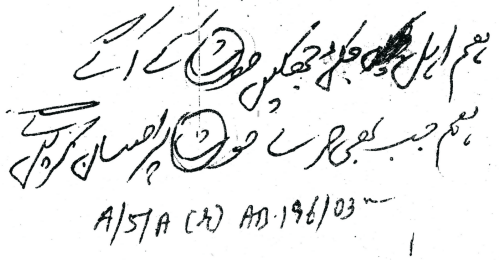

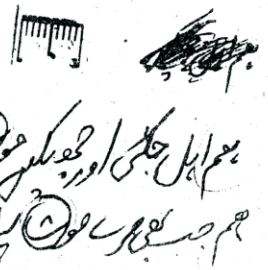

ये दोनो उन उर्दू चिठ्ठीयों की फोटो कोपी (ज़ेरोक्ष) हैं जो कहानी मे कीये हुए जिक्र के मुताबिक फिदाईन की ज़ेबों से बरामद हुई थी। दोनों चिठ्ठीयों में जिन लफ्ज़ों व हर्फों पर दाईरह बना हुवा है ये माहिरे तहरीरात जनाब जे.जे. पटेल साहब ने बनाया है। उन के केहने के मुताबिक दाईरह कीये हुवे लफ्ज़ो और हर्फों का इन्होंने मेरी लीखावट से तुलना की थी। और दोनों में समानता पाई थी। और जनाब ने दोनों लीखावट मेरे हाथों से लिखी गइ होने की राय दी थी।

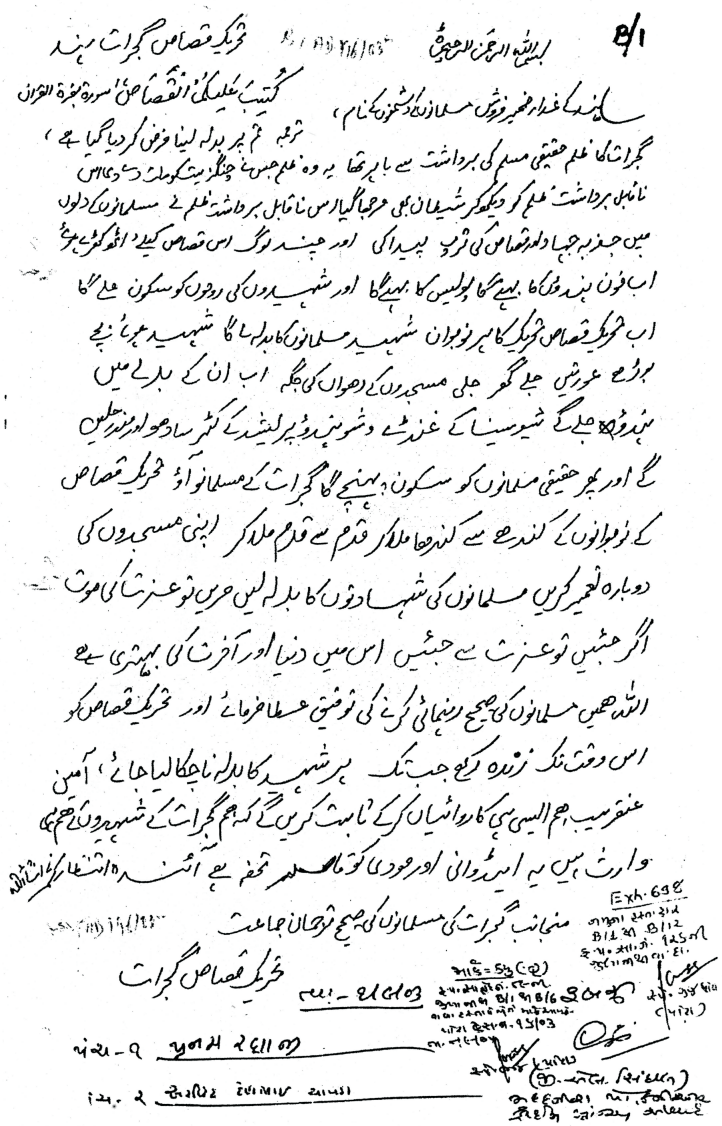

B1(2)

ہم اہل حکم جھکیں موشکے آگے
ہم جب بھی مرے موش پر احسان کریں گے

B1(2) A1 1966

B11 AB1966

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

B11

تحریک قصاص گجرات ہند

کتب علیکم القصاص سورۃ بقرہ
ترجمہ تم پر برابر لینا مقرر کر دیا گیا ہے

بعنہ کے شہید ہونے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کے نام

گجرات کا ظلم حقیقی مسلم کی برداشت سے باہر تھا یہ وہ ظلم ہے جس نے چنگیز بیت کو مات دے دی اس ناقابل برداشت ظلم نے مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد اور قصاص کا جذبہ پیدا کر دیا اور جینہ گجرات اس قصاص کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے ان خون آشام درندوں کا بھیجے گا غلام الدین کا بھیجے گا اور شہیدوں کی روحوں کو سکون ملے گا اب تحریک قصاص کا ہر نوجوان شہید مسلمانوں کا بدلہ لے گا شہید ہوئے بچے بوڑھے عورتیں جلے گھر جلی مسجدوں کی جگہ اب ان کے بدلے میں نہ روئے جائے گا شیو سینا کے غنڈے وشو ہندو پریشد کے کھوکھلا دھرم اور مودی جلیں گے اور تب سچے حقیقی مسلمانوں کو سکون پہنچے گا گجرات کے مسلمانوں آؤ تحریک قصاص کے نوجوانوں کے کندھے سے کندھا ملا کر قدم سے قدم ملا کر اپنی مسجدوں کی دوبارہ تعمیر کریں مسلمانوں کی شہادتوں کا بدلہ مریں تو غرض کی موت جیئے تو عزت سے جیسی اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے!

اللہ ہمیں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے اور تحریک قصاص کو اس وقت تک زندہ رکھے جب تک ہر شہید کا بدلہ نہ لے لیا جائے آمین)

ہم یہ ایڈوانی اور مودی کو ہمارا نامہ تحفہ ہے آئندہ انتظار کرنا انشاءاللہ

نوٹا عنقریب ہم الیسی کاروائیاں کر کے ثابت کریں گے کہ ہم گجرات کے شہیدوں کی صحیح وارث اور رہنما ہیں

B11 AB 1966

نمائندہ، گجرات کے مسلمانوں کی صحیح ترجمان جماعت
تحریک قصاص گجرات

તા.-૧૯/૧૦/૦૩

પંચ-૧ પુનમ રબારી

પંચ-૨ ચંદ્રસિંહ દેવાભાઈ ચાવડા

(જયેન્દ્રસિંહ ચિંતુભા)
ચીફ ઓફિસર
ઈલેક્ટ્રીસિટી ઓથોરિટી

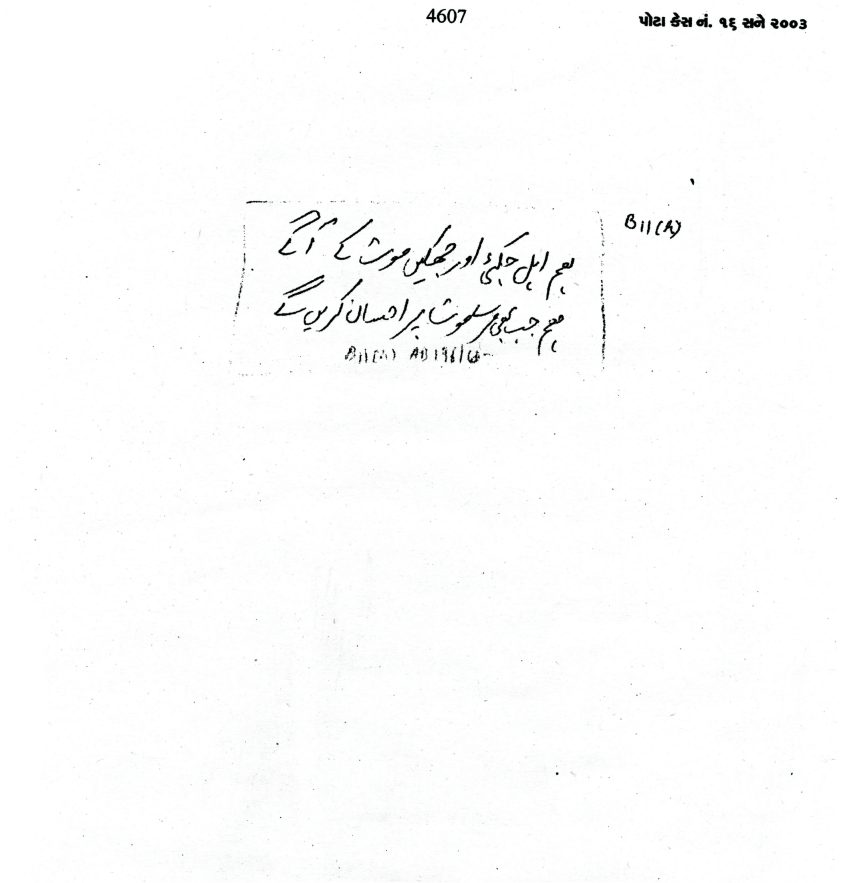
4607 પોટા કેસ નં. ૧૬ સને ૨૦૦૩

B11(A)

ये दोनों तहरीर मेरी है जो क्राईम ब्रान्च के ओफिसरों ने मुझ से ज़बरदस्ती लिखवाई थी । और जैसा के मैं लिख चुका हुं के हत्तल इम्कान मुझे फिदाईन से बरामद हुई चिठ्ठीयों से हुबहू नकल के लीये मजबूर किया गया था । फीरभी अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चिठ्ठीयां और मेरी लीखी हुई चीठ्ठीयों में बहुत फर्क है। आप खुद अन्दाज़ा लगा सकते हैं। मगर अफसोस ! जे जे पटेल साहब के नज़दीक दोनों लीखावट में कोई फर्क नहीं था। और् हो भी सकता है ? गधा ज़ाफरान और धागे में कहां फर्क कर सकता है ?

बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम

तहरीके किसास गुजरात, हिन्द

كتب عليكم القَصَاصَ

सूरए बकरह, अल कुरआन

तरजमा : तुम पर बदला लेना फर्ज कर दिया गया है ।

हिन्द के गद्दार और ज़मीर फरोश मुसल्मान के दुश्मनो के नाम

गुजरात का जुल्म हकीकी मुस्लमि की बरदाश्त से बाहर था, ये वोह जुल्म जिसने चंगेज़ीयत को मात दे दी। इस नाकाबिले बरदाश्त जुल्म को देख कर शैतान भी मुरज़ा गया। इस नाकाबिले बरदाश्त जुल्म ने मुसल्मानों के दिलो में जज़बए जिहाद और बदला लेने की तडप पैदा की और चंद लोग इस बदला लेने के लीये उठ खडे हुवे। अब खुन हिन्दुओं का बहेगा, पुलीस का बहेगा और शहीदों की रुहों को सुकन मिलेगा। अब तहरीके किसास तहरीक का हर नवजवान शहीद मुसलमानों का बदला लेगा । शहीद हुवे बच्चे, बुढे, औरतें ,जले घर , जली मस्जिदों के धुंवा की जगा अब इन के बदले में हिन्दु जलेंगे, शीवसेना के गुंडे, विश्व हिन्दु परिषद के कट्टर साधु और मन्दीर जलेंगे, और फिर हकीकी मुसल्मानो की शहादतों का बदला लें, मरे तो इज्ज़त की मौत, अगर जीयें तो इज्जत से जीयें, इस में दुन्या और आखिरत की बेहतरी है , अल्लाह हमेंमुसल्मानों की सहीह रहबरी करने की तौफीक अता फरमाएं और तहरीके किसास को उस वक्त तक जिंदा रखे जब तक हर शहीद का बदला ना चुका लिया जाएं (आमीन)

अनकरीब हम ऐसी ही कारवाईयां कर के साबित करेंगे के हम गुजरात के शहीदों के हम ही वारिस हैं, ये अडवाणी और् मोदी को पेहला तोहफ़ा है, आईन्दा जल्द

इन्तिज़ार करना। इन्शाअल्लाह

मिनजानिब : गुजरात की मुसल्मानों की सहीह तरजुमान जमाअत
तहरीके किसास गुजरात

(चिठ्ठी के पीछे ये अजीब व गरीब शेअर लिखा हुवा था)

हम एहले जकी और जुकें मौत के आगे
हम जब भी मरे मौत पर एहसान करेंगे

★ ये वोह उर्दू चिट्ठीयां है जिन के लिखने का मुझ पर इल्ज़ाम था। हालां के जुल्मो तशद्दुद और मकरो फरेब से ये मुझ से लिखवाई गई और मेरे राईटींग की जे.जे. पटेल ने तस्दीक(पुष्टी) भी कर दी थी।

★ ये उर्दू चिठ्ठीयां क्राईम ब्रान्च के केहने के मुताबिक फिदाईन की पेन्टों की जेबों से बरामद हुई थी। इन चिठ्ठीयों के मुताल्लिक पी.डबल्युं९१ मेजर जयदीप लांबा का केहना ये है के 'चिठ्ठयों के मजमून से पता चला था के फिदाईन पाकिस्तान के ''अटोक'' इलाके के बाशींदे थे।'

★ आप देख सकतें हैं क्राईम ब्रान्च की इन चिठ्ठीयों में कहीं भी खुल कर या इशारे में पाकिस्तान या अटोक का कोई ज़िक्र नहीं है। मालूम हुवा क्राईम ब्रान्च ने चिठ्ठीयां ही बदल दी थीं।

★ 'एहले जकी' का मतलब भी क्राईमब्रान्च वाले ही बता सकते हैं।

★ मौकाए वारदात पर गांधीनगर सेक्टर १८ के इमाम मौलाना दाउद कौसर अशरफी से इन चिठ्ठीयों का तरजमा करवाया गया था। (अक्षरधाम वेबसाईट) लेकिन वणझारा एन्ड कंपनी के झूट और धोकाबाज़ी की इन्तिहा देखीये। उन्होंने गवाह ही बदल दिया और अदालत में मलेक बापु नामी अपने एक आदमी को बतौरे गवाह पेश कीया।

★ P.W.121 मलेक बापु के मुताबिक दोनों चिठ्ठयां दो अलग अलग अफराद ने लिखी थी।

★ P.W.121 मलेक बापु चिठ्ठीयां अरबी ज़बान में थी। मैंने अरबी से उर्दू से गुजराती में तरजमा किया था। (तफसील के लीये देखीये सुप्रिमकोर्ट जजमेन्ट पेज-१९८ गुजराती तरजमा पेज-१४०)

★ P.W.89 हेन्ड राईटींग एक्सपर्ट जे.जे. पटेल जिसने इन चिठ्ठीयों की लीखावट मेरी होने की राय दीथी। उनकी काबिलीयत का ये हाल था के जब उन से पुछा गया के आप उर्दु ज़बान जानते हैं? तो जवाब दिया के मैं उर्दू ज़बान लिख-पढ नहीं सकता। हाँ, किताब का सहारा लेकर पढ सकता हुं!!! (कौन सी किताब और कैसा सहारा लेकर पढ सकते हैं? जब दोनों ही हाथ कटे हुवे है (न लिख सकते हैं न पढ सक्ते हैं) तो लाठी कैसे पकडेंगे? ये तो खुद जे.जे. पटेल ही बता सते है)

मज़ीद अपनी काबिलीय्त इन अल्फाज़ में बयान करते हैं की मैं उर्दू, फारसी, अरबी और सीन्धी ज़बान की लीखावट में फर्क नहीं कर सकता।

इस के अलावा क्राईम ब्रान्च का केहना है के ये उर्दू चिठ्ठीयां हिन्दु कौम खास गुजरातीयों के खिलाफ इन्तिकामी कारवाई का पैगाम था। क्या उन को पता नहीं था के हिन्दु और खास कर हमारे गुजरात भाई उर्दु कहां समझते हैं कि उन्हें उर्दु में पैगाम दिया जाए. फिर भी अगर क्राइम ब्रान्च को उन्हें उर्दू ही में पैगाम दैना था तो उनके केहने के मुताबीक फिदाईन पाकिस्तानी थे। यकीनन वोह मुझसे बेहतर उर्दू जानते होंगे। वोह खुद तहरीर कर लेते। हिकमत और कामिल साजिश का तकाज़ा भी यही था के वोह खुद तहरीर करते और सारे सुबूत अपने साथ लेकर मरते।

हाँ, अगर गुजराती भाईयों की रिआयत करते हुवे गुजराती ज़बानी में चिठ्ठीयां लिखवाई जातीं और उन चिठ्ठयों के लिखने का मुझ पर इल्ज़ाम होता तो बात कुछ समझ में आनेवाली थी। क्युं के गुजराती ज़बान मैं अच्छी तरह

जानता हुं : (ये किताब पढकर शायद वोह अफसोस करेंगे के काश हमने गुजराती ज़बान में चिठ्ठीयां लिखवाई होती !!)

- दूसरी अहम बात क्राईम ब्रान्च की काबिले रहम स्टोरी में ये थी के मैंने जेल पेन इन फिदाईन को दे दी। ताके पकडे जाने की हालत में ये मालूम हो के उन्होंने चिठ्ठीयां लिखी थीं, जब के क्राईम ब्रान्च की ईनवेस्टीगेशन ये है के वो चिठ्ठीयां तीन पेनों से लिखी गई थी। पुरी चिठ्ठी का मज़मून काली पेन से लिखा हुवा था। कुछ बातें और आयते ब्ल्यु पेन से लिखी हुई थी। और उन पर लाल पेन से निशानात कीये हुवे थे। अब सवाल ये है के जब तीन तीन पेनें इस्तेमाल हुई थी तो सिर्फ एक ही पेन मैंने उन्हें क्युं सुपुर्द की ? क्या सिर्फ एक ही पेन में मेरे लिये खतरा था ? बाकी दो पेनों मे नहीं था ? ज्यादा दिलचस्प बात ये है के क्राईम ब्रान्च का केहना ये है के ये जेल पेन अक्षरधाम मंदिर में दरवाज़ा नंबर ३ और ४ के दरम्यान से बरामद हुई थीं। देखीये फिदाईन वो चिठ्ठयां तो अपने साथ जेबों में लेकर गए और मरने के बाद वोह 'करामती' चिठ्ठीयां उन की जेबों से बिलकुल सही सलामत बरामद हुई। लेकिन पेन रास्ते में दरवाज़ा नंबर ३ और ४ के दरम्यान फेंक दी। ताकि उन के पाससे पकडी न जाएं। पता नहीं क्राईम ब्रान्च ने पेन के मामले में उन से ये एहतियात और किलाबी तकवे (कुत्ते के तकवे) पर अमल क्युं करवाया ? (कुत्ता एक टांग उठाकर पेशाब करता है ता कि नापाक न हो, बाकी तीन पैर नापाक हो तो कोई हर्ज़ नही !!!) के खुद मारे जाए, चिट्ठीयां पकडी जाए कोई गम नहीं, लेकिन पेन उन के पास से नहीं पकडी जानी चाहीये।

★ मैंने अपनी इज़ाफी बयान (Further Statement) में कोर्ट को फिदाईन की जेब से बरामद होने वाली चिठ्ठयों में १७ से जियादह फर्क की निशानीया बताई थी। यहा तक के कुरआने पाक की आयत (كتب عليكم القَصَاصَ) भी गलत लिखी हुई थी। किसास और इन्तिकाम का लफज़ी माना और इत्लाक का फर्क भी बताया था, लेकिन पोटा कोर्ट ने इन सारी बातों की तरफ ध्यान नहीं दीया था।

★ दोनों फिदाईन को ४८ और ६० गोलीयां लगी थी, उन के जिस्म छलनी हो गए थे। कपडों की धज्जीयां उड गईं थी। पानी की वजह से उन के जिस्म और कपडे किचड से तरबतर थे। पेन्ट की दाहनी जेब जहां से ये चिठ्ठीयां नीकली थी वहां भी ये सुराख थे। उस के बावजूद भी ये दोनों उर्दू चिठ्ठीयां बिलकुल सही सलामत बरामद हुई। खून और कीचड के दाग नहीं थे। पानी से भीगी हुई नहीं थी। गोलीयों के सुराख नहीं थे, गनपावडर नहीं था। जली हुई नहीं थी। फींगर प्रीन्टस नहीं थी। हत्ता के मुडी हुई नहीं थी। हज़रत युसुफ अ.स. के कुर्ते के मुआमले में भेडीये ने जो एहतियात किया था। यहां इन चिट्ठियों के मुआमले में क्राईम ब्रांच का वही कमाले एहतियात नज़र आता है। सुप्रिम कोर्ट ने इस पर बडी हैरत का ईज़हार किया है।

तीसरी बात ये है के दो उर्दू चिठ्ठीयां जिनके बारे में ये दावा किया गया था के वो फिदाईन की पेन्टों से बरामद की गई थीं (Exb. 658) जिन पर खून का एक कतरा भी नहीं है, मिट्टी के दाग या सुराख भी नहीं है , हमारी जानिब से जब उन पेन्टों का जाईज़ा लिया गया ये पेन्टे मुद्दामाल में शामिल है। हमने देखा के फिदाईन के जेबों के उपर पेन्टो के कपडों पर गोलीयों के सुराख थे। और हादसे के १२ साल बाद बी सुके हुवे खून के निशानात थे। खुसुसी पोटा कोर्ट ने इस बात की जांच करने की एहमियत ही नहीं समजी के फिदाईन की पेन्टों की जेब से निकली हुई चिठ्ठीयां बगैर दाग धब्बे के कैसे रह गई (सुप्रिम कोर्ट जजमेन्ट पेज नं. २६९, गुजराती तरजमा पेज नं. १९२)

★ मन्दीर का एक रज़ाकार (कार्यकर्ता) निशीत कनुभाई आचार्य ये केहता है के मेरी मोजुदगी में लाशों का और उस के आसपास का पंचनामा किया गया था और लाशों पर से कोई चीज़ हाथ नही लगी थी।

★ एक पंच शंकरभाई ईश्वरभाई कहार ने तो झुट की ईन्तिहा कर दी। और कहा मैंने मुल्ज़िम अब्दुल कय्युम को देखा वोह अपने दाहने हाथ से लिख रहा था।

उस बेवकूफ को मालूम ही नहीं था के मैं दाहने हाथ से लिख ही नहीं सकता। मैं बायें हाथ से लिखता हुं (मैं लेफ्टी हुं)

लेकिन इन सब बातों के बावजुद पोटा कोर्ट ने महज़ कबुलातनामे की बुन्याद पर इन चिठ्ठीयों को मान लिया। और हाईकोर्ट ने मशहूर अंग्रेज़ी जुम्ला Truth is stranger Than Fiction (सच्चाई कभी कभी काल्पनिक बातों से भी जियादह अजीब और नाकाबिले यकीन होती है) का हवाला दे कर इन चिठ्ठियों को मान लिया। क्युं के न मानने की सुरतमें पुलीस, N,S,G,पंच तमाम जुठे साबित हो रहे थे।

★ हालांके जेल कस्टडी के बाद जब ईस बात से सुकुन हो गया के क्राईम ब्रान्च के खुनी पंजे से आज़ाद हुं तो मैं ने तारीख २८-०९-२००३ ही को अपनी कारगुज़ारी पोटा कोर्ट को लिख भेजी थी, हमारे मुल्क में कोई काम वक्त पर नहीं होता, फिर मेरा जो इन्हिराफी बयान व कारगुज़ारी जो डाक के द्वारा भेजी गई थी, कैसे वक्त पर मिल जाती ? जब के डाक खाते के मुताल्लिक धीमी गती के बहोत से किस्से सुन रखे थे। यहां तक सुना था के एक खत अपने पते पर १६ साल के बाद पहोंचा था, खैर मेरे रीट्रेकशन में इतनी देरी तो नहीं हुई, बल्के कुछ ही दिनों के बाद तारीख ३०-१०-२००३ को इन्हिराफी बयान पोटा कोर्ट को मिल गया, जिस में मैंने आगे के सफहात में बयान कीये क्राईम ब्रान्च के सारे मज़ालिम, धोकाबाज़ी और् किस मकरो फरेब से मुझे इस केस में फंसा दिया गया, ये सारी बातें संक्षिप्त रुप में लिखी थी और पोटा कोर्ट के अलावह ११ जगाहों पर रवाना की थी जो ये हैं :

(१) चीफ जस्टीस सुप्रिम कोर्ट ओफ इन्डिया
(२) चीफ जस्टीस गुजरात हाईकोर्ट
(३) नेशनल लीगल सर्वीस ओथोरिटी
(४) चेरमेन N.H.R.C
(५) नेशनल माईनोरिटीज कमिशन

(६) N.M.S.T इन्टरनेशन लॉ
(७) सदर जमहूरिय्यत हिन्द (राष्ट्रपति श्री)
(८) श्री सुप्रिन्टेन्डेन्ट साबरमती सेन्ट्रल जेल
(९) एटवोकेट जनाब मुश्ताक अली अब्बास अली सैयद
(१०) अमीर जमीअत उलमा ए हिंद
(११) सदर ओल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

इसी तरह जेल कस्टडी के बाद पोटा कोर्ट के सामने तारीख ०५-११-२००३ को सबसे पेहली पेशी पर मैंने ज़बानी भी अपनी मज़लूमीय्यत व बेकसुरी की दास्तान सुनाई।

और फिर हमारे दिफ़ाअ (बचाव) में कई गवाह थे। जिन में जेल और सिवील होस्पिटल के डॉक्टर हज़रात थे जो खुद सरकारी अमलदार (कर्मचारी) थे। लेकिन नीचली कोर्टोंने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दीया। यहां तक के मेरी गैरक्युनी हिरासत के भी गवाह थे। नीचली अदालतों ने अपने जजमेन्ट में उस गवाह (राबीयाबहेन मनसुरी) का जीक्र तक नहीं किया। जिस पर सुप्रिम कोर्ट ने कहा :

''बहर हाल २००३ की F.I.R. **नं. ३०९० (दस्तावेज नं. 733) मोजूदह केस में ये बताती है के डी.डबल्यु ३ को कुछ दुसरी औरतों के साथ आई.पी.सी. की कलम 188 के तहत गिरफतार कर लिया गया था। क्युं के वोह लोग अपने इलाके के कुछ लोगों की गिरफतारी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इस को जब G.P.K. /V.S. / 774 /2003 के उस एलान के साथ मिलाकर समझा जाए जो के अहमदआबाद के पुलीस कमिशनर ने जारी किया था के तारीख १६-०८-२००३०को ००:०० बजे से तारीख ३१-०८-२००३ २४:०० बजे तक ४ लोगों से जियादह इकट्ठा होना, मीटींग करना और् किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करना मना है। तो सच्चाई के नीचे छुपी हुई ऐसी कहानी सामने आती है जिस को पुलीस ने छुपा दिया था और नीचली कोर्टोंने उसे नज़र अन्दाज़ कर दिया था''** (सुप्रिम कोर्ट जजमेन्ट पेज नं. २७७, गुजराती तरजमा पेज नं. १९८)

दहशतगर्दी, इस्लाम और मीडीया का रोल

सुप्रिम कोर्ट के जजमेन्ट के बाद मुझे अपनी सफाई पेश करने की ज़रुरत नहीं । लेकिन मौजूदह हालात में एक मुन्ज्जम आलमी साज़िश के तहत इस्लाम और मुसल्मानों को लेकर दहशतगर्दी का तअना दीया जाता है। और मुसल्मानों को शक की निगाहों से देखा जाता है । आम मुसल्मान इस साज़िश का शिकार होकर एहसासे कमतरी और एहसासे जुर्म में मुब्तला हो जाते है।

आइये हम देखें के वाकिअतन इस्लाम दहशतगर्दी की तअलीम देता है ?

वोह मुकद्दस मज़हब के जिस के नाम ही में अमन (ईमान० और सलामती (इस्लाम) के मअना मौजूद हों वोह दहशतगर्दी का हामी कैसे हो सकता है ?

इस्लाम अमन व आश्ती और सुलह व सलामती का मज़हब है । इस ने इन्सानी जिन्दगी की हुरमत को इतनी एहमिय्यत दी है के एक बेकसुर के कत्ल को पुरी इन्सानिय्यत के कल्त से और एक बेकसूर की जिन्दगी बचाने का इन्सानिय्यत के बचाने से ताबीर किया है।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ
وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

इस्लाम में देहशतगर्दी (यानी लोगों को खोफ व हरास में मुब्तला करना) और जुल्म की सख्त वईद है । कुरआने पाक में एक जगह फरमाया :

ولا يجرمنكم شنآن قوم علىٰ ألا تعدلوا، إعدلوا هو أقرب للتقوىٰ

किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना इन्साफी और जुल्म पर न उभारे, इन्साफ करो, यही तकवा के करीब की बाते हैं ।

एक और जगह इर्शाद फरमाया :

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا،
وتعاونوا على البر والتقوىٰ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

किसी कौम की इस बात को लेकर दुश्मनी के उन्होंने तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका था, तुम्हें दुशमन जुल्म करने पर माईल न करें और नेकी और तकवा के कामों के लीये आपसमें मदद करो और गुनाह व जुल्म पर आपस में मदद मत करो ।

दहशतगर्दों किसे केहते हैं ?

दहशतगर्दी, आतंकवाद या Terrorism का मअना खौफ व हरास और हैबत व दहशत फैलाना है। अपने मकसद के हुसूल के लीये मासुम, बेगुनाह, बेकसुर लोगों की जान-माल, इज्जत-आबरु और मज़हब व मज़हबी ईबातदगाहों को निशाना बनाना, डराना-धमकाना, खौफो हरास का माहौल पैदा करना ये दहशतगर्दी है।

याद रखीये ! सिर्फ बोंब धमाके करना ही आतंकवाद नहीं, बल्कि जुल्मों सितम और खौफो हरास फैलाने वाली हर हरकत आतंकवाद है । हाकिम का अपनी रिआया पर जुल्म करना, महकूम व मजबूर हकवालों का हक मारना और हक की आवज़ दबाने के लीये की जानेवाली तमाम कोशीश व हरबे आतंकवाद है । बेकसूर व मज़लूम लोंगों पर पुलीस का जुल्म और कानुन का गलत इस्तेमाल कर के उन्हें जेलों में बंद कर देना भी आतंकवाद है । नकसली जो कल्तेआम करें वोह भी आतंकवाद है । माओवाद जो खून की होली खेलें वोह भी आतंकवादी है । उल्फा का जुल्म भी आतंकवाद है । फिर्कावाराना फ़साद बरपा कर के मुस्लमानों और अकल्लियतों का कत्ले आम करना भी आतंकवाद है। भगवा संगठनो का घरवापसी के नाम से मुल्क में बदअमनी और खौफ़ व हरास फैलाना और बेबसो कमज़ोरो को मज़हब बदलने पर मजबूर करना भी आतंकवाद है । तोगडीया और उस जैसी गंदी ज़हनीयत रखनेवाले लोगों का गरीबों और मुसल्मानों को अपने घर और बस्तीयां खाली करने पर मजबूर करना भी आतंकवाद है । ईसाईयों, सीखों और दुसरी अकल्लियतों पर जुल्म करना, चर्च जलाना, दलित लडकियों को नंगी कर के गांव में

घुमाना भी आतंकवाद है। अकल्लियतों को उनकी सामान्य अधीकार से वंचित कर देना भी आतंकवाद है। इस्लाम तमाम किस्म के आतंकवाद की मजम्मत करता है। लेकिन अफसोस के आज लोगों ने आतंकवाद और दहशतगर्दी को नापने औऱ जांचने के दो पैमाने बना रखे है।

पेहले तो कोई भी वारदात हो तो इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर कभ ईमानदारी व दयानतदारी से तहकीक पर किसी हिन्दु तनजीम या अफराद या माओवादी, नकसलवादी, उल्फा वगैरह का नाम सामने आता है तो किसी न किसी तरह उनकी इस हरकत की तावील करने उसे जाईज़ ठहराने या हल्का व मामुली साबित करने की कोशीश की जाती है। हाल ही में बेंग्लोर धमाके मे अव्वल तो मुसल्मान ही को शकमंद बताया गया और तरह तरह की दहशतगर्दाना खबरें उससे जोडी गई। लेकिन इत्तिफाक से वोह शकमंद हिन्दु शख्स निकला तो केह दिया गया के वोह तो मंदबुद्धि (बेअक्ल) शख्स था। और यही नहीं ऐसे बेशुमार वाकेआत है के इस्लाम और मुस्लमानों के नाम पर दहशतगर्दी करनेवाले, धमकीयां देनेवाले, खौफो हरास और अफवाहें फैलाने वाले सहीह तहकीक व जांच पर गैर मुस्लिम साबित हुवे है। और मीडीया ने उन वाकिआत पर पर्दा पोशी या चश्म पोशी से काम लेते हुवे अपने मन्सब से खयानत की है।

मीडीया किसी भी मुल्क की तीसरी आंख होती है। मुल्क के बनाने या बिगाडने में मीडीया का बडा रोल होता है। पुलीस और मीडीया मुल्क से वफादारी और सच्चाई का अहद कर लें और मुल्क का निज़ाम चलाने में अपना गैर जानिबदाराना किरदार अदा करें तो इन्शाअल्लाह हमारे मुल्क में कोई दहशदगर्दाना वारदात नहीं होगी। और मुल्क अमन व अमान का गेहवारा बन जाएगा। लेकिन अफसोस ! पुलीस तो दूर की बात, हमारी मीडीयाभी ईस जुठ, तअस्सुब (कोमवाद) और बेवफाई का शिकार है।

किसी बेकसूर मुस्लमान की गिरफ्तारी पर पुलीस की झुटी स्टोरी को लेकर

ईलेक्ट्रोनीक मीडीया और प्रीन्ट मीडीया मे बडा टाईटल बनाया जाता है औऱ मुल्क भर का मीडीया आसमान सरपर उठा लेता है। लेकिन जब कोर्ट में पुलीस का जुठ बेनकाब हो जाता है और सच्चाई सामने आती है, तब मीडीया को सांप सुंघ जाता है।

चुनान्चे यही कुछ मेरे साथ भी हुवा है। मीडीया पेहले रोज़ से सारी सच्चाईयां जानता था। कभी कभी उन सच्चाईयों की झलक भी अख्बार मे दिखाई जाती थी। लेकिन आम तौर पर क्राईम ब्रान्च की जुठी स्टोरीयां ही उनके अख्बार की ज़ीनत बनती थीं। शुरुआत में रोज़ाना नई नई मसालेदार चटाकेदार कहानीयां शाएअ कर के मुस्लमानों को एहसासे जुर्म और एहसासे कमतरीमें मुब्तला करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अफसोस ११ साल के एक तवील एरसे के बाद नामदार कोर्ट के ज़रीये सारी सच्चाईयां सामने आ गई। तो हमारी गिरफ्तारी की (बडे बडे) टाईटल बनानेवाले रिहाई (बे गुनहो बाईज्जत बरी) की ईस खबर को अपने पेहलु में छोटी सी जगा देने पर भी खुश नहीं थे।

कुछ केसों में तो मीडीया का रोल निहायत ही तअस्सुब(कोमवाद) भरा और शर्मनाक होता है। जजों और कोर्टों का ज़हन बिगाडने के मकसद से बाकायदा नफसीयादी हम्ले कीये जाते हैं। और कोर्ट की सिमाअत और ट्रायल से पेहले ही मीडीया 'अपनी ट्रायल पुरी कर के मुल्जिम को मुजरिम करार दे कर सज़ाए भी सुना देती हैं'। चुनान्चे हमारे जजोंने अपील की सिमाअत के दौरान 'अरुसी' (तलवार फेमेली) के कत्ल के केस को लेकर मीडीया की शर्मनाक हरकत पर बडे अफसोस का इज़हार कीया था।

हाल ही में हमारे वज़ीरे दाखला व वज़ीरे मालीयात ने 'आशाराम' मुआमले में कुछ इसी तरह का इज़हारे खयाल कीया है।

बहरहाल जिहाद एक मुकद्दस अमल है। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम की बदर, औहद, और फत्हे मक्का की अदाओं पर भी फख्र है। और सिर्फ इस्लाम ही नहीं दुन्या के तमाम मज़ाहिब व कौमों ने मज़बह के नाम पर जंगे की

हैं। यहूदीयों और ईसाईयों ने मज़हब के नाम पर जो जंग लडी हैं वोह मोहताजे बयान नहीं। हिन्दु धर्म में भी महाभारत और रामायण की जंगो को मुकद्दस व धर्मयुद्ध के नाम से याद किया जाता है। यहां इश मज़मून पर तफसील की गुंजाईश नहीं।

नबीए करीम सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम ने तो जिहाद व किताल और जंग के मौके परभी बच्चों, औरतों, बुढों, कमज़ोरो, बीमारों और मज़हबी लोगों को कत्ल कर ने से मना किया है। मज़हबी इबादतगाहों (धर्मस्थान) की बेहुर्मती से मना फरमाया है। जब आमने सामने की लडाई में भी इन हज़रात की रिआयत का हुक्म दिया गया है तो बोम्ब धमाके कर के या दहशतगर्दाना वारदात के ज़रीये इन्हें नुकसान पहोंचाना तो कैसे जाईज़ हो सकता है?

इन्सानों के हुकूक तो बहोत बडी बात है, इस्लामने तो जानवरों, हत्ता के च्यूंटी (कीडी) के भी हुकूक दीये हैं। चुनान्चे मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरह (रदीअल्लाहो अन्हो) की एक रिवायत है के हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम ने फरमाया : अगले अंबिया अलयहिस्सलाम में से एक नबी अलयहिस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे पडाव किया। चुनान्चे च्युंटीयों के झुंड में से एख च्युंटी ने आप को काट लीया। उन्होंनें तमाम च्युंटीयों को जला देने का हुक्म दिया तो अल्लाह तआला ने वही भेजी के आपने सिर्फ उसी काटने वाली च्युंटी को क्युं नही जलाया? (यानी दूसरी बेकसुर च्युंटीयों को क्युं जला दिया? इस्लाम ही कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत की बशारत और बिल्ली को मारने पर जहन्नम की वईदे सुनाता है।

अल्हम्दुलिल्लाह मैं न आतंकवाद था न हुं। हां अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ज़ुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाई है। मज़लूमों, कमज़ोरो की मदद की बात की है। आईन और बंधारण ने हमें जो हुकूक दीये हैं उस के हक में आवाज़ बुलन्द की है और इन्शाअल्लाह आईन्दा भी करता रहुंगा। लोग इसे जो चाहे नाम दे सकते हैं।

जेल क्या है?

इन्सानी दुन्या में पुराने ज़माने से जेल और कैदखाने का तसव्वुर है। गुनेहगारों को सज़ा देने और गुनाहों पर रोकथाम के लीये दुन्या के तमाम मुल्कों व मज़हबों ने कैदखाने की ज़रुरत को महसूस किया है। इस्लाम में अगरचे ताज़ीरात व हद और सीमा है। ताहम कुछ मुकद्मात व मामलात मैं कैद की भी गुंजाईश व ज़रुरत को बयान किया गया है। हज़रत नबीए करीम सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम ने गज़वए बदर के मुश्रिकीन को कैद किया था। सीरते तय्येबा में कैद किये जाने के और बी कुछ वाकेआत व नज़ीरे मिलती है। दुन्या का निज़ाम और उमूरे सल्तनत के लीये जहां कैदखाने और जेल का इस्तेमाल होता चला आया है। वहीं मुखालिफीन को ज़ेर करने, सियासी हरीफों और तरहीकों को खत्म करने के लये, लोगों को मरउब करने और दहशत फैलाने के लीये, हक की आवाज़ को दबाने के लीये, कदीम ज़माने से इस का ज़ालिमाना और नाजाइज़ इस्तिमाल होता चला आ रहा है।

हज़रत युसुफ अलयहिस्सलाम जैसे बे-दाग, बेकसूर और पाकज़ा नबी को अज़ीजे मिस्र की बीवी ईसी कैद की धमकी देती है और अपनी सहेलीयों के सामने बडे फख्र से केहती है।

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل مآ امره ليسجنن وليكونًا من الصاغرين

(बेशक मैंने इन्हें अपनी जानिब खींचने की कोशीश की, लेकिन ये बच गए, लेकिन अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो इन्हें ज़रुर कैदखान में डाल दिया जाएगा। और बहोत ज़लील ख्वार होगा) आगे फरमाया :

ثم بدا لهم من بعد ما راو الأيات ليسجننه حتّى حين.

फिर उन लोगों को (हज़रत युसुफ अलयहिस्सलाम की पाक दामनी की)बहोत सी निशानियां देख लेने के बाद ये मुनासिब मालुम हुवा के एक ज़माने तक आपको कैद में डाल दिया जाए।

(अजीजे मिस्र कीबीवी को बदनामी से बचाने और बात दबाने की गर्ज़ से आपको कैद में डाल दिया गया)

ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान फिरऔन ने हज़रत मुसा अ.स. को ईसी कैद व बन्द की सउबतों और सख्तियों से डराया, केहने लगा :

قال لئن اتخذت إلهًا غیری لأجعلنک من المسجونین.

(आपने अगर मुझे छोड कर किसी और को अपना मअबुद बना लिया तो मैं कैदियों के साथ आप को भी कैदखाने में डाल दुंगा)

बनू अब्बास ने हुकूमत की बागडोर संभालते ही सबसे पेहलु बनु उमैया के अपने सियासी हरीफों और् लीडरों को कैद करने का काम किया था। चुनान्चे हर दौर में इसका जाईज़,नाजाईज़ इस्तिमाल होता रहा है।

गलत मकसद व नाजाईज़ इस्तेमाल की वजह से आज के कैदखाने परवरिश और सुधार की बजाए जुर्म की तालीमगाह और मुजरिम बनाने की फेक्टरीयां बनती जा रही है। यहां गुनाह के मुख्तलिफ तरीके सिखानेवाले ज़रुर मिलतेहैं। लेकिन परवरिश और सुधार दीखाई नही देते।

हाँ, पारगी साहब जैसे आटे में नमक के बराबर कुछ अधीकारी कैदखाने व कैदीयों की देख रेख के हामी और इन्सानी हक के अलम बरदार ज़रुर है। लेकिन जब तक हुकूमत व कोर्ट और इस्लाही तन्ज़ीमों को पुरा मदद न हों तो ये कोशिशें काम नहीं आ सकती।

जेल की ये अजीब व गरीब दुन्या बज़ाहिर बाहर की दुन्या जैसी ही होती है। बाहर की दुन्या जैसे ही इन्सान, वही शक्लें, सूरतें, वही रात-दिन और मौसमों का आना जाना, सारी चीज़ों में समानता के बावजुद बुलंद चार दीवारीयों और किल्आनुमा फसीलों के दरम्यान ये एक अलग ही दुन्या है।

चुनान्चे प्रोफेसर खुरशीद अहमद साहब ने जेल की तारीफ इन अल्फ़ज़ मे की है।

जेल एक दूसरी ही दुन्या का नाम है। कुछ एकर ज़मीन का वो टुकडा जिस

पर जेल बनी है, बज़ाहिर ईसी खाके वतन का एक हिस्सा है। यहां भी उन्हीं ईंटो और पथ्तरों से कोठडीयां और खोलीयां बनाई जाती हैं, जिन से बाहर की इमारतें बनती हैं , यहां भी वैसी ही शक्लों सुरत के इन्सान पाये जाते हैं जो बाहर की दुन्या में बसरते हैं। लेकिन इन सब के बावजुद कैदखाना एक दूसरी ही दुन्या का नाम है, जाहिरन चाहे कितनी ही मुमासलत व समानता हो लेकीन हकीकत ये है के यहां की हर चीज़ अलग, हर बात निराली, हर शय मुन्फरीद है। यहां के पुरे माहोल पर एक खास फिज़ा तारी है। गुठन, परागंदगी, जुर्म व मअसीयत का साया हर चीज़ से ज़ाहीर होता है। बेबसी और पाबन्दी यहां दस्तूर व कानून है। आज़ादी, खुद्दारी और इज्जते नफ्स की परछाईयां भी यहां नज़र नहीं आती। हर चीज़ पर एक सोगवारी और मातम छाया हुवा है। यहां की हर ज़बाने हाल से पुकार पकार कर केहती है मैं कैदी हुं। जेल की चार दीवारी में कदम रखते ही गुठन व बेबसी और मजबुरी व बेचारगी का एहसास होने लगता है । (तज़किरए जिन्दां)

और बकौले हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (रह.)

कैदखाने में भी सूरज तुलूअ व गुरूब होता है, यहां भी रात में तारे चमकते हैं, यहां की सुब्ह भी अंधेरे को चीर कर रोशनी लाती है, यहां भी खिज़ां के बाद बहार आती है, यहां भी सुब्हमें परिन्दे चहकते हैं, मगर इन के मआनी बहार की दुन्या अलग है। रिहाई के लीये पल पल गिन कर इन चिज़ों का जाईज़ा लेना एक कुदरती अमल था । बहार के आने की उम्मीद लीये कंई बहारें बीत जाती थी । मगर फिर भी बहार का इन्तिज़ार बाकी रहता था (कैदी नं. १०० भारती जिन्दा में मेरे शबो रोज़)

जेल की करन्सी रिश्वत का सिक्का

साबरमती जेल भी इस से अलग नहीं थी, वही सारी बेबसी व बेकसी, मजबुरीयां व लाचारीयां यहां भी नज़र आती थीं, कदम कदम पर पाबन्दीयां व गुलामी का एहसास होता था। लेकिन ये सारी पाबन्दीयां और सख्तीयां गरीब और बेबसों ही के लीये थी । गुनेहगारों, मालदारों और रुपिया बहानेवालों के लीये यहां जंगल में मगल का समां था। रिश्वत का चलन था। रिश्वत देने पर सारी ही रोक लगाई हुई चीज़ें बडी आसानी से हासिल हो जाती थीं । रिश्वत देकर मालदार जहां सारी गैरकानूनी

सहूलतें हासिल कर लेते थे वहीं गरीब अपने जाईज़ व कानूनी हुकूक के लीये भी रिश्वत देने पर मजबूर थे। शेर बाज़ार की तरह यहां रोज़ाना बीडी, सिगरेट, तम्बाकु और दुसरी चीजों के दाम बहार पडते थे। बीडी तम्बाकु के तलबगार गरीब कैदीयों के हिस्से में लोगों के मुंह तकना या दूरी ही दूर से आंखे ठन्डी कर लेना होता था। बाज लोग जेलमें गुंद और बड के दरख्त के पत्तों को बीडी बनाकर अपनी प्यास बुझा लेते थे, हां, बहुत से कैदी ऐसे बी थे जो एक बीडी तम्बाकु की एक चुकी के लीये मालदार कैदीयों के कपडे, बरतन, झाडु कर देते थे, और अपनी ये नफ्सानी आग बुझाते थे।

लेकिन ये जेल अपनी तमामतर सख्तीयों और पाबन्दीयों के बावजूद बहोत से गरीब व बेबस बेसहारा कैदीयों के लीये राहत व सहारे का काम भी देती थी। मैंने कई कैदी ऐसे देखे जो बारिश की मौसम में हर साल बाकायदा इरादतन केस बनाकर वक्त गुज़ारी के लीये जेल में चले आते थे। कई ऐसे थे जो रोज़ी रोटी की जद्दो जहद से परेशान सालमें कई कई मरतबा जेल में आते थे। क्युं के यहां दो वक्त चा और दो वक्त की रोटी आसानी से मयस्सर हो जाती थी। और सर छुपाने को छत मिल जाती थी। बहोत से गरीब व दिहाती कैदी को जेल व कोर्ट की जानिब से साल में १४ रोज़ की छुट्टी (फर्लो) मिलती थी, लेकिन घर पर कोई पुरसाने हालनहीं होता था और ये बेचारे ४-५ दिन पेहले ही जेल में वापस चले आते थे। जेल में इतवार और बुधके रोज़ थुली का सिरा बनता था। खाने के शोकी न कई कैदी ऐसे थे जो ये थुली खाने के लीये अपनी छुट्टी खत्म होने से दो-दो, तीन-तीन दिन पेहले ही जेल में चले आते थे, बाज़ कैदी ऐसे भी थे जो अपनी रिहाई की खबर सुनकर गमगीन हो जाते थे, उन्हें भविष्य की फिक्र सताने लगती थीं। हमारे यहां दस खोली में राजकोट का एक गरीब कैदी था। दिन भर केदैयो के कपडे धोकर अपना गुज़र बसर करता था। जब उसे रिहाई की खबर सुनाई गई तो बडे गमनाक लहजे में केहने लगा के मैं घर जाना नहीं चाहता। मुझे कैदीयों के कपडों की धुलाई के पैसे लेना बाकी है। लेकिन उसे जबरन जेल से बहार निकाला गया। मजबुरी व बेबसी की ये लम्बी दास्तान है जो यहां बयान नहीं की जा सकती।

जेल की तारीक दुन्या में
(साबरमती सेन्ट्रल जेल)

शहर अहमदआबाद में बेहती साबरमती नदी के सामने किनारे साबरमती रेलवे स्टेशन के सामे राणीप नामी बस्ती के करीब बडे वसीअ व अरीज़ खीत्ते में ये साबरमती जेल बनी हुई है। सन १८८५ में अंग्रेज़ ने ये जेल बनाई थी। जेल में जाने के गम पर क्राईम ब्रान्च के जुल्म से छुटकारा पाने की खुशी गालीब आ गई। और जेल की बुलन्द व मज़बुत किलानुमा दीवारों पर नज़र पडते ही कुछ सुकून हो गया!

जेल इहाते में गाडी रखकर जेल के बडे दरवाज़े में बनी खिडकी से हमें अन्दर दाखिल किया गया, जेल में दाखिल होते ही बायें हाथ पर काउन्टर टेबर पर ज़रुरी कारवाई पुरी करने के बाद दाहने हाथ पर पहेली ओफीस में उस वक्त के सीनीयर जेलर जनाब मकवाणा सा. के सामने पेश किया गया। ओफीस में C.C.T.V. की स्क्रीन पर मैंने देखा मौल्वी अब्दुल्लाह सा. व दीगर कुच मुसलमान (जीन से बाद में तआरुफ हुवा) एक छोटे से बगीचे में असर की नमाज़ अदा कर रहे थे। जिसे देख कर बहोत सुकुन हुवा। मकवाणा सा. भी मेरे चेहरे के उतार चढाव को जान गये थे। केहने लगे इन के पास जाना है ? मैंने कहा जी हां, केहने लगे कोई शिकायत नहीं आनी चाहीये, मैंने कहा इ.अ. नहीं आएगी। कहा ठीक है, इन्हें हाई सिक्युरीटी भेज दो। वहां से हमें सामने बायें हाथ पर बनी अलग अलग ओफीसों से गुज़ार कर आखिर में एक वसीअ कमरे में ले गए, जहां लिखा हुवा था 'अंडर ट्रायल विभाग' वहां कुर्ता उतार कर पुश्त वगैरह चेक की गई और चेहरे, पुश्त, बाजु, जहां भी शनाख्त की कोई इम्तियाजी पहेचान नज़र आई उसे नोट कर लिया गया। इसे चेहरा निशानी कहा जाता है।

हाई सिक्युरीटी

साबरमती जेल में बनाहुआ हाई सिक्युरीटी ज़ोन आअराफ की हैसीयत रखता है। क्राईम ब्रान्च के भयानक जुल्म से गुज़र कर जेल में आनेवाले को हाई सिक्युरीटी बावजुद अपनी तमाम सख्तीयों और बन्दीशो के जन्नत मालुम होती है, और जेल ही में बनाहुआ बडा चक्कर, छोटा चक्कर और दुसरे यार्डों से अगर कैदी को हाई सिक्युरीटी में डाल दिया जाए तो हाई सिक्युरीटी उसे जहन्नम बल्कि जहन्नम का आखरी दर्जा मालुम होता है। हाई सिक्युरीटी में एक अंडे की शक्ल की इमारत है। जिस में तकरीबन आठ खोलयां है, ये जेल की सब से खतरनाक जगह समझी जाती है, इसे अंडे सेल कहा जाता है, जेलमें रेह कर भी जराईम करनेवालों औऱ खतरनाक कैदीयों को, ईसी तरह जिन की जान को खतरा हो इस किस्म के कैदीयों को यहां रखा जाता है, जेल में आम हिस्सों के मुकाबलेमें यहां हिफ़ाज़ती इकदामात जियादाह सख्त और जेल मेन्युअल पर कुछ ज़ियादा सख्ती से अमल किया जाता है। जेल में मेईन गेट, यार्ड गेट के अलावह तीन सालों में इन्हें बन्दि किया जाता है। पहेला ताला अंड़ा सेल के मेईन दरवाज़े पर, उससे दो तीन कदम पर दूसरा ताला और तीसर ताला खोली पर लगाया जाता है।

हम हाई सिक्युरीटी में दाखिल हुवे, गेटमें दाखिल होते ही बाएं हाथ पर एक छोटा सा केबीन की शक्ल का हुजरा था। जिसे जेल की इस्तिलाह में पेटी कहा जाता है। वहां हमारी एन्ट्री हुई और बाहर बरामदें में बनी हुई खोली नं. ३ में हमें सामान रखने के लीये कहा। वहां इस्तिकबाल में मौ.अब्दुल्लाह सा. व जावेदखान और सलीमभाई और कुछ दूसरे मुसल्मान और गैर मुस्लिम भाईयों से मुलाकात व पहेचान हुई। इन लोगों ने काफी हमदर्दी का इज़हार किया और होसला दिलाया।

साथीयों से पहेचान व असर की नमाज़ और खाने से फ़रागत के बाद थोडी ही देर मे बन्दी आ गई।

जेल के शबो रोज़ व इस्तिलाहात (बोल-चाल)

अल्लाह रब्बुबल इज्जत ने बाहर जो आज़ादी और अपनी अनगीनत नेअमतों से नवाज़ा था। हंमेशा उस की नाकदरी औऱ गलत इश्तेमाल करता रहा। खुली और आज़ाद फिज़ा की सांसे जो अल्लाह तआला की एक बहोत बडी नेअमत है उस का एहसास जेल की पाबन्दीयों, बंदीशो और गुलामी का एहसास दिलानेवाले सख्त कानुन को देखकर हुवा। घर पर मां-बाप, बीवी, बच्चे और रिश्तेदारों के पास बैठने, उनकी खिदमत करने, हक अदा करने और सिला रहमी का वक्त नहीं मिलता था। दिन भर की मश्गूली के बाद रात का अकसर हिस्सा फुज़ुल बाते और घुमने मे गुज़र जाता था। घर की हैसीयत एक मुसाफिरखाने या गेस्ट हाउस जैसी रह गई थी। सिर्फ खाने और देर रात सोने जाता था। आज जब पेहली ही रातमें शाम लगभग ५:४५ के करीब हमें खोली नं.३ में बन्द कर दिया गया तब अल्लाह तआला की इन सारी नेअमतों की कदर हो रही थी। मां-बाप, बीवी-बच्चे रिश्तेदारीयां, दोस्त अहबाब, आज़ाद फिज़ाएं, खुली हवाएं, रात की महफिलें सब कुछ याद आ रहा था। लेकिन अब शर्मिंदगी और पचताने और तौबा इस्तिग्फार के सिवा क्या किया जा सकता था ? हाई सिक्युरिटी की ये बाहर की खोलीयां भी डबल लोकवाली थी। पेहले खिडकी जैसा दरवाज़ा था। उस में से झुक कर अंदर जाते, फिर तकरीबन ४-५ फुट का बरामदे जेसा छोटा कमरा था। फिर दुसरा दरवाज़ा था, दोनों पर तालें लगाए गए। मेरे साथ खोली में मौ.अब्दुल्लाह सा., आदमभाई और मन्जूर (हैदराबाद) को बन्द किया गया। हमारी गिनती की गई और दरवाज़ों पर ताले लगा कर सिपाही चले गए। जेल की पेहली रात अपनी पाबन्दीयों और सख्त कानुन के बावजुद बडी पुर सुकून मालुम हो रही थी। चालीस दिन की मुसल्सल मसाइब व तकलीफों के बाद आज पहेली बार साथीयों से पुर सुकून माहोल में बात करने का मौका मिला। मौ.अब्दुल्लाह सा. से तो मेरा तआरुफ था। आदमभाई का तआरुफ हुवा और क्राईम के जुल्मों सितम और केस के बारे में कुछ बातें करते हुवे मगरिब के बाद ही हम तमाम साथी सो गये और रात देर से १ बजे के करीब इशा की नमाज़ बा

जमाअत अदा की। क्राईम ब्रान्च में खौफ व हरास की वजह से आंखों से नीन्द गाईब हो चुकी थी। अब यहां उस की तलाफी हो रही थी। चुनान्चे शुरुआत में कई रात यही हुवा के बावजुद हज़ार कोशीश के मगरिब बाद ही नींद आ जाती और देर रात उठकर इशा की नमाज़ अदा करते थे।

कारीईने किराम ! यहां मुनासिब मालुम होता है के जेल की कुछ ज़रुरी इस्तिहालात व हुक्म अर्ज़ कर दुं ताकि आईन्दा उन अल्फ़ाज़ को समझना आसान हो।

I.G.P. : इन्सपेक्टर जनरल ओफ प्रिज़न (जेल)

D.G.P. : डेप्युटी इन्सपेक्टर जनरल ओफ प्रीज़न (जेल)

सुप्रिन्टेन्डेन्ट : उच्च नियंत्रक

सीनीयर जेलर : सब से बडे जेलर (P.I. रेन्ज)

जेलर : (P.S.I. रेन्ज)

सुबेदार, जनरल सुबेदार

हवालदार, सिपाही : जेल स्टाफ में अलग अलग ओहदेदार

अंडर ट्रायल केदी : जिन के केस ज़ेरे सिमाअत हैं।

पक्के कैदी : (कन्वीक्टेड) जिन्हें सज़ा हो चुकी है।

आसान : जिन्हें आसान सज़ा है इन्हें प्राईवेट कपडे, प्राईवेट बिस्तर की ईजाज़त होती है, लेकिन इन्हें माहाना सात रोज़ की माफी नहीं दी जाती।

सफेद टोपी : जिन्हें पांच साल से कम की सज़ा हुई हो।

पीली टोपी : जिन्हें पांच साल या उससे ज़ियादा की सज़ा हुई हो।

लाल टोपी : जो कैदी (सज़ा के बाद) जेल से या रजा के दौरान घर से (कोर्ट से) भाग चुका हो तो दोबारा गिरफ्तारी के बाद उसे लाल टोपी पेहनाई जाती है, उसे लाल टोपी कहा जाता है, (जेल की जानिब से मिलनेवाली माफी और

दुसरी बहोत सी छुट से ये कैदी वंचीत हो जाता है)

वोर्डर : कैदीयों में से ही कुछ कैदीयों को यार्ड और सेल में बतौर निगरान तय किया जाता है। जिन में से सीनीयर व काबिल को वोर्डर बनाया जाता है। इन्हें पीली इज़ार, बेल्ट और डन्डा दिया जाता है। जेल की जानिब से इन्हें माहाना तन्खाह भी दी जाती है।

वोचमेन : यार्ड और् सेल का कैदी निगरान (माहाना तन्खाह दी जाती है)

सेवक : सज़ा याफ़्ता कैदीयों में सालाना चुनाव होता है और कुछ लोगों को कैदीयों की प्रतीनीधीत्व के लीये चुना जाता है। इन्हें काफी नियंत्रण दीये जाते हैं और तन्खाह भी दी जाती है।

मेटन : खवातीन कैदीयों की निगरानी

नर्सींग ओर्डली : बीमार कैदीयों को तीमारदार और मुआलिज

बन्दी करना और खोलना : शाम ५:४५ के करीब हमें खोली नंबर तीन में बंद किया गया। उसका तरीका ये था के शाम ५:४५ बजे के करीब जेल के कैदीयों को अपने अपने सेल में बन्द कर दीया जाता। सेल में सिपाही आते और कैदीयों की नौईय्यत के एतबार से गिनती करते थे। फिर कुल गिनती होती थी। मसलन : जेरे सिमाअत, सज़ावाले, फिर सज़ा में आसान, सफेद टोपी, पीली टोपी, लाल टोपी, फांसी वगैरह गिनती करने के बाद सारी गिनती बडे दफ्तर (जिसे जेल इस्तिलाह में बडी पेटी कहा जाता है) पर पहोंचाई जाती थी।

जब पुरी जेल का मजमूआ मिल जाए तब ही शाम वाले सिपाही को छुट्टी दी जाती है। इसे बंदी कहा जाता है। रात भर बन्द रखा जाता था और सुब्ह ६:०० बजे बाद इसी तरह गिनती के बाद दोपहर १२:०० बजे तक हमें खोल दिया जाता था। इसे बंदी खोलना केहते है। दोपहर में १२:०० से ३:०० बजे तक फिर बंद कर दिया जाता था। कैदी को नाहने धोने, यार्ड में घुमने फिरने, वरजिश करने, खेलने, कुरआने पाक औऱ दीन, दुन्या सीखने सिखाने और दीगर तमाम जरुरियात पुरी करने के लीये वक्त दीया जाता था। इसी दौरान सुब्ह ९:०० बजे दोपहर का खाना दे दिया जाता था। सुब्ह की घर की मुलाकात वकील मुलाकात भी इसी वक्त में निमटाई जाती थी। १२:०० बजे बाद बन्दी ही में ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाती थी। दोपहर में ३:०० बजे बन्दी खुलने पर चाय दी जाती थी, ३:०० बजे से ६:०० बजे तक नाहना, धोना और दीगर सारी जरुरतें पुरी करने के लीये वक्त दीया जाता था। तकरीबन ४:०० बजे शाम का खाना दे दिया जाता था। जेल मेन्युअल के एतेबार से ६:०० बजे से पेहले रात का खाना खा लेना जरुरी होता था। बसूरते दीगर ६:०० बजे बाद अगर बन्दी में खाना रखा और झडती (चेकींग) में खाना पकडा गया तो कैदी पर खटला होता था और उसे सज़ा दी जाती थी। (हाई सिक्युरीटी में इस कानुन पर बडी सख्ती से अमल होता था। दूसरी जगाओं पर इस मामले में आम

तौर पर सिपाही चश्म पोशी और रहम नज़र रखते थे)

झडती : जेल में मम्नूअ (प्रोहीबीटेड – प्रतिबंधीत) चीजों की रोकथाम के लीये बाकाईदा झडती दस्ता भी था। मोबाईल फोन, बीडी, तम्बाकु, रोकड रकम वगैरह की बरामदगी के लीये यार्डों और बेराकों की कभी कभी तलाशी ली जाती। कैदीयों के जिस्मों और कपडों की भी तलाशी ली जाती। हत्ता के शकमंद अफराद को बरहना कर के सिर्फ टुवाल पेहना कर भी चेक किया जाता था। जेल स्टाफ और आई.जी. के बाज अफसरान झडती करने और प्रतिबन्धीत चीज़ों की बरामदीगी में बडी ही महारत रखते थे। इस के अलावह कभी कभी क्राईम ब्रान्च व अलग अलग एजन्सीयां भी तलाशी के लीये आती थी। लेकिन इन सब के बावुजूद सारी ही मम्नूआत यहां मिल जाती थी। यहां कभी शटडाउन नहीं होता था। ये सारी चीज़े कहां से आती थी बयान करने की ज़रुरत नहीं।

सीटी : जेल की बोल–चाल में सब से खतरनाक लफ्ज़ है सीटी बजना।

आम हालात में जेल का माहोल सर्द मगर पुरसुकून होता है। जेल कानुन की पाबन्दी पर यहां जुल्मो सितम और मारपीट नहीं होती। जेल स्टाफ और वौर्डर वोचमेन के डंडे औऱ पट्टे के इस्तेमाल की आम तौर पर नौबत नहीं आती। खास कर सज़ावाले कैदीयों के साथ इन हज़रात का सुलूक बडा हमदर्दाना और

नरम होता है। लेकिन अगर जेल में कोई हादसा पेश आ गया या किसी कैदी ने जेल स्टाफ के साथ दस्तदराज़ी (हाथापाई) कर दी और जेल पुलीस ने सीटी बजा दी तो कयामत बरपा हो जाती थी है। उस वक्त जेल पुलीस ज़ुल्म व दरीन्दगी के सारे रेकोर्ड तोड देती है। सीटी की आवाज़ पर जेल स्टाफ, वोर्डर, वोचमेन और कारकुनान डन्डे और पट्टे लेकर बाकाईदा हम्लावार फौज की तरह यार्डों और बेरेकों में हल्ला बोल देते हैं। उस वक्त गुनेहगार और बेगुनाह में कोई फर्क नहीं कीया जाता। निहायत ही बेदर्दी और बेरहमी से कैदीयों को पीटा जाता है। बाज़ मरतबा तो कैदीयों को अपनी बेरेकों में बंद करने के बाद बारी बारी एक एक कैदी को निकाल कर पीटा जाता है। उस वक्त ज़ुल्म व तशद्दुद का जो मन्ज़र होता है उन के सामने क्राईम ब्रान्च के मज़ालिम हल्के मालूम होते है। हालांके ऐसा बहोत कम होता है। ११ साल के अरसे में तकरीबन ४-५ मरतबा ही सीटी बजी थी। चुनान्चे इसी तरह का एक वाकिआ २७ मराच २००९ जुम्आ के रोज़ पेश आया था। लेकिन उस वक्थ भी अल्लाह तआला ने हम तमाम की हिफ़ाज़त फरमाई थी।

जेल के अलग अलग शोअबे व हुनार

सुप्रिन्टेन्डेन्ट की ओफीस :

सीनीयर जेलर की ओफीस :

अंडर ट्रायल : ज़ेरे सिमाअत केसों से मुताल्लिक दस्तावेज़ व ज़रुरीयात की ओफीस

ज्युडीशीयल : सज़ा याफ्ता कैदीयों से मुताल्लिक दस्तावेज़ व ज़रुरियात की ओफीस

महकम : कैदीयों के मनी ओर्डर, वेजीस, भथ्था (खाना, चाय वगैरह) के हिसाब किताब की ओफीस

मुलाकात रुम : कैदीयों को अपने रिश्तेदारों से हफ्तेमें एक बार जहां मुलाकात दी जाती है।

वकील मुलाकात रुम : कैदीको अपने वकील से मुलाकात के लीये एक रुम।

दवाखाना : यहां तकरीबन तीन एम.बी.बी.एस., डोक्टर खिदमत अन्जाम देते हैं। आउटडोर ओ.पी.डी. के अलावह मामुली बीमारीयों के लीये इनडोर का भी इन्तिज़ाम है। बडी बीमारी और एक्स-रे , सोनोग्राफी वगैरह के लीये सीवील होस्पिटल भेजा जाता है।

टेली मेडीसीन : कभी कभी बीमारी की तश्खीस व ईलाज के लीये जेल के डोक्टर हज़रात सीवील के डोक्टर से वीडीयो कोन्फर्स के ज़रीये सलाह मशवरा भी करते हैं, इसे टेली मेडीसीन कहा जाता है।

कोर्ट रुम : यहां २६८ वालों का केस चलता है।

केन्टीन : जेल में केन्टीन की सहूलत भी मुहय्या है , कैदीयों के लीये नाहने धोने के साबुन, शेम्पु, टुथपेस्ट, ब्रश, तेल व दीगर ज़रुरीयात की चीज़े बेची जाती हैं, इसी तरह यहां की बेकरी का तैयार किया गया नाश्ता भी

बेचा जाता है। इसी तरह तकरीबन रोज़ाना दोपहर के बाद पकी हुई विविध सब्ज़ीयां भी मुनासिब दाम से बेची जाती हैं। सुरंगकान्ड से पहले महीने में एकाद मरतबा मुरघी भी बनाई जाती थी। लेकिन २०१२ में सुरंगकान्ड के बाद मुरघी बंद कर दी गई थी। जेल की जानिब से दी जानेवाली सब्ज़ी आम तौर पर लज़ीज़ नहीं होती थी। इसलीये लोग केन्टीन से सब्ज़ी खरीद कर काम चला लिया करते थे।

वी.सी. : कैदीयों का लंगरखाना है, यहां रोज़ाना तकरीबन ३००० कैदीयों का खाना पकता है, मुस्तकिल भठीयारे नहीं होते, बल्कि यहां कैदियों ही को नोकरी पर रखा जाता है, और कैदियों ही की निगरानी में ये लंबा चोडा इन्तिज़ाम चलता है।

एज्युकेशन : जेल में कैदीयों की दुन्यवी असरी तालीम का भी मुश्तकिल इन्तिज़ाम है। इग्नु (इन्दीरा गांधी ओपन युनिवर्सिटी), डो. बाबा सा. आंबेडकर ओपन युनिवर्सिटी, अन्ना मालाई युनिवर्सिटी जेसे तअलीमी इदारों की जानिब से इम्तिहानात व सनद तकसीम के बाकायदा प्रोग्राम भी होतें हैं। इस के अलावा कोम्प्युटर क्लास, होन्डा रीपेरींग गेरेज जैसे क्लासीस भी है।

सुथार खाता, लुहार खाता, कपडा बुनाई, रेंटीया विभाग, : जेल में कसब व हुनर और ज़रीयए मआश के ववविविध स्त्रोत हैं, जहां कैदियों को हुनर सीखने

धोबीखाता, दरजी, बेकरी, वायरींग क्लास, लकडा फेल, हजाम फेल, कुडा (सफाई) फेल, फेक्टरी. और काम करने का मौका दिया जाता है और सुब्ह ८ बजे से शाम तकरीबन ५:०० बजे तक काम लिया जाता था और तन्खाह भी दी जाती थी। तन्खाह की आधी रकम उन्हें हर महीने दे दी जाती थी और आधी रकम पोस्टल एकाउन्ट में जमा की जाती थी और रिहाई के वक्त वोह जमा की हुई रकम उसे दे दी जाती थी।

ओडीटेरीयम : ये एक ओपन थीयेटरनुमा इमारत है और सामने बडा बागीचा है, यहीं इद की नमाज़ होती है, इसी तरह इस्लाही व तफरीही प्रोग्राम भी यहां होते है।

छोटा चक्कर, बडा चक्कर, आउट सेक्शन, भगतसिंग यार्ड, १० खोली, ५ खोली, बुढ्ढा बेरेक : ये कैदीयों की रुकन की जगह के नाम है, मुख्तलिफ कैदीयों को उनके नौईय्यत के हिसाब से मुख्तलिफ सेल और यार्ड में बन्द किया जाता था।

४ आफ्टर : यहां पागल कैदीयों को रखा जाता था।

बाई वोर्ड : यहां महीला कैदीयों को रखा जाता था।

तिलक यार्ड : यहां अंग्रेज़ी दौर में लोकमान्य तिलक को रखा गया था।

सरदार यार्ड : यहां वल्लभभाई पटेल को रखा गया था।

गांधी खोली : सन १९२२ में यहां महात्मा गांधीजी को रखा गया था।

कोरंटी : सज़ायाफ्ता कैदीयों के प्राईवेट कपडे, बिस्तर वगैरह यहां जमा किये जाते हैं, और यहीं से कैदी लिबास, कैदि बिस्तर वगैरह तकसीम किये जाते है।

वेल्फेर खोली	:	बडे ओफिसर और राजकीय कैदीयों को यहां रखा जाता है।
पंजा बेराक	:	ये निहायत ही वसीअ व अरीज़ होल जैसी एक बेरेक है, यहां पेहले कारकुन कैदीयों को रखा जाता था, अब यहां छोटे बडे इस्लाही व तफरीही प्रोग्राम होते हैं।
टी.बी. खोली	:	टी.बी. के मरीज़ों को यहां रखा जाता था।
फांसी खोली	:	जिसे फांसी की सज़ा होती है उसे यहां रखा जाता था।
मुर्दा खोली	:	जेल मे मरनेवाला कैदी जिस का कोई वारिस न हो उस की आखरी रुसूमात यहां अदा की जाती थी।
ओपन जेल	:	जेल की खेतीबाडी और गाय, भेंस संभालनेवाले और भजीया हाउस में नोकरी करनेवाले कैदीयों को यहां रखा जाता है।
नई जेल	:	साबरमती सेन्ट्रल जेल से करीब ही राणीप बस्ती में एक नई जेल बनाई गई है, २००९ में इसका इफ्तिताह हुवा। यहां ज़ेरे सिमाअत (अंडर ट्रायल) कैदीयों को रखा जाता है।

जेल का खाना

सुब्ह बंदी खुलने के बाद तकरीबन ७:०० बजे जेल की जानिब से १०० मिलीग्राम चाय दी जाती और हफ्ते में तीन रोज़ दस ग्राम सींग, दस ग्राम चने, एक टुकडा गुड़ दियाजाता।

सुब्ह खानें में पीर, बुध और शुक्र को तुवेर की दाल होती, मंगल, जुमेरात और सनीचर चने की दाल, २०० मिलीग्राम दाल के साथ कोबीज, करेले, बेगन या कोई

और् सब्जी का एक चम्मच दिया जाता। साथमें पियाज़ का एक टुकडा दिया जाता। शाम को बेगन, आलु, आलुप्याज़, कोबीज (बंद गोबी) वगैरह कोई भी सब्ज़ी होती। आम कैदीयों को एक से डेढ चम्मच सब्ज़ी और दो या चार पांच रोटी दी जाती। इतवार के रोज़ सुब्ह कढी होती और साथ में थुली या शीरा होता, ईसी तरह बुधके रोज़ भी थुली या शीरा होता, जिस की वजह से रोटी में कमी कर दी जाती और इतवार और बुधको छोटी रोटी ३ और बडी रोटी होतो सिर्फ एक एक रोटी दी जाती थी।

सुब्ह की दाल, चावल, रोटी तो किसी तरह खाने के काबिल होते थे। लेकिन शाम की सब्ज़ी खास कर कोबीज (बंद गोबी) और बेगन तो अल्लाह की पनाह! तेल और मीर्च मसाला की तो तवक्कोअ रखना ही बेकार था। कम अज़ कम रोटी पर शोरबे का असर दिखाई दे तब भी गनीमत होता। लेकिन जेल अमला (स्टाफ) को हमारी सिहत व हाजमे की जियादा ख्याल रहता, इसीलीये ऐसा लंबा पानी होता था के रोटी डुबाने के बाद जब बाहर निकाली जाती तो उस पर शोरबे के कोई असर नज़र न आते। बस उस वक्त मदरसे के लज़ीज़ और अनवारात व बरकात से भरपुर खाने की कदर होती थी।

ये खाना अगरचे आम कैदीयों का था। फांसीवाले कैदीयों को खाना खिलाकर तैयार करना होता है और फंदे के काबिल बनाना होता है। इसलीये खाने के मामले में उन के साथ रिआयत होती थी। तेल भी होता और वाफिर मिकदार में खाना दिया जाता था। हम अपनी जरुरत के बकद्र लेकर बाकी ज़रुरतमंद कैदीयों को तकसीम कर देते थे। हम इस खाने की इस्लाह कर के खाने के काबिल बना लेते थे। इसी तरह आम तौर पर शाम के वक्त जेलकी केन्टीन से अलग अलग (पकी हुई) सब्ज़ीयां बीकने के लीये आती तो उसे खरीद कर काम चला लेते थे। केन्टीन की सब्ज़ी और जेल के इस इस्लाह शुदह खाने और दूधकी अलग अलग चीज़ें (खीर, पनीर, शीखंड) बनाकर आपस में दावतें भी की जाती थी। जिसका मकसद वक्त गुज़ारी और गमों को हल्का करना होता था।

वकील मुलाकात

तारीख २६-०९-२००३ जुम्आ को जेल कस्टडी हुई और दूसरे ही दिन २७-०९-२००३ सनीचर को सुबह ११:०० बजे के करीब हमारे वकील जनाब शौकतभाई शेख मुलाकात के लीये आए। इसे जेलकी परीभाषा में वकील मुलाकात कहा जाता है . जिसमें मुल्जिम को अपने वकील से मिलने और केस के बारे में कानुनी सलाह मश्वरा करने की ईजाज़त होती है। वकील को मुलाकात का फोर्म भरने के बाद जेल अमला की निगरानी में एक कमरे में ये मुलाकात दी जाती है। कानुनन वकील अपने असील से कोर्ट की इजाज़त से कभी भी मुलाकात कर सकता है। लेकिन हमें सिर्फ हफ्ते में एक दिन सनीचर को वकील मुलाकात दी जाती थी औऱ बाद में २७ मार्च २००९ के बाद से इस में भी कमी कर दी गई और माहाना सिर्फ दो मुलाकात पेहले और तीसरे सनीचर को दी जाती थी। तकरीबन २०-२५ मिनट की इस मुलाकात में वकील के साथ केस की नौईय्यत स्टेटस और दीफाअ पर बातचीत होती थी। इस पेहली वकील मुलाकात मे वकील साहब ने बतलाया के आपने कन्फेशन दिया है। उस वक्त मुझे पता चला के ये कन्फेशन क्या है।

उन्होंने तसल्ली दी औऱ चले गये। दुसरे रोज़ इतवार था, इतवार के रोज़ सुब्ह ६:३० के करीब बन्दी खोली जाती थी और १२:०० बजे बन्दी नहीं की जाती थी, बल्की ३:०० बजे हमें बंद कर दिया जाता और दूसरे रोज़ सुब्ह ६:३० बजे तक तकरीबन साडे पंदरह घंटे तक हमें मुसलसल बंद रखा जाता था। ईतवार के रोज़ ज़ोहर के अलावा सारी नमाज़े बन्दी ही में अदा की जाती। शाम का खाना बी बन्दी में होता था।

इतवार का रोज़ जहां लोगों के लीये घूमने फिरने, होटलों और पीकनीक पोईन्ट्स जानेका दिन होता है। और शिद्दत से इस का इन्तिज़ार रहता है, वहीं हम कैदीयों के लीये ये दिन बडा ही सख्त और बोर कर देनेवाला होता था। और सनीचर

ही से हमें इतवार की आमद का टेन्शन रहता था। दोपहर में. ३:०० बजे बन्दी के बाद बंदर, बिल्ली, मोर वगैरह जानवर अपने बच्चों के साथ हमारा दीदार करने आते थे। हमें पींजरे में बन्द देख कर इन मख्लूक को बडी हैरत और तअज्जुब होता था। और हमारी बेबसी पर शायद उन्हे भी तरस आ जाता था। बंदरों के बच्चे अपनी भोली शरारतों से हमारी दिल जोई करने की कोशिश करते थे । बिल्लीयां बडी मस्कनत के साथ हमारा मुंह तकते रहती । औऱ बडे नरम लबो लेहजे में हमारी गुरबत और बेबसी की पुरी रिआयत करते हुवे हमारे पास जो कुछ खाना हाज़िर हो उस का मुतालबा करते थे। जेल की इस महदूद दुन्या में जहां ही बडी मुश्किल से गोश्त मिलता था ये बेचारी कहां उम्मीद रख सकती थी ? चुनान्चे उन्होंने भी हालात से समजोता कर लिया था और पूरी, शकरपारे, गांठीये वगैरह चीज़ों पर गुज़ारा कर लेती थी। हमारे महदूद वसाईल का उन्हें इस शिद्दत से एहसास था के वोह बजाए दूधके पानी के शरबत (रसना) से काम चला लेती थी।

मुलाकात और खत व किताबत
(आबे हयात)

जेल में दो चीज़ें आबे हयात का काम करती है। एक मुलाकात और दूसरी खत व किताबत. इन्ही दो चीज़ो के सहारे कैदी ज़ींदा के दीन रात काटता है। और यही वै चीज़ें हैं जो कैदी को कुछ देर के लीये अपने महबुब व रिश्तेदारों और बाहर की दुन्या से जोड देती है।

मुलाकात के दिन का बडी शिद्दत से ईन्तेज़ार रहता है। दो दिन पहले से उसकी तैयारी और बादके दो दिन उसकी जुगाली होती है। हम मुलाकात के दिन सुब्हा जल्दी गुस्ल कर के अपने पास जेल के जो उम्दा से उम्दा (?) कपडे हों पहन कर ईद की तरह बन सज कर तैयार मुलाकात फोर्म का ईन्तेज़ार करते थे। मुलाकात की अहमियत और खुशींयो का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं के जब सुब्हा मुलाकात रुम का कैदी कारकुन मुलाकात के नाम सुनाने के लीये आता, हम सब उसके आस पास खडे हो जाते और मुलाकात आने पर आपस में मुबारकबाद (शुभेच्छा) देते थे. जीस कैदी को मुलाकात की उम्मीद हो और उस रोज़ मुलाकात न आए तो उसका रंजो गम और एहसासे महरुमी (न मीलने का एहसास) से भरा चेहरा हमारे दिलों को भी रुला देता। कैदी के घरवाले सहूलात के लीये मुलाकात का दिन तय कर लेते थे। वैसे मेरी मुलाकात आम तौर पर मंगलवार को आती थी, कभी ऐसा भी हुआ के रिश्तेदार कीसी कारण मंगलवार को नही आ सके और वसाईल की कमी के कारण पेशगी इत्तेलाअ भी नही भेज सके। मैं मंगलवार को सुब्हा से तैयार हो कर मुलाकात का इंतेज़ार करता और मुलाकात के नाम पुकारने वाले पास भाग कर जाता और मेरा नाम न सुन कर सारी बशाशतें और मुस्तइदी गायब हो जाती, पैरों से जान निकल जाती। बेबस और मजबुर गमगीन चेहरा लेकर बडी मुश्कील से बेरेक में बापस जाता। मुलाकात आने पर जो सुरुर और खुशी होती थी उसका अंदाज़ा एक कैदी ही लगा

सकता है। ईसी लीये हमारे देश के पेहले प्रधानमंत्री पंडीत जवाहर लाल नेहरु जो ईस वहशत के घर का मज़ा चख चुके हैं, लीखते हैं : मुलाकात का दिन कैदीयों के लीये ईदका दिन होता है। दो रोज़ पेहले से ईन्तेज़ार रहता। मन्सुबे बनते, मुलाकात में ये कहुंगा वोह कहुंगा। मुलाकात में जाते वक्त रास्ते में भी काम की बात रटता। लेकीन जैसेही मुलाकात रुम में दाखिल होता, रिश्तेदारों, अकरिबों और दोस्तों और महबुबों के चेहरे देखता तो सब भुल जाता। बस आपस में खैर खैरीयत और एक दुसरे के चेहरे देखते रेहने में ही मुलाकात का ये वक्त खत्म हो जाता।.

बच्चों का मुड मुड कर देखना और ता हदे निगाह अपने छोटे छोटे हाथों से अलविदाइ इशारे करना और घरवालों की ठंडी आहे और बोज़ल कदम से वापसी का मंज़र हमारे दिलों को छलनी कर देता। और यही मुलाकात जीसका बे सब्री से ईंतेज़ार रहता था। हो जाने पर हमें गमगीन करके चली जाती थी।

जब तक मिले न थे तो जुदाइ का था मलाल
अब ते मलाल है के तमन्ना निकल गई

और जहां तक खतो किताबत की बात है तो मैं बिला गुलु ये बात लिखुंगा के यही वोह टोनिक और दवा थी जिसके ज़रीये अल्लाह रब्बुल ईज्ज़त ने मेरे दिलो दिमाग को साबित और सालीम रखा। और अलहम्दुलिल्लाह जेल की तन्हाईयो में ईसी की बरकत से ईल्मे दिन से भी कुछ मुनासिबत भी बाकी रही। लंबे चौडे खत लिखता था और ब इसरार बहार से जवाब भी मंगवाता था , जो न सिर्फ मेरे लीये सुकुन और तसल्ली का ज़रीया बनते बल्के मैं समज़ता हुं के बाहर मेरे घर वालों और मोहसीनों, हमदर्दों के लीये भी हिम्मत अफज़ाई (बढाने), होसला अफज़ाइ और केस समज़ने में मददगार होते थे। खुशी और गमों के मौके पर ये खत बडा सहारा बनते थे। ईसी लीये मैं यहां एक साहब की बहोत बडी नेकी का जीक्र करना ज़रुरी समज़ता हुं। हमारे महोल्ले के जनाब रशीद भाई छावा का ये मामुल था के हर ईद और बकरी ईद पर हम मुसलमान कैदीयों को बडी पाबंदी से ईद कार्ड भेजते थे। यकीनन ये भी बडी होसला

अफज़ाई थी। कोई तो हमे ईद मुबारक केहने वाला था। आल्लाह तआला उन्हे खुब जज़ाए खैर अता फरमाए। (आमीन)

मुलाकात का तरीका

तारीख ३०-०९-२००३ मंगल के रोज़ मेरे घर वाले पेहली बार मेरी मुलाकात के लीये आए। ईसे घर / फेमीली मुलाकात कहा जाता है। जिसकी तरतीब ये है, सुब्हा ९-०० बजे जेल पर आ कर मुलाकात रुम से बाहर मुलाकात का फोर्म भरना होता था। एक से पांच लोगों के नाम लीखे जाते थे। उनकी उम्र, मुल्ज़िम से रिश्ता, कारोबार, पता और मुलाकात का कारण फोर्म में लीखा जाता , उसके बाद ११.०० बजे हमारे घर वालों को वापस बुलाया जाता और आम केदीयों के बाद आखिर में हमें मुलाकात दी जाती थी। मुलाकात रुम के बीच में तकरीबन चार फुट की दिवार के बाद बीच में एक फुट की दुरी पर दोनो तरफ बारीक जाली थी। जाली के अंदर रुम में हमें खडा किया जाता और बाहर वाले रुम में हमारे घरवालों को खडा किया जाता और २०/२५ मिनीट मुलाकात दी जाती थी। हमारी मुलाकात से पेहले A.T.S., I.B. और क्राईम ब्रांच को हमारी मुलाकात के फोर्म की ज़ेरोक्ष रवाना कर के उन्हे खबर दी जाती थी। और इन एजन्सीयों की ज़ेरे निगरानी हमें मुलाकात दी जाती थी। ये पेहली मुलाकात जिस का शिद्दत से इन्तेज़ार था, बडी जज़बाती रही, मेरे वालीद, सलमान, मेरे बच्चे और दुसरे लोग थे। वोह मेरी कैद देख कर और में उनका गम देख कर रो रहा था। मेरा मासुम बेटा मुआवियाह पुछ रहा था ''अब्बु तुम ईस मदर से में कब तक रहोगे ? घर कब आओगे? घर आओ तो मेरे लीये क्रिकेट खेलने का बेट ले कर आना'' वगैराह फरमाइशे कर रहा था। (घर के बच्चों से मेरी गिरफतारी छुपाई गई थी और कहा गया था के में फिर से मद्रसे में तालीम हासिल करने गया हुं।)

मेरे वालिद और सलमान वगैराह अपने गम और जज़बात को छुपाने की नाकाम कोशीश करते हुए तसल्ली देने की कोशीश कर रहे थे। ईधर में समज़ता था के

मुज़से ज्यादा तसल्ली की ज़रुरत मेरे वालिद, सलमान और मेरे घरवालों को थी। क्युं के जेल कस्टडी से कम अज़ कम मुज़े वक्ती तौर पर ईतना सुकुन तो ज़रुर हो गया था के क्राईम ब्रांच के नाकाबिले बयान ज़ुल्म व तशद्दुद और ज़हनी व जिस्मानी तकलिफों से छुटकारा मील गया था। जब के मेरे घर वालों के लीये तो क्राईम ब्रांच, कोर्ट और जेल सब कुछ ही मुसीबत था. में मेरे ग्यारह साल तो किसी तरह ज़रुर बयान कर सकता हुं, लेकिन मेरे घरवालों, मेरे दोस्तों और मेरे पहेचान वालों की तो में एक घडी भी बयान नहीं कर सकता, और में यकीन रखता हुं के मेरे ग्याराह साल के मसाईब ईनकी ज़हनी अज़िय्यतों और जिस्मानी थकावटोंके सामने कोई हैसीयत नही रखते.

खैर जानिबैन से रोते धोते होसला रखने और तसल्ली की बातें हुई और मेरी ये पेहली मुलाकात खत्म हो गई. उसके बाद शुरु की कई मुलाकातें रोने धोने और कारगुज़ारी की नज़र हो गई। धीरे धीरे हालात से समजो़ता कर के मुलाकातों मे केस की संगीनी पर संजीदगी से गौर और फिक्र शुरु किया। शुरुआत में जो डर और हरास का माहौल था उसका वजह से लोग मुलाकातों मे आने से भी डरते थे। धीरे धीरे उसमें भी थोडी कमी आई और कुछ हमदर्दों, मोहसिनों ने भी आना शुरु किया। मेरे आसातिज़ह और बुज़ूर्ग भी होसला बढाते रहे। उस्के बाद मेरे देस्तों को वकील रोकने की फिकर हुई और जनाब नुरबेग और हुसैली साहब ने आर.के. शाह से संपर्क किया। उस अरसे में मैंने फिदा ए मिल्लत हज़रत अकदस मौलाना सैयद अस्अद मदनी (रह.) को एक खत लिखा था। हज़रत खत पढ कर आबदीदाह हो गए और फरमाया ईन मज़लुमों की मदद करना हमारा फर्ज़ है। और फिर जमिअत उलमा ए हिंद ने हमारे केस की पैरवी पर आमदगी ज़ाहिर की। और कुछ अरसा बाद मुलाकात में भाई सलमान वगैराह ने बताया के जमिअत उलमा ए हिंद हमारा केस लडने के लिये तैयार हैं, उस्के बाद ईन हज़रात ने आपसी मश्वरे के बाद मेरे और आदम भाई के लीये मी. आर.के. शाह (सीनीयर एडवोकेट सेशन कोर्ट और गुजरात हाइकोर्ट),

मौलाना अबदुल्लाह, सलीम हनीफ शेख और अल्ताफ हुसैन के लीये

एच.एन.झाला (सीनीयर एडवोकेट सेशन कोर्ट और गुजरात हाइकोर्ट) को नामज़द(नियुक्त) किया। चांदखान की जानिबसे हाशिम कुरेशी, जाविद खान और खालिद भाई पैरवी कर रहे थे। इन्के अलावा जनाब मुनव्वर हुसैन लालीवाला, दर्शन शाह, मुश्ताक सैयद, मुहम्मद अली सैयद, एजाज़ कुरेशी वगैरा हज़रात भी हमारे दिफाअ के लीये तय कीये गअे थे.

दुगनी मुसीबत:

मुलाकात और खत व किताबत जहां आबे हयात का काम करती हैं वहीं दो चीज़ें जेल में बहोत बडी मुसीबत और आज़माईश समजी़ जाती है। (१) बिमारी और (२) अपने रिश्तेदारों मे से किसी की मौत. बीमारी के ईलाज के लीये के लीये अगरचे होस्पीटल थी, दवा भी मील जाती थी. लेकिन इयादत, तीमारदारी, रिश्तेदारों और पहचानवालों की तरफ से होसला बढाना, परहेज़ का खाना वगैरा चीज़े जो बिमारी दुर करने में दवा जितनी ही अहम और ज़रुरी होती हे उससे हम महरुम थे। दवा तो मयस्सर हो जाती थी लेकीन कोई पुरसाने हाल नही होता था। आम कैदीयों को ते कभी कभी सीवील होस्पिटल भी भेज दीया जाता था लेकिन हमें दफा २६८ के कारण सिविल होस्पिटल भी नही भेजा जाता था। सख्त बीमारी की सुरत में जेल स्टाफ और हाईकोर्ट में बार बार अर्ज़ करने पर हमें हिफाज़ती दस्ते की निगरानी में शायद ही सीवील होस्पिटल जाना नसीब होता था।

११ साल में मुज़े सिर्फ तीन बार सीवील भेजा गया था।

अपने रिश्तेदारों मे से किसी की मौत की खबर सुन ने पर भी हमारी हालत नाकाबिले बयान होती थी। अस्बाब व वसाईल की कमी बडी शीद्दत से महसुस होती थी। और हम मरनेवाले के बजाए अपनी लाचारी पर ज़यादह आंसु बहाते थे।

ईन्स्पेक्शन राउन्ड

जेल सुप्रीटेन्डेन्ट या उसके मातहत आअला अफसरान ईन्तीज़ामी उमुर की निगरानी और कैदीयों की अर्ज़ और रुजुआत सुनने की गर्ज़ से रोज़ाना जेल के अलग अलग हिस्से और यार्ड का चक्कर लगाते है। कैदीयों को अपने शनाख्ती कार्ड के साथ कतार में खडा किया जाता है, सुप्रीटेन्डेन्ट उनके हाल हवाल पुछते है। जेल मेन्युअल के तहत कैदीयों के जाईज़ मुतालबात व अर्ज़ें सुनी जाती है और उनके मुताबिक इकदाम और हुक्म जारी किये जाते है। इसे इन्स्पेक्शन राउन्ड कहा जाता है। हाई सिक्योरीटी ज़ोन में ये राउन्ड जुमेरात को आता था। ईसी लीये तारीख ०२-१०-२००३ जुमेरात को सुब्ह १०.०० बजे सारे कैदी और स्टाफ अटेन्शन हो गए, और उस वक्त के जेल सुप्रीटेन्डेन्ट मी. संजीव भट्ट सा.(I.P.S.) तशरीफ लाए। कैदीयो की अर्ज़ सुनते सुनते मेरे करीब आकर रुक गए। केहने लगे अक्षरधाम केस में हो ? मैने कहा : जी हां सर, लेकिन मैं बेकसुर हुं, केहने लगे मै सब जानता हुं। मेरे बस में होता तो मैं आपको रिहा कर देता। लेकिन मैं मजबुर हुं। हां, मैं यहा आपको कोई तकलीफ नही होने दुंगा, यहां किसी चीज़ की ज़रुरत हो, कोई तकलिफ हो तो बताओ, मैने और ईस केस के दुसरे साथीयों ने कहा के सर हमें बहोत मार कर ज़बरदस्ती ये जुर्म कुबुल करवाया है। हमने अपने मार के दर्द की भी शिकायत की और मेंने कोर्ट में अपनी कारगुज़ारी लिखने के लिये कागज़ मांगे , भट्ट सा. ने तुरन्त हमें ज़रुरत के मुताबिक कागज़ दीये। और हम तमाम को जेल होस्पिटल भेज दिया। उस वक्त डॉ. झवेरी सा. थे। उन्हे हमारा मेडीकल चेकअप करने और पुरी हिस्ट्री लीखने और ज़रुरत पडने पर सीवील होस्पिटल भेजने के लीये कहा। डोक्टर सा. ने मुज़े बरहना करके सब कुछ चेक किया और मार के निशान और पुरी हिस्ट्री लीखी। और हमे सीवील होस्पिटल भेजा गया। चुंके क्राईम ब्रान्च मे खबर दी जा चुकी थी इसी लीये जनाब सींघल सा. अपनी पुरी फौज़ के साथ वहां स्वागत के लीये हाजीर थे। पुलीस हेड क्वार्टर से हमारे साथ भेजे गये पुलीस ज़ाबते के कमान्डो के हाथ से गन लेकर जनाब M.D. चौधरी

सा. ने हमारी कमर से लगा दी और बडी बहुदा ज़बान में कहा के भागने की कोशीश मत करना वरना छलनी कर दुंगा और ईसी तरह गन के साये मे हमे डोकटर के पास ले कर गये।

वनार और् आई.आर पटेल ने वहां भी हमें धमकीयां देना शुरु किया और कहा के डोक्टर के अगर कुछ भी कहा तो तुम्हारी खैर नही है। सींघल सा. उन्हे केहने लगे ईन्हे जो केहना है केहने दो, हमने अपना काम पुरा कर दिया है, अब कोई फर्क नही पडता। और यहां भी क्राईम ब्रान्चका मनहुस साया हम पर मुसल्लत रहा. हमें बारी बारी डोक्टर के पास भेजा गया। जब मुज़े भेजा गया तो M.D. चौधरी सा. और कुछ दुसरे हज़रात साथ थे। उन्होने डोक्टर से हमारा परिचय करवाया के ये अक्षरधाम मंदीय पर हम्ला करने वाले आतंकवादी है। , बस फिर क्या था? डोक्टर सा. बडी बेरुखी से पेश आने लगे।

अल्हम्दुलिल्लाह अब चुंके वापस क्राईम ब्रांच नही जाना था। आल्लाह तआलाने थोडी सी हिम्मत भी दे दी थी। मैंने डोक्टर से कहा के आप डोकटर हे। मुज़े चेक करना और मेरी तकलीफें सुनना और केस पेपर में उसे लीखना आपका फर्ज़ है और रही बात के मैं आतंकवादी हुं और् मैंने अक्षरधाम मंदीर पर हम्ला करवाया है या नही? ईसका फैसला अल्लाह तआला करेंगे मैं अपने मालिक से सच्चाइ बेनकाब करने की दुआ करता हुं। बादिले नाखास्ता (दिल न चाहते हुए भी) डोक्टर सा. ने चेक किया। केस हिस्ट्री में लीखा और दवाएं दी। इसी तरहा सलीम भाई के साथ भी मामला हुआ। उनके पैर में फ्रेकचर पाया गया। लेकिन बादमें क्राईम ब्रान्च और जेल ओथोरीटी ने साज़िश करके इन पेपरों और एक्स रे प्लेट को भी गायब कर दिया।

प्रमुख स्वामी से मुलाकात :

भट्ट साहब एक रोज़ इन्सपेक्शन राउन्ड में अक्षरधाम मंदिर के प्रमुख स्वामी जी और दिगर संतो महंतो को भी लेकर आए। और उन्के सामने हमें पेश किया और् कहा इन्हे अपनी रुदाद (स्टोरी) सुनाओ। मैंने संक्षिपत मे अपनी स्टोरी सुनाइ जिस से प्रमुख स्वामी बहुत प्रभावित हुए और कहा ''हम से क्या उम्मीद रखते हो ?'' मैंने कहा मेरे

केस की C.B.I. जांच दिलाने में आप हमारी मदद करो, अगर C.B.I. जांच मे हम कसुरवार साबित हुए तो हमे फांसी लगा देना। बस ये सुन कर वो चले गये।

इधर रमज़ानुल मुबारक के आने की तैयारी थी , रमज़ानुल मुबारक से पेहले राउन्ड में जनाब भट्ट सा. ने कहा के रमज़ानुल मुबारक मे जो लोग छोटा चक्कर जाना चाहते है अपना नाम, नंबर पेटी पर लिखवाकर अपना बिस्तर और सामान ले लो। मैं, मौल्वी अबदुल्लाह सा. , आदम भाई, सलीम भाई, अल्ताफ भाई और दुसरे कुछ लोग तैयार हो गये। और अलहम्दुलिल्लाह उस रोज़ से रिहाई तक अल्लाह तआला ने हाइ सिक्युरीटी की सख्तीयों और तंगीयों से छुटकारा अता फरमा दिया (जैसा के में लिख चुका हु के क्राइम ब्रांच से आने वालों के लीये ले यकीनन सुकुन की जगह है, लेकिन जेल में रेहने वाले आम कैदीयो के लीये ये जहन्नम है)

मेरे कैदी साथी

हाई सिक्युरीटी से निकाल कर हमें छोटा चक्कर ४ आफ्टर में भेज दिया गया, ये पोल्ट्री फार्म की शकल की एक बडी बेरेक थी, जो लगभग तीन फुट की उंचाई की दीवार के बाद उपर तक लोहे की सलाखें लगी हुई पींजरानुमा शकल की थी. अंदर ही ईस्तिन्जा के लीये ३ बयतुल खला थे और नाहने धोने का प्रबंधथा। बडी कुशादय यार्ड थी जिसमें खुली बंदी के दौरान वोलीबोल, क्रिकेट खेलने की भी गुंजाईश थी, इसी तरह खुली बंदी के दौरान नाहने धोने और दुसरी ज़रुरीयात के लीये बयतुल खला, गुसलखाने वगैरा भी थे. यहां हमसे पेहले ४०-५० दुसरे कैदी थे ।जिनमे बहोत से पहेचान वाले थे और कुछ लोगों से बाद में पेहचान हुई। जिन में चंद काबिले ज़िक्र ये हे : (१) अज़ीज़म उस्ताज़ी हज़रत मुफ्ती सुरती सा. (सुरतलाल वाला केस, D.C.B. केस) (२) रफिक भाई R.D. (D.C.B. केस) (३) गुलाल भाई (४) मुफ्ती सईद अकबर हैदराबादी (५) मौलाना अहमद हुसैन मन्सुरी (६) मुनव्वर बेग (केप्टन) (७) अफज़लखान (बाबु) (८) अत्हर परवेज़ भाई (९) रैहान पुठावाला (१०) परवेज़

शेख (११) रियाज़ उर्फे गोरु (१२) हाफिज़ युसुफ सा. मनीयार (१३) ईदरीस खान (१४) ज़हीर (१५) महमुद रज़ा शाह (१६) हाजी फारुक (१७) तारीक वगैरा

ईन हज़रात के अलावाह दुसरे बहोत से भाइयो के साथ ईद के बाद अलग अलग मौकों पर मुलाकात हुई, जीन मे मुहम्मद खान, फिरोज़ फोर यु, हमीद खान. युनुस खान , हारिस अन्सारी, जुनेद सैयद, रफीक, वगैरह काबिले ज़िक्र है, इन हजरात ने बडी मुहब्बत और हमदर्दी का ईज़हार किया और अपनी रिहाई तक बराबर मेरी हिम्मत और होसला अफज़ाई करते रहे। इन हज़रात से मुलाकात के बाद जेल और आसान मेहसुस होने लगी और पहेचान और कारगुज़ारी, मस्अले-मसाइल, खेल कुद और हंसी मज़ाक में वक्त असानी से गुज़रता रहा।

अलहमदुलिल्लाह ये सारे ही लोग मेरी रीहाई से बहोत पेहले रिहा हो चुके थे. अब सिर्फ मेरे ४ साथी (१) जनाब हनीफ भाई पाकीटवाला (२) अनस माचीसवाला (३) कलीम करीमी और (४) हबीब हवा बाकी रेह गए है। अल्लाह तआला जल्द से जल्द उनके लीया भी खैर के, खुशीयों के, आफियत के , बाईज्ज़त रिहाई के फैसले फरमाए (आमीन)

जेल में रमज़ानुल मुबारक की आमदे बाबरकत

४ आफटर मे डाले जाने के २-३ रोज़ बाद ही अपने बेशुमार अनवारात और बरकात, और अनगिनत फज़ाईल के साथ रमज़ानुल मुबारक की आमदे सआदत हुई। मैं समज़ता हुं के आम ईन्सानों के लीये तो माहे मुबारक खैर व बरकत है ही लेकिन कैदीयों के हक में ये मुबारक महीना कुछ ज़्यादा ही खैर का बाईस बन जाता है। वल्लाह मैंने इस मुबारक माह में कैदखाने में दस्तरखान पर वोह नेअमते देखी और खाई है जो मैंने बाहर नही खाई थी और बेशुमार गरीब मुसलमान बाहर आज़ाद होते हुए उन नेअमतो से मेहरुम है।

कैदीयो को खाना खिलाना

रमज़ानुल मुबारक की ये बेशुमार नेअमतें कहां से आती थी?

हज़रत युसुफ (अ.स)ने कैदखाने में दुआ फरमाई थी : या अल्लाह ! मेरे इन कैदी भाईयो को बाहर की दुन्या के लज़ीज़ खाने से आशना और बाहर की खबरों से वाकिफ रखना।

बस ये युसुफ (अ.स.) की दुआ की बरकत और असर समज़ीये के ईस चार दिवारी के बीच भी अल्लाह तआला अपनी बेहतरीन व लज़ीज़ नेअमतें खिलाने पिलाते रहे।

शहेर अहमदाबाद के मशहुर ताजिर और खिदमत गुज़ार मर्हुम जनाब मुसाभाई पटेल कई सालों तक रमजानुल मुबारक में कैदीयो के लीये फ्रुट और दुसरी ज़रुरत की चीज़े भेजने की खिदमत को अंजाम देते रहे। पुरा महीना दौड भाग कर के एहले खैर हज़रात के तआवुन से इतनी ज़्यादा मिकदार में फ्रुट भेजते के हमारी ही नही बल्के बहोत से गैर मुस्लिम कैदी भाईयों की भी ज़रुरत पुरी हो जाती थी। तारीख ११-१२-२००५ को हमारे जनाब मुसाभाई अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी ईन खिदमत को कबुल फरमाए, जन्नत में अपनी नेअमतों, रेहमतो और बरकतों से मालामाल फरमाए, उन्की बेईन्तेहा मगफिरत फरमाए, अपने मुकर्रबीन में शुमार फरमाए और कैदी को खिलाने और उनकी ज़रुरत पुरी करने पर कुर्आन पाक और अहादीष में जो फज़ाईल बयान कीये है उन सारे बरकात से मालामाल फरमाए। (आमीन)

मर्हुम मुसाभाई पटेल के बाद अब उनके बेटे जनाब दाउदभाई और भतीजे जनाब ईल्यास भाई ये खिदमत अंजाम दे रहे है। अल्लाह तआला ईन हज़रात की ये बे लौस खिदमत को कबुल फरमा कर बेहतरीन बदला अता फरमाए (आमीन)

हुसुले जन्नत का आसान अमल

कैदी को खाना खिलाना, उस्की ज़रुरत पुरी करना ये नेकी नही, कुर्आरने पाक मे अल्लाह तआला ने अब्रार (जन्नती लोगो) ते अवसाफ बयान किये है.....

ان الابرار یشربون من کأسٍ کان مِزاجها کافورًا. عینًا یشربُ بها عباد اللّٰه یفجرونها تفجیرًا. یوفون بالنذرِ ویخافون یومًا کان شره مستطیرًا. ویطعمون الطعام علیٰ حبه مسکینًا ویتیمًا واسیرًا.

इन आयात में अल्लाह तआला ने जन्नत में ले जाने वाले आअमाल और जन्नत की नेअमतो का बडी तफसील ले ज़ीक्र किया। मिन जुम्ला अअमाल व अवसाफ के ये भी बयान फरमाया के (ये नेक लोग) अल्लाह की मुहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते है।

मालुम हुआ के कैदी को खाना खिलाना भी हुसुले जन्नक का बाईस है और ये आम है मुस्लिम, गैर मुस्लिम तमाम कैदीयों को शामिल है। बल्के मुफ्स्सीरीन ने तो ये लीख्खा हे के आयत के नुज़ुल के वक्त मुस्लीम कैदी थे ही नही. गैर मुस्लिम कैदी के साथ ये सुलुक पर अल्लाह न ये बशारत सुनाई है। और अल्लाह के रसुल सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम का गज़व ए बदर के कैदीयों के साथ निहायत ही करीमाना सुलूक इस की ताईद करता है।

सोचीये गैर मुसलमान कैदी के साथ एहसान करने पर अल्लाह तआला इतना नवाज़ रहे हैं तो मुस्लमान कैदी पर एहसान करने, खाना खिलाने, उसकी ज़रुरत पुरी करने और उस्की रीहाई की कोशीस करने पर क्या अजरो-षवाब अता फरमाएंगे , हम उस्का अंदाज़ा नही लगा सकते।

इस्के अलावा ईब्तेदा में हमारे घरों से टिफिन भी आ जाते थे। और कभी कभी कुछ नेअमते वहमो गुमान के खिलाफ भी मयस्सर हो जाती थी।

हज़रत खुबैब बिन अदी (रदी.) और हज़रत ज़ैद बिन दसिना (रदी.) के वाकेआ में लिखा है के मुतइम बिन अदी के रिश्तेदारों के यहां कैद के जमाने में अल्लाह तआना उन्हे अंगुर खिलाते थे। जब के उस दौर में मक्का में अंगुरका नामो निशान नही था।

गुमान के खिलाफ रिज़क :

मैने कैदखाने में पालनपुर के एक गरीब मुसलमान को देखा है. जेल में छतों के नलीये दुरस्त करने की मज़दुरी करते थे। एक रोज़ छत पर नलीये दुरस्त करते हुए साथी से केहने लगे बडा अरसा हुआ मछली नही खाई है। या अल्लाह तआला मछली खीला दे। वल्लाह अभी चंद सेक्नड भी नही गुज़रे थे के एक चील उडते हुवे उनके सर पर से गुज़री और अपनी चांच में पकडी लगभग एक फुट बडी मछली उनके करीब गीरा कर चली गई। ईस तरह के और भी कुछ मुशाहदात है। बहर हाल कैद खाने में भी अल्लाह तआला ने घर के खाने और अपनी नेअमतों से महरुम नही रख्खा। २६ मार्च २००९ तक बराबर घर का खाना नसीब होता रहा। और उस्के बाद भी मेरी रिहाई तक अल्लाह तआला आपनी लज़ीज़ तरीन नेअमतों से मालामाल फरमाते रहे.

और जहां तक बाहर की खबरों की बात है बावजुद महदुद वसाईल के हमने बारहा ईसका तजरबा किया है के कई अहम खबरें हमारे वकील और घरवालों की निस्बत पेहले मालुम हो जाती थी और हम मुलाकात मे उन्हे वो खबरें सुनाते थे।

फक्कुल आनी (कैदी को छुडाओ)

अल्लाह तआला ने इन्सान के फितरतन आज़ाद पैदा फरमाया है, एक आदमी अपनी मरज़ी से एक खोली में बरस हा बरस तन्हाई की ज़िदंगी ज़रुर गुज़ार सकता हे, लेकीन यही शख्स किसी के हुक्म पर एक घडी की बंदीश बरदाश्त नहीं कर सकता. यही वजह है ईस्लाम ने बहोत ही साज़ो नादिर मआमलात में कैदी की भरपुर रिआयत व हुकुक की पासदारी के साथ कैद की ईजाज़त ज़रुर दी है लेकीन कैद और बंद और गुलामी की ताईद कभी नहीं की है। क्युं के कैद और बंद की मुसीबत गुलामी से ज़्यादा सख्त है। गुलाम तो किसी तरह आज़ाद फिज़ा की सांसे ले सकता है। लेकीन कैदी को तो आज़ाद सांसे भी मयस्सर नही। यही वजह है की जनाब नबी ए करीम सल्लल्लीहु अलयही वसल्लम ने गज़व ए बदर के केदियों के साथ बडै मुशफिकाना मआमला फरमाया और मामुली फिदया ले कर रिहा कर दिया।

कुर्आन पाक में कफ्फारो के बयान में, इसी तरह बहोत सी अहादीस में जगह जगह गुलामों के आजांद कराने की ताकीद और फजी़लत नज़र आती है। यही वज़ह है के हज़राते सहाबा ने अपनी हयाती में २९२३७ गुलाम आज़ाद कीये।

हुदैबीया के मौके पर मक्का के ८० काफिर जो आप पर आप के सहाबा पर शबखुन के ईरादे से आए थे। गिरफतार हो गए। आपने तमाम को बगैर फिदया के छोड दीया। बनुल मुस्तकिल के १०० खानदान को उम्मुल मुअमिनीन हज़रत जुवैरीयह (रदी.) से शादी की बरकत से मामुली फिदये पर आज़ाद कर दिया था।

हुनैन के मौके पर मुस्लमानो को सख्त नुकसान पहोंचाने वाले कबील ए हवाज़िन के ६००० खुंखार कैदीयो के बिला शर्त व फिदया के रिहा कर दिया. बनु कुरैज़ा के १००० यहुदी कैदीयों को हज़रत साबित ईब्ने कैस (रदी.) और हज़रत उम्मे मुन्ज़ीर (रदी.) की सिफारिश पर बिला शर्त आज़ाद कर दिया. बनु तमीम के ११ मर्द और ११ ओरतें और ३ बच्चों को हज़रत उययना ईब्ने हिस्न फिज़ारी नै कैद किया था। उन्के कबीले के लोगों के दरखास्त पर आप सल्लल्लाहु अलयही व सल्लम ने तमाम को बिला फिदया के फौरी रिहा फरमा दिया. कैदीयों को रिहा कर देना न सिर्फ आपका अमल था . बल्के आपने उम्मत को भी इसकी खुब ताकीद व तालीम फरमाई। ईसी लीये बुखारी शरीफ की रिवायत में है :

عن ابی موسیٰ قال : قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم فکوا العانی یعنی الاسیر واطعموا الجائع وعودوا المریض

सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया ''केदीयों को रिहाई दिलाओ, भुकों को खाना खिलाओ और बीमार की ईयादत करो'' (बुखारी शरीफ/२/२९२)

एक और जगा ईर्शाद फरमाया : भुकों खाना खीलाओ, मरीज़ की ईयादत करो और केदी को छुडाओ (बुखारी/३/३७७)

हज़रत जाबिर रदी. की रिवायत में है के अल्लाह के रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम ने फरमाया तीन काम अैसे है ईमान और यकीन और हुस्ने निय्यत से

किये जाएं तो अल्लाह के ज़िम्मे ये हक्क हो जाता है के उसकी मदद करें और उस काम में बरकत अता फरमाए।

(१)जो शख्स अल्लाह की ज़ात पर यकीन और हुस्ने निय्यत के साथ किसी कैदी को आज़ाद कराने की कोशिश करे (२) मुर्दा ज़मीन ज़िदा करे (३) शादी करे (अल-मुअजमुल वसीत)

कैदीयों के तआवुन की सूरतें :

आज आतंकवाद और दहशतगदीके जुठे इल्ज़ामात में बेशुमार बेकसूर मुसलमान कैदोमें बंद है। हर आदमी कोर्टों के मसारिफ बरदाश्त नहीं कर सकता। हर कोई सुप्रिम कोर्ट तक नहीं पहोंच पाता।

- **पहेली सूरत :** ईन बेकसुर कैदीयों की रिहाई के लीये कोशिश कानुनन जाईज़ अस्बाब में तआवुन उम्मत का फरिज़ा है। काश उम्मत ईसे भी दीन समज़े।
- **दूसरी सूरत :** हम कैदियों की रिहाई की कोशिश नही कर सकते.सूरत, वकील और कानुनी ईखराजात में तआवुन नही कर सकते, तो दुसरा दर्जा उसकी और उसके घर की जरुरियात का ख्याल करना और कफालत करना है। चुंके कैदखाना सिर्फ कैदी के लीये नही बल्के उसके घरवालों के लिये भी सज़ा है। बल्के कैदीके मुकाबले में घरवालों की ईब्तिला व आज़माईश ज़यादा सख्त होती है। दर-दर की ठोकरें खाना, मारे मारे फिरना, समाज और मुआशरह की लअन-तअन और शको शुब्हात से भरी निगाहों का बरदाश्त करना, कैदी और उस्के घरवालों का मोरल तोड देती है। और अेहसासे कमतरी में मुब्तला कर देती है। हां कुछ मुकद्दमात में जमीअत उलमा जैसी तन्ज़ीमे वकीलके इख्राजात ज़रुर देती है । लेकिन घरेलु मसारिफ व ज़रुरियात तमाम के साथ लगे हुवे हैं, कैदी के मां-बाप, बीवी-बच्चों के इख्राजात का क्या ? मैंने कई ऐसे गरीब कैदी देखे जो अपने घरका वाहिद सहारा थे। एक ही आदमी कमाने वाला था, बुढी मां है, बाप नहीं है, बच्चे छोटे हैं। मां और बीवी बीमार है, कैदी अपने पीछे कोई खज़ाना छोड कर नहीं गया। अब इ घर की कफालत कौन करेगा ? गोधरावाले कई मज़लूम ऐसे देखे के एक ही घर के तीनों भाई को कैद में डाल दिया।

बाप और दो बेटों को डाल दिया। हत्ता के कलम ४९८ जहेज़ और बीवी जलाने के केस में तो पुरे पुरे खानदान को गलत तरीके से केसमें डाल दिया जाता है। पुरा खानदान तितर बितर हो जाता है . बच्चे मारे मारे फिरते हैं। कोर्ट के मसारिफ व घरेलु इख्राजात बडे मालदार व सरमायादार लोगों को भी तोड देते हैं। वोह बेचारे तो दुन्या के सामने अपनी इज्जत व मकाम को बरकरार रखने की जहद करते हैं। लेकिन ज़बान हाल और उन की बोडी लेंग्वेज से आप हकीकते हाल मालूम कर सकते हैं ये हज़रात आप के सदकात व खैरात और आपकी कफ़ालत व हमदर्दी के जियादा मुस्तहिक है। चुनान्चे कुरआने पाक में है :

للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربًا فى الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافًا.

सदकात (खुसुसियत के साथ) उन हाजतमन्दो के लीये हैं जो अल्लाह की राह में घिर कर रह गए हैं . ज़मीन में (कमाने के लीये) कोई कोशिश नहीं कर सकते। उन की खुद्दारी की वजह से नावाकिफ़ शख्स उन्हें मालदार समझता है। आप उन की पेशाीयों से उन्हें पेहचान सकते हैं। वोह लोग से चिमट कर सवाल नहीं किया करते और आप लोग जो भी खैर (सदकात) खर्च करोगे अल्लाह तआला उसे जानते है।

आखरी दरजे में हम उम्मत के इन मज़लूमीन के लीये दुआ तो कर सकते हैं, याद रखीये ! दुन्या के किसी कानून में दुआ करना गुनाह नहीं है, हम इन के लीये इज्तिमाई, इन्फिरादी, जुम्आ के खुत्बे के वक्त, हज्ज-उमरह में, रमज़ानमें इफतार के वक्त तहज्जुद के वक्त, शबे कद्र की तलाश में रातो की इबादतों में दुआ करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम कैदीयों के नाम लेकर दुआ फरमाते थे।

كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعوفى القنوت اللّٰهم انج سلمة بن هشام.
اللّٰهم انج الوليد بن وليد اللّٰهم انج عياش بن ابى ربيعة
اللّٰهم انج المستضعفين من المؤمنين

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम कुनूत में दुआ फरमाया करते थे। अय अल्लाह, सलमा बिन हिशाम (रदी.) को कैद से नजात अता फरमा या अल्लाह,

वलीद बिन वलीद (रदि.) को रिहाई अता फरमा, या अल्लाह, अयाश बिन रबीआ (रदी.) को रिहाई अता फरमा, या अल्लाह तमाम कमज़ोर व मज़लूम मुसल्मान कैदीयों को रिहाई अता फरमा।

हमारे आका सल्लल्लाहो अलयहे व सल्लम जब एक एक कैदी का नाम लेकर दुआ कर सकते हैं ? तो हम क्युं नहीं ? हम बी दुन्या भर के कैदखानों में फंसे हुवे हमारे बेकसूर मज़लूम भाईयो के लीये दुआ फरमाएं। अल्लाह तआला उन तमाम को जल्द अज़ जल्द बाइज्जत रिहाई अता फरमाएं। (आमनी)

कैदखाने में ये मेरा पेहला रमजानुल मुबारक था । कैदखाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह तरीह में मुकम्मल कुरआने पाक सुनने की सआदत नसीब तरावीह पढाई। यहीं नहीं बल्कि हज़रत मुफ्ति साहब जब तक जेल में रहे रातमें नफल नमाज़ में रोज़ाना ८-१० पारे पढने का मालुम रहा। बा हिम्मत लोग बशाशत के साथ इस में भी शिर्कत फरमाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह टुटी फुटी इबादतों और उमदा खानों के साथ रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया और ईद बा सईद का चांद नज़र हो गया।

जेल में ईद और बकरा इद

रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और मुसलसल मुजाहदों के बाद ईद की आमद जहां सारे जहां के मुसलमानो के लीये खुशीयों का पैगाम लेकर आती है , हर जगा, हर चेहरे पर खुशी ही खुशी नज़र आती है, हफ़्तों पेहले से ईद की तैयारी और एहतेमाम, बेहतरीन लिबास, उमदा खाने, बेहतरीन चप्पल व दीगर लवाजिमात इन सब के साथ मां, बाप, बीवी बच्चे, भाई, बहन, दोस्त, अहबाब और आम मुसल्मानों के साथ ईद की मुबारकबादीयं का तबादला और खुशीयों का बांटना ईदकी फरहत व शादमानी को चार चांद लगा देता है।

वहीं कैदखाने में ईद की आमद हमारे दिल के बोज़ को बढा देती है, दिल के ज़ख्म ताज़ा हो जाते थे, मां, बाप, बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से जुदाई और फिराक का बडी शिद्दत से एहसास होता था। अपनी बेबसी, कमज़ोरी और गुलामी का एहसास दिल को गमगीन और आंखो को गरम पानी का चश्मा बना देता था

। किसी तरह ईद की नमाज़ तो अदा कर लेते। कैदी भाईयों से मुसाफ़हा, मुआनका और मुबारकबादीयां भी हो जाती। लेकिन उस वक्त अपने टुटे दिल और मजरुह जज़्बात पर कन्ट्रोल करना बडा मुश्किल होता। हमारी आहो ज़ारी और जज़्बात की नुमाईन्दगी करनेवाली हिचकियां व सिसकियां आस्मान को रुलाने के लीये काफी हो जाती। खुली बन्दी का वक्त को रिली कपब मुलाकातों में खाने, पीने और 'अय्यामे खालिया' की नेअमतों और् आज़ाद फ़िज़ा की राहतों की याद और जुगाली करने में गुज़र जाता था। लेकिन दोपहर में ३:०० बजे जब के ईद अपने उरुज परहोती है। बीवी, बच्चों और दोस्त अहबाब के लीये रिश्तेदारों के यहां मिलने जुलने का वक्त होता है। पिकनीक पोईन्ट्स और तफ़रीय गाहें खुश व खुर्रम चहरों और बच्चों की मासूम किलकिलाहट से जगमगाती है, आज़ादी व खुशी का भरपुर लुत्फ उठाया जाता है ऐन उस वक्क हमें बेरेकों में बन्द कर दिया जाता था।

हाय ! मैं उस वक्त की दिली कैफीयत, अपनी बेबसी, कमज़ोरी और मज़लूमियत को कैसे बयान करुं ?मैंने एकसर कैदीयों को देका बंदीमे बेचारे सर से पैर तक कफननुमा सफेद चादर औढ लेते और अपने गरम आँसुओं से बिस्त भिगोते रहते। उनकी सर्द आहें और खोलती हांडी की तरह की आवाज़ उनके छुपे मातम की चुगली कर देती थी।

हालांके हमारे भाई सलमान, नुरबेग, अज़ीमभाई, ग्यासुद्दीनभाई और दीगर एहले खैर हज़रात ईद की इस खुशी में हमें शामिल करने और हमारी दिलजोई में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। बडे बडे टीफीनों में शिरखुर्मा, समोसे, कबाब और किस्म किस्म के लजीज़ खाने, उम्दा लिबास और किमती इत्र भेजते थे। लेकिन इन नेअमतों पर एहसासे गुलामी गालिब आ जाता था।

इब्तिदा में पेहली ही ईद को जेल अमलाने फ्री मुलाकात दी थी। जिस के नतीजे में बेशुमार हमदर्द मुलाकात में चले आते थे। अरसा बाद इन चेहरों को देख कर दिल के ज़ख्म और गेहरे हो गए। सन २००९ तक इद के रोज़ ज़ाती कपडे पहेनने की इजाज़त थी। लेकिन सन २००९ के बाद हमें ज़ाती कपडों से भी महरुम कर दीया गया

। और इद के रोज़ भी कैदी कपडे पहेनने पर मजबूर किया जाता था।

खैर ईद भी गुज़र गई और इद के तीसरे रोज़ हमें छोटा चक्कर यार्ड नं. ५ में भेज दिया गया, वहां ५/१, ५/२, दो यार्ड थी, जिस में कतार बंद छोटी छोटी ८-८ खोलीयां ती, और टहलने और खेलने के लीये छोटा सा मैदान था, इब्तिदा में मुझे ५/१ खोली नं. ३ में रका गया, यहां मेरे साथी मौलाना अहमदहुसैन मनसुरी और सिकन्दरखान थे।तकरीबन एक हफता उन के साथ रहने के बाद मैं सामने ५/२ खोली नंबर ३ में चला गया। यहां मेरे साथ रैहान पुठावाला, रियाज़ उर्फ गोरु, शाहनवाज़ गांधी और् परवेज़ शेख थे। इन साथीयों के साथ तकरीबन एक साल रहा।

हिफ्ज़े कुरआने पाक की दौलत

अल्हम्दुलिल्लाह सन १९९७मे इफ्ता से तकमील के बाद शहर अहमदआबाद ही में मुख्तलिफ इदारों और मस्जिदों में इमामत और तदरीस व इफ्ता की खिदमत की। जुम्आ में हाजीसखी की मस्जिद में बयान भी करता था। लेकिन हाफ़िज़ न होने का शिद्दत से एहसास रहता था। बारहा कोशीश भी की के हिफ्ज़ कर लुं लेकिन बाहर की दौड भाग व मशगुली और सुस्ती व कोताही की वजह से इराते की तकमील नहीं हो पाती थी। ऐसा भी हुवा के एक आधा पारा याद किया और फिर गफलत गालिप आ गई। और हिफ्ज़ अधूरा छोड दिया। लेकिन अब जेल में तो फुरसद ही फुरसद थी। रमज़ानुल मुबारक में तरावीह में कुरआने पाक सुनने के बाद हिफ़्ज़े कुरआन का शैक व जज़्बा और बढ गया। अब के अल्लाह रब्बुल इज्जत के फ़ज़्ल से मुकम्मल व पुख्ता इरादे के साथ तकरीबन तारीख १२ शव्वाल से हिफ़्ज़े कुरआन की इब्तिदा की और हज़रत उस्ताज़ी मुफ्ती ताहिर सा. को सुनाना शुरु किया। मु. ताहिर सा. ने ये तरतीब बनाई के सुब्ह बन्दी खुलते ही सबक सुनाता। फिर कुछ देर बाद सबक पारा सुनाता और दोपहर बन्दी खुलने के बाद दौर सुनाता, सूरए हुजुरात से सबक सुनाना शुरु किया। मगरिब बाद, तहज्जुद में और सुब्ह की नमाज़ के बाद से बन्दी खुलने तक मैं सबक

याद करता था। सबक सुनाने के बाद कुछ देर सबक पारा याद करता था। और फिर दोपहर में खाने के बाद तकरीबन एक धन्टा कयलुला करता। १.०० बजे उठ जाता और अल्हम्दुलिल्लाह दौर याद करता था। ولقد یسرنا القرآن للذکر... की बरकात अपनी आंखो से देकी और अल्हम्दुलिल्लाह छ महीने के अरसेमें (जिसमें मुलाकात, कोर्ट में सिमाअत, टेन्शन और जुम्आ के दिन की छुट्टीयों के साथ) तारीख १२ रबीउल अव्वल से पेहले अल्लाह तआला के फज़्लो करम से हिफ़्ज़ मुकम्मल हो गया। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद उमरजी (रह.) गोधरावाले की सदारत में हमारी यार्ड ही में एक छोटा सा इजलास मुन्अकिद किया गया था। खत्मे कुरआन पर हज़रत मौलाना ने दुआ फ़रमाई। और एक छोटी सी दावत भी की गई थी। बाहर भी मेरे घर पर हज़रत मौलाना अ.गनी सा. (रह.) अज़ीज़म मुफ्ति इम्तियाज़ सा., मुफ्ती यह्या सा., मुफ्ती रिज़्वान सा., जनाब सलमान भाई, नुरबेग साहब वगैरह ने बी दुआ व दावत का एहतेमाम किया था। فجزاهم الله احسن الجزاء

उस के बाद ५/२ की खोली नंबर ७ में मुन्तकिल हुवा . वहां मेरे साथ हज़रत मुफ्ती ताहिरसा., अय्युब खा नवगैरह थे। हज़रत मुफ्ति ताहिर सा. के साथ बहोत ही आसानी से वक्त कटता रहै। कुरआने पाक सुनाने और इल्मी इस्तिफादह में बहोत सहूलत हो गई। मैं उन के इल्म से मुस्तफीद होता और वोह मेरी नादान शरारतों से महज़ुज़ होते थे। आप को जितना ही टेन्शन क्युं न होता। मैं अपनी जहालत व शरारत के दो चार नमुने पेश कर के उन्हें खुश कर देता। मैं उन से अर्ज़ करता ''हज़रत बआवाज़े बुलन्द मुस्कुरा दीजीए'' कभी केहता 'जहरन तबस्सुम' फरमा दीजीए। बस फिर क्या था सारा गमो गुस्सा दूर हो जाता और उस वक्त आपकी 'जहरन मुस्कुराहट ' देखने के काबिल होती थी।

दूसरे साल उन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुरआने पाक से तरावीह पढाई। लालवाला केस में सज़ा के बाद तीसरे साल हज़रत हाफिज़ युसुफ सा. के साथ तरावीह

पढाई, और सज़ा होन तक ईसी खोली में रहा, हां कभी कभी उक्ताहट हो जाती तो चेन्ज करने के लीये हारिज़, अफ़ज़लखान उर्फे बाबु वगैरह की खोली में भी तरावीह पढाई, और् सज़ा होने तक इसी खोली में रहा, हां कभी कभी उक्ताहट हो जाती तो चेन्ज करने के लीये हारिस, अफ़ज़लखान उर्फे बाबु वगैरह की खोली में भी बन्द हो जाता था। इब्तिदा में जब सहूलत थी तो कभी कभी गोधरा बेरेक में इसी तरह हाजी मुश्ताक की बेरेक में भी बंद हो जाता था।

इन्फिरादी व इज्तिमाई अअमाल व दुआएं

इब्तिदा में इज्तिमाई अअमाल भी खुब हुवे, इज्तिमाई अअमाल के बाद साथीयों को दुआ करने का मौका दीया जाता था। दुआ मांगने के लोगों के मुख्तलिफ और निराले अन्दाज़ थे। हमारे यहां 'कडी' के एक साहब नकली नोटों के केस में थे। वोह अपनी दुआ में अल्लाह तआला को जेल के सात दरवाज़े गिनवाते और केहते या अल्लाह, हमारी बेरेक का दरवाजया, यार्ड का दरवाज़ा, सर्कल का दरवाज़ा, चक्कर का दरवाज़ा, बडा चक्कर का मेईन दरवाज़ा, झडती रुम का दरवाज़ा, मेईन गेट का पेहला दरवाज़ा, मेईन गेट का आखरी दरवाज़ा, फौरन, तात्कालिक, अरजन्ट, इमीजेटली रिहाई अता फरमा। अपनी फौरी रिहाई के लीये भी सात अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते थे। और वाकिअतन बहोत जल्द रिहा भी हो गए। काठीयावाड के एक साहब दुआ में केहते या अल्लाह, मेरे रात के गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा दे। हमने एक बार उन से पुछा के आप सिर्फ रात के गुनाहों की बख्शिश क्यों चाहतो हो ? दिन के गुनाहों का कोई ज़िक्र क्युं नहीं करते ? केहने लगे भाई, मैं तो चोर था, रात में चोरी करता था और दिन भर सो रहता था। ईस लीये दिन में तो गुनाहों का सवाल ही पैदा नहीं होता !!

हज़रत मुफ्ती ताहिर सा. की निगरानी में खत्मे ख्वाजगां, आयते करीमा, या हलीमु, या अलीमु, या अलिय्यु, या अज़ीमु का विर्द (१,५१,००० मरतबा)

اللّٰھم صل صلوٰۃ کاملۃ وسلم سلامًا تامًّاعلیٰ سیدنا محمد صلوٰۃ تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضیٰ بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتم ویستسقیٰ الغمام بوجھہ الکریم وعلیٰ اٰلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفسٍ بعدد کل معلوم لک.

(४४४४ मरतबा का विर्द होता और उज्तिमाई दुआ होती थी)

दुरुदे तुनज्जीना

اللّٰھم صل علیٰ سیدنا ومولانا محمد وعلیٰ اٰلہ سیدنا ومولانا محمد صلوٰۃ تنجینا بھا من جمیع الاھوال والاٰفات، وتقضی لنا بھا جمیع الحاجات وتطھرنا بھا من جمیع السیاٰت وترفعنا بھا عندک اعلیٰ الدرجات وتبلغنا بھا اقصیٰ الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبد الممات انک علیٰ کل شیء قدیر.

(७० मरतबा)

فبرأہُ اللّٰہُ مِمَّا قَالُوْا وَکَانَ عِنْدَ اللّٰہِ وَجِیْھًا. (रोज़ाना १०० मरतबा) और दुआए अनस (रदी.) फजर और मगरिब के बाद

بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ

شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

(रोज़ाना फ़ज़र बाद और मगरिब बाद तीन मरतबा)

और रोज़ाना ४० मरतबा सूरए यासीन शरीफ की तिलावत करते थे।

मज़कूरह रोज़ाना ४० मरतबा सूरए यासीन शरीफ की तिलावत करते थे।

मज़कूरह अवराद व दुआओं के अलावह हज़रत अकदस मौलाना इफतिखारुल हसन कांधलवी दामत बरकातुहुम ने कुरआने पाक की आयते करीम **کفینک المستھزئین** रोज़ाना रात में. १००० मरतबा पढने के लीये कहा था। उस पर अमल करते थे।

कोर्ट में हमारी तारीख के रोज़ भी बडे एहतेमाम से लोग इज्तिमाई अअमाल व दुआओं में शिर्कत फरमाते थे और हमारे लीये, टीफीन बोंबवाले भाईयों के लीये, गोधरावाले मज़लूमीन लीये और पुरे आलम के मुसलमानों के लीये दुआएं की जाती थी।

अय्यामे बीज के रोज़ों की भी कभी कभी तौफीक हो जाती थी। इसी तरह पीर, जुमेरात के रोज़े भी हो जाते थे। बहरहाल गन्दे व बुरे अअमाल के बावजुद अल्हम्दुलिल्लाह टुटी फुटी नेकीयों के ज़रीये अल्लाह तआला को राज़ी करने की कोशीश करते और अल्लाह तआला की रहीम व शफीक, हलीमो बुर्दबार ज़ात हमारे इन मतलबी और वक्ती अअमाल को भी ज़ाएअ न फरमाती, इन अअमाल की कबूलिय्यत व अजरो सवाब तो इन्शाअल्लाह आखिरत में मिलेगा ही। हम कैदखाने में भी इन बाबरकत के अनवारात व बरकात को महसुस करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह लोग रिहा होते गए और आखिर में हम ८ साथी पोटा में रह गए थे।

खुसूसी पोटा कोर्ट का जजमेन्ट

तारीख ३०-०६ को हमारे जजमेन्ट क तारीख दी गई, हम लोग और हमारे पोटा के तमाम साथी बहोत खुस थे, चुंके अव्वल तो जुठा केस और पिर अल्हम्दुलिल्लाह अस्बाबन हमारे वकीलों ने मेहनत भी अच्छी की थी और ऐसा मालुम होता था के तकरीबन पुरा केस हमारी फेवर (हक) में चला है इस लीये रिहाई यकीनी नज़र आ रही थी।

इस्लामने सज़ाओं और हुदूद के बारे में जो प्यारा उसूल बनाया है के **الحدود تندرء بالشبھات** (यानी शको शुब्हात की वजह से सज़ाएं माफ हो जाया करती है) यही उसूल हमारे मुल्क के कवानीन में बी है के मुल्ज़िम को सक का फायदा (बेनीफीट औफ़ डाउट) दिया जाए और इश सिलसिले में हमारे मुल्क के इन्साफ पसन्द हज़रात ने यहां तक कहा है के सो मुजरिम बच जाए उसका कोई गम नहीं, लेकिन एक बेकसुर को सज़ा नहीं दी जा सकती।

यहां तो एक शुब्हा नहीं बल्कि शको शुब्हात की भरमार थी। अव्वल तो केस ही जुठा था। और फिर इन अफसरान ने ताकत के नशे ओवर कोन्फीडन्स में बेशुमार गलतीयां की थी।

इसलीये हम तमाम बहुत खुश थे के इन्शाअल्लाह आज रिहाई हो जाएगी। हल्कि कुछ साथी तो तारीख पर जाने से पेहले ही आप तो आज रिहा होनेवाले हो। अब आप को इन चीज़ों की कहां ज़रुरत है केहते हुवे मेरी बहोत सी चीज़ें और सामान भी लेकर चले गये थे।

तारीख ३०-०६-२००६ ही सुब्ह हमारे तमाम साथीयों ने इज्तिमाई अअमाल और दुआ की। अगले रोज़ साम में और आज सुब्ह सवेरे हिफ़ाज़ती अमला के डोग स्कोव्ड। बोंब स्कोव्ड वगैरह ने आ कर हमारी यार्ड की चेकींग की और फिर सुब्ह तकरीबन १०:३० बजे हमें जेल अमला के हिफ़ाज़ती द्ते की निगरानी में जेल सीटींग कोर्ट में पेश किया गया। वकीलों से मुलकात के बाद हमें कोर्ट में ले जाकर बिठा दिया गया। कुछ रसमी कारवाई के बाद कोर्ट ने 'टाईप मशीन की खराबी' की वजह से अगले रोज़ यानी तारीख १-०७-२००६ को जजमेन्ट का एलान किया। फिर दूसरे रोज़ इसी तरह हम कोर्ट पहोचे। हिफ़ाज़ती अमले के अलावह मीडीया वगैरह के भी बहोत अफ़रात थे। कोर्ट ने अपनी कारवाई शुरुअ की और हम तमाम छ अफराद को इस जुर्म का मुरतकिब करार दे कर मुख्तलिफ सज़ाएं सुनाई, जिस में मुझे फांसी के अलावह उमर कैद व मुख्तलिफ सज़ाएं और जुर्माना भी आईद किया।

सज़ा सुन कर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मेरे कुछ साथीयों ने मारे गम के रो दिया। उन की हालत देख कर मेरी आंको मे भी आंसु आ गए। हमने आपस में एक दूसरे को तसल्ली दी। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं बआवाज़े बुल्न्द अज़ान पढकर ज़ोहर की नमाज़ भी बडे इत्मिनान से अदा की। उस के बाद लम्बी चोडी कारवाई और खानापुरी होनी थी। इसलीये अशर, मगरिब भी वहीं कोर्ट रुम से बाहर अदा की। सज़ा सुन कर मैंने जज़बात में आकर करे के 'इन्शाअल्लाह अल्लाह तआला आप तमाम

ज़ालिमों की पकड फरमाऐंगे। वोह किसी को भी नहीं छोडेंगे' मेरी बात सुनकर वहां मौजूद क्राईम ब्रान्च के एक ओफीसर पी.आई. अग्रवात सा. दमबखुद रह गए और उन्हों मेरा हाथ पकड लिया और कुछ देर तक वोह कुछ भी बात न कर सके। इफाके के बाद उन्होंने कहा मुफ्ती साहब क्या आप के साथ मैंने कोई जुल्म किया था ? मैंने कहा नहीं ,फिर पुछने लगे मैंने आपका केस बनाया ? मैंने कहा नहीं, केहने लगे फिर मुझे क्युं बददुआ दीं ? मैंने कहा माफ करना मैं जज़बात में बेह गया था , मेरा मकससद आपको बददुआ देना नहीं है, उन्हें सुकून हो गया और उसके बाद उन्हों ने अपनी ज़बान से ये कहा के आप सबर करना, आप पर जिन्होंने जुल्म किया है मालिक किसी को भी नहीं छोडेगा। उस के बाद उन्होंने हमें पी.आई.ए.ए.चौहाण की इबरतनाक मौत के हालात सुनाए। मैंने सुना था के मुझ से गुनाह कबुल करवाने के लीये एन्काउन्टर का ड्रामा करनेवाले ये साहब बिस्तरे मर्ग पर खुद अपने गुनाहों का इकरार फरमा रहे थे (वल्लाहु आलम)

अल्लाह तआला उन की मगफिरत फरमाए (आमीन)

जब हमें फांसी की सज़ा सुनाई गई तो सींघल साहब ने फातिहाना अन्दाज़ में हाथ बुलन्द कर के अपनी इस अज़ीम कामयाबी का जश्न मनाया। उन्हें कहां मालूम था के मौत व हयात के फैसले अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं। ८ साल तक फांसी की सज़ा के तहत मौत के साये में रहने वाले बाईज्जत बरी हो गए और सींघल साहब का बेटा जो बेचारा मौत के साये से भी बज़ाहिर कोसों दूर था खुदकुशी कर ली !

जेल में एक मरतबा जनाब से मेरी मुलाकात हुई थी। सींघल साब ने अगरचे हमारी फांसी पर जश्न मनाया था। मैंने उन से कहा देखीये आप ने मुझ पर जुल्म किया। ये मेरा और आप का मुआमला है लेकिन मुझे आप के बेटे की खुदकुशी का रन्ज है। वोह शरमिंदह हो गए। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा फिक्र मत करना अल्लाह तआला सब अच्छा कर देंगे। और मेरे लाईक कोई काम हो तो ज़रुर केहना। उन्होंने भी कहा कोई काम हो तो मुझे कहना। उस वक्त सुप्रिम कोर्ट में हमारा केस ज़ेरे सिमाअत था।

चुनान्चे मैंने कहा साहब अगर आप मेरे लीये कुछ करना चाहते हैं तो एक काम कीजीये । मेरा केस सुप्रिम कोर्टमें ज़ेरे सिमाअत है, ये आखरी मरहला है, अगर आपको मालिक (अल्लाह) का खौफ़ है और् झमीर की आवाज़ है तो आप सुप्रिम कोर्ट में हल्फियां बयान (एफीडेवीट) लिख कर दे दीजीये के मैंने गलत केस बनाया है और ये हज़रात बेकसूर हैं। तो केहने लगे ये तो नहीं हो सकता। फिर कहा के मुझे मालूम नहीं था के आप बेकसूर हैं। और फिर सारा इल्ज़ाम वणझारा के सर थोंप दीया। अलबत्ता उन्होंने एक बात बिल्कुल सहीह कही के वणझारा तो इस केस में तम्हारे दोस्तों और् बहोत से बेकसूर मुसलमानो को भी फंसाना चाहता था। लेकिन मैंने बडी मुश्किल से उसे इस इरादे से रोके रखा था। फिर केहने लगे के आप यहां से रिहा हो जाते लेकिन नीचली अदालतों पर 'ऊपर' से दबाव था। इसीलीये हाईकोर्ट ने आप का जजमेन्ट २ साल से जियादा समय तक रोके रखा था। लेकिन आप बेफिक्र रहो, सुप्रिम कोर्ट से आप (इनशाअल्लाह) रिहा हो जाओगे।

अल्हुम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला ने मेरी रिहाई से पेहले ही कुछ लोगों से तो इन्तिकाम ले लिया। बाज़ों को ढील दी है और ढील देने के बाद का इन्तिकाम इन्शाअल्लाह जियादा सख्त होगा। اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیْدٌ.

मेरे वालिद की पेशींगोई

मैने अफने वालिद मर्हुम की एक पेशींगोई अपनी आंखो से पुरी होते देखी। मेरे वालिद अपने साथीयों से केहते थे के जिन लोगोंने मेरे लडके को कैद में डाला है वोह खुद केसों अन्दर जाएंगे, उस के बाद मेरा लडका रिहा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला ने उन की बात रख ली, लेकिन अफसोस मेरी रिहाई देखने के लीये वोह हयात नहीं थे।

खैर फांसी की सज़ा सुनाने जाने के बाद मैंने अपने वकील से कागज़ात ले कर अपने घरवालों और दोस्तों के नाम सब्र, तसल्ली और हिम्मत अफज़ाई की चिठ्ठी लिखी और चुंके सनीचर के रोज़ सज़ा सुनाई गई थी, पीर के रोज़ मुलाकात में आने के लीये लिखा।

पीर के रोज़ की इस मुलाकात में थोडा रोना धोना भी हुवा और उस के बाद हाईकोर्ट में अपील और वकील के ताल्लुक से बातचीत हुई, पोटा कोर्ट से फांसी की सज़ाए सनाए जाने के बाद दोस्ती और हमदर्दी का दम भरनेवाले बहोत से अपने भी बेगाने हो गए। बहोत से मसाईल, परेशानीयां और तकाज़े अज़ सरे नव खडे हो गए। मेरे दोस्तों को हाईकोर्ट की फिक्र सवार हो गई, ये हज़रात हाईकोर्ट में वकीलों की नामज़दगी और फीस के लीये तआवुन की दरखास्त ले कर एक साहब के पास पहोंचे, उन्होंने ये केहते हुवे किसी भी तरह की इमदाद करने से साफ इन्कार फरमादिया के अब तो आप मुजरिम साबित हो चुके हैं, और हम मुजरिमों की पैरवी नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां भी हमारे हमदर्द व मोहसीन खडे कर दीये और जनाब उवेशभाई रसेशवाला, मुख्तारभाई पुठावाला वगैरह ने हाईकोर्ट में अब्दुल कय्युम, आदमभाई, मौ.अब्दुल्लाह और सलीमभाई हम चार की जानिब से दिफाअ और वकालत के लीये बम्बई के मश्हूर सीनीयर वकील जनाब अ.मजीद मेमण साहब को नामज़द किया और उनके तआवुन के लीये जनाब परवेज़ मेमण सा. और जनाब अेजाज़ कुरेशी को तय किया गया। और अल्ताफ़ भाई ने एच.एन. को नामज़द किया । चांदखान की जानिब से जावेदखान पठाण, खालिदभाई और् एल.आर. पठान ने वकालात नामे दाखिल कीये और तारीख ३१-०७-२००६ को हमारी जानिब से अपील दाखिल की गई । सामने गुजरात सरकार ने भी कन्फर्मेशन अपील दाखिल की, और मुक्तलीप तारीखों पर मुख्तलीफ बेंचोन NOT BEFORE ME (हम नहीं चलाएंग) किया और आखिर में जस्टीस रेखा बहेन दोषि और जस्टीस के.एम.ठाकर केस सुनने के लीये तैयार हुए।

दस खोली

पोटा कोर्ट की जानिब से सजा सुनाए जाने के एक रोज़ बाद हमारी दोबारह फींगर प्रीन्ट्स व दीगर कानुनी कारवाई के बाद हमारे प्राईवेट कपडे बिस्तर वगैरह जमा कर लीये गए और हमें दस खोली भेज दीया गया। ईसे भी जेल के आम यार्ड और सेक्शन की बनिस्बद जियादा सख्त समझा जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का फज्ल था के अल्लाह ने यहां भी हमें बेशुमार नेअमतें अता फरमाई और सारी सख्तीयां खत्म कर दी। हम से पेहले जो लोग यहां बन्द थे उन के मुताल्लिक सुना था के वोह लोग जेल अमला और निगरान को दौराने बन्दी बातचीत के लीये भी पैसे देते थे और वहां से निकलने के लीये भी बहोत जियादा पैसे अदा करने पडते थे। लेकिन हमारे बाद अल्लाह तआलाने वोह सहूलतें अता फरमाई के लोग पैसे देकर वहां आना चाहते थे।

यहां दस खोली में अव्वल बडी बेरेक में हम पांच और दो निगरान (वोचमेन) समेत कुल सात लोगों को रका गया, कुछ अरसे बाद खोली में डाल दिया। एक छोटी सी खोलीमें मैं, आदमभाई और भरुच के एक साथी इकबाल भाई पटेल रहते थे, यहां हमारे अलावह हैदराबाद के भी पोटा के साथी थे, बादमें हरेन पंड्य वाले साथीयों को भी सज़ा के बाद यहीं रखा गया। हज़रत मुफ्ति ताहिर सा. भी बडे चक्कर से यहीं तशरीफ ले आए थे। तालीम व तअल्लुम, खेलकुद, वरजिश और हंसी मज़ाक में साथीयों का वक्त गुज़रता रहा। अल्लाह ताळा ने यहां हमें दुन्याभर की सहूलतें अता फरमाई थीं, लेकिन उस की नाकदर हुई जिस के नतीजे में अल्लाह तआला नाराज़ हुवे और् जेल में कत्ल और सीटी का एक संगीन हादशा पेश आया। जिसे मैं पीछे बयान कर चुका हुं।

बडा चक्कर मुन्तकिली

२७ मार्च २००९ को सीटी बजने के बाद हमें दस खोली से बडी ज़िल्लत व रुस्वाई के सात निहायत हीबे सरो सामानी के आलम में निकाला गया और दो तीन साथीयों को हाई सिक्युरीटी में और बाकी हम तमाम को बडा चक्कर मुख्तलिफ बेरेकों मेंडाल दिया गया। मुझे बेरेक नं. ३/३ में डाला गया। यहां मेरे साथ मौ. अहमद, अत्हर परवेज़भाई और इकबालभाई पटेल और भी १५-२० मुसल्मान थे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां भी नमांज़ बा जमाअत होती थी, सीखना सिकाना भी होता था, कुरआने पाक के हिफ्ज के बाद यहीं पर मैंने फुरसद से फायदा उठाते हुवे हज़रत उस्ताज़ी मुफ्ती ताहिर साहब से अंग्रेज़ी सीखना भी शुरु किया और कुछ ही अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह काफी अंग्रज़ी भी सीख लीया।

अल्हम्दुलिल्लाह आफीयत के साथ वक्त गुज़रता रहा। बडे चक्कर ३/३ में कुछ महीने गुज़रे थे के जेल के उस वक्त के एक निहायत ही तअस्सुब परस्त (कोमवादी) ओफीसर व्यास साहब को हमारा बा जमाअत नमाज़ पढना और इजतिमाई आमाल व दुआए करना अच्छा नहीं लगा और उनहोंने हमें तमाम को मुख्तलिफ बेरेकों में तकसीम कर दिया और हिन्दु मुस्लिम दोनों कैदीयों को इस तरह खल्त मल्त कर दिया के दोनों को अपनी अपनी इबादात व मज़हबी रुसूमात में खलल हो। यही नहीं बल्कि इस ओफीसर ने मुझे हाईकोर्ट के जजमेन्ट के कुछ रोज़ पहले बुलाया और पुछा तु किस केस में है ? मैं ने कहा अक्षरधाम केस मे हुं। उस पर उसने अचानक उस के तेवर बदल लीये और धमकी भरे अन्दाज़ में कहा ''याद रखना के कोर्ट चाहे तुझे छोड दे लेकिन तु हमारी कस्टडी से जिन्दा नहीं जा सकेगा।''

हिन्दु कैदीयों का सुलूक

कैदखाने की सलाखों के पीछे ११ साल में मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं थी। जेल कवानीन की हत्तल इम्कान पासदारी की थी। यहां तक के जब जेल में नरमी होती थी। लोग इधर उधर टहल सकते थे, उस वक्त भी में वगैर ज़रुरत कभी भी घर मुलाकात और वकील मुलाकात के अलावा यार्ड से बाहर नहीं निकलता था। हत्ता के बगैर शदीद तकालीफ व ज़रुरत के होस्पिटल भी नहीं जाता था। आप को शायद ताज्जुब होगा के ग्यारह साल रहेने के बाद मुझको मुश्किल से चंद गिनती के अफसरान का नाम मालुम था। जेल अमला (स्टाफ) में से बहोत कम लोगों को नाम से जानता था। यही नहीं बल्कि मेरे पोटाके साथीयों के अलावा कुछ गीनती के कैदीयों के नाम मालुम थे।

मैं हर कैदी से घुल मिल कर रहता था। शायद आप को जान कर ताज्जुब होगा के इन ग्यारह सालों में कबी भी किसी हिन्दु कैदी के साथ मेरी कोई लडाई नहीं हुई। कबी भीकिसी हिन्दु कैदी ने मेरे साथ गलत सुलूक या बदतमीज़ी नहीं की थी। चुं के सारे ही लोग जानते थे के ये बिल्कुल गलत केस है। और मुझे झूटा फंसाया गया है। वोह लोग भी इज्जत व एहतराम और बडी हमदर्दी से पेश आते थे। अपनी ज़ाती और घरेलु मसाईल मेरे सामने पेश करते और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हस्बे इस्तिताअत उन के मसाईल हल करने में मदद करता था। बहोत से पागल कैदी भी थे। वोह भी मुझे बाईज्जत रिहाई की बशारत देते रहते थे। एक वाकिआ जिक्र करना मुनासिब समझता हुं।

बेरेक चार आफ्टर में आम तौर पर पागल कैदीयों को रका जाता था। जिम मे बिपीन भाई नाम का एक पागल कैदी था। बहोत ही जियादा पढा लिखा था। मैंने उस को देका वोह वोर्ड में घूमता फिरता गुजराती अख्बारात तलाश करता और फिर गुजराती अख्बार पढता और उसका अंग्रेज़ी ज़बान में बिल्कुल सहीह सहीह तरजमा

करता था। उस ने मेरी रिहाई से तकरीबन एक हफ्ते पेहले मुझे सुब्ह टहेलते हुवे बुलाया और कहा मिस्टर कौन से केस में हो ? मैंने कहा अक्षरधाम केस में हुं। ये सुन कर मुस्कुराया और केहने लगा : फिक्र मत करों बाईज्जत बरी हो जाओगे। और फिर मैं उस के मुंह से एक बिलकुल सहीह बात सुन कर हैरान रह गया। केहने लगा अक्षरधाम हम्ला बाहर से आए हुवे दो फिदाईन ने किया था और इस पुरे केस और साजिश में अहमदआबाद के मुसल्मानों की कोई शिर्कत नहीं थी।

आम हिन्दु तो दरकिनार, कौमी फसादात के मुकद्दमात में कैद होनेवाले भी मुझ से बडे एहतेराम से पेश आते। बहोत से लोग केस और वकील के मुताल्लिक मश्वरे के लीये भी आते थे।

सुप्रिन्टेन्डेन्ट व जेल स्टाफ

११ साल में जेल में कई सुप्रिन्टेन्डेन्ट तब्दील हुवे जिन क मुख्तसर तआरुफ हस्बेजैल है।

(१) **जनाब संजीव भट्ट सा. (I.P.S.)**

निहायत ही रहमदिल व इन्साफ पसंद ओफीसर थे। हमारी जेल कस्टडी के वक्त यही सुप्रिन्टेन्डेन्ट थे। इनहोंने कानूनी तौर पर हमारी बहोत मदद फरमाई थी। जिस की तफसीलात आप पिछले सफहात में पढ चुके हैं। गोधरा फ़सादात के वक्त I.B. में थे। गुजरात फ़सादात को लेकर इन का हुकूमत से इक्तिलाफ़ (मतभेद) भी हुवा। लेकिन अफसोस किसीने इस मर्दे हक का साथ नहिं दिया।

जेल में कैदीयों के साथ बहोत रिआयत व रहम नज़र से मिलते। कानून के दायरे में रेहते हुवे कैदीयों को बहोत सी सहूलियात फराहम की। जिस पर उनका तबादला (ट्रान्सफर) कर दिया गया।

(२) उनके बाद कुछ दिनो के लीये **जनाब भाभोर साहब** जो सीनीयर जेलर थे, उन्हें ये चार्ज दिया गया, उन के बाद जनाब एल.वी.खराडी को सुप्रिन्टेन्डेन्ट बनाया गया। चूंके जेल पुलीस ही से थे इस लीयेजेल चलाने क बडी महारत रखते थे।

(३) **एस. पी. जाडेजा साहब (I.P.S.)**

कई खूबीयों और सिफ़ातों के मालिक थे। सैय्यिदिना उमर फारुक रदी. की तरह रात के अंधेरे में कैदीयों के हालात व ज़रुरत मालूम करने के लीये तने-तन्हा निकल पडते थे। लेकिन घरेलु एतेबार से बहोत परेशान और टेन्शन में रेहते थे। नि के दौर में जेल में एक ही मशहूर (चकचार)चेतन बेटरी मर्डर होने के बाद इन्हें तब्दील कर दिया गया था। और उस के कुछ अरसे बाद उनका इन्तिकाल हो गया।

(४) **जनाब बुनेट सा. (I.P.S.)**

लंबे उंचे निहायत ही खूबसूरत और बारोअब थे। उर्दू ज़बान के बडे दिलदादह थे। जब भी राउन्ड में आते हज़रत उस्ताज़ी मुफ्ती ताहिर साहब से केहते के उर्दू बडी प्यारी ज़बान है। मैं आपसे उर्दू सीखना चाहता हुं। लेकिन शायद बहोत ही मश्गूली की वजह से वक्त नहीं निकाल पाते थे।

(५) **जनाब चन्द्रशेखर राव सा. (I.P.S.)**

मार्च २००९ में जेल में एक मर्डर के मौके पर ये नये नये सुप्रिन्टेन्डेन्ट थे। इस लीये इन्होंने सारी सहूलियात खत्म कर दी। और बडी सख्त, पाबन्दीयां आईद की थी। इस लीये आम कैदीयों की निगाह में ये बडे सख्त ओफीसर थे। लेकिन मेरे साथ इन का रवैया बडा हमदर्दाना रहा। एक मरतबा राउन्ड में उन्होंने मेरा हिस्ट्री कार्ड देखा। मेरा नाम और फांसी की सज़ा पढकर पुछा किस केस में हो ? मैं ने कहा अक्षरधाम मंदीर केस में हुं, तो बगौर मेरा चेहरा

देखने लगा, फिर पुछा अपील की है ? मैं ने कहा जी हां। पूछने लगे अभी केस किस स्टेज पर है ? मैंने कहा हाईकोर्ट में जजमेन्ट पेन्डींग (बाकी) है केने लगे बाहर क्या करते थे ? मैंने कहा सर में बिलकुल बे कसूर हुं। मैं मद्रसा व ईमामत करता था। बडे मुतास्सिर हो रहे थे, केहने लगे ठीक है, अगर तकलीफ हो तो केहना। हाईकोर्ट से सज़ा बरकरार रेने पर एक बार फिर में उनके सामने पेश हुवा था। उस वक्त भी बडी हमदर्दी का इज़हार किया था। तकरीबने एक साल तक रेहने के बाद २०१० में इनका तबादला हो गया .

(६) **जनाब पारगी साहब**

बहोत ही नर्म तबीयत के बा-अख्याक आदमी थे। कैदीयों से बडी मोहब्बत करते और बहोत रहमदिली से पेश आते थे। अंडर ट्रायल कैदीयों को छोटे भाई और सज़ा याफ्ता कैदीयों को बडे भाई के नाम से पुकारते थे। कैदीयों के ताल्लुक से बडे हमदर्दाना और मुस्बत (पोज़ीटीव) खयालात रखते थे। एक बार हमें बताया के लोग जेल को मन्हूस जगह समझते हैं। हमारे (I.P.S.) हज़रात में अगर किसी का तबादला जेल में हो जाए तो उसे बहोत मन्हूस रमझा जाता है और जेल परतबादला की खबर सुनकर उन के घरों मे मातम छा जाता है। लेकिन मेरा जेल पर तबादला हुवा तो मैं बहोत खुश हुवा था के चलो इन मुसीबत जदा लोगों के बीच रह कर इन की मुसीबतें, हालात व मजबूरीयां जानने और उन्हें सामने रखकर अपनी इस्लाह का मौका मिला है।

वोह केहते थे के बाहर के आज़ाद लोगों की बनिस्बत मैं कैदीयों को कम गुनेहगार समझता हुं। क्युं के यहां की चार दीवारी में बहोत से ऐसे गुनाह हैं जिन्हें चालते हुवे भी नहीं कर सकता। कैदीयों की खैर ख्वाही करना, उनकी

ज़रुरियात पुरी करना इसे ये नेकी समझते थे। इसी वजह से उन्होंने हत्तल इम्कान खाना दुरुस्त करने की भी बहोत कोशिश की। कैदयों की इस्लाह, तज़कियाए बातिन और इस्लाहे मुआशरह के बडे हामी थे। इस लीये मुख्तलिफ मौको पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं के बयानात का प्रोग्राम किया जाता। चुनानचे मुसल्मानों की जानिब से हज़रत मौलाना सज्जात साहब नौमानी दामत बरकातुहुम व दीगर उलमा व दानिशवरों के भी प्रोग्राम रखे गये थे।

इन के अलावा कैदीयों की सिहत और उन्हें फिकरों से आज़ाद (टेन्शनमुक्त) रखने के लीये योगा, वरज़ीश, बुढों के लीये लाफींग क्लब के अलावा तफरीह के भी बहोत से प्रोग्राम रखते थे। हिन्दु मुस्लिम तहेवारों पर कैदीयों की खुशी में शरीक होते और कानून में रेहते हुवे खाने की दावत व दीगर तकरीबात की भी इजाज़त देते थे। चुनान्चे इन क॓ ज़माने में ईद, बकरा-ईद के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से एहले खैर हज़रात की जानिब से बेहतरीन दावत के प्रोग्राम भी होते थे। लेकिन सन २०१२-१३ में जेल में मुबय्यना सुरंग खोदे जाने के वाकिए के कुछ अरसे बाद इन का तबादला हो गया।

(७) **जनाब भगोरा सा. (I.P.S.)**

गोधराकांड के बाद फसादात में 'बिल्किस बानुं' केस में ये साहब खुद भी मुल्ज़िम की हैसीयत से जेल में रह चुके थे। इसी से इन की शख्सीयत का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इनसे जियादा साबका नहीं हुवा। सिर्फ मेरि रिहाई के रोज़ ही उनसे बात हुई थी जिसे मेरी रिहाई के उन्वान में ज़िक्र करुंगा।

पुलीस स्टेशन और हमारी पुलीस

अंग्रेजो ने हमारे मुल्क में पुलीस एक्ट बनाया था, जिस का वाहिद मकसद ज़ुल्मो सितम और तशद्दुद के ज़रीये बिरादराने वतन और हिन्दुस्तानीयों के दिलों दिमाग सेवतन की आज़ादी का जज़बा और तसव्वुर मिटा देना था। जिस के लिये पुलीस को इन्वेस्टीगेशन, इन्ट्रोगेशन और रीमान्ड जैसे लफ्ज़ों के तहत ज़ुल्मों तशद्दुद की खुली आज़ादी दे रखी थी। यहां उस दौर के अंग्रेज़ी मज़ालिम को ज़िक्र करने का मौका नहीं, मुख्तसरन आज़ादी ए वतन का जज़बा कुचलने के लीये ये पुलीस फोर्स तैयार की गई थी।

लेकिन अफसोस अंग्रेज़ो के जाने के बाद और हमारा मुल्क आज़ाद होने के बाद आज भी आम ज़हनों और खास कर शरीफ लोगों में पुलीस स्टेशन की वही अंग्रेज़ी दौर की पहचान है के पुलीस स्टेशन वोह है जहां से गाली गलोच की आवाज़ें आती हो। जहां किसी को नहियात ही बेरहमी से मारा पीटा जा रहा हो, उस की रहम की भीख पर गाली और उसकी आहों ओर सीस्कीयों का जवाब कहकहा हो। जहां न सिर्फ मुद्दआ अलयही (जिस के खिलाफ फरीयाद हो) की मारपीट की जाती है, बल्कि फरीयाद करनेवाला भी वहां नवाज़िशात से महरुम नहीं रहता। बल्के ये सुना है कि आम तौर पर फरीयाद करनेवाला ही पेहले पुलीस की सख्तीयों का शिकार होता है, यही वजह है के लोग हत्तल इम्कान पुलीस स्टेशन जाने स कतराते हैं, गुंडो की शरारत, दादागीरी, धाक-धमकीयां, खंडणी, बेटीयों की आबरु रेज़ी सब कुछ इस लीये बरदाश्त कर लेते हैं के उन्हें शायद पुलीस स्टेशन में इससे ज़ियादा कडवा तजरबा हो।

घरमें एक औरत जल रही है लेकिन इस के रिश्तेदार और पडोशी उस के करीब नहीं जाते और् उसे बचाने की कोशिश नहीं करते क्युंके उन्हें डर है के पुलीस उन्हें भी इस कैस में डाल देगी। एक्सीडेन्ट और हादसों के वक्त लोग मुसीबतज़दह और ज़ख्मीयों की सिर्फ इसी वजह से मदद नहीं करते के पुलीस जवाबतलबी और

रिपोर्ट के नाम से उन्हें भी परेशा करेगी। इस के अलावा भी आप अपने अतराफ मं मुआशर के खिलाफ बेशुमार हरकतें देखेंगे जिन के खिलाफ लोग सिर्फ इस लीये आवाज़ उठाना पसन्द नहीं करते के वोह पुलीस के चुंगल से फंसना नहीं चाहते, जब के यही अंग्रेज़ जिन्ने हमें पुलीस और पुलीस स्टेशन का भयानक तसव्वुर दिया। आज उनके मुल्कों में पुलीस फोर्स नहीं, बल्कि पुलीस सर्विस है, और सुना गया है कि वाकेअतन वोह एक खादिम ही की तरह अवाम के साथ पेश आते है। अंधो, बुढों, बच्चों को रास्ता पार करवाना, बुढों और कमज़ोरों को सहारा देना, हाईवे परआपकी गाडीमे पेट्रोल ,ईंधन खत्म हो गया और करीब में कहीं पेट्रोल पंप नहीं तो आप के लीये इंधन का इन्तिज़ाम करना और दीगर बेशुमार खिदमाती काम करते हैं। और ईन सब के बावजुद गुनाह हल करने और गुनेहगारों को पकडने में भी काफी महारत रखते हैं। और फिर उनके पास अपने लेटेस्ट तक्नकी आलात हैं, बे पनाह है और फिर पुलीस से अच्छे अख्लाक व खिदमात के मुतअस्सिर अवाम का बी भरपुर तआवुन हासिल है

जब के हमारी पुलीस के अख्लाक तो आप जानते ही हैं। इस लीये शरीफ लोग और् अवाम से तोमदद की उम्म्द ही बेकार है। आम तौर पर ये देखा गया है कि पुलीस बज़ाते खुद महेनत व दौडभाग और अपने दिमाग की सलाहिय्यत और् लेटेस्ट टेकनोलोजी समझने और इस्तेमाल करने की बजाए अपने मुखबिर हज़रात ही पर अेतेमाद करत हैं। और ये मुखबिर हज़रात बसा अवकात, झुटी इत्तिलाअ भी देते हैं, बे गुनाह लोगों को भी फंसा देते हैं, ज़ाती दुश्मनीयां भी पुरी करते हैं। अपना वर्चस्व बनाने की राहमें जो आड व कांटे दिखते हों उन्हें भी ठिकाने लगाते हैं। और फिर ये हज़रात खुद बी कोई दुधसे धुले नहीं होते, बल्कि पुलीस से ताल्लुकात की आड में जुवा, शराब, खंडणी, दादागीरी और पुलीस के नाम व ताल्लुकात का नाजाईज़ इस्तेमाल कर के लोगों की मिल्कतें हडप कर लेना या सस्ते दामों से लेकर बिल्डर बन जाना ये सारे गोरखधंधे होते रेहते हैं। और न सिर्फ पुलीस खामोश तमाशाई बनी रहती है बल्कि इन मुखबिरीन हज़रात को इस की बाकायदा इजाज़त होती है और् कबी कभी तो उन के साथ इन नाजाईझ कारोबारों में कुछ पुलीस की शिर्कत और् हिस्सेदारी भी होती है।

इन हज़रात की एक गलीज़तरीन और शर्मनाक हरकत लिखते हुवे कलम लरज़ जाती है , लिखने को दिल नहीं चाहता लेकिन 'नक्ले कुफ़्र कुफ़्र नबाशद' को सामने रखते हुवे सिर्फ इसलीये लिख रहाहुं के शायद किसी को तौबा की तौफीक हो जाए। कुछ अरसा जेल में आनेवाले एक साहब ने मेरे सामने अपनी इन घीनौनी हरकतों का कुछ इस तरह एतेराफ किया। मैनं उन से पुछा फुलां साहब कैसे आदमी है ? केहने लगे हमारे पेशे के हैं, मैंने पुछा क्या मतलब ? तो केहने लगे मुखबिरी भी करते हैं, चमडी का कारोबार भी है, मैंने पुछा क्या मतलब? तो केहने लगे के हमारी बहन बेटीयों को खुद भी इस्तिमाल करते हैं और खुश्नुदी और तकर्रुब हासिल करन के लीये उन्हें भी पेश करते हैं (अल्लाह हिफ़ाज़त फरमाए)

हमारे मुल्क की अदालतें उज़मा (सुप्रीम कोर्ट) ने बारहा पुलीस की इस छाप (ईमेज) को सुधारने और पुलीस एक्ट में इस्लाह की बात कह है।

मौजूदह पी.एम. ने भी पुलीस सेमीनार में इस दर्द को महसुस किया था. हालांके ऐसा नहीं है के सारा ही पुलीस डिपार्टमेन्ट खराब है, अच्छे लोग भी हैं, बल्कि बहोत ही अच्छे और ईमनदारलोग भी हैं जो इस सिस्टम की इस्लाह चाहते हैं, लेकिन उन की आवाज़ दब कर रह जाती है, मुझे अच्छी तरह याद है ए.टी.एस. के. मी. विपुल विजोय और मी. के.के.पटेल और दीगर कुछ अफ्सरान ने अक्षरधाम केस बनानें मना किया था के हम गलत केस नहीं बनाएंगे। उन्हीं के पास इश केस की जांच थी। लेकिन उनकी ईमानदारी पर ये केस वणझारा साहब वगैरह को दे दिया गया। जिसे उन्होंने खुशी खुशी कबुल कर लिया। मैं ने क्राईम ब्रान्च में भी ईमानदार व शरीफ ओफीसरों को देखा था। कश्मीर के सफर में जब उन से करीब होने का मौका मिला तो उन की शराफत को महसुस किया। हमारे साथ तीन पी.एस.आई थे, तीनो बडी हमदर्दी से पेश आते थे। खास कर एक पी.एस.आई साहब जो गैर मुस्लिम थे। निहायत ही नरम दिल थे। मेरी बहोत होसला अफ़ज़ाई फरमाते और केहते सुरए यासीन शरीफ कुरआन पाक का दिल है उस की तिलावत करते रेहना और अल्लाह से मदद मांगना वगैरह वगैरह। इससे कब्ल इन्डीयन आर्मी, कश्मीर पुलीस व दीगर एजन्सीयों के इमानदार अफसरों

का जिक्र आप पढ चुके। जेल के सुप्रिन्टेन्डेन्ट जो के अक्सर बा अख्लाक व रहमदिल थे। जिनका ज़िक्र तफसील से गुज़र चुका है। बल्कि जेल अमला में श्रीमाली साहब, हनुमानदादा नाम के कुछ लोग इतने भले थे के हम लोग आपस में केहते थे के ये हज़रात अगर मुसल्मान होते तो बहोत बडे वली होते।

शायद आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा के ११ साल के एरसे में मुझे सिवाय एक ओफीसर (व्यास) के कभी भी हिन्दु ओफीसर ने कोई तकलीफ नहीं दी। हमेशा इज्जत व एहतराम से देखा। हां एक मुसल्मान ओफीसर ने ज़रुर तकलीफ दी। और शरारत का कोई मौका नहीं छोडा। क्राईम ब्रान्च में भी यही होता था। आम तौर पर एक मुसल्मान ओफीसर ज़रुरत से जियादा वफादारी बताने के लीये (मुसल्मान पर) जुल्म में हमेशा आगे रेहता था।

याद रखीये ! मुल्क से मोहब्बत, वफादारी, बेशक बरहक व ज़रुरी है, लेकिन बेकसूरों, बेबसो पर जुल्म करना, जुल्म करना, जुल्म में साथ देना, झुठे और गलत केस बनाना वफादारी नहीं बल्कि गद्दारी है, और जिन लोगों की खशनुदी हासिल करने के लीये ये हज़रात ऐसी गीनौनी हरकतें करते हैं उन्के यहां भी इन का शुमार वफ़ादारों में नहीं बल्कि खुशामदखोरों और चापलूसों में होता है। (खसिरदुन्या वल आखिरह)

इन मीर सादिकों को अपने अन्जाम की फीक्र करनी चाहीये

पुलीस स्टेश और मेरा तजरबा

रिहाई के बाद मेरे मोबाईल चोरी की शिकायत के सिलसिले में कारंज पुलीस स्टेशन जाना हुवा। वहां निहायत इकराम व एहतेराम से मुझे बैठने के लीये कुरसी दी गई और बडे मुहज्जब अंदाज़ में बात की गई। पी.आई. साहब और मुन्शी साहब के अख्लाक देख कर अव्वल तो मुझे गलत फेहमी हुई के मैं गलती से किसी होटल या शो-रुम में तो नहीं पहोंच गया ? लेकिन नहीं, वोह पुलिस स्टेशन ही था जिस ने मुझे पुलिस स्टेशन के मुताल्लिक अपनी नज़रीये पर नज़रे सानी के लीये मजबूर कर दिया। लेकिन अफसोस बहोत जल्द दरियापुर पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने मेरी

खुशफेहमी दूर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिहाई के बाद मेरा पासपोर्ट मुझे लोटा दिया गया। लेकिन उसकी मीआद (एक्सपायर्ड) खत्म हो चुकी थी। मैंने तजदीद (रीन्यु) की दरखास्त की। जिस पर दरियापुर पुलिस स्टेशन को जांच सुपुर्द की गई। मैं ने उन्हें जजमेन्ट कोपी और गुजरात राज्य और क्राईम ब्रान्च की नज़रे सानी की अपील (रीव्यु पीटीशन)के जजमेन्ट की कोपी भ दी। इन हज़रात की काबिलीयत का ये आलम था के मुझे केहने लगे के ये तो अंग्रेज़ी ज़बान में हैं, मैंने कहा : ये सुप्रिम कोर्ट का जजमेन्ट है जो अंग्रेज़ी ही में होता है, केहने लगे : हमें तो अंग्रेज़ी नहीं आती। आप ही पढ कर सुना दीजीये इस में क्या लिखा है ? मैं ने उन्हें जजमेन्ट के कुछ पेरेग्राफ पढकर सुनाएं। केहने लगे इस का गुजराती हो सकता है ? मैंने कहा : मैं इस का गुजराती तरजमा कर रहाहुं , तो केहने लगे इस की एक कोपी हमें ज़रुर देना। खैर मुझ से मीठी मीठी बातें की और हफ्ता भर मुझे खेल लगाते रहे और आखिरकार ये रिपोर्ट लिख भेजा के **''मज़कूरह शख्स अक्षरधाम केस का मुल्ज़िम है, ११ साल साबरमती जेल में रह चुका है सुप्रिम कोर्ट ने इस को बाईज्जत रिहा कर दीया है, इस के बावजूद हम इसे पासपोर्ट दीयेजाने के हक में नहीं है।''**

सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद बी इन हज़रात की ज़हनीयत और गन्दी सोच का इससे बढ कर क्या सुबूत हो सकता है ?

मेरे वालिद व दीगर मुताल्लिकीन की गमनाक वफ़ात

११ साल के इस लम्बे अरसे में अगरचे मेरी दुन्या मुन्जमिद (ठेहरी हुई) थी लेकिन बाहर की दुन्या अपनी सुरअत व रफतार से चलती रही। शबोरोज़ का तगय्युर अपने साथ बेशुमा रतगय्युर व तब्दीलीयां लाता रहै। बच्चे जवान होने लगे, जवान अधेड और अधेड बुढे हो गए। और बुढे अपनी आखरी मन्ज़िल की जानिब कूच कर गए। मेरी गैर मौजूदगी में बहोत स केकरीबी व मुताल्लिकीन दुन्या से रहलत फरमा

गये। जो अपने पीछे अपनी यादें और मेरे दील पर गम का एक असर छोड गये और में उनकी नमाज़ और जनाज़े में भी शिर्कत से मेहरुम रहा।

चुनान्चे तारीख ३०-०५-२००७ को हज़रत मुफ्ती ताहिर साहब, हमीदखान, इदरीसखान, गुलालबाई वगैरह ने अव्वल मेरे वालिद की तबीयत सीरीयस होने की और कुछ देर बाद इन्तिकाले पुर मलाल की खबर सुनाई. إنا لله وإنا إليه راجعون

इश अलमनाक हादसे का मेरे दिल पर क्या असर हुवा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन्दगी का अकसर हिस्सा में अपने वालिद गी सोहबत से दूर रहा, अव्वल १९८४ से लेकर ९७ तक १४ साल मदरसे में रहा, १९९७ में फरागत के बाद ४ महिने जमाअत में गया और फिर २००० में कंडला, नवलखी वगैरह में पुर आया, फिर २००१ में भुज और दीगर मकामात पर ज़लज़ला, २००२ में गोधराकांड और उस के बाद पिरकावाराना फ़सादात में खिदमाती कामों में दौडभाग की वजह से कबी इत्मिनान से अपने वालित के पास बैठने का मौका व तौफीक नहीं हुई। हां वोह कभी कभी मुलाकात में आते, मुझे देखते, केस के हालात सुनते, कभी मेटा टेन्शन देख कर बेचारे खामोश खडे रेहते। और गमनाक आंखे लेकर वापस चले जाते। कम अज़ कम आज उन के इन्तिकाल पर मैं आखरी बार उनका चेहरा देख लेता। उन्हें कांधा दे देता, उन की जनाज़े की नमाज़ पढता, और उन्हें कब्र में उतार कर अपने आप को कुछ तसल्ली दे देता।

मेरे हमदर्दो, मेरे मोहसीनों, सलमानभाई, नुरबेगभाई, ग्यासुद्दीनबाई शेख, मुहम्मद हुसैनभाई मम्मी, अख्तारभाई (शीतल पंप) मुख्तारभाई वगैरह ने बहोत कोशीश की I.G. में गए, हाईकोर्ट गए, लेकिन अफसोस हाईकोर्ट ने कुछ नहीं सुना और ये केह कर के 'गंभीर केस' है, मुझे एक घंटे की पेरोल देने से भी मना कर दिया।

फांसी के कैद को फांसी लगाने से पेहले आखर ख्वाहीश पुछी जाती है और जहां तक मुम्कीन हो उस की ख्वाहीश पुरी की जाती है, जब के अभी तो मेरी सज़ा कन्फर्म भी नहीं हुई थी, अबी मेरी हाईकोर्ट/सुप्रिमकोर्ट बाकी थी। मैं इस एतेबार से

अभी सिर्फ मुल्ज़िम और अंडर ट्रायल कैदी था। काश मेरी ख्वाहिश पुरी की जाथी!

माफ करना मैं किसी भी अदालत की तौहीन करना नहीं चाहता, मुझे सज़ा देने वाले स्पे.पोटा कोर्ट के जज जब सज़ा सुनाकर जाने लगे थे उस वक्त भी मैं उनके एहतेराम में खडा हुवा था। लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ खामी ज़रुर है। सि सिस्टम का शिकार सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्के बहोत से बेचारे गरीब हिन्दु भी हैं, चुनान्चे हमारे I.G.P. साहब जनाब पी.सी. ठाकोर साहब ने खुद इस बात का एतेराफ करते हुवे एक तकरीब में कहा के एक आदीवासी को सिर्फ ५०/- रुपीये की चोरी के इल्ज़ा में ३८ साल जेल में गुज़ारने पडे थे। (गुजरात टुडे, २०-१२-२०१४, रविवार)

मैंने खुद यहां साबरमती जेल में एक कैदी को देखा ६५० ग्राम डांगर की लूट के केस में बेचारे को १० सा गुज़ारने पडे थे। और ऐसे को कई केस देखे ४९८ की कलम में, बीवी ने खुदकुशी कीया वाकेअतन उसे शोहर ने जलाया। लेकिन इस जुर्ममें मां, बेटी, बहन, देवरानी, जेठानी, पडौसी और पता नहीं पुरे पुरे खानदान को कलम४९८ के तहत सज़ा दे दीजाती है। एक साहब अपनी बीवी के साथ अलग रहते थे, और उन का बच्चा आम तौर पर अपने दादा-दादी केपास रहता था। मियां-बीवी में झगडा हुवा, बीवीने खुदकुशी कर ली या शोहर ने जला दिया ....अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जुल्म की हद तो उस वक्त हुई जब बीवीने मरने से पेहले उसके रिश्तेदारों के बेहकावे में आ कर अपने डी.डी. (डाईंग डेकलेरेशन) में अपने सास, ससुर का नाम डाल दिया। और वौह दादा, दादी जो अपने पोते को संभालते, उस की तरबीय्यत करते थे, उन की खिदमात का ये सिला मिला के आज वोह तकरीबन १३ साल से जेल में है, कमाल ये है के हादसे के वक्त भी पोता अपने दादा के घर था।

अैसे कई मुकद्दमात हैं जिन्हें बयान करने की यहां गुंजाईश नहीं।

ईस के बिलमुकाबिल बहोत से ऐसे लोगों को भी देखा जो १५-२० केस लेकर आते, उन पर लूट के ३०७-३०२ और इस किस्म के कई संगीन केस होते,

लेकिन ये लोग बडे एतेमाद के साथ केहते, लूटवाले केस में जामीन हो गई। आईन्दा हफ्ते में ३०७ में जामीन करा लुंगा, दूसरे ४ केस में आज जामीन हो जाएगी। २ महीने में मर्डरवाला केस पुरा हो जाएगा। वहां तक दूसरे तमाम केस भी पुरे करवा लुंगा और फुलां तारीख तक छुट जाउंगा। और फिर उनकी बताई तरतीब के एतेबार से ही ज़मानतें होती चली जाती। केस चल जाते और उन की दी हुई तारीख पर वोह रिहा भी हो जाते थे।

इब्दिदा में एक साहब को मैंने देखा था। वोह कोर्ट में जज साहब के सामने केहते के जज साहब, अगर आप मुझे छोड देंगे तो फुलां साहब का मर्डर कर दुंगा। उस के बावजुद केस चलने पर वोह रिहा हो गए। हालां के बादमें उन्ही का मर्डर हो जाते थे ।

एक साहब मेरे साथ खोली में रेहते थे, जब उन को पेहली तारीख पर जज के सामने पेश किया गया तो ये भाई ने कहा मुझे यकीन नहीं होता के आप जज हैं, और ये अदालत है, जज साहब ने पुछा क्युं ? केहने लगे यहां ''सत्य मेव जयते'' लिखा हुवा नहीं और इन्साफ की देवी नहीं। जज साहब ने इधरउधर निगाह दौडाई और केहने लगे, हां तेरी बात सह है, पौरन स्टाफ को हुक्म दिया के यहां सत्यमेव जयते लिखाओ और तराज़ुवाली देवी लगाओ। फिर दूसरी तारीख पर पेशी पर फिर उसने कहा अभी भी मुझे आप पर एतेमाद नहीं है के आप जज है, पुछने लगे अब क्या है ? उस ने कहा गांधी बापु की तसवीर नहीं है। फिर जज साहब ने दीवारों पर नज़र दौडाई और स्टाफ को गांधी बापु की तसवीर लगाने का हुक्म दिया। बिलआखिर केस चलने पर जज साहब ने उसे बाईज्जत रिहा भी कर दीया। हमारे यहां एक बाप और उस का एक जवा बेटा दोनों एक ही केस में उमर कैद की सज़ा मे थे। इब इसी बेटे की शादी के उन्वान पर बाप बेटे ने पेरोल (छुट्टी) की अर्ज़ की। आम तौर पर ये होता है के एक ही केस के दो या जियादा आदमीयों को एक ही वक्त में पेरोल नहीं दी जाती। चुनान्चे कोर्टने बाप को शादी में शीर्कत के लीये पेरोल दे दी। उस के बेटे को पेरोल नहीं दी के जिस की शादी

होनी थी। और भी बेशुमार वाकेआत आए दिन होते ही रहते है, मैं ये नहीं केहता के कोर्टों की गलती होती है बल्कि आम तौर पर पुलीस की गैर ज़िम्मेदाराना और कोताही भरी जांच और तैयार किये गये गलत कागज़ात की वजह से भी ये सब कुछ होता है।

बहरहाल मैं अपने वालिद के जनाज़े में शिर्कत नहीं कर सका. मैंने अन्दर से जनाज़ा की नमाज़ मेरे चाचा मुहम्मद हुसैन (अपनभाई) या सलमान भाई को पढाने की ईज़ाज़त केहला दी। हम लोगों ने हज़रत ईमाम शाफई रह. के मस्लक पर अमल करते हुए गाईबाना नमाज़े जनाज़ा पढी। और मेरे वालीद और उम्मत के मर्हूमीन के हक में दुआए मग्फिरत फरमाई। मेरे पोटा के साथी, गोधरावाले साथी, गेंगवाले और बहोत से मेरे मुताल्लिक हिन्दु मुस्लिम कैदी ताजीयत के लीये आए, अपनी गमख्वारी, हमदर्दी और दु:ख में शिर्कत का इज़हार किया और मेरा गम हल्का करने की कोशीश की।

तारीख ०२-०४-२००९ को मेरे मोहसीन व हमदर्द दोस्त अज़ीजम मुफ्ती इम्तियाज़ साहब (रह.) की वफ़ात की गमनाक खबर मीली । إنا لله وإنا إليه راجعون. मौसूफ के मुझ पर बहोत से एहसानात थे। जिन के बयान का यहां मौका नहीं। सिर्फ एक अज़ीम नेकी का ज़ीक्र यहां ज़रुरी समझता हुं, मैरी मुलाकात में भाई सल्मान और नुरबेग सा. आते। केस के ताल्लुक से कभी उन के साथ सख्त कलामी भी होती, उन्हं डांटता, धमकाता, ये बेचारे टुटे दिल और होसला शिकन हालात लेकर मायूस व गमज़दा हज़रत मुफ्ति इम्तियाज़ सा. के पास पहोंचते। हज़रत मुफ्ती सा. इन की बातें सुन कर इन की हिम्मत अफज़ाई व हौसला फरमाते, कैदी पर खर्च करने और उसे आज़ाद करने के फ़ज़ाईल सुनाते, मुफीद मश्वरे देते और उन की बेटरी चार्ज फरमा देते थे। ये एक ऐसी नेकी है जिस का कोई सानी नहीं हो सकता। तालिबे इल्मी के ज़माने में हम दोनों में पेहले नम्बर के लीये बडा तकाबुल रहता, लेकिन अल्लाह ने बता दिया के पेहला नंबर उन्ही का है। और मेरी उन के सामने कोई

हैसीयत नहीं।

इसी अस्नाअ में अमीरे दावत व तब्लीग हज़रत मौलाना अ.गनी सा. (रह.), अमीरे दावत व तब्लीग हज़रत अक्दस मौलाना मुहम्मद ज़ुबैर सा. (रह.), मेरे बडे चाचा जनाब गुलामनबी भाई मनसुरी (बाबुचाचा), मेरी नानी मोहतरमा, मेरी एक निहायत व हमदर्द और करीबी रिश्तेदार खातून खैरुमा, हज़रत शैखुल हदीस मौलाना मो. इकराम सा. (रह.) हज़रत मौलाना वाजिद हुसे सा.देवबंदी (उस्ताज़े हदीस जामिआ डाभेल) हज़रत मौलना हुसैन अहमद उमरजी जो गोधरा केस से रिहा हुवे थे और कुछ अरसा बाद इन्तिकाल हो गाय । इसी तरह कैदखाने के साथी हज़रत मुफ्तिताहीर साहब की वालिदा मोहतरमा, मौ. अब्दुल्लाह साहब की वालिदा मोहतरमा, मौ. अहमदहुसैन सा. के बाई और इन के अलावा अन्दर और बहार के बहोत के मुताल्लिकीन दुन्यासे रहलत फरमा गए। إنا لله وإنا إليه راجعون.

कैदखाने के आखरी दिनो में मेरे खालाज़ाद भाई मुहम्मद शीस का आफ्रीका अल्लाह के रास्ते में इतिकाल हो गया। जो मेरे लीये एक मुस्तकिल आज़माईश थी। क्युं के उन के भाई इदरीस भाई जो के मेरे बहोत से कामकाज संभालते थे। मेरे घर मेरी वालिदा केलीये बडा सहारा थे । अब वोह खुद तन्हा हो गए थे और उन्हें सहारे कीज़रुरत थी।

अल्लाह तआला तमाम की बेइन्तिहा मग्फिरत फरमाएं। उन की कबरों पर अपनी रहमत व अनवारात नाज़िल फरमाएं। कब्र, हश्र और आखिरत की तमाम मन्ज़िलें आसान फरमाएं। उन के पसमांदगान को सब्रे जमीलत, अजरे जलील अता फरमाएं। (आमीन)

गुजरात हाईकोर्ट का जजमेन्ट

"Truth Stranger Than Fiction"

गुजरात हाईकोर्ट में तारीख २५-०३-२००८ से केस की सिमात शुरु हुई। हमारी जानिब मजीद मेमन सा. ने तीन रोज़ तक बेहतरीन दलाईनल कीये। सामने क्राईम ब्रान्च व सरकार की जानिब से जे.एम. पंचाल, कमल पंचाल, उमेश त्रिवेदी वगैरह पेश हुवे, और पंचाल सा. ने तकरीबन १५ रोज़ तक आरग्युमेन्ट कीये। और तारीख २५-०४-२००८ को आरग्युमेन्ट पुरे हो गए।

हाईकोर्ड से भी हमें रिहाई की बहोत ही उम्मीद थी। ईसी लीये शिद्दत से जजमेन्ट का इन्तिज़ार था। लेकिन अफसोस हाईकोर्ट ने तकरीबन २६ महीने तक पता नहीं किस मस्लिहत की वजह से हमारा जजमेन्ट रोके रका और बार बार हमारी जानिब से मेन्सन कीये जाने पर आखिर कार तारिख ०१-०६-२०१० को अपना जजमेन्ट सुनाया। और हम तमाम की सज़ाओं को बरकरार रखा। और हमें सुप्रिम कोर्ट में अपील के लीये ६० रोज़ दीये (पोटा कोर्ट, हाईकोर्ट के जजमेन्ट व गलतीयों को मेरे काबिल वकीलों ने कानुन के दायरे में रेहते हुवे बेहतरीन तरीके से बयान किया है और नामदार सुप्रीम कोर्ट ने बडी बारीक बीनी से उन्हें जांच कर बडी वज़ाहत से तब्सेरा किया है)

सुप्रिम कोर्ट औफ इन्डिया
जमीअत उलमाए हिंद (मौ.अरशद मदनी) और
जमीअत उलमाए महाराष्ट्र का किरदार

हाईकोर्ट ने तारीख ०१-०६-२०१० को जजमेन्ट दिया और उस के एक हफ्ते बाद सर्टीफाईड कोपी हमें दी गई। जिस मे हमें अपील के लीये ६० रोज़ का वक्त दिया गया था। जिस में एक छोटा सा वेकेशन भी शामिल था। अगर ६० रोज़ में आप फांसी पर स्टे नहीं ला सके तो आप का काउन्ट डाउन (उल्टी गिनती) शुरु हो जाएगा। अव्वल तो फांसी का खौप और बचाव की तदबीर के लीये महदूद वक्त। ये दोनों बातें जमा हो जाए तो वैसे ही आदमी की अक्ल महफूज़ (लकवा) होजाए क अब क्या होगा ?लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोडो एहसान है के उस अज़ीम ज़ात ने मेरे दोस्तों और मेहनत करनेवालों को बडा हौसला अता फरमाया। हज़रत मुफ्ती इम्तियाज़ साहब की वफ़ात के बाद अज़ीज़म मुफ्ती यह्या साहब और मुफ्ती रिज़वान साहब और मुफ्ती रिज़वान साहब केस पर निगरानी औऱ इन पर वाजिबुल एहतेराम हज़रत अकदस उस्ताज़े मोहतरम हज़रत मुफ्ती अहमद साहब दामत बरकातुहुम व साहबज़ादे हज़रत मुफ्ति असअद सा. (म.ज़ि) की पुरी निगाह व जवज्जुहात रहती थी।

चुनाचे मुफ्ती रिज़वान साहब ने मौलाना मुफ्ती युसुफ साहब (इमाम व खतीब जामा मस्जिद, खार, मुंबई) (खलीफ़ा हज़रत अकदस मुफ्ती अहमद दामत दा.ब.) से राब्ता कीया। इस से पेहले सन २००८-२००९ में अजीज़म साहब सफरे हज में थे। वहीं पर हरम शरीफ में हज़रत मुफ्ती साहब से इस्तिफसार पर मुफ्ति रिज़वान साहब ने बताया था के फिलहाल हाईकोर्ट में जजमेन्ट पेन्डींग है। उस वक्त हज़रत मुफ्ती युसुफ साहब ने बवक्के ज़रुरत तआवुन की पेशकश की थी। उस के बाद २०१० में हज़रत मुफ्ती युसुफ साहब का राजस्थान सफर था। रास्ते में अहमदआबाद के कयाम के दौरान हज़रत मुफ्ती रिज़वान साहब से फिर मुलाकात हुई। उस वक्त

हाईकोर्ट से हमारा फैसला हो चुका था। और मेरे साथी सुप्रिम कोर्ट की तैयारी को ले कर बडे परेशान थे। मुफ्ति रिज़वान साहब ने उन्हें हालात से आगाह किया। मुफ्ति युसुप साहब ने फरमाया के फुलां तारीख को आप मुंबई आ जओ। चुनान्चे अजीज़म मुफ्ती रीज़वान साहब, मुरबेग और भाई सलमान मुंबई पहोंचे, वहां हज़रत मुफ्ती साहब ने जनाब गुल्ज़ार आज़मी साहब, मौलाना मुस्तकीम साहब व दीगर अराकीन से मुलाकात कराई। इन हज़रात ने बडी बशासत से इस मुकद्दमा की पैरवी पर आमादगी ज़ाहिर की। इसी अस्नाअ में जामिआ डाभेल के सालाना अजलास में नमूनए शैखुल इस्लाम, मोहसिने मिल्लत हज़रत अकदस मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की तशरीफ आवरी हुई। इस अम्र में मजीद ताईद व तआवुन की गर्ज से हज़रत मुफ्ती युसूफ साहब ने मुफ्ति रिज़वान साहब को डाभेल जा कर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से मुलाकात व दरखास्त के लीये कहा। चुनान्चे ये हज़रात डाभेल पहोंचे . वहां हज़रत मौलाना के सामने ये दरखास्त रखी गई। हज़रत मुफ्ती अहमद साहब की सिफारिशात बी शामिल थी। हज़रत मौलाना अरशद साहब ने उसी वक्त फरमाया ठीक है। हम इस मुकद्दमे की पैरवी और इखराजात बरदाश्त करने के लीये तैयार है। अब ये बतलाईये के वकील आप तय करेंगे या हम अपने तौर पर तय कर लें ? मुफ्ति रिज़वान साहब ने कहा हज़रत हम सोच कर जवाब देते हैं। फरमाया ठीक हैं, ये हज़रात मस्जिद आए, दो रकअत नमाज़ पढ कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से खूब आहो ज़ारी की। मस्जिद से निकल रहे थे के हज़रत कारी अहमदुल्लाह साहब से मुलाकात हुई। हज़रत कारी साहब ने पछा क्या हुवा ? मुफ्ती रिजवान साहब ने माजरा बताया। कारी साहब ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर तवक्कुल करते हुवे आप हज़रत के ताबेअ हो जाएं इन्शाअल्लाह इस में खैर है। चुनान्चे ये हज़रात हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब की खिदमत में पहोंचे और हज़रत से अर्ज़ किया के हज़रत आप अपने तौर पर मुनासिब समझें..करे। हज़रत ने वहीं से सुप्रिम कोर्ट के वकील जनाब अनीस सहरवर्दी को फोन किया और इस मुकद्दमे की तैयार करने के लीये कहा।

उस वक्त हज़रत ने फरमाया के इन हज़रात का केस लडना हमारी मग्फिरत का ज़रीया बनेगा। इन्शाअल्लाह, इस केस पर अगर एक करोड रुपीये भी खर्च हो तो हम देंगे। और पिर हज़रत ने भी जमीअते उलमा महाराष्ट्र ही से हमारे केस की पैरवी करने के लीये कहा । वहां हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी (जनरल सेक्रेटरी जमीअते उलमा महाराष्ट्र) और हज़रत मौलाना मुफ्ती युसुफ साहब (खाज़िन जमीअते उलमा महाराष्ट्र, खलीफ़ा हज़रत अकदस मुफ्ती अहमद साहब दा.ब.) और मर्दे मुजाहिद जनाब गुल्ज़ार आज़मी साहब (सेक्रेटरी लीगल सेल, जमीअते उलमा महाराष्ट्र) वगैरह हज़रात जो पेहले ही आमादगी ज़ाहिर कर चुके थे, अब हज़रत के हुक्म पर बडी बशाशत के साथ इस केस की तैयारी और पैरवी में मशगूल हो गएं। मेरे साथीयों को वकीलों के इन्तिखाब व नामज़दगी के लीये दिल्ही रवाना किया। ये वोह वक्त था के अकसर बडे वकील वेकेशन की वजह से दिल्ह में मौजूद नहीं थे। ताहम मेरे इन काबिले फख्र दोस्तों ने बडी जद्दो जहद और दिल्ही व अतराफ़ की खाक छानने के बाद कई वकीलों से मुलाकात की और उन की पीस वतरीकए कार मालूम कर के आए और फिर मशवरा के बाद A.O.R. (एडवोकेट ओन रेकोर्ड) केतौर पर बडे ही काबिल व माहिर वकिल मोहतरम जनाब मुहम्मद अनीस साहब सहरवर्दी को नामज़द कीया। अब सीनीयर वकीलों की तलाश थी, डेढ महिने से जियादा अरसा गुजर गया था। इन हज़रात ने सुप्रिम कोर्ट के एक मशहूर वकील सुशीलकुमार जैन से मुलाकात की, उन्होंने हाईकोर्ट का जजमेन्ट और दीगर कागज़ात देख कर कहा : मुल्लाजी आप के पास सिर्फ पांच, छ रोज़ बाकी है, आप जल्दी एस.पी.एल. फाईल कर दो। वरना पांच छ : रोज़ बाद आप के साथीयों को फांसी पर लटका दीया जाएगा। मेरे दोस्त बडे फिकरमंद हुए और उसी वक्त हज़रत मौलाना अरशद साहब से राब्ता किया, हज़रत ने सूरते हाल पर गौर करने के बाद हज़रत मौलाना सिराज साहब के साथ इन हज़रात को सहरवर्दी साहब के पास रवाना कीया और पौरन एस.पी.एल. दाखिल करने की ताकीद की। और सीनीयर वकीलों की हैसीयत से हिन्दुस्तान की मायाए नाज़ सख्सीयत जनाब के.टी.एस. तुल्सी, जनाब

अमरीन्दर सरन और मोहतरमा कामीनी जयस्वल को नामज़द कीया। जनाब अनीस सहरवर्दी ने बडी मेहनत के बाद एस.पी.एल. तैयार की और ५४ वें रोज़ इस पर सिमाअत हुई । इस मौके पर महारी जानिब से इन काबिल वकीलों के अलावा हिन्दस्तान के मशहूर वकील जनाब हरीश साल्वे को भी हाज़िर रखा गया था। हमारी जानिब से उस रोज़ जनाब के.टी.एस. तुल्सी ने तकरीबन १२ मिनट की अपनी बहस में कोर्ट से कहा के वणझारा, सींघल एन्ड कंपनी जो के नकली एन्काउन्टर के मुल्ज़िमीन हैं उन की मनघडत और झूटी कहानीयों पर तीन तीन लोगों की मौत का फैसला नहीं किया जा सकता। इस के अलावा निहायत ही मुअस्सिर कानूनी दलाईल कर के कोर्ट को काइल कर लिया और जस्टीस सुदर्शन रेड्डी और जस्टीस एस.एस.निज्जर की बेंच ने ५९वें रोज़ (सिर्फ एक ही रोज़ पेहले तारीख ०६-०८-२०१० को) हमारी फांसी की सज़ा पर स्टे दे दीया। और राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, क्राईम ब्रान्च और C.B.I. वगैरह को नोटीस जारी कीये। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पेहली काम्याबी थी। (इस पेहली ही तारीख परतकरीबन ३२ लाख रुपीये खर्च हुवे थे जो जमीअते उलमा महाराष्ट्र ने अदा कीये। और हमारे इस पूरे केस में सिर्फ सुप्रिम कोर्ट की फीस के तौर पर ५३ लाख रुपीये खर्च हुवे जो जमीअते उलमा महाराष्ट्र ही ने अदा कीये (फजजाहुमुल्लाह)

और सिर्फ अक्षरधाम ही नहीं जमीअते उलमा महाराष्ट्रने दीगर मुकद्दमात में भी हमारी किसी दरखास्त या सिफारीश को कबी मुस्तरद नहीं किया। पोटा के अलावा दीगर कई केसों में भी हम पर एतमाद करते हुवे हमारी दरखास्त और सिफारिश पर पैरवी के लीये आमादगी ज़ाहिर की। और जिस वक्त जिस वकील का हमने मुतालबा कीया अपने खज़ाने खोलदीये और इस मुआमले में कभी पशो पेश या कंजूसी से काम नहीं लीया।

अल्हम्दुलिल्लाह S.L.P. की मन्ज़ूरी के कुछ ही अरसा बाद नामदार सुप्रिम कोर्ट की ईसी बेंच ने तारीख ३-१२-२०१० को मौलाना अब्दुल्लाह साहब की ज़मानत मंजूर की जो दूसरी अज़ीम कामयाबी थी।

मेरे काबिल वकील

मुनासिब मालूम होता है के यहां मेरे उन काबिल वकीलों का मुख्तसर तआरुफ और एहसान शनाशी हो जाएं।

(१) **मी. के.टी.एस. तुलसीॉ**

मी. के.टी.एस. तुलसी शीख है, और राज्यसभा में कोंग्रेस के मेम्बर औफ पार्लामेन्ट है, हिन्दुस्तान के बडे ही नामवर और माहिर वकील है। बडा उंचा स्टेटस और मकाम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लीये उन के दिल को नर्म कर दिया था। हमारी जानिब से तीन रोज़ तक आरग्युमेन्ट कीये। सरकारी वकील के आरग्युमेन्ट मे भी हाजिर रहे। और फिर आखिर में तहरीरी आरग्युमेन्ट (रीजोईन्डर) भी रता और मेहनत का हक अदा कर दिया और हमसे सिर्फ ११ लाख रु. फिस ली थी। कोर्ट ने इन से सवाल पुछा था के अच्छा ये बताओ के अब्दुल कय्युम बेकसूर है तौ पुलीस ने उसे ही क्यु निशाना बनाया ? उन्होंने बरजस्ता (फौरन) जवाब दिया...जैसे इन्दीरा गांधी के कत्ल के बाद ओपरेशन ब्ल्यु स्टार के वक्त हम शीखों को निशाना बनाया गया था, उस वक्त किसी वजह की ज़रुरत नहीं थी, बस शीखों पर जुल्म करना था, इसी तरह २००२ के बाद मुसल्मानों को मारकर, डराकर, केसों में फंसा कर जुल्म करना था। उस के लीये किसी वजह की ज़रुरत नहीं थी।

उर्दू चिठ्ठीयों पर धारदार दलाईल कर के कोर्ट को चिट्ठीयों और फिदाईन के कपडे देखने पर काईल कर लिया था। जो हमारी बहोत बडी कामयाबी थी और शायद इस केस का जुठा और बकवास होना समझ में आ गया था।

(२) मी. अमरीन्दर सरन

कबुलातनामों और चिठ्ठीयों पर जी तोड मेहनत की थी। रिहाई के बाद मैं इन का शुक्रिया अदा करने के लीये गया था वहां मैंने उन से पुछा के ''सर आप को यकीन था के मैं बे कसुर हुं ?'' फरमाया **:** बिलकुल, कागज़ात देख कर समझ गया था के

जुठा केस है, फिर केहने लगे ''मुल्लाजी ! मैंने दुन्यामें आपकी वकालत कर दी, आप उपर (अल्लाह के यहां) मेरी वकालत कर देना।'' एक मौके पर फरमाया मैं गुनेहगारों के केस नहीं लडता।

(३) मोहतरमा कामीनी जयस्वाल :

बडी ही काबिल और ईमानदार वकील है, सुप्रिम कोर्ट में सेंक्शन (पोटा की कलम के लीये गृहखाते की मन्जूरी) और पुलीस के दाईरए ०ीे०र्दीगगिहूहूहबपबहपहपबूीबहहबगहीहबूहगूीगगहगीहगहप८गहहगह वगैरह पर बडी मुदल्लल बहस की थी, जीसे कोर्टने मंजूर किया।

(४) **एडवोकेट अनीस सहरवर्दी** और आप की अेहलीया मोहतरमा, बेटे आतिफ और जुनियर मेहदी इमाम भी मेहनत व दिली जज़बात इस मुकद्मे से जुडे हुवे थे। लेकिन सिमाअत से कब्ल ही जनाब अनीस सहरवर्दी साहब का इन्तिकाल हो गया। अल्लाह तआला इन की मग्फिरत फरमाएं, सहरवर्दी साहब के बाद उनके साहबज़ादे और स्टाप हमारे केस के साथ जुडे रहे और पुरे दिलो जान से मेहनत की।

(५) एडवोकेट औन रेकोर्ड - जनाब इरशाद अहमद साहब

जनाब अनीस सहरवर्दी के बाद हमारी जानिब से इन्हें A.O.R. (एडवोकेट ओन रेकोर्ड) नामजद किया गया था। ये U.P. गवर्मेन्ट की जानिब से सुप्रिम कोर्टमें एडवोकेट जनरल बी हैं। वकालत में माहरत के साथ साथ नमाज़ रोज़े के पाब्द और बडे परहेज़गार और बाअख्लाक शख्स है। साथी बताते थे के जब सुप्रिम कोर्ट जाना होता और इनकी चेम्बर में जाते। बडे एहतराम फरमाते थे। वापसी पर लिफ्ट तक छोडे आते और खुद लिफ्ट का बटन दबाते और दरवाज़े खोलते और बन्द करते। कबी फीस का तकाज़ा नहीं करते। हमारे साथीयों और जमीअत की जानिब से इसरार और पेशकश पर केहते ठीक है, केस में इन्शाअल्लाह कामयाबी के बाद लुंगा। और निहायत ही मामुली फीस में इतने बडे केस के A.O.R. भी रहे। खुद भी मेहनत की

और सीनीय रवुकला से भी खुब काम लीया فجزاهم الله احسن الجزاء

(६) एडवोकेट खालिद जी. शेख और

(७) एडवोकेट एजाज़ कुरेशी

ये दोनों पोटा कोर्ट से सुप्रिम कोर्ट तक लगातार मेरे केस से जुडे रहे। पोटा कोर्ट, हाईकोर्ट में चाहे ये दूसरे मुल्जिम के वकील थे। लेकिन पुरे केस पर बहोत ही बारीकी से नज़र रखते और बडी ईमानदारी से मेहनत करते थे। बल्कि एडवोकेट एजाज़ कुसेशी ने तो L.L.B. की डीग्री भी हमारे केस के ट्रायल के दौरान हासिल की है। इब्तिदा में जनाब हाशिम कुरेशी के साथ जुनीयर की हैसीयत से तशरीफ लाते। उस वक्त से हमारे केस से जुडे हुवे थे। उस के बाद L.L.B. की डीग्री मिली। हाईकोर्ट में हमारे वकील जनाब मजीद मेमन सा. को ब्रिफींग (केस की तैयारी) किया और सुप्रिम कोर्ट में खालिदभाई और एजाज़भाई ने जो तैयारी की थी यकीनन काबिले तारीफ है। वहां के वुकला इस अज़ीम काम्याबी का सहरा इन दोनों के सर बांधते थे। इन दोनों का हमारे साथ सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक नहीं बल्कि बडा ही हमदर्दाना, दोस्ताना ताल्लुक था, कबी भी इन हज़रात ने इस कोस को कारोबारी एतेबार से नहीं देखा, और न कभी बडे बडे स्टेटस व मकाम को मस्अला बनाया। न कभी प्लेन की टीकीट तलब की। न कभी फाईव स्टार या आला मेअयार की होटल में कयाम व तआम का मतुलाबा किया। बल्कि तमाम के साथ वहीं जमीअत के दफ्तर पर कयाम किया और वहां का सादगी भरा बरकती खाना खाया. बल्कि कभी कभी तो पुरे पुरे दिन की भागदौड की वजह से खाना बी मयस्सर न होता। मुझे भाई सल्मान और नूरबेग ने बतलाया के कभी कबी पुरा दिन भूके रेहते और रात देर से एक आधी सेन्डवीच पर गुज़ारा कर के सो जाते। हम भी सेन्डवीच से गुज़ारा कर लेते, वकील हज़रात भी उसी से काम चला लेते थे। कई बार ट्रेन में टिकीट कन्फर्म नहीं होती तो मेरे ईन दोस्तों के साथ वकील हज़रात भी ज़मीन पर चाद बिछाकर सो जाते। कोई गिला शिकवा नहीं करते थे। यही वजह है के

अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस केस में काम्याबी अता फरमाई और नामदार सुप्रिम कोर्ट ने अपना जजमेन्ट सुना दिया तो मेरे ये काबिले फख्र दोस्त और वकील बहार निकलकर आपस में मुआनका करके खूब रोए। लोग हैरत व तअज्जुब से देख रहे थे, कुछ लोगों ने पुछा भी के आप तो केस जीत गए, फिर क्युं रो रहे हो ? मेरे दोस्तों ने बताया के अल्लाह ने जो काम्याबी दी उस की खुशी के ये आंसु है। तो केहने लगे वकील क्युं रो रहे हैं ? तो उन्हें बताया के ये वकील ज़रुर है लेकिन ये हमारे दोस्त है, मेहनत के साथ साथ इनके दिली जज़बात व हमदर्दीयां बी केस से जुडी हुई थीं।

فجزاهم الله احسن الجزاء

इन के अलावा वकीलों की एक लम्बी फेहरीस्त है जिन्हें जमीअत उलमा ने मेरे और दीगर साथीयों के दिफाअ के लीये मैदान में उतारा था जिनके ज़िक्र की यहां गुंजाईश नहीं।

(अल्लाह तआला जज़ाए खैर अता फरमाएं (आमीन)

मेरे हमदर्द व मोहसीनीन

لم يشكر الله من لم يشكر الناس

(जो लोग का शुक्र अदा न करे वोह अल्लाह तआला का भी नाशुक्रा है)

आज में हयात ज़िन्दा हुं और् अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही आरोपों से पाक हुं। इस पर सबसे पेहले मो मैं अपने खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ही का शुक्र गुज़ार हुं के मेरे रब ने अपना भरपुर फज्लो करम फरमाया। हमें मायूस नहीं किया। सच को गालिब किया और फतेह अता फरमाई और् बातिल व जुठ को बेनकाब कर के ज़लील किया।

और फिर मैं हमारे मुल्क के आईन, सुप्रिम कोर्ट और खास कर हमारे जस्टीस मी. ए.के.पटनायक साहब और जस्टीस वी.गौपाला गौडा साहब का

शुक्रगुज़ार हुं, जिन्होंने अपने बेमिशाल इनसाफ का दुन्यामें डंका बजा दिया। और मेरे वकील जिन्होंने बडी ही दयानतदारी व ईमानदारी से मेरी वकालत व दिफाअ किया, मैं ये बात बडे फख्र के साथ केह सकता हुं के मेरा और मेरा साथीयों का दिफाअ करनेवाले और हमारी बेगुनाही की वकालत करनेवाले तीनों सीनीयर वकील गैर मुस्लिम थे।

इन के अलावह हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद अरशद मदनी सा. (दा.ब.), फिदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयाद अस्अद मदनी सा. (दा.ब.), हज़रत मौलाना मुस्तकीम अहसन सा. आज़मी, हज़रत मुफ्ती युसुफ सा. (खार), जनाब गुल्ज़ार सा. आज़मी और तमाम अराकीने जमीअते उलमाए हिन्द, हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद सा. दा.ब., हज़रत मुफ्ती अस्अद सा. दा.ब., हज़रत मुफ्ती अ.कादिर (देहली जमाअत) हज़रत मौलाना गुलाम मुहम्मद वस्तानवी सा. (दा.ब.) हज़रत मौलाना अहमद सा. सिमलकी दा.ब.(मोहतमिम-जामिआ डाभेल), शैखुल हदीस हज़रत मौलाना मुहम्मद हनीफ सा. दा.ब. (खरोड), हज़रत मुफ्ति इम्तियाज़ सा. (रह.), हज़रत मुफ्ति रिज़वान सा., हज़रत मुफ्ति याह्या सा., हज़रत अकदस मौलाना ईब्राहीम सा. देवला, दा.ब., हज़रत अकदस मौलाना अहमद लाट सा. दा.ब. (देहली मरकज़), उस्ताज़ हज़रत मुफ्ती ताहिर सा. व बेशुमार उलमा के मुझ पर एहसानात रहे। इसी तरह अख्तरभाई शीतलपंप, मुख्तारभाई पुठावाला, उवेशभाई, मेरे घरवाले, मेरे चाचा, मेरे बहनोई, इबन्नभाई, इकबालभाई दास, आसिफ भाई (टीप-टोप), इल्यास भुरा, हारु (ज़मज़म), हा. इदरीस साहब, हज़लभाई मुल्लाजी डाईंगवाले (सुरत) और भी कई लोग थे जिनकी महेनत व मुहब्बत का मुझे आज भी एहसास है, जहां तक हमदर्दी, खैरख्वाही और दुआओं की बात है। मेरे इन अज़ीम मोहसीनों का ईहाता नामुम्किन है।

आखिर में मेरे अज़ीम मोहसीन व हमदर्द सलमान, नूरबेग, इदरीसभाई

(बहनोई), मेरे चाचा और मुफ्ती रिज़वान साहब का कुछ तफसील से ज़ीक्र करुंगा।

मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरे घरवालों, मेरे रिश्तेदारों, मुताल्लिकीन, मेरे दोस्त अहबाब व मेरे मुकद्मे पर मेहनत करनेवालों पर क्या क्या मुसीबतें आई और किन किन आज़माईश भरे हालात से वोह गुज़रे, उन हालात का इहाता यहां दुश्वार है।

गोधरा फ़सादात और उस के बाद २००३ और २००४ का अरसा वणझारा एन्ड कंपनी का शबाब का दौर था, जुल्मो सितम की खुली आज़ादी थी।

जिसे चाहे मुकद्मात में डाल दिया जाता, जिसे चाहा फ़र्जी मुठभेड (एन्काउन्टर) में मार दिया जाता, खास कर १७ओगष्ट को गैरकानुनी तौर पर मक्कारी व धोकेबाज़ी से मुझे गिरफ्तार करने के बाद खौफ़ व हरास और दहशत का ये आलम था के दरीयापुर चारवाट और लीमडी चौक जैसे मोहल्ले जहां रात को तीन चार बजे भी दिन का समां होता है, लोगों ने खौफ के मारे रात में बाहर निकलना और बैठना छोड दिया था। मेरी दोस्ती का दम भरनेवाले और सफर व हजर में मेरे साथ रेहनेवाले लोग डरते थे के अब हमारा क्या होगा ? अपने बेगाने हो गए थे। कोई पुरसाने हाल न था। उस रोज़ से अज़ीज़म सलमान, नुरबेग और कुछ मुख्लिसीन अल्हम्दुलिल्लाह सारे खौफ व हरास और अफवाहों से बे परवाह मेरे और मेरे घरवालों के लीये मसीहा बन कर आए। और रोज़े अव्वल से मेरी रिहाई तक वो खिदमात की के दुन्याभर की नेअमतें उन का इवज़ व बदला नहीं बन सकती। हालां के हुकूमत व पुलीस का खौफ, क्राईम ब्रान्च की धमकीयां, कुछ अपनों की करम फरमाईयां व रडार जैसी नीहागें, कुछ हमदर्दों की पकड धकड और मुहासबे, कुछ हासिदों के तअने तश्नीअ, और होसला शिकनी, और फिर परिवार की ज़िम्मेदारीयां व हुकूक और दावत व तब्लीग का काम, सब कुछ साथ लगा हुवा था। लेकिन हज़ार मश्गुलीयों और माहोल अनुकुल न होने के बावजुद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला ने इन हज़रात से खुब काम लिया और इनक बेलौस व ईमानदार वाली खिदमात को कबुल फरमाते हुवे खैर व काम्याबी इन

के हाथों में लिख दी।

इन लोगों की महेनत व भाग दौड का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं के ये लोग मेरे केस के सिलसिले में दो मरतबा कश्मीर और १४३ मरतबा बम्बई, देहली का सफर कर चुके हैं, इतना सफर किया के राजधानी व दीगर ट्रेनों के हर गार्ड नाम से पहेचानते थे। जिस का रिहाई के बाद मुझे भी तजरबा हुवा। कई रोजे और ईद ट्रेन में या देहली में हुई। ये लोग बडे बडे बेग और केस के कागज़ात का ज़खीरा जो हज़ारो पन्नो वाले '८' वोल्युम में था। और भी बेशुमार कागजात व वज़न लेकर मारे मारे फिरते रहते। जमीअत के दफतर से सुप्रिम कोर्ट, वकीलों के चेम्बर में और कोन्फरन्स रुम वगैरह भागते रहते, खाने पीने, सोनो जागने, नहाने धोने का कोई टाईम टेबल नहीं होता था। और इतनी भागदौड व मेहनत के बाद भी बजाए होसला अफ़ज़ाई और कदरदानी के बहोत सी मरतबा बदलेमें मेरी डांट डपट मिलती। एक मरतबा नामुवाफिक हालात से बहोत ही मायूस और नाउम्मीद और खौफ व हरास का शिकार हो कर ये लोग डाभेल हज़रत अकदस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी के पास मशवरा और दुआ के लीये गये। हज़रत ने इन को अपने सीने से लगा कर खूब दुआएं दीं और कहा के जाओ बे खौफ व खतर हो कर काम करो। इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआला तुम्हारी हिफ़ाज़त फरमाएंगे औख काम्याबी नसीब फरमाएंगे, हज़रत की तसल्ली पर अल्हम्दुलिल्लाह यास व नाउम्मीदी के बादल छट गए, खौफ जाता रहा और ये हज़रात इस्तिकामत से जमे रहे, और अल्लाह ने काम्याबी अता फरमाई।

मेरे ईन मोहसीनों के साथ उन के घरवालों और दावतों तब्लीग के ज़िम्मेदारान का भी एहसान था के इन हज़रात ने मेरे इन मोहसीनों को फ़ारिगुल बाल कर के मेरे लीये गोया वक्फ कर दिया था।

अल्लाह तआला इन हज़रात को खूब जज़ाए खैर अता फरमाएं। अपनी रज़ा अता फरमाएं और दुन्या व आखिरत का तमाम खैर अता फरमाएं और तमाम शर व फितन हिफ़ाज़त फरमाएं। (आमीन)

रब्बे लतीफ पर भरोसा

अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह तआला की ज़ात पर पुरा पुरा तवक्कुल व रिहाई का यकीन था। यही वजह है के जेल में कभी कभी बाज़ साथी वरज़िश के लीये केहते तौ मैं केहता था के रिहाई के बाद एक जीम ही खोल लुंगा। डोक्टर केहते है दाढ निकलवा दो, मैं केहता के इन्शाअल्लाह रिहाई के बाद निकलवाउंगा। तो डॉक्टर साहब हैरत से मेरा मुंह तकने लगते और केहते आप जानते हो आप किस केस में है ?और आप को सज़ा है ? मैं केहता बिल्कुल जानता हुं। लेकिन मैं इन्शाअल्लाह जरुर रिहा हुंगा। जिस पर डॉक्टर खामोश हो जाते।

मेरे रिहाई से तकरीबन एक दो महीने पेहले फांसी की सज़ा पानेवाले कैदीयों की तहकीकात व तआवुन की गर्ज़ से देहली लॉ-युनिवर्सिटी के स्टुडन्ट का एक ग्रुप साबरमती जेल पर आया था। हमें उन के सामने पेश किया गया। उस में एक बहन **''मीसीस नेहा सींघल''** थी। उहोंने मुझ से कुछ सवालात कीये। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन से कहा के मैं इन्शाअल्लाह रिहाई के बाद आपसे मिलुंगा तो केहने लगी मुल्लाजी आप किस दुन्या में हो ? माफ़ करना मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन आप की खुश फ़हमी दूर करना चाहती हुं, आप की रिहाई मुश्किल है और इस सिलसिले में कुछ बातें उन्होंने कही। मैंने कहा मैं इन्शाअल्लाह ज़रुर रिहा हो जाउंगा। केहने लगी आप इतने पुर उम्मीद क्युं है ? मैंने कहा मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है और फिर कोई एक दरवाज़े (सुप्रिम कोर्ट) से तो हमें इन्साफ की उम्मीद रखनी चाहीये। इस पर वोह खामोश हो गई और अपना विज़ीटींग कार्ड निकाल कर मुझे दिया और कहा बहोत अच्छी बात है अगर रिहा हो जाए तो मुझ से ज़रुर मिलना।

अल्हम्दुलिल्लाह १६-०५-२०१४ को सुप्रिम कोर्ट ने मुझे बाईज्जत बरी किया। १७-०५-२०१४ को जेल से मेरी रिहाई हो गई। सिर्फ तीन रोज़ बाद २-०५-

२०१४ को में देहली गया। बहोत कोशीश के बाद भी मोहतरमा नेहा सींगल जी से मुलाकत नहीं हो पाई, उस के बाद भी दो मरतबा जाना हुवा लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।

हां, बहोत सी मरतबा बशरी तकाज़े की वजह से और आम तौर पर केस पर की जा रही मेहनत को लेकर दूसरे साथीयों को तहकीक व बेचेनी को लोकर मुझे भी टेन्शन हो जाता था। कई मरतबा मुलाकात में केस के तअल्लुक से मैं भाई सलमान, नूरबेग, मेरे चाचा, इदरीशभाई (मेरे बेहनोई) हत्ता के मेरे वकील खालिद भाई को भी खूब डांटता था। कभी कभी ऐसा होता के वोह लोग बेचारे डांट के डर से मुलाकात में हज़रत मुफ्ती रिज़वान सा. या हज़रत मुफ्ती याह्या साहब वगैरह को ले आते। जिस पर मैं मुस्कुरा कर केहता के इन हज़रात को आज ढाल बनाकर लेकर आए हो ? खैर कभी कभी टेन्शन भी आता था। डांटता भी था, लेकिन फौरन दूसरे रोज़ माफीनामा भेज देता था। और फिर ये टेन्शन, डांट-डपट और नाराज़गी व माफ़ी के साथ एक बात ज़रुरी थी। मैं उन्हें हमेशा एक ही बात केहता के आप लोग अस्बाब सहीह इख्तियार करो और नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड दो। सहीह अस्बाब के बाद खुदाना ख्वास्ता मुझे फांसी होती है तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं।

अब मौलाना की ज़मानत के बाद अल्लाह तआला की ज़ात पर भरोसा और रिहाई की उम्मीदें और बढ गई।

लोगों की दुआएं व मुबश्शरात

संगीन मुकद्दमा और फांसी की सज़ा और इस पर हाईकोर्ट की मन्ज़ुरी की मुहर भी लग गई थी। आखरी कानूनी चरण था। इस के बावजूद मुझे अलहम्दुलिल्लाह रिहाई का जो यकीन था उस के कुछ कारण थे।

अव्वल ये के मैं अगरचे बहोत ही बडा गुनेहगार हुं, ज़िन्दगी अल्लाह तआला की नाफरमानी व बदआमालीयों में गुज़र गई। जेल में भी गुनाह हुवे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकाबिर मुश्फिक असातिजा और मेरे बुज़ुर्गों का संपूर्ण ध्यान व दुआएं मेरे साथ थी।

हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी (दा.ब.), हज़रतुल उस्ताज़ मुफ्ती अहमद सा. खानपुरी (दा.ब.) हज़रत मौलाना मुहम्मद इब्राहीम सा. देवला (देहली मरकज़) हज़रत अकदस मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोअमानी (दा.ब.) व दीगर कई अकाबिर उलमा की केस पर भरपुर तवज्जुहात थीं। मेरे साथीयों से कारगुज़ारी भी लेते रेहते और अपनी हर सभा में अलहम्दुलिल्लाह मेरा नाम ले कर दुआएं फरमातें, अल्लाह तआला अपने इन बरगुज़ीदा बंदोकी दुआएं कैसे रद् फरमाते ?

इन लोगों के यकीन का ये आलम था के मेरी रिहाई से तकरीबन ४ महीने पेहले हज़रत मुफ्ती अहमद साहब ने सलमान, नुरबेग वगैरह को बुलाकर कहा के कोई भी बेच हो.. केस चला डालो, इन्शाअल्लाह रिहाई यकीनी है। ईसी तरह की कुछ बातें हज़रत मौलाना इब्राहीम साहब देवला दा.ब. ने भी इरशाद फरमाई थीं।

इन बुजुर्गों की दुआओं के साथ अवामुन्नास और उम्मत की दुआएं मेरे साथ थी। हर शहर, हर बस्ती, हर मस्जिद और हर घरमें छोटे बडे मर्द, औरत तमाम बिला तफरीक मेरे और मेरे साथीयों के लीये दुआ फरमाते थे। फज़लभाई (मुल्लाजी डाईंगवाले, सुरत) केस को लेकर बडे फिकरमंद रहते और हर तारीख पर

Whatsapp के ज़रीए पुरी दुन्या में दुआ के लीये मेसेज करते। अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन (मक्का व मदीना के हरम शरीफ) में भी दुआएं होती थीं, लोग नफ़्ल रोज़े रखते, ऐतेकाफ कर ते, इज्तिमाई आमाल करते, इस सारे आअ़माल व दुआओं की बरकात ज़ाहीर होनी ही थी। मुझे एक साहब ने कहा के जितनी दुआएं आपके लीये की गई ईतनी शायद किसी और के लीये नहीं की गई होगी

मेरी रिहाई पर रिश्तेदार औरतें और मोहल्ले के कई लोग अपने छोटे छोटे मासूम से बच्चों को लेकर आते और मुझे दिखला कर केहते के देखो ये मुफ़्ती साहब है। और फिर पुरी बात मुझे बताते के हमारे ये मासूम बच्चे जो अभी सहीह बोलना भी नहीं जानते, रमज़ानुल मुबारक में इफ़्तार के वक्त और आपकी तारीखों के दिन अपनी मासूम व तोतली ज़बान से दुआ करते ''या अल्लाह, हमारे मुफ़्ती साहब को रिहाई अता फरमा '' और फिर कभी कभी दुआ करते करते अपनी मासूम अदा से पुछते ये मुफ़्ती साहब कौन है ? इस लीये आज हम उन्हें आपको दिखाने के लीये लाये हैं।

अल्लाहु अकबर, उम्मत के इस बडे एहसान का अल्लाह तआला उन्हें अजरे अज़ीम (बेहतर बदला) अता फरमाएं। (आमीन) इन दुआओं पर अल्लाह तआला को क्युं रहम ना आता ?

मैं बडे फख्र और तहदीसे नेअमत के तौर पर ये बात केहता हुं के मुझे अल्लाह तआला ने ११ साल की इस कैद के बदले तीन अज़ीम नेअमतें अता फरमा दी के शायद बाहर रेहते हुवे मुझे कभी न मिलती (१) अल्लाह तआला ने हिफ्ज़े कुरआन (कुरआन को संपूर्ण याद कर लेना) की दौलत से मालामाल कर दिया (२) मेरे अकाबिर उलमा व मशाईख के संपूर्ण ध्यान व दुआओं का मुस्तहिक हो गया। और (३) अवाम व खवास की मकबुल दुआएं मुझे नसीब हो गई। और अल्लाह तआला ने निहायत ही नाज़ुक व संगीन मौकों पर दुआ की कबुलियत का मुझे नमुना बना दिया।

इस के अलावह कुछ सच्चे ख्वाब व मुबश्शरात भी मेरे सामने थे।

(१) हमारे मोहल्ले के एक साथी नईमभाई की जमाअत खेडा जिले में चल रही थी। वहां उन्हें साउथ इन्डिया की एक जमाअत मिली। उस के अमीर साहब ने एक रोज़ उन से पुछा के आप अहमदआबाद में मुफ्ती अ.कय्युम, मौल्वी अब्दुल्लाह सा. और मौल्वी अहमदहुसैन को जानते हो ? इन्होंने कहा जी, हमारे मोहल्ले ही के हैं, लेकिन फिलहाल कैद में है, केहने लगे मैं तो उनको जानता नहीं, लेकिन मैंने ख्वाब देखा है, रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम ने फरमाया मुफ्ती अ.कय्युम और मो.अब्दुल्लाह और मौल्वी अहमदहुसेन को मेरे सलाम केहना और केहना थोडा सब्र करना। इन्शा अल्लाह आखिरकार अल्लाह की मदद आएगी और रिहाई नसीब होगी।

(२) सन २००४-२००५ के अरसे में हज़रत मुफ्ती अस्अद साहब खानपुरी जो मेरे बडे मोहसीन व हमदर्द होने के साथ बडे बेतक्ल्लुफ दोस्त भी हैं। उस वक्त वोह भी बरोडा जेल में थे ओर इलाज के सिलसिलेमें कुछ रोज़ के लीये अहमदआबाद जेल में मुन्तकिल हुवे थे। एक रोज़ मुफ्ती अस्अद साहब, हज़रत मुफ्ती ताहिर साहब और जेल स्टाफ की इजाज़त से गोधरा बेरेक में गोधरावाले मज़्लुम भाईयों के साथ बन्द हुवे। इशा की नमाज़ के बाद कुरआने पाक की तिलावत, नअ़त व अश्आर वगैरह की एक छोटी सी मजलिस भी हुई। उस रात देर से मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें कोई केहने वाला केह रहा है, ''ये जन्नती कुर्ता है, जिस वक्त हज़रत इब्राहीम (अ.स.) को आग में डाला गया हज़रत जिब्रईल (अ.स.) ने ये कुर्ता उन्हें पेहना दिया था. उसी तरह हज़रत युसुफ (अ.स.) को कुंवे में डाले जाने के वक्त भी ये कुर्ता पेहनाया गया था, तु भी ये कुर्ता पहन ले। इन्शाअल्लाह तुझे कुछ भी नहीं होगा।

(३) हज़रत मौलाना खैरुर्रहमान (रह.) को एक बार ख्वाब में देखा था। हज़रत के यहां कोई खुशी का प्रोग्राम था, लोग खुशी में नक्कारे बजाते और दुरुदे तुनज्जीना पढते जा रहे थे। मुझे पुरा ख्वाब अच्छी तरह याद नहीं। लेकिन हज़रत ने लगभग मुझे दुरुद

तुनज्जीना के विर्द की ताकीद की थी। बस तबसे एहतेमाम से मैं और मेरे साथी दुरुदे तुनज्जीना का अमल करते थे, इन के अलावा अकाबिर ने और भी अवराद व वज़ाईफ दीये थे जिन की ब रकात यकीनी थी।

(४) कैद के शुरु के दिनों में जुहापुरा के एक साहब ने ख्वाब देखा था के कैदखाने में रोशनी ही रोशनी है और एक शोर मच गया है के आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर्रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। लोग आमने सामने कतार लगाए खडे हैं। नबीए करीम सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम तशरीफ लाए और लोगों से मुसाफहा करते हुए ५/२ की खोली नंबर ७ में तशरीफ ले गए। (अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती ताहिर साहब और मैं उस खोली में रेहते थे) और लोगों को तसल्ली व दुआएं दी।

इस के अलावा भी अंदर और बाहर की दुन्यामें बहोत से लोगोंने मुबश्सरात देखे थे। यहां सच्चे ख्वाब और उस की ताबीर के मुताल्लिक जियादा कलाम की गुंजाईश नहीं। सिर्फ इतना लिख देना काफी समझता हुं لم يبق من النبوة الا المبشرات ''नबुव्वत के बरकात, (अल्लाह की जानिब से वही और गैब के ईशारात) में से कोई चीज़ बाकी नहीं, सिवाय (सच्चे) बशारत देनेवाले ख्वाबों के'' (हदीस शरीफ) इन मुबश्शरात, सच्चे ख्वाबों का पुरा होना बी यकीनी था।

नामदार सुप्रीम कोर्ट का इन्साफ व इन्सानिय्य से भरपुर तारीखी फैसला

१६ मे २०१४ जुमेरात की रात में मामुल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ पढी और चुंके सुब्ह १६ मई २०१४ जुम्आ को इलेक्शन के नताईज ज़ाहीर होने वाले थे। इस लीये अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुल्क व मिल्लत की खैर के लीये खुब दुआ की। हमें चुंके हमारे जजमेन्ट की तारीख का इल्म ही नहीं था। इस लीये हमने इस रात में या १६ मई की सुब्ह में इजतिमाई अमल या दुआ का कोई एहतेमाम नहीं किया था। हां, रोज़ाना के मामुल के एतेबार से बाईज्जत रिहाई की दुआ ज़रुर की थी। लेकिन जियादा तवज्जुह व टेन्शन इलेक्शन के नताईज का था। सुब्ह तकरीबन ८:०० बजे बाद इलेक्शन के रुहजान व नताईज आना शुरु हुवे और हम मुसलमान कैदीयों का टेन्शन बढना शुरु हुवा। हमारे एक साथी जनाब आजमखान ने दो तीन मरतबा B.J.P. के आगे चलने और कुछ सीटों पर जीतने की खबर दी। जिस पर मैंने उन्हें डांट दिया। मेरे बिगडे मुड और टेन्शन भरे चेहरे को देख कर मेरे साथी मुझ से बात करने से कतरा रहे थे। सुब्र १०:०० - ११:०० बजे तक तो मामला बिल्कुल साफ हो चुका था। नरेन्द्र मोदी की अगवाई B.J.P. सरकार बनाने जा रही थी. जो सिर्फ मेरे या मुसल्मान कैदीयों के लीये ही नहीं, बल्कि हर सेक्युलर इन्सान क लीये एक लम्हए फिक्र था। हारे चुंके आरग्युमेन्ट्स हो चुके थे। लेकिन अभी जजमेन्ट बाकी था। इस लीये न सिर्फ मैं और मेरे केस के दीगर साथी बल्कि हर हमदर्द साथी को ये फिकर सवार हुई के अब क्या होगा ? जजमेन्ट कब और कैसा आएगा ? चुनान्चे ११:०० बजे के करीब मेरे एक हमदर्द साथी साबिरभाई और दीगर कुछ साथीयोंने मुझ से पुछा के मुफ्ती साहब का अब क्या होगा ? इलेक्शन के नताईज का आप के जजमेन्ट पर कोई असर तो नहीं पडेगा ? मैंने कहा अल्लाह तआला मेरी रिहाई का इरादा

फरमाते हैं तो इन्शा अल्लाह इन नताईज से कोई फर्क नहीं पडता। मैंने जवाब देने को तो दे दिया लेकिन बशरी तकाज़े और ईमान की कमज़ोरी के सब मुझे के मसब मुझे भी फिकर ज़रुर हुई और मैंने एक साथी के ज़रीये बाहर मेरे मोहसीनों को मेसेज भेजा के अपने वकीलों के राब्ते में रहे। और जजमेन्ट कब आनेवाला है मालूम करने की कोशीश करो। बहरहाल १२:०० बजे बेरेक बन्द हो गई। रोज़ाना दोपहर को बडी मीठी निंद आती थी। आज बेचेनी की वजह से निंद नहीं आ रही थी। जेलमें ११ साल के इस अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला की एक अजीब व गरीब कुदरत का बहोत ही करीब से मुशाहदा किया। वोह ये के जब भी मैं ने बुरी खबर सुनी या बुरा मामला हुवा, अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन या उसी अरसे में अल्लाह तआलाने कोई अच्छी खबर सुना दी या अच्छा मामला हो गया। जिससे बुरी खबर का तदारुक व तलाफी हो गई। इसी तरह कभी किसी खुशी पर मैं ज़रुरत से जियादा इतराया तो अल्लाह तआला ने फौरन कोई फिकर देकर मेरी इस्लाह भी फरमा दी। वल्लाह बारहा मेरा साथ ये मामला हुवा। चुनान्चे इसी मुशाहदे और तजरबे के पेशे नज़र बिस्तर पर पडे पडे मैं ये अल्फाज बडबडाने लगा के ''या अल्लाह, इतनी बडी बुरी खबर सुनाई है, अब ऐसी ही कोई बडी खुशखबरी भी सुना दे, ताके तलाफी हो जाए।'' बस इसी तरह के अल्फाज़ ज़बान पर जारी थे। ज़ोहर बाद भी यही दुआ की। ३:०० बजे बन्दी खुल गई। और इलेक्शन के नताईज को लेकर कैदी तबसेरह करने लगे। मैं तंग आ कर बेरेक में चला गया और एक पागल कैदी युनिस जमालपुरी के साथ दिल बेहलाने की कोशिश करने लगा। तकरीबन ३:४५ बज रहे थे, मैं युनुस के साथ चाय पी रहा था के आदमभाई, साबिरभाई और बहोत से मुसल्मान कैदी अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुवे दौड कर मेरी बेरेक में आए और 'सब छुट गए, सब छुट गए' करते हुवे मुझसे चीमट गए। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हुवा ? लोग रो रहे थे और मुझ से चीमट रहे थे, मैंने पुछा बात क्या है ? तोब ताया के अक्षरधाम केस में आप तमाम बाईज्जत बरी

हो गए. الحمد لله علىٰ ذلک

मैं तआज्जुब में मुब्तला था। मैं ने पुछा आज तो जजमेन्ट की तारीख की कोई इत्तिलाअ ही नहीं थी। आप को कैसे मालूम हुवा ? इन्हें किसी सिपाही के ज़रीये या किसी और वास्ते से ये मेसेज मिले थे। लेकिन मुझे अब भी कुछ शक था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाहरवाले भी खबर पहोंचाने के लीये बडे फिक्रमंद थे।तकरीबन २-०० बजे से जेल के बाहर मेरे बहनोई ईदरीसभाई और ज़ुबेरभाई मुम्ताज मसाले वाले ओर फिरोज़ फोर यु जेल के बाहर खडे किसी तरह अन्दर खबर भेजने की कोशिश कर रहे थे। चुनान्चे ४:०० बजे के करीब एक कैदी कारकुन नरेन्द्रभाई मुलाकात रुम से मेरे नाम ये मेसेज ले कर आ गये के बाहर फिरोज़भाई और इदरिसभाई वगैरह आए हुवे है और उन्हों ने ये खबर सुनाई है के अक्षरधाम केसमें आप तमाम लोग बाईज्जत बरी हो गए। और इन्शाअल्लाह आज शाम तक या आईन्दा कल तक आप लोग जेल सि निकल जाओ एसी कोशिश हो रही है।

अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई की तस्दीक होते ही मेरी आंखो से ११ साल से रोके रखे जज़बात व तशक्कुर का सैलाब हो गया। मैं रोते हुवे सजदे में गिर गया और अपने रब का शुक्र अदा किया। क्राईम ब्रान्च में खौफ के मारे ज़बान पर अल्लाह तआला की हम्द और ज़िक्रो अवराद के ब तरतीब कलिमात ज़ारी रहेते थे, आज खुशी के मारे ज़बान पर अल्लाह की हम्द के बेतरतीब अल्फाज़ जारी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, उस के बाद दो रकाअत नफ्ल नमाज़ अदा की और अल्लाह तआला की खुब हम्द व सना, शुक्र और मेरे और पुरी उम्मत के लीये खास कर गोधरा, पोटा व दीगर मजलूमीन की रिहाई के लीये भी खुब दुआ की। लोग आते रहे और मुबारकबाद देते रहे। सुब्र १२:०० बजे तक लोगों के चेहरे मुरजाए हुए और दिल फिक्र मंद थे। खास कर मुसल्मान कैदीयों में जो मातम छाया हुवा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिहाई की इस खबर ने उस बुरी खबर की तलाफी कर दी। लोग अपना गम भुल गए, मुरजाए हुवे

चेहरे अब खुसीसे चमक रहे थे, और दिलों का गम व फिक्र किसी हद तक कम हो गया था । चाय नाश्ते का दौर चलता रहा । बहोत से हिन्दु भाईयों ने भी खुब खुब मुबारकबाद दी। जेल स्टाफ को भी मालुम हो गया, वोह लोग भी बहोत खुस हुवे और मुबारकबाद दी। गम था तो सिर्फ एक (मुसल्मान) जेलर को था। वोह तो मेरे लीये शायद जेल ही में कब्र की जगा भी तय कर चुका था। ज़ाहिर है उस की मेहनत व आरज़ु पर पानी फिर गया था। इस लिये उसे गम होना तो लाज़िमी था। उस के बरमुकाबिल कुछ हिन्दु ओफीसरों की खुशी देखने के काबिल थी। चुंके सारे ही कैदी और जेल स्टाफ जानता था के मैं बिलकुल बे कसूर हुं, इस लीये जेल अफसरान ने तो रिहाई की खबर के बाद भी जेल से ब ाहर निकलने तक भरपुर तआवुन किया। पोटा के मेरे साथी और कुछ मुसल्मान कैदी जो दूसरी बेरेकों में बन्द होते थे उस रात जेल अफसरानने उन्हें मेरे साथ रात गुज़ारने का मौका दिया । रात भर लोग जागते रहे, खुशीयां भी मनाई, और कुछ अपने मुस्तकबिल और रिहाई को लेकर गमज़दा भी हुवे। अल्हम्दुलिल्लाहत, लोगों ने तहज्जुद बी अदा की। दुआएं बी की। ताय का दौर भी चलता रहा और फजर की नमाज़ का वक्त हो गया । लोगों से मुलाकात में वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता रहा। सुब्ह ११:०० बजे वकील मुलाकात आ गई। जनाब खालिदभाई और एजाज़ कुरेशी मेरी आखरी वकील मुलाकात के लीये तशरीफ लाए। ११ साल डांट डपट और नाकदरी के बाद आज चुंके उन की मेहनत व खिदमात का फल मिल चुका था । इस लीये ये दोनो हज़रात बडे खुश थे । अल्हम्दुलिल्लाह आपसमें मुसाफहा – मुआनका और मुबारकबादी के बाद जजमेन्ट की मुख्तसरने हस्बेजैल कारगुज़ारी उनकी ज़बानी सुनी।

अगले रोज़ यानी तारीख १५–०५–२०१४ जुमेरात को रातमें मेरे साथीयों को पता चला के आईन्दा कल जजमेन्ट है, ये हज़रात सलमान, खालिदबाई शेख और एजाज़ कुरेशी रात की फ्लाईट से देहली पहोंचे, नूरबेगभाई पेहले ही देहली पहोंच चुके

थे, और रात भर तहज्जुद, दुआएं, अल्लाह की मुनाजात में गुज़ारी। रात भर उन के दिलों की क्या कैफीय्यत रही होगी और वोह किस परेशानी और फिकरो टेन्शन का शिकार होंगे वही हज़रात बतला सकते हैं। मैं तो इस बात पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड हा करोड एहसान मानता हुं के जजमेन्ट की तारीख ही पता नहीं थी। वरना वोह रात कैसी गुज़रती ...अल्लाह ही जानता है, सुब्ह चाय नाश्ता व ज़रुरियात स े फारिग होकर ये हज़रात सुप्रिम कोर्ट की जानिब रवाना हुवे, वुकला की चेम्बर्स में जा कर फरदन फरदन वकीलों की मुलाकात ली । जनाब के.टी.एस. तुल्सी साहब इन्डियामें मौजूद नहीं थे, मीसीस कामीनी जयस्वाल और जनाब ईरशाद अहमद सा. और दीगर कुछ वकील भी इन के साथ हो गए और ये हज़रात ५ नंबर की कोर्ट में जा कर बैठ गए। हमारे जजमेन्ट स े पेहले बी.सी.सी.आई का जजमेन्ट था । चुनान्चे जस्टीस मी. ए.के.पटनायक सा. और जस्टीस फकीर मुहम्मद ईब्राहीम कलीफुल्लाह सा.तशरीफ लाए। कोर्ट में मौजुद तमाम लोग कोर्ट के एहतराम में खडे हो गए। जजमेन्ट दे कर ये हज़रात चेम्बर में चले गये। उस के बाद कुछ ही देर में जस्टीस मी. ए.के.पटनायक सा. और जस्टीस मी. वी. गौपाला गौडा सा. तशरप लाए। फिर लोग एहतराम में खडे हो गये। तकरीबन १:२५ जे जस्टीस गौडा साहब ने जजमेन्ट सुनाना शुरु किया। इन जजों ने अपन जजमेन्ट में सरकारी वकील केदावे व दलाईल को ९ पोईन्ट्स में तकसीम किया था और १० वें पोईन्ट में अपना जजमेन्ट लिका था। बकौल खालिद भाई व सल्मान भाई जब गौडा साहब ने पोईन्ट्स गिनाना शुरु किये तो ये हज़रात धडकने चुक गए और दम ब खुद रह गए। हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे, कलेजा मुंह को आने लगा । लेकिन ये काबिले एहतराम जनाब गौडा साहब और ए.के.पटनायक सा. का बेमिसाल तरीक ए इन्साफ था। उन्होंने फरीके मुखालिफ के सारे दावों और दलाईल का फरदन फरदन ९ पोईन्ट्स में जवाब देना शुरु किया। जिस से साथीयों के चेहरों से फिक्रें दूर होना शुरु हुई । भाई सल्मान और नुरबेग इतना

ज़ियादा अंग्रेज़ी जानते नहीं थे। इसी लीये वोह हमारे वकीलों के चेहरे के नुकूश और उतार चढाव से अंदाज़ा लगा रहे थे, बस १:४० के करीब हमारे वकीलों की मुस्कुराहट व खुशीयों से उन्हें यकीन हो गया के अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकद्दमा जीत चुके है। अेजाज़ बाई ने अंगुठे से उन्हें काम्याबी का मज़ीद यकीन दिला दिया। फिर क्या था सल्मानभाई कैसे सबर कर सकते थे ? अभी जजमेन्ट अपने आखरी मरहले में था और ज़रुरी कानुनी कारवाही बाकी थी के भाई सल्मान कोर्ट रुम से बाहर निकल आए और सब से पेहले मेरे उस्ताज़े मोहतरम हज़रत अकदस मौलाना मुफ्ती अहमद सा. खानपुरी (दा.ब.), मेरे मोहसीन काईदे मिल्लत हज़रत अकदस मौलाना मुहम्मद अरशद मदनी सा. (दा.ब.) मेरे हमदर्द व मोहतरम जनाब गुलज़ार आज़मी सा. (दा.ब.), हज़रत मुफ्ति रिज़वान सा. व दीगर मेरे मोहसीनीन को बज़रीयए फोन ये खुशखबरी सुनाई। इसी तरह मेरे घर मेरी वालिदह मोहतरमा व दीगर अहले खाना को ये पुर मसर्रत खबर सुनाई। ईतनी देर में जजमेन्ट व ज़रुरी कारवाई भी पुरी हो चुकी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इन्साफ व इन्सानीय्यत से भरपुर जो फैंसला दिया है, हिन्दुस्तान की तारीख में हमेशा यादगार रहेगा। खौफो हरास और नाउम्मीद के माहौल में सुप्रिम कोर्ट का ये तारीखी फैसला हिन्दुस्तान के मुसल्मानों के लीये उम्मीद की किरन है। नामदार सुप्रिम कोर्ट ने न सिर्फ ये के मुझे और इस केस में फंसाये गये दीगर लोगों को बेकसूर, बेदाग व मज़लूम साबित कर के बाईज्जत बरी कर दीया बल्कि जुठों, ज़ालिमों, खयानत करनेवालों और नाअहलों को बेनकाब करके उन पर सख्त गमो गुस्से का इज़हार भी किया।

शायद सुप्रिम कोर्ट की तारीख में ये पेहला मुकद्दमा था के सुप्रिम कोर्ट ने अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुवे उर्दू चिट्टीयां, फिदाईन के कपडे, वगैरह मुद्दामाल व सुबूत को कोर्ट में दोबारह जांचा गया था। उर्दू खुतूत और फिदाईन के कपडों ने भी सच्चाई बेनकाब करने में हमारी खुब मदद की। मैं यहां पर सुप्रिम

कोर्ट के साथ साथ मी. वणझारा एन्ड कंपनी का भी एहसान मानुंगा के उन्होंने मेरे नाम पर ये जादुई चिठ्ठीयां रख कर मेरी रिहाई की राहें आसान कर दीं।

बहरहाल नामदार सुप्रिम कोर्ट जब अपना तारीखी फैसला मुकम्मल करचुकी तो हमारी सीनीयर वकील मोहतरमा कामिनी जयस्वाल खडी हुई और कोर्ट से अर्ज़ की के अब जब हमारे असील बेकसूर साबित हो चुके हैं, मेरी कोर्ट से दरखास्त है कि ये हज़रात ११ साल से जेल में बन्द है, ईन की फौरी रिहाई के कोर्ट इक्दामात करें। चुं के आम तोर पर बाईज्जत रिहाई के बाद भी कानुनी प्रोसीज़र और फोर्मालीटी में नीचली कोर्टों और जेल ओतोरीटी कई कई रोज़ लगा देती है।

चुनान्चे ये भी शायद सुप्रिम कोर्ट का तारीखी इक्दाम था के नामदार कोर्ट ने वहीं से साबरमती जेल को वायरलेस और फेक्स मेसेज भेज कर हमारी रिहाई का हुक्म दिया। मुझे जेल में एक गैर मुस्लिम जेलर साहब ने कहा था के तारीख १६-०५-२०१४ जुम्आ के रोज़ ही ये वायरलेस व फेक्स मेसेज जेल ओथोरीटी को मिल गए थे। लेकिन मुसल्मान जेलर ने उसे छुपा दिया था! बहरहाल कोर्ट बरखास्त होने पर हमारे वुकला और नुरबेग सा.वगैरह बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त उनकी खुशीयों काअन्दाजा नहीं लगा सकता। ये लोग गले मिलकर खुब रोए। लोग हैरत से इन्हें देख रहे थे के इतने संगीन मुकद्दमे की काम्याबी पर ये रोना कैसा ? लेकिन बात दिली जज़बात व तशक्कुर की थी जो आंखों से आँसु की शक्ल में बेह रहे थे। इफाका होने पर जितना मुम्किन हुवा लोगों को फोन के ज़रीये खुशखबरी देते रहे।

वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी सा. दा.ब. का हुक्म था के जजमेन्ट की कोपी लेकर ही आना। लिहाज़ा रात देर तक ये हज़रात वहीं सुप्रिम कोर्ट में रहे और जजमेन्ट कोपी हासिल कर के दूसरे रोज़ सुब्र ८:०० बजे की प्लाईट से अहमदआबाद वापस हुवे।

बेशर्मी की इन्तिहा

सुप्रिम कोर्ट का ये बेमिसाल इन्साफ जहां मेरे और मेरे घरवालों के लियी और आम मुसल्मानों के लीये बल्कि तमाम इन्साफ़ पसन्द लोगों के लीये खुशी का मौका था। वहीं क्राईम ब्रान्च के लीये ये उनकी गलती सुधारने और अपनी इज्जत बचाने का एक बेहतरीन मौका था। हमारे जजमेन्ट में सुप्रिम कोर्ट ने इन हज़रात को जो फिटकार लगाई है इससे उन्हें शर्मो हया और अपनी गलतीयों और मकरो फरेब का एहसास हो जाना चाहिये था।

चाहीये तो ये था के अब ये हज़रात जुठ, मकरो फरेब और तअस्सुब छोड कर सच्चाई, इमानदारी और गैर जानिबदारी के साथ अक्षरधाम पर हम्ले की साजीश व जुर्म में वाकई शामिल लोगों को पकडते और उन्हें तख्तए दार तक पहोंचाते। क्युं के हमारि रिहाई तो अभी आधा इन्साफ है, स्वामीनारायरण पंथ से जुडे और मारे गए हिन्दु भाईयों के साथ कहां इन्साफ हुवा ? क्राईम ब्रान्च ने तो उन्हें भी धोका दिया है, लेकिन वणझारा सा. एन्ड कंपनी से शायद इतनी जियादा उम्मीद रखना बेकार है, जुठ के सहारे बुलन्दीयां हासिल करनेवालों से सच्चाई की उम्मिद कैसे रखी जा सकती है ? चुनान्चे बेगैरती व बेहयाई की हद तो उस वक्त हो गई के सुप्रिम कोर्ट के शको शुब्हात से पाक बिल्कुल वाजेह और साफ साफ इन्साफ के बाद भी इन लोगों ने हमारे खिलाफ़ रिव्यु पिटिशन (नज़रे सानी की अपील) की।

लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रिम कोर्ट ने कोई तिन्कों के सहारे जजमेन्ट नहीं दिया था। सुप्रिम कोर्ट ने अपने जजमेन्ट में दस्तूरे हिन्द, पोटा, I.P.C., CR. PC., सी.आर.पी.सी., एवीडन्स एक्ट, सुप्रिम कोर्ट के पुराने जजमेन्ट व नज़ाइर को मद्दे नज़र रखते हुवे जजमेन्ट दिया था। सरकारी वकील के सारे दावों और दलाइल के बखुबी जवाब दीये थे। ईस लीये अब नज़रे सानी (रिव्यु पिटिशन) की तो गुंजाईश ही कहां थी ?

चुनान्चे जस्टीस अनील दवे साहब और जस्टीस श्री गोपाला गौडा साहब की बेंचने क्राईम ब्रान्च की इस अरज़ी को ये केह कर (डिसमीस) कर दिया के हम अपने जजमेन्ट से बिल्कुल संतुष्ट हैं और उस में नज़रे सानी की कोई ज़रुरत नहीं।

बडे बेआबरु हो कर निकले हम तेरे कुचे से

अल्लाह करे अब उन्हें शर्म आ जाए और हमारा पीछा छोडकर वाकई मुजरिमों को तलाश करें,मेरा दावा है के ये लोग चाहते तो वाकई मुजरिमो को पकड सकते थे। लेकिन जैसा के मैं आगे लिख चुका हुं ये लोग इस संगीन मुकद्दमे को लेकर कबी गंभीर नहीं थे। और कई मरहलों पर इन की भूलें खुल कर सामने आई थी।

बहरहाल उधर शहर अहमदआबाद में हमारे मोहल्ले में तो पीछले कल जुम्आ की नमाज़ से जश्न का माहौल था। B.J.P. की सरकार बनने पर गमज़दा लोंगो के लीये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जजमेन्ट व रिहाई की खबर मरहम व तसल्ली का सामान हुवा। लोगों के गम हल्के हो गये और तवज्जोह इलेक्शन के नताईज से हट कर हमारी रिहाई की जानिब हो गई। और जुम्आ के बाद जैसे ही हमारी खबर मीली लोगों ने मीठाईयां तकसीम कर के आपस में मुबारकबादी दीं। कुछ नवजवानों ने पटाखें फोड कर अपने जज़बात का ईज़हार किया। पुरा दिन और रात भर लोंगों ने खुशीयां मनाई और अब उन्हें शिद्दत से हमारी जेल से रिहाई का इन्तिज़ार था। देहली से आनेवाले मेरे मोहसीनों का ईस्तिकबाल करने और उनकी ज़बान से मज़ीद तफसीलात सुनने को बेकरार थे। लेकिन नई हुकूमत और बदलते हुवे हालात के पेशे नज़र मेरे साथीयों ने अपनी देहली से आमद की लोगों को इत्तिला नहीं दी थी। ताहम कुछ लोग अेरपोर्ट पर इस्तिकबाल के लीये पहोंच गए। एरपोर्ट पर उतरते ही वहीं पर जनाब नुरबेग सा. और भाई सलमान ने दो टीम बनाई। एक में जनाब खालिदभाई के साथ हा. जैद (मेरे खालाज़ादभाई) और दो तीन साथी सेशन्स कोर्ट के लीये रवाना हुवे और एडवोकेट जनाब जावेदखान के साथ हा. जाहिद सा. और कुछ साथी हाईकोर्ट को रवाना हुवे। आज चुंके सनीचर का दिन था। अवाम में य बात चल पडी थी के आज चुंके सनीचर है, और कल ईतवार है, इसलये पीर के रोज़ जेल से रिहाई होगी। लेकिन

चुंके सुप्रिम कोर्टने फौरी रिहाई का फेक्स मेसेज और वायरलेस मेसेज जेल को भेज दीया था। जिसे जियादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता था। नीज़ मेरे इन साथीयों का टीम वर्क भी अल्हम्दुलिल्लाह बडा कारगर था। और सबसे बडी बात ये थी के अल्लाह तआला ही की जानिब से सारे अस्बाब बनते चले जा रहे थे। मुश्किल व नामुम्किन बातें अब बहुत आसान नज़र आ रही थी। चुनान्चे शाम तकरीबन ५:३० बजे तो पोटा कोर्ट, हाईकोर्ट की सारी कारवाईयां मुकम्मल कर के ये हज़रात जेल पर बीडा (रिहाई के कागज़ात) ले कर पहोंच गए। भाई सलमान और नुरबेग सा. एरपोर्ट से सीधे जेल पहोंच गए। दो रातों की मुस्तकिल बेदारी व थकान की वजह से कुछ देर ये हज़रात मेरे घर आराम के लीये चले गये थे। लेकिन वहां भी कैसे आराम मिल सकता था। मेरे घर पर भी रिश्तेदारों, महोल्लेवालों और मुहब्बत करनेवालों का तांता लगा हुवा था। लोग मुबारकबाद देने और खुशीमें शिर्कत के लीये आते चले जा रहे थे। और ११ साल की अपनी दुआओं की कबुलिय्यत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दोपहर में २:०० बजे बाद फिर सलमान, नुरबेग, जुबैरभाई वगैरह हज़रात जेल पर पहोंचे, अवाम इन हज़रात की नकलो हरकत से अंदाज़ा लगा रहे थे। चुनान्चे इन के जेल परपहोंचने पर लोगों को यकीन हो गया के इन्शाअल्लाह आज ही रिहाई होगी। चुनान्चे आहिस्ता आहिस्ता लोग जेल पर जमा होने शुरु हुवे। मीडायावेला भी आए, कुछ लोगों ने हमारी वकील जनाब खालिदभाई का और सलमानभाई का इन्टरव्यु भी लिया। लेकनि दूसरे रोज़ के अख्बारात व इलेक्ट्रोनक मीडीया में बहोत छोटी सी कोलम में इस खबर को जगा दी गई थी। बहरहाल बाहर अवाम का एक हुजूम था। असर, मगरिब, इशा की नमाज़ लोगों ने रेलवे फाटक के बीच बनी मस्जिद में कई कई जमाअतों की शक्लमें अदा की। और मेरे साथीयों की रिहाई का इन्तिज़ार करते दोपहर से रात ८:४५ बजे तक बराबर जेल के इहाते में खडे रहे। राणीप के कुछ मुसल्मान भाईयों ने नाश्ते पानी का इन्तिज़ाम किया था। लेकिन उन की लेकिन उन की भुक, प्यास व सार ज़रुरियात व ख्वाहिशात पर हमारी रिहावई और जेल से बाहर लेखने का उनका जज़्बा गालिब आ चुका था।

इधर अन्दर हमारा ये हाल था के रात बर जागने के बाद भी दिन में ज़रा भी नीन्द मयस्सर नहीं हुई थी। लोग मुलाकात व मुबारकबादी के लीये आते रहे। वक्त गुज़रता रहा, तकरीबन ११:०० बजे बमारी वकील मुलाकात आ गई। साथ ही फेमीली मुलाकात भी आई। भाई सलमान, नुरबेग सा., नज़ीरबाबा वगैरह हज़रात थे। जेल की बारीक जालीयों में पाबन्दीवाली हमारी ये आखरी मुलाकात बडे खुशगवार माहोल में हुई। मौ.अब्दुल्लाह व दीगर साथीयों ने बताया के अवाम ने खुब पटाखे फोडे हैं, और आज भी कुछ लोग आतशबाज़ी का ईरादा रखते हैं, क्या करे ? एक लम्बे अरसे तक सख्त इम्तिहान के बाद लोगों की दुआएं कबुल और तमन्नाअें पुरी हो गई थी। मुल्क भर में खौफो हरास और नाउम्मीद के माहोल में अल्लाह ने एक अज़ीम खुशी अता फरमाई थी। ज़ाहिर है लोग उस खुशी का इज़हार करेंगे। उन्हें कैसे रोका जा सकता है ? मैंने कहा किसी को कुछ मत कहो, खैर मालाकात में भाई सल्मान ने मुख्तसर कारगुज़ारी बतलाई और कहा : आप लोग तैयार रहना, शाम तक इन्शाअल्लाह हम रिहाई के कागज़ात लेकर आ जाएंगे।

बेरेकों में लोग सुप्रिम कोर्ट के बेमिसाल इन्साफ व हमारी रिहाई की तफसीलात जानने के लीये बेचेन थे। जाकर उन्हें मुख्तसर कारगुज़ारी सुनाई। और शाम का इन्तिज़ार करने लगे। ऐसा मालूम होता था ग्यारह साल से चल रही घडी की सुईयां भी थक गई थी और उस की रफतार सुस्त हो चुकी थी। الإنتظار أشد من الموت –(इन्तिज़ार मौत से ज़ियादा सख्त होता है) का गुजश्ता कल दोपहर से बराबर मुशाहदा कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रा और शाम ५:३० बजे के करीब एक कैदी कारकुन हमारे नाम की चीठ्ठी जिस का बरसहा बरस से इन्तिज़ार था। लेकर आ पहोंचा और कहा : बिस्तर, कपडे बरतन ले कर कोरंटी आ जाओ। सुब्ह मुलाकात में घरवाले कपडे, चप्पल वगैरह दे गए थे, हम लोग तैयार हो गए, मेरे कैदी साथीयों ने मुझे दुल्हे की तरह संवारा, इन हज़रात से आखरी मुसाफहा, मुआनका किया, उस वक्त मेरे और उन के दिली जज़्बात कर सकती है और न तो ज़बान तरजुमानी कर सकती है न कोई कलम उहाता कर सकती है और न ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

साथीयों से विदाई मुलाकात के बाद मैं रवाना हुवा। जनाब गुलाबभाई, आज़मखान, मुशर्रफ़भाई, हनीफ़भाई, कलीम, अनस और बहोत से साथी जेल अमला की ईजाज़त से कोरंटी और ज्यूडीशीयल औफीस तक छोडने के लीये आए। यहां जेल के सदर गेट से देखा बाहर खुश व खुर्रम अवाम का हुजूम नज़र आ रहा था। ज्युडीशीयल ओफीस में हमारे वकील जनाब खालिदभाई शेख और वकील जनाब जावेदखान पठान तशरीफ फरमां थे। एक और वकील जनाब जावेदखान पठान तशरीफ फरमां थे। एक और वकील जनाब अेजाज़ कुरेशी बाहर अवाम के बीच में रिहाई की प्रोसीज़र और तरीकए कार से अवाम को बाखबर कर रहे थे। अन्दर खालिदभाई और जावेदभाई और जावेदखान लगे हवे थे। हमें ज्युडीशीयल ओफीस में ले जाने के बाद ज़रीरी कानुनी कारवाई पुरी की गई। जेल में दाखले के वक्त चेहरे और जिस्म के खद्दो खाल देख कर नोट कीये गये थे। अब रिहाई पर दोबारह ये अमल हुवा। जेल में दाखले के वक्त जो रकम, घडी वगैरह यहां जमा की गई थी वोह वापस दी गई। कुछ ही देर में सारी कारवाई मुकम्मल हो गई। लेकिन सुप्रिन्टेन्डेन्ट जनाब भगोरा साहब और मुसल्मान जेलर को शायद हमसे इतनी महब्बत हो गई थी के वोह हमारी रिहाई व जुदाई बरदाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भरपुर कोशीश की और अपनी सारी सलाहीय्यतें इस पर लगा दी के किसी तरह हमें रोक लिया जाए।

गैरमुल्की कैदीयों की जांच व इन्ट्रोकेशन के लीये हमारे यहां J.I.C. (जोईन्ट इन्ट्रोगेशन सेन्टर) बने हुवे है। मुल्क की मुख्तलीफ तफतीशी एजन्सीयां यहां उन कैदीयों से तफतीश करती है और उन की तसल्ली के बाद ही कैदी को रिहा किया जाता है, चुनान्चे जेल के इन अफसरान ने अव्वल ये हरबा आज़माया के चांदखान पाकिस्तानी है, इस लीये हम तुम्हें रिहा नहीं कर सकते, हमारे वकीलोंने उन्हें बताया के खुद क्राईमब्राच की स्टोरी व कागज़ात के मुताबिक चांदखान यु.पी. बरेली का रेहनेवाला है, इसी तरह पोटा कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रिम कोर्ट कागज़ात व दस्तावेजात में भी इसे बरेली का बतलाया गया है। यही नहीं जेल एन्ट्री के रजीस्टर में भी इस का पता बरेली ही लीखा है। फिर ये पाकिस्तानी कैसे हो गया ? और अगर बिलफर्ज (आप के

केहने के मुताबिक) ईसे पाकिस्तानी मान भी लिया जाए तो बाकी तीन अ.कय्युम, आदमभाई और सलीमभाई को रोके रखने का क्या जवाज़ है ? वोह लोग लाजवाब हो गए। फिर कुछ देर बाद ये दाव लाये के इन लोगों पर २६८की कलम लगी हुई है। ईस लीये कोर्ट की इजाज़त के बगैर नहीं छोट सकते। ये वाहीयात दलील उन का जानकर भी अन्जान बनना था। २६८ की कलम कैदी जब तक केसमें और जेल में है वहां तक है। जब केस ही खत्म हो गया और सुप्रिम कोर्ट ने बाईज्जत रिहाई का हुक्म दे दिया तो फिर २६८ की कलम का वुजूद ही कहां रहा ? जेल अमला २६८ की कलम की हकीकत व असर को बहोत ही अच्छी तरह जानता और समझता है, लेकिन उनका मकसद हमें किसी भी तरह रोकना या परेशान करना था।। खैर हमारे वकीलों के बहस मुबाहसा और समझाने के बाद बज़ाहिर कलम २६८ समझमें आनेका नाटक किया। लेकिन अभी भी मायूस नहीं हुवे और आपसी कानाफुंसी के बाद एक आखरी हथीयार इस्तिमाल किया और हमारे वकीलों से कहा इन चारों हज़रात पर अक्षरधाम के अलावा और कोइ केस नहीं है – आप उस की तहरीरी ज़मानत दो। इस पर हमारे वकील जावेदखान बरहम हो गए। चुनान्चे उन्होंने और बाहर से अेजाज़ कुरेशी साहब ने जेल स्टाफ को सुप्रिम कोर्ट जाने की धमकी दी। कुछ तो इस धमका का असर था। कुछ जेल के बाहर हुजूम में इश्तिआल का डर था। चुनान्चे बाहर जमा होने वाली भीड में इश्तिआल व बेचेनी बढती जा रही थी, हत्ता के कुछ लोगों ने जेल के बाहर भी पटाखे फोडना शुरु कर दिये थे। और फिर जेल के ये दोनों अफसर अपनी इस हरकत में अकेले रह गए थे। मुझे एक गैर मुस्लिम जेलर साहब ने कान में आ कर कहा के ये लोग गांधीनगर, गृहखाता, क्राईमब्रान्च, पुलीश कमिश्नर कचेरी तमाम जगा फोन कर चुके हैं, लेकिन कोई इनका साथ देने के लीये तैयार नहीं है। और ज़ाहिर है सुप्रिम कोर्ट के इस जजमेन्ट के खिलाफ कोई बी समझदार शख्स हमें कैसे रोके सकता है ? बहरहाल जब ये अफसरान बिलकुल आजिज़ व नाउम्मीद हो गए तो उन्होंने हमें सुप्रिन्टेन्डेन्ट साहब की ओफीस में बुलाया . हम चारों के साथ हमारे वकील भी थे। सुप्रिन्टेन्डेन्ट साहब ने हमारे वकील से कहा आप सिर्फ हमें एक कागज़ पर इतना लिख

दें के हमारी मालुमात के मुताबिक इन हज़रात पर कोई और केस नहीं है। इस परमैं खामोश नहीं रेह सका और् मैंने कहा मैं ११ साल से जेल में हुं। आप केस की बात करते हैं। ११ साल के इस अरसेमें अगरच मुझ पर कोई जेल खटला हो तब भी आप मुझे रोक लो। (जेल में खिलाफे कानुन कोइ काम करने पर जो कारवाई और सज़ा दी जाती है उसे जेल खटला कहा जाता है।) इस पर भगोरा साहब और जेलर साहब थोडे से चोकन्ना हो गए। और केहने लगे हम आप को रोकना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ कानुनी कारवाई पुरी करना चाहते हैं। इस पर हमारे वकील ने कहा ११ साल से ये हज़रात आपकी कस्टडी मैं है। इन हज़रात पर और कौई केस है या नहीं ? हम से बेहतर आप जानते हैं। ये केहकर हमारे वकील ने लिखने से इन्कार कर दिया। लेकिन चुंके रात के ८:३० – ८:४५ बज रहे थे। लोग दोपहर से बाहर भुके प्यारे थके मान्दे उम्मीदे लगाए बैठे थे। और जेल स्टाफ़ को भी इस आखरी बात पर इसरार था। अब वोह तजबज़ुब का शिकार थे, इस लिये अपनी सलामती के खातिर इतनी तहरीर चाहते थे इस लीये हमने आपसी मश्वरा के बाद वकील के कागज़ पर ये बात लिख देने के लीये कहा। जिस पर हमारे वकील जनाब जावेदखान पठान ने लिखा के आज तारीख १७-०५-२०१४ को अक्षरधाम केस में सुप्रिम कोर्ट का जजमेन्ट ले कर शाम ५:३० से यहां कानुनी कारवाई के साथ हमारे असील की रिहाई के लीये आये हैं ,हमने सुप्रिम कोर्ट और नीचली कोर्टों के सारे कागज़ात जमा कर दिये हैं, और अभी रात के ८:४५ बज रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी असीलों को छोडा नहीं गया, और इन हज़रात पर दूसरा केस न होने की हमसे गेरंटी मांगी जा रही है। अभी इतना लिखना था के भगोरा साहब फिर गभराए के भाई आप मुझे फसाओंगे। ये सब क्युं लिख रहे हो ?आप सिर्फ इतना ही लिखो के मेरी मालुमात के मुताबिक इन पर कोई दूसरा मुकद्दमा नहीं है। खैर वकील से कुछ लकीरें केन्सल करवाई और बादिले नाखास्ता हमें जाने के लीये कहा। जैसे ही हम सुप्रिन्टेन्डेन्ट की ओफीस से बाहर निकल कर आखरी खानापुरी के लीये जेल के सदर दरवाजे पर काउन्टर पर गए। अवाम का हुजूम दरवाजे के करीब दौडा चला आया। रजीस्टर में हमारे नाम पुकारे गए और जेल से रिहाई की एक एक परची

हमें देकर जाने के लीये कहा। और १७-०५-२०१४ बराबर पोने ग्यारह साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन्नते यूसुफ़ी पर अमल कराते हुवे जेल की अंधेरी दुन्या से रीहाई अता फरमाई। रात के ८:४५ बजे मैंने और मेरे साथीयों ने सदर दरवाज़े की खिडकी जिससे दाखिल हुवे थे, आज बारी बारी बाहर कदम रखा। बाहर मेरे कैद के साथी हाजी फारुक ने फुलों की सेज बिछा कर जाजम की शकल दी थी। ताके हम उस पर चल कर बाहर आएं, लेकिन जैसे ही हमने बाहर कदम रखा। पुरहुजूम अवाम के जज़बाद ने जाजम को रोंद कर रख दिया।

भाी सल्मान, नुरबेग, अेजाज़भाई, अख्तरभाई , मौ. यह्या, मेरे बच्चे और दीगर हाज़ीरीन से मुसाफहा-मुआनका हुवा। अल्लाहु अकबर की सदाएं लोगों के जज़बात की तरजुमानी कर रही थी। मीडीया मौजूद थी, हमारा तआरुफ व इन्टरव्यू हुवा लेकिन ये शायद उन हज़रात की मजबूरी थी के सारी बातों को 'सेन्सर' कर दीया गया।

बहरहाल जेल से निकलकर सब से पेहले मैं अपने वालिद की आखरी आरामगाह मुसा सुहाग कब्रस्तान पहोंचा। मेरे वालिद की कबर पर खडे होते ही उन की यादें ताज़ा हो गई, और आंखो से आंसुओंका सैलाब जारी हो गया। ईसाले सवाब और मग्फिरत की दुआ के बाद मैं दरीयापुर लीमडी चोक, शेखजी की मस्जिद में गया। वहां अवाम ने जो वालिहाना इस्तिकबाल किया वोह अल्फाज़ में बयान नहीं कीया जा सकता। मस्जिद से मैं अपने मोहीसीन सलमान और नूरबेग के घर् पहोंचा। इन हज़रात के मुझ पर जो अेहसानात थे उस की अदना कदरदानी और अेहसान शनासी का ये तकाज़ा था।

वहां से मैं अपने प्यारे मोहल्ला दरीयापुर चारवाट पहोंचा। वहां पर भी अवाम ने बेइन्तिहा खुशीयों का ईज़हार कीया और अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ़ नारे लगा कर अपने जज़बात का ईज़हार कीया। मेरी वोह मस्जिद जहां से ११ साल पेहले मुझ इन्तिहाई बे सरो सामानी की हालत में क्राईम ब्रान्च के अफसरान ईग्वा कर के ले गए थे। और मस्जिद के मुसल्ली बडी हसरत और बेचारगी से तकते रह गए थे।

आज मेरी आमद व इस्तिकबाल का इन्तिज़ार कर रहे थे।

चुनान्चे मैं हाजी सखी मस्जिद गया। कुछ कलिमात कहे और दुआ की वहां से मैं अपने घर के लीये रवाना हुवा।

रेगीस्तान और सहरा में पानी और मंज़ील की तलाश मे भटकने वाला मुसाफिर बडी मेहनत व मशक्कत के बाद जब वाकई पानी और मन्जिल के पास पहोंच जाता है तो अब तक के तजरबात की बुन्याद पर वोह वाकई पानी और मन्जील को बी धोका समझना है। और ऐन मन्जील के करीब पहोंचकर उस के पैर जवाब दे जाते हैं। ११ साल से मन्जिल की तलाश में बटकने और उम्मीदों बीम के मराहिल से गुज़रने के बाद, और बार बार रिहाई के ख्वाब देखने और बेदारी पर अपने आपको उन की सलाखों के पीछे पाया था। इस लीये आज वाकई मन्जील भी ख्वाब व सराब का धोका मालूम हो रही थी। पैरों में चलने की ताकत नहींथीं. लोगों के कंधो के सहारे पुरहुजूम अवाम के सैलाब पर गोया तैर रहा था। अपने इरादे से कदम आगे पीचे नहीं हो सकता था। अवाम का हुजूम मुझे बहाते ले जा रहा था। पैर और ज़मीन देखने का तो सवाल ही नहीं होता था।

उस के बाद मैं आदम शाह की मस्जिद गया। वहां दुआ की और फिर अपने घर की राह ली।

घर वापसी

ये चूंके आखरी मन्जिल थी। इस लीये अवाम व खवास का जोश बी उरुज पर था। आसमान को गुंजादेने वाले नअरों से दरो दीवार हिल रहे थे। धक्कों के सहारे मैं अपने घर तक पहोंचा। लंबे इन्तिज़ार और तमन्नाओं के बाद आज मेरा घर मेरे सामने था। आप शायद यकीन न करें, मैं पहली ही मरतबा अपना घर देख रहा था, चुंके, मेरी गिरफ्तारी के बाद ये घर बना था और मेरे वालिदैन (मां-बाप) मेरी गिरफ्तारी के बाद यहां रहने आए थे। मैं अपने घर की तामीर व कैफीयत से भी नावाकिफ था। घर और बरामदा बच्चों, मर्दों और रिश्तेदार खवातीन से भर चुका था। जज़बात की शिद्दत से लोग रो रहे थे और मुझे भी रुला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह घर मे दाखिल होते ही दिल से एक ठंडी सांस और ग्यारह साल से गाईब होंटो पर मुस्कुराहट आ गई। मेरी मां, बीवी-बच्चे, बहनें और सारे रिश्तेदारों ने घेर लिया। खानदान की बुढी औरतें बलाईयां लेकर अपनी खुशी और जज़बात का इज़हार कर रही थी और रोशन व महफुज़ मुस्तकबिल की दुआएं दे रही थी।

आहिस्ता आहिस्ता लोग रवाना होने शुरु हुवे और एक तवील (लम्बे) अरसे बाद रातमें तकरीबन १:०० बजे अपने घरवालों के साथ खाना खाया और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक लम्बी आज़माईश खत्म हुई। बरसों से आंखो में सजाया ख्वाब आज अल्लाह के फजल से पुरा हो गया। खौफो हरास और यास व नाउम्मीदी की तारीकीयां छट गई।

अल्लाह तआला मेरी रिहाई को उम्मत के लीये खैर का ज़रीया बनाएं और दुन्या और आखिरत के तमाम शर और फितन से मेरी उम्मत की हिफ़ाज़त फरमएं (आमीन)

هـذا تأويل رء یای من قبل قد جعلها ربی حقا... وقد أحسن بی إذ أخرجنی من السجن... إن ربی لطیف لما یشاء إنه هو العلیم الحکیم..... فا طر السموت والأرض أنت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما وألحقنی بالصلحین.